लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र]

Fourth Session

[खंड 15 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 35, मंगलवार, 2अप्रैल, 1968/13 चैत्र, 1890 (शक)
No. 35, Tuesday, April 2, 1968/Chaitra 13, 1890 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या Q. Nos.		
988. द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की सफलताएं	Achievements of Second United Nations Conference on Trade and Development ..	607—611
990. व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Trade Delegations ..	611—612
991. राज्य व्यापार निगम के दस्तावेजों का केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा पकड़ा जाना	C. B. I. Seizure of Documents of S. T. C. ..	612—618
992. दक्षिण में सूती मिलों का बन्द होना	Closure of Cotton Mills in the South ..	618—626
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
15. औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति सम्बन्धी जांच समिति के अध्यक्ष द्वारा बैंक आफ इण्डिया के निदेशक का पद स्वीकार करना	Acceptance of Directorship of Bank of India by Chairman of Industrial Licensing Policy Enquiry Committee ..	626—630
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
989. सीमेंट कारखाने	Cement Plants ..	630—631
993. कांगड़ा में चाय बागान	Tea Plantations in Kangra ..	631

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
994. भारतीय रेलों के जनरल मैनेजरों की बैठक	Meeting of General Managers of Indian Railways ..	631—632
995. लम्बी यात्रा वाली गाड़ियों में तीसरे दर्जे के और अधिक डिब्बे लगाना	Provision of additional III Class Coaches on Long Distance Trains ..	632—633
996. माल डिब्बों को गया स्टेशन के बजाय अन्य स्टेशनों को भेजने की धोखाधड़ी	Cheating at Gaya Station by diverting wagons to other Stations ..	633
997. सूरी ट्रान्समिशन सिस्टम का आविष्कर्ता	Inventor of Suri Transmission System ..	633—634
998. कपास के मूल्यों का कम होना	Fall in Prices of Cotton ..	634—635
999. सरकारी क्षेत्र के कारखाने	Public Sector Factories ..	635
1000. रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Railway Employees ..	635—636
1001. कपड़े की उत्पादन लागत	Cost of Production of Cloth ..	636
1002. दक्षिण पूर्व रेलवे पर क्लेम्स ट्रेसरों के पद	Claims Tracers on S. E. Railway ..	637
1003. बरारीघाट में निजी नाम सेवा	Private Ferry Service at Bararighat ..	637
1004. उत्तर रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों तथा गैंगमैनों की यूनियन का सम्मेलन	Conference of Class IV Railway Employees and Gangmen Union of Northern Railway ..	638
1005. दिल्ली में भूमिगत रेलवे	Underground Railway in Delhi ..	638
1006. असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स आफ वर्क्स	Assistant Inspectors of works ..	638—639
1007. कोका-कोला पेय का उत्पादन	Production of Coca-Cola ..	639
1008. वातानुकूलित प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के डिब्बों से होने वाली आय	Income from A. C. First, Second and Third Class Coaches ..	639—640
1009. ढोलों का निर्माण	Manufacture of Barrels ..	640—641
1010. कारों का निर्माण	Manufacture of Cars ..	641
1011. मध्य और पश्चिम रेलवे में दुर्घटनाएं	Accidents on Central and Western Railways ..	641

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1012. रेलों का घाटा	Deficit suffered by Railways ..	642
1013. त्रिपोली मेले में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's Participation in Tripoli Fair ..	642
1014. कपड़े के दाम	Prices of Cloth ..	642—643
1015. धातु निकालना	Exploitation of Metals ..	643
1016. रेलवे में कुत्तों के दस्ते	Dog Squads on Railways ..	643—644
1017. सिलाई की मशीनों का निर्माण	Manufacture of Sewing Machines ..	644
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5990. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी	Hindustan Photo Films Manufacturing Company ..	644
5991. राज्य व्यापार निगम द्वारा राजा आयल मिल्स की निकासी एजेंट के रूप में नियुक्ति	Appointment by S. T. C. of Raja Oil Mills as Clearing Agents ..	645
5992. राज्य व्यापार निगम एजेंटों को दिया कमीशन	Commission Paid to Agents by State Trading Corporation ..	645
5993. प्रशीतकों और वातानु का निर्माण	Manufacture of Refrigerators and Air-Conditioning Plants ..	645—646
5994. कोयले का निर्यात	Export of Coal	647
5995. कोयले का निर्यात	Export of Coal ..	647—648
5996. सनी "सन हैम्प" का उपयोग	Use of Sun-Hemp ..	648
5997. उड़ीसा में नमक उद्योग	Salt Industries in Orissa ..	648—649
5998. दिल्ली से शकूरबस्ती तक रेलवे लाइन को दोहरी लाइन बनाना	Doubling of Railway Line from Delhi to Shakurbasti ..	649
5999. आई० डी० एस० बी० डाउन खाली रेक	I. D. S. B. Dn. Empty Rake ..	650
6000. केरल में अल्मोनियम की नौकाओं का निर्माण	Manufacture of Aluminium Boats in Kerala ..	650

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6001.	पंजाब में औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial Projects in Punjab ..	650—651
6002.	फैरो-मैंगनीज मिश्रित धातु कारखाने	Ferro-Maganese Alloy Plants ..	651—652
6003.	निषिद्ध वस्तुओं का आयात	Import of Banned Items ..	652
6004.	इंटेगरल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर	Integral Coach Factory, Perambur ..	652—653
6005.	लघु उद्योग सेवा एकक	Small Industries Service Unit ..	653—654
6006.	करायकुडी में लौह अयस्क के निक्षेप	Iron Ore Deposits in Karaikudi ..	654
6007.	ट्रांसफार्मर निर्माण उद्योग	Transformer Manufacturing Industry ..	654—655
6008.	आन्ध्र प्रदेश में खनिजों का सर्वेक्षण	Survey of Minerals in Andhra Pradesh ..	655
6009.	कोयले का उत्पादन	Coal Production ..	656
6010.	कोयला खनन उद्योग	Coal Mining Industry ..	656—657
6011.	कोयले पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Coal ..	657—658
6012.	खादी ग्रामोद्योग भवनों द्वारा मिलावटी मधु की बिक्री	Sale of Adulterated Honey by Khadi Gramodyog Bhavans ..	658
6013.	कुम्बकोनम-सिरकाली रोड स्थित रेलवे फाटक पर उपरि पुल	Overbridge at Level Crossing at Kumbakonam-Sirkali Road ..	659
6014.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd. ..	659
6015.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन	UNCTAD-II ..	659—660
6016.	दरभंगा रेलवे लाइन	Darbhanga Railway Lines ..	660
6017.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन	INCTAD ..	660—661
6018.	हैदराबाद में शराब बनाने तथा अंगूर बाटिका संबंधी योजनाएं	Breweries and Vineries Project in Hyderabad ..	661
6019.	डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना	Sodium Sulphate Plant at Deedwana ..	661—662

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6020. बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant ..	662
6021. भारत-नेपाल व्यापार पर प्रतिबन्ध	Restriction on Indo-Nepal Trade ..	662
6022. भारत और नेपाल के बीच व्यापार और पारगमन करार	Trade and Transit Treaty between India and Nepal ..	662—663
6023. नायलोन के धागे का निर्यात	Export of Nylon Fabrics ..	663
6024. जनता कपड़ा योजना	Janta Cloth Scheme ..	663—664
6025. सिमुलतला स्टेशन के निकट हाल्ट स्टेशन	Halt Station near Simultala Station ..	664
6026. डाक व तार विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Class IV Staff in P. and T. Deptt. ..	664—665
6027. सर्कस दलों के लिये रेल सम्बन्धी रियायतें	Rail Concessions for Circus troupes	665
6028. प्रेस इनफारमेशन ब्यूरो के अधिकारी की अल्जीरिया की यात्रा	P. I. B. Officer's Visit to Algeria ..	666
6029. हरिद्वार और वाराणसी के के बीच दैनिक जनता गाड़ी चलाना	Introduction of Daily Janta Train between Hardwar and Varanasi ..	666
6030. रूरकेला इस्पात कारखाना	Rourkela Steel Plant ..	666—667
6031. ऊनी गलीचों का निर्माण	Manufacture of Woollen Carpets ..	667
6032. ठगों के गिरोह द्वारा रेलवे को धोखादेही	Cheating of Railway by Gang of Swindlers ..	668
6033. राज्य व्यापार निगम द्वारा जूतों का निर्यात	Export of Shoes by S. T. C. ..	668
6034. इंजीनियरों में बेकारी	Unemployment among Engineers ..	669
6035. आंध्र इस्पात निगम	Andhra Steel Corporation ..	669—670
6036. भारतीय चाय के निर्यात में कमी	Fall in India's Tea Exports ..	670
6037. ऊन का निर्यात	Export of Wool ..	670—671
6038. तारकोल के ढोलों का निर्माण	Manufacture of Bitumen Drums ..	671—672

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6039. स्टैंडर्ड ड्रम एंड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी	Standard Drum and Barrel Manufacturing Company ..	672
6040. "पी० एस० बनारस" स्टीमर जहाज की नीलामी	Auctioning of "P. S. Banaras" Steamer ..	673
6041. इस्पात संयंत्र	Steel Plants ..	673
6042. मध्य रेलवे द्वारा पदों का विज्ञापन	Advertisement of Posts by Central Railway ..	674
6043. भारतीय रेलों की एक विभागीय परीक्षा परिशिष्ट-2-क	Appendix II-A Departmental Examination of the Indian Railways ..	674
6044. लघु उद्योग सेवा संस्थाएं	Small Scale Industrial Service Institutes ..	674
6045. प्रदर्शनियों के सहायक निदेशक	Assistant Directors of Exhibitions ..	674—675
6046. चुर्क-कटनी रेलवे लाइन	Churk-Katni Railway Line ..	675—676
6047. सिंगरोली कोयला खानें	Singroli Coal Mines ..	676
6048. सिंगरोली कोयला खानें	Singroli Coal Mines ..	676
6049. दिल्ली में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Delhi ..	677
6050. मुरादाबाद-चंदौसी यात्री गाड़ी से यात्रा कर रहे एक यात्री का अपहरण	Kidnapping of Passenger Travelling by Moradabad-Chandausi Passenger Train ..	677
6051. युद्ध के काम आने वाले महत्व पूर्ण कच्चे माल का निर्यात	Exports of Strategic War Raw Materials ..	677—678
6052. भागलपुर-मांडरहिल रेलवे लाइन	Bhagalpur-Mandar Hill Railway Line	678
6053. पश्चिम बंगाल में औद्योगिक समवाय	Industrial Concerns in West Bengal ..	678—679
6054. अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities ..	679
6055. लक्की सराय स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Luckeesarai Station ..	679—680
6056. चाय पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Tea	680
6057. पूर्व रेलवे में अराजकता की स्थिति को रोकने का अभियान	Drive to check Lawlessness on Eastern Railway ..	680—681
6058. रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी कुंजरू समिति	Kunzru Committee on Railway Accidents ..	681

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6059. मैसर्स ओवल इंडस्ट्रीज के साथ गंधक का सौदा	Sulphur deal with M/s. Oval Industries ..	681—682
6060. बंगलौर में हथकरघा उद्योग सम्मेलन	Conference on Handloom Industry at Bangalore ..	682
6061. नामखाना (पूर्व रेलवे) में टिकटघर	Booking Office at Namkhana (Eastern Rly.) ..	682—683
6062. उत्तर रेलवे में यातायात शिशिक्षु	Traffic Apperentices of Northern Railway ..	683
6063. मध्य प्रदेश में स्थापित किये गये उद्योग	Industries set up in Madhya Pradesh ..	683
6064. मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग	Handloom Industry in Madhya Pradesh ..	683—684
6065. मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें	Textile Mills in Madhya Pradesh ..	684
6066. मध्य प्रदेश में कुटीर उद्योग	Cottage Industry in Madhya Pradesh ..	684—685
6067. निर्यात	Exports ..	685
6068. ब्रिटेन के व्यापार-प्रबन्धकों की भारत यात्रा	Visit by British Business Executives ..	685—686
6069. बर्मा को डी-लक्स डिब्बों (रेलगाड़ी के) की सप्लाई	Supply of De-Luxe Coaches to Burma ..	686
6070. मुगलसराय स्टेशन का नाम 'दीनदयाल नगर' रखना	Renaming of Mughalsarai Station in 'Deendayal Nagar' ..	686
6071. बैलाडिल्ला लौह अयस्क का खाना	Bailadilla Iron Ore Plant ..	686—687
6072. बम्बई-दिल्ली तथा बम्बई-हावड़ा मार्गों पर रेल गाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of Trains on Bombay-Delhi and Bombay-Howrah Routes ..	687
6073. गन्ने को रेलभाड़ा वृद्धि से छूट	Exemption of Sugar Cane From Increase in Railway Freight ..	687—688
6074. कलकत्ता मेल और हावड़ा एक्सप्रेस में डीजल इंजनों का लगाया जाना	Hauling of Calcutta Mail and Howrah Express by Diesel Locomotives ..	688
6075. चमड़े के सामान का निर्यात	Exports of Leather Goods ..	688—689
6076. पश्चिमी रेलवे पर बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on Wertern Railway ..	689

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6077.	मुरादाबाद में टेलीफोन के तारों की चोरी करने वाले रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी	Arrest of Railway Employees for stealing Telephone Wires in Moradabad ..	689—690
6078.	पश्चिम रेलवे के इंजीनियरी विभाग के वार्ड कीपरों के पद	Posts of Ward Keepers in Engineering Department of Western Railway ..	690
6079.	दिल्ली-रिवाड़ी सेक्शन पर रेलगाड़ियों में खतरे की जंजीरें	Alarm Chains in Trains on Delhi-Rewari Section ..	690
6080.	निजी कम्पनियों की रेलवे लाइन	Railway Lines owned by Private Companies ..	690—691
6081.	भुसावल रेलवे स्टेशन पर इंजनों की नीलामी	Auctioning of Railway Engines at Bhusawal Railway Station ..	691
6082.	उत्तर रेलवे के वाराणसी-प्रतापगढ़ सेक्शन पर गाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment on Varanasi-Partapgarh Section on Northern Railway ..	691
6083.	बड़ौदा के डिवीजन कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of Divisional Office at Baroda ..	691—692
6084.	मेरठ शटल गाड़ी का बरास्ता शाहदरा चलना	Running of Meerut Shuttle Train via Shahdara ..	692
6085.	कम्पनी सचिव	Company Secretaries ..	692—693
6086.	कम्पनी सचिव	Company Secretaries ..	693—694
6087.	कालका-शिमला लाइन का बन्द किया जाना	Closure of Kalka-Simla Line ..	694—695
6088.	चंडीगढ़ में उद्योग	Industries in Chandigarh	695
6089.	निकोबार द्वीप समूह में नारियल के तेल मिल	Coconut Oil Mill in Nicobar Island ..	695
6090.	भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	Geological Survey of India	696
6091.	भारतीय खान ब्यूरो	Indian Bureau of Mines ..	696—697
6092.	भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	Geological Survey of India	697
6093.	लीपजिग मेला	Leipzig Fair ..	697—698
6094.	भारतीय खान ब्यूरो	Indian Bureau of Mines	698

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6095. भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	Geological Survey of India ..	698—699
6096. अम्बाला डिविजन	Ambala Division ..	699
6097. उत्तर रेलवे के डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के कार्यालय में सहायक स्टेशन मास्टर	Assistant Station Masters in Divisional Superintendents Office, Northern Railway ..	699—700
6099. टायरों का निर्माण	Manufacture of Tyres ..	700
6100. रूस को कपड़े का निर्यात	Export of Textiles to U. S. S. R. ..	700—701
6101. पाकिस्तान को पंचाट द्वारा दिये गये कच्छ क्षेत्र में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in the Kutch Area awarded to Pakistan ..	701
6102. दार्जिलिंग के निकट चांगलांग चाय-बगीचे में आग	Fire in Chonglang Tea Gardens near Darjeeling ..	701—702
6103. जम्बिया में रेलवे परियोजनायें	Railway Projects in Zambia ..	702
6104. स्टर्लिंग के अवमूल्यन का भारत के चाय निर्यात पर प्रभाव	Effect of Devaluation of Sterling on India Tea Exports ..	702
6105. वस्तुओं का निर्यात	Export of Metals ..	702—703
6106. छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car ..	703
6107. अरब देशों के साथ व्यापार	Trade with Arab Countries ..	703—704
6108. अखबारी कागज के आयात सम्बन्धी करार	Agreement for Import of Newsprint ..	704
6109. दिल्ली में कोकिंग कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in Pice of Coking Coal in Delhi ..	704—705
6110. तांबे तथा जस्ते की कमी	Shortage of Copper and Zinc ..	705—707
6111. किराये पर चलने वाले मोटर ट्रकों का उत्पादन	Production of Commercial Vehicles ..	707
6112. पटसन का उत्पादन	Production of Jute ..	707
6113. रूरकेला में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Rourkela ..	707—708
6114. छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car ..	708
6115. धनबाद और पटना के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Express Train between Dhanbad and Patna ..	708—709

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
6116. पटना से कलकत्ता तक एक्सप्रेस गाड़ी	Express Through Train from Patna to Calcutta	.. 709
6117. दुर्गापुर में उद्योग	Industries in Durgapur	.. 709
6118. रेलवे सेवा (आचार) नियम, 1966	Railway Services (Conduct) Rules, 1966	.. 709—710
6119. पूर्वोत्तर रेलवे का पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और उत्तर रेलवे में विलय	Merging of N.E. Railway with N.F., Eastern and Northern Railways	.. 710
6120. अभ्रक के चूरे का निर्यात	Export on Mica Scrap	.. 710—711
6121. रेलवे उपकरण	Railway Equipment	.. 711—712
6122. इंटगरल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर	Integral Coach Factory, Perambur	.. 712—713
6123. डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप वाराणसी से डाइनोमों की चोरी	Theft of Dynamos in Diesel Locomotive Workshop, Varanasi	.. 713
6124. हनुमानगढ़ - गंगानगर नहर लूप रेलवे लाइन के नीचे पाइप लाइन	Pipe Line beneath Hanumangarh-Ganganagar Canal Loop Railway Line	.. 713
6125. पश्चिम बंगाल में नये उद्योग	New Industries in West Bengal	.. 713—714
6126. कोयम्बटूर में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Coimbatore	.. 714—715
6127. मंगलौर से नई दिल्ली तक तीसरी श्रेणी के 'स्लीपर कोच'	III Class sleeper coaches from Mangalore to New Delhi	.. 715
6128. राजस्थान को लोहे तथा इस्पात का कोटा	Quota of Iron and Steel to Rajasthan	.. 715
6129. राजस्थान में लघु उद्योगों को लोहा तथा इस्पात के कोटे का नियतन	Quota of Iron and Steel to Small Scale Industries in Rajasthan	.. 715—716
6130. रूस को सप्लाई किये गये जूतों की कीमतें	Prices of Shoes supplied to U.S.S.R.	.. 716
6131. औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी डा० हजारी का प्रतिवेदन	Dr. Hazaria's Report on Industrial Licensing	.. 716—717
6132. रेलवे के कब्जे में खाली भूमि पर वन लगाना	Afforestation of vacant land in possession of Railways	.. 717—718

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6133. मांट्रियल में एक्सपो प्रदर्शनी	EXPO. Exhibition in Montreal ..	718
6134. निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की भेदभाव रहित वरीयता	Non-discriminatory Preferences ..	718—719
6135. ढोल की चादरों का निर्माण	Manufacture of Drum Sheets ..	719—720
6136. केबल और धारित्र (कपेसिटर्स) पर आयात शुल्क	Import Duty on Cables and Capacitors ..	720
6137. केबलों और बिजली की तारों का आयात	Import of Cables and Electric Wires ..	720—721
6138. लघु उद्योग	Small Scale Industries ..	721
6139. पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी, खरड़	Panipat Woollen and General Mills Co., Kharar ..	721—722
6140. अवमूल्यन के पूर्व तथा पश्चात् जारी किये गये लाइसेंस	Licences issued before and after Devaluation ..	722—723
6141. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे से स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों का वापिस बुलाया जाना	Withdrawal of Station Masters and Assistant Station Masters from N.E.F. Railway ..	723
6142. कम्पनियों द्वारा लाइसेंसों की वापसी	Surrender of Licences by Companies ..	723—724
6143. उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories ..	724
6144. एडवर्ड मिल्स, मद्रास	Edward Mills, Madras ..	724—725
6145. बम्बई स्थित एडवर्ड मिल्स	Edward Mills, Bombay ..	725—726
6146. पूर्वी रेलवे के बोगांव-रानाघाट सेक्शन पर विद्युतीकरण	Electrification on Bangaon-Ranaghat Section of Eastern Railway ..	726
6147. निरंजन अग्रवाला की अपील पर उच्चतम न्यायालय का का निर्णय	Supreme Court Judgement in Appeal by Naranjan Agarwala ..	726—727
6148. रेलवे सुरक्षा दल में प्रतिनियुक्ति	Deputation to Railway Protection Force ..	728
6150. सुअर की चर्बी का आयात	Import of Mutton Tallow ..	727—728

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6151. कोयला उद्योग पर अध्ययन दल	Study Group on Coal Industry	.. 728
6152. आसनसोल डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी के पदों का समाप्त किया जाना	Abolition of Class IV posts in Asansol Division	.. 728
6153. आसनसोल रेलवे जंकशन के पूर्व सुरंग में रास्ता	Pathway in Tunnel East of Asansol Railway Junction	.. 729
6154. आसनसोल स्टेशन की पश्चिमी सुरंग	Western Tunnel of Asansol Station	.. 729
6155. सूती धागे का रक्षित भंडार	Buffer Stock of Cotton Yarn	.. 730
6156. इस्पात का निर्यात	Export of Steel	.. 730
6157. सजावटी सामान का निर्यात	Exports of Decorative Products	.. 730—731
6158. धातु उत्पादों का निर्यात	Export of Metal Products	731
6159. केले तथा संतरे लाने वाले डिब्बों का देर से आना	Late receipt of Wagons containing bananas and oranges	.. 731—732
6160. टाटा उद्योग समूह	Tata Group of Industries	.. 732
6161. आगरा छावनी से बाह तक रेलगाड़ी चलाना	Introduction of Train from Agra Cantonment of Bah	.. 732—733
6162. रत्नगिरि अल्युमीनियम परियोजना	Ratnagiri Aluminium Project	.. 733—734
6163. राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint by State Trading Corporation	.. 734
6165. संसद् सदस्यों के लिये वस्पा स्कूटरों का कोटा	Quota of Vespa Scooters for Members of Parliament	.. 734—735
6166. यूरोप में सोने का संकट	Flight of Gold in Europe	.. 735
6167. उत्तर रेलवे पर डीजल इंजिनों के फायरमैनों का प्रशिक्षण	Training of Firemen in Diesel Engines on Northern Railway	.. 736
6168. प्रसावन सामग्री तैयार करने के कारखाने	Cosmetics Factories	.. 736
6169. प्रसावन सामग्री बनाने के कारखाने	Cosmetics Factories	.. 736—737
6170. कैफीन का उत्पादन	Production of Caffeine	.. 737

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
6171. कमला बीज से तेल का निकाला जाना	Extraction of Oil from Kamala Seed ..	737
6172. रेलवे कर्मचारियों द्वारा पेंशन के लिये विकल्प	Option to Railway Employees for Pension ..	738
6173. मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर रेलवे में दायर किये गये मुकदमे	Suits Filed under Payments of Wages Act on Northern Railway ..	738
6174. उत्तर रेलवे के क्लर्कों के काम के घंटे	Duty Hours of Clerks on Northern Railway ..	738—739
6175. मशीनी औजार उद्योग	Machine Tool Industry ..	739—740
6176. नये सीमेंट कारखाने	New Cement Plants ..	740
6177. अन्धाधुंध आयात	Indiscriminate Imports ..	740—741
6178. कोरबा-कोयना अलमोनियम उद्योग समूह	Korba-Koyna Aluminium Complex ..	741
6179. चैयरमैन, भारत अल्युमीनियम कम्पनी	Chairman, Bharat Aluminium Company ..	741—742
6180. बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड	Burn & Co. Ltd. ..	742—743
6181. हथकरघा की वस्तुओं का निर्यात	Handicraft Exports ..	743—744
6182. झांसी में रेलवे का बांध	Railway Embankment at Jhansi ..	744—745
6183. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों के दौरे	Tours by the officers of Khadi and Village industries Commission ..	745
6184. हसन मंगलौर रेलवे लाइन	Hassan-Mangalore Railway Line ..	745—746
6185. खनिज तथा धातु व्यापार निगम में सेवा के विनियम	Service Regulations in M.M.T.C.	746
6186. एन्टवर्प को हीरों का निर्यात	Export of Diamonds to Antwerp ..	747
6187. सादुलपुर और हनुमानगढ़ के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी	Additional Train between Sadulpur and Hanumangarh Stations ..	747
6188. केले तथा संतरे के माल-डिब्बों के पहुंचने में विलम्ब	Delay in transit of Banana and Orange wagons ..	747—748
6189. रेलवे दुर्घटनायें	Railway Accidents ..	748

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6190. उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में खानें	Mines in Orissa, U.P. and Madhya Pradesh	.. 748—749
6191. हौजरी के सामान के निर्यात के लिए आदेश	Orders for Export of Hosiery Goods	.. 749
6192. निर्यात-आयात लाइसेंसों के विनियमनों का उल्लंघन	Violation of regulations of Export-import licences	.. 749
6193. राज्य व्यापार निगम द्वारा व्यापार करार	Trade Agreements by S.T.C.	.. 749—750
6194. नीलगिरी और तूतीकोरिन एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ सेलम से स्लीपर कोच लगाया जाना	Attaching of sleeper coach to Nilgiri and Tuticorin Expresses from Salem	.. 750
6195. पूर्वोत्तर रेलवे के तीसरे श्रेणी के नक्शा बनाने वाले कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Class III Drawing Staff of N.E. Railway	.. 750—751
6196. रेलों पर ड्राइंग कर्मचारियों के लिए छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था	Leave Reserve Strength of Drawing Staff on Railways	.. 751
6197. उत्तरी रेलवे में ड्राफ्टमैनों का चयन	Selection of Draftsman on Northern Railways	.. 751—752
6198. रेलवे कर्मचारियों को सुविधाएं	Facilities to Railway Employees	.. 752
6200. मशीनी औजारों का निर्माण	Manufacture of Machine Tools	.. 753
6201. सीमेंट का निर्यात	Export of Cement	.. 753—754
6202. मिर्चों का निर्यात	Export of Chillies	.. 754
6203. रेलवे आरक्षण अधिकारी, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	Railway Reservation Officer, Connaught Place, New Delhi	.. 755
6204. विद्यापति नगर तथा मुहीउद्दीन नगर स्टेशनों के बीच दुर्घटना	Accident between Vidyapatinagar and Mohiudinagar Stations	.. 755
रेलवे मंत्री द्वारा वक्तव्य	Statement by the Minister of Railways	.. 755—756
दक्षिण-मध्य रेलवे का इंजीनियरी विभाग	Engineering Department of South Central Railway	755—756

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling attention to Matter of Urgent Public Importance—	
पंजाब के राज्यपाल द्वारा पंजाब विनियोग विधेयक पर अनुमति	Assent to Punjab Appropriation Bills by Governor of Punjab ..	756—760
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	761
लोकपाल विधेयक पर राय	Opinion on Lokpal Bill ..	762
सभा का कार्य	Business of the House ..	792
सीमेंट आवंटन तथा समन्वय संगठन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 573 के उत्तर की शुद्धि	Correction of Answer to SQ. No. 573 re. Cement Allocation and Co-ordinating Organisation ..	762—763
सामान्य आयव्ययक, 1968-69—	General Budget, 1968-69—	
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants ..	763—810
वाणिज्य मंत्रालय	Ministry of Commerce ..	763—784
श्री प्र० कु० घोष	Shri P.K. Ghosh ..	763—764
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai ..	764—765
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair ..	765—766
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R.K. Birla ..	767—768
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi ..	768—770
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy ..	770—772
श्री प० गोपालन	Shri P. Gopalan ..	772—773
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh ..	774—775
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua ..	775—776
श्री रा० की० अमीन	Shri R.K. Amin ..	776—777
श्री बाबूराव पटेल	Shri Baburao Patel ..	777—779
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ..	779—784
शिक्षा मन्त्रालय	Ministry of Education ..	784—810
श्री रा० की० अमीन	Shri R.K. Amin ..	785—787
श्री नायनार	Shri Nayanar ..	787—789
श्री एंथनी रेड्डी	Shri P. Antony Reddy ..	806—809
श्रीमती तारा सप्रे	Shrimati Tara Sapre ..	809—810
भारत तथा पाकिस्तान के बीच दूर संचार के बारे में वक्तव्य	Statement re. Telecommunication Agreement between India and Pakistan ..	773—774
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	773—774

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
इलाहाबाद के निकट रेल दुर्घटना के बारे में चर्चा	Discussion re. Railway Accident near Allahabad	..	810—821
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	..	810
श्री क० ना० तिवारी	Shri K.N. Tiwary	..	810—811
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	..	811
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	..	811—812
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित	Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit	..	812—813
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	..	813—814
श्री अजमल खां	Shri H. Ajmel Khan	..	814
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	..	815
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	..	816
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	..	816—817
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R.D. Bhandare	..	817
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	..	817—818
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C.M. Poonacha	..	818—821

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

---

2 अप्रैल, 1968/13 चैत्र, 1890 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	शुद्धि
(XIV) विषय सूची	पृष्ठ की इन अन्तिम पंक्तियों रेलवे मंत्री द्वारा वक्तव्य - Statement by the Railway Minister और दक्षिण मध्य रेलवे का इंजीनियरी विभाग -- Engineering Department of South Central Railway)" को निकाल दीजिए ।
तदेव	पृष्ठ के अन्त में ये शब्द--- दक्षिण मध्य रेलवे के इंजीनियरी विभाग के बारे में 5 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2815 के उत्तर में शुद्धि -- Correction of Answer to U.S.Q. No.2815 dated 5.3.68 re: Engineering Department of South Central Railway भी पढ़िये ।
755	पंक्ति 19 में `2814` के स्थान पर `2815` पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 2 अप्रैल, 1968/13 चैत्र, 1890 (शक)
Tuesday, April 2, 1968/Chaitra 13, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की सफलताएं

*988. **श्री रवि राय :**
श्री दीवीकन :
श्री हेम बरुआ :
श्री स० कुण्डू :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री समर गुह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री याज्ञिक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जनवरी, 1968 को बोन में अर्जेनटाइना के संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन, के महासचिव श्री रौल प्रेबिश द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि ऊष्ण कटिबन्धीय देशों के फार्म उत्पादन का नियमित विपणन सुनिश्चित करने, गरीब देशों से औद्योगिक देशों के आयातों पर प्रतिबन्धों को समाप्त करने और विशिष्ट उद्देश्यों पर धनी देशों से गरीब देशों के लिये अधिक वित्तीय सहायता की व्यवस्था कराने के लिये नई दिल्ली में आगामी संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन का उद्देश्य विकसित देशों के उत्पाद के उपभोग में विकासशील देशों के लिये अंश प्राप्त करना होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सम्मेलन इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सका है; और

(ग) इस सम्मेलन ने अन्य क्या सफलताएं प्राप्त की हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). 16 जनवरी, 1968 को बोन में डा० रौल प्रेबिश द्वारा दिए गए वक्तव्य की प्रतिलिपि सरकार के पास नहीं है। फिर भी, डा० प्रेबिश ने अनेक अवसरों पर सम्मेलन के दौरान तथा पहले, सम्मेलन के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। माननीय सदस्य का ध्यान 1-4-1968 को इस विषय पर वाणिज्य मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है।

श्री हेम बरुआ : यह दूसरा संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन विकसित और विकासशील देशों के मध्य व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में पारस्परिक अन्तर को कम करने के स्पष्ट उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस दृष्टि से, कि सिवाय इसके कि इन प्रतिनिधियों को खजुराहों के प्रस्तरों में निहित इतिहास दिखाया गया तथा भारत सरकार द्वारा अपने आतिथ्य का समर्पण किया गया, जिसकी असंख्य प्रतिनिधियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की; इस सम्मेलन का, जिसे मैं देश के हितों के संदर्भ में एक अन्तर्राष्ट्रीय मौज-मेला कहूँगा, और क्या उद्देश्य था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : माननीय सदस्य जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की किसी ऐसी चालू संस्था का मूल्यांकन केवल किसी एक सम्मेलन से नहीं किया जा सकता। यह सम्मेलन जैनेवा अथवा न्यूयार्क में आयोजित होना था, बल्कि शायद जैनेवा में ही; या फिर किसी अन्य देश में; अगर हम इस सम्मेलन को आयोजित कराने का प्रस्ताव न करते। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य यही था कि विकसित देशों को इस सम्मेलन द्वारा विकासशील देशों की समस्याओं को जानने का अवसर मिले तथा इसके साथ ही हमें भी ऐसे सम्मेलन को अपने यहां आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हो।

मोटेतौर से, इस सम्मेलन से जो प्रत्यक्ष लाभ होंगे या विचार-धारा बनेगी उसमें भारत भी भागीदार होगा। परन्तु वैसे इस देश को, दो हजार लोगों को, जो कि अपने ही खर्च पर यहां रहे, आतिथ्य देने का सुअवसर मिला।

श्री हेम बरुआ : इस सम्मेलन का निष्कर्ष तो यही रहा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इस दृष्टि से, भारत सरकार ने इसके आयोजन पर कितनी धनराशि व्यय की, तथा इस सम्मेलन में समाजवादी देशों ने विकसित और विकासशील देशों को परस्पर निकट लाने में क्या भूमिका निभाई ?

श्री दिनेश सिंह : प्रश्न के पहले भाग के संदर्भ में तो सदन को ज्ञात है कि कैसे इस लागत को भारत और संयुक्त राष्ट्र मिलकर वहन करेंगे। कुल राशि का ब्योरा लेखा पूरा किये जाने पर ही मालूम होगा।

श्री हेम बरुआ : सरकार ने कितना व्यय किया है। क्या यह राशि एक करोड़ है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरी कठिनाई यह है कि जब मैंने प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया वह माननीय सदस्य ने याद नहीं रखा । मैंने कहा था कि जहां तक खर्च की लागत के बटवारे का सम्बन्ध है संयुक्त राष्ट्र उतना पैसा देगा जितना कि वह तब देता जबकि यह सम्मेलन यदि जैनेवा में होता, तथा हमें उतना पैसा देना होगा जितना कि जैनेवा और दिल्ली में आयोजित होने की दशा में लागत का अन्तर होता है । अतः जब तक लेखा पूर्ण नहीं होता तब तक यह कहना सम्भव नहीं कि भारत को क्या खर्च करना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र को क्या देना है अथवा कुल लागत कितनी आई ।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में निवेदन है कि समाजवादी देशों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । वह भूमिका बहुत रचनात्मक रही ।

अध्यक्ष महोदय : इसका ब्योरा वक्तव्य में है । इसके साथ ही आज मांगों पर वाद-विवाद भी आरम्भ हो रहा है ।

श्री हेम बरुआ : वक्तव्य तो प्रथम अप्रैल को दिया गया था ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir, stand taken by the UNCTAD delegate from Western Countries including U. S. A. and also of the so called socialists countries, clearly tells us that conference has been a failure. Even before the Conference commenced, the leader of American delegation had declared that they would not indulge in any negotiations there and, thus, whenever there was an occasion, they bycotted the move en bloc. In such circumstances, could it be wise to burden the country with this conference and the expenditure thereon, when none of the countries was taking interest in it and there was no outcome also ? The Hon. Minister has himself admitted in his Yesterday's statement that they were much disappointed and that nothing fruitful has come out.

Shri Dinesh Singh : How can I convince the Hon. Member that it was not we who called this conference. I have made it clear in every way, that we did not call this Conference. It was a conference of United Nations and could be held anywhere the U. N. liked. We are very much happy that it was held in my country.

As regards the second question, the Hon. Member is aware that inspite of Mr. Rostove's declaration, the United Nation's delegation came over here and held negotiations, and that the decision thereon is before the House.

Shri Shiva Chandra Jha : Is it true that this conference was held with a view to have **less of negotiations and more of confrontation and bargaining** if so, then I would like to know on what points had there been confrontation and whether any solution was reached in regard to finance development ; or any suggestion was made, and also whether any country was agreeable in giving one percent of her national gross product ?

Shri Dinesh Singh : For that I would appeal to the Hon. Member to refer to my statement. All details are contained therein.

श्री चेंगलराया नायडू : इस सम्मेलन से हमें क्या लाभ और हुआ है ? मैंने पत्रों में पढ़ा है कि इस सम्मेलन पर एक करोड़ रुपया खर्च हुआ है। दूसरे, क्या आप इसमें लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : अपने वक्तव्य में मैंने इस सम्मेलन से प्राप्त लाभ और हानि का पक्का चिट्ठा दिया हुआ है। मेरी कठिनाई यह है कि माननीय सदस्य उस वक्तव्य को पढ़ना नहीं चाहते तथा टिप्पणियाँ करते जायेंगे। मैं क्या कर सकता हूं ? मैं तो सब बातों को बार-बार बताकर सदन का सारा समय ले जाऊँगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं।

श्री विश्वनाथन : मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन में केवल 4 संसद् सदस्य ही प्रतिनिधियों के रूप में भेजे गये थे। क्या यह सत्य है कि केवल कांग्रेसी संसद् सदस्य ही चुने गये थे तथा विपक्ष की ओर से कोई भी नहीं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ? क्या यही सोचा गया था कि कांग्रेसियों के अतिरिक्त इस सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि के रूप में अन्य कोई उपयुक्त न होगा ? प्रतिनिधियों को चुनने के लिये क्या मानदण्ड रखा गया था ?

श्री दिनेश सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधियों को भेजने का सरकार के लिये यह पहला अवसर नहीं है। सदस्यों का चयन तो निश्चय ही उनके सरकारी नीति के प्रति सम्मान तथा इस कार्य की भूमिका निभाने की योग्यता के आधार पर किया जाता है। यदि विपक्ष की ओर के माननीय सदस्यगण सरकार की नीति का समर्थन करने में सक्रिय रुचि लें तो हम उनको भी शामिल करने के बारे में विचार करेंगे।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : यह सम्मेलन लगभग दो मास रहा। इस अवधि में यह निश्चय करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये, कि इन 77 विकासशील देशों के मध्य व्यापार पारस्परिक सहायता से विकसित हो ?

श्री दिनेश सिंह : कार्यकर्त्ता दल–II ने इस विषय में कार्यवाही की थी तथा उसकी रिपोर्ट उपलब्ध है।

श्री लोबो प्रभु : अधिमान तथा व्यापारिक बन्धनों के बारे में इन 77 राष्ट्रों में प्रशंसनीय उद्देश्य-साम्य पाया गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि तीन अन्य उद्देश्यों के बारे में भी ऐसा ही रचनात्मक उद्देश्य-साम्य जारी रखना क्या सम्भव न होगा ? पहले तो यह कि ये 77 देश विकसित देशों से प्राप्त वस्तुओं के दामों और यथांशों (कोटे) के बारे में क्या एकता नहीं रख सकते? दूसरे, विकसित देशों से साज व सामान प्राप्ति के तरीकों के बारे में क्या वे एक नहीं हो सकते ? इस सम्बन्ध में हमें अनुभव करना चाहिये कि विकसित देशों के पास फालतू माल है तथा उनको हमारी मंडी की जितनी आवश्यकता है हमें उनके माल की इतनी जरूरत नहीं है। तीसरे, मैं एक दिशा सुझाना चाहता हूं। इन 77 देशों में कुछ देश तो ऐसे हैं जिनको कर्मचारियों की कमी है

तथा कुछ ऐसे हैं जिनके यहां जन संख्या बहुत है। क्या इस मामले को आगे बढ़ाना सम्भव होगा ?

श्री दिनेश सिंह : पहली दो बातों के बारे में तो वे मिलकर कार्य कर रहे हैं। तीसरी बात एक सुझाव है।

Trade Delegations

*990. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the total number of trade delegations sent abroad by his Ministry during the last 3 years for trade promotion and the names of countries visited by them ;

(b) the criteria for selection of Members of Parliament for inclusion in these delegations; and

(c) the extent of increase achieved in our trade as a result of visits by these delegations ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) इनमें से किसी भी प्रतिनिधिमंडल में कोई संसद् सदस्य शामिल नहीं किया गया।

(ग) इनमें से अधिकांश देशों के साथ होने वाले व्यापार के परिमाण में सामान्यतः वृद्धि हो रही है।

विवरण

36 सरकारी अथवा सरकार द्वारा प्रायोजित व्यापार प्रतिनिधि-मंडलों ने गत तीन वर्षों में निम्नलिखित देशों की यात्रा की :

जापान, केन्या, युगांडा, तंजानिया, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, इटली, थाईलैण्ड, बर्मा, इण्डोनेशिया, मलयेशिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब गणराज्य, ट्यूनिशिया, मोरक्को, इराक, सूडान, कुवैत, जोर्डन, लेबनान, सीरिया, अल्जीरिया, पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, हंगरी, रूमानिया, पूर्वी जर्मनी, यूगोस्लाविया, सोवियत रूस, ब्रिटेन, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी तथा स्विटजरलैण्ड।

Shri Onkarlal Bohra : During the last 3 years about 36 official or officially sponsored Trade Delegations have been sent abroad which resulted in the promotion of trade. These Delegations were sent with the view that our trade will be promoted and specially from the development point of view we wanted to extend our trade with socialist countries. In these circumstances whether it was not necessary to include in these delegations some private members and some members of the Parliament ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : इन प्रतिनिधिमण्डलों का मुख्य प्रयोजन सरकारी बातचीत तथा व्यापार-वार्त्ता और करारों आदि का नवीकरण करना था। हमारे पास सरकारी

अधिकारी थे, इन प्रतिनिधिमण्डलों में से कुछ व्यापारिक क्षेत्र तथा व्यापारिक समुदाय की ओर से थे जिनको निर्यात-वृद्धि-परिषद् तथा अन्य संस्थाओं के परामर्श से शामिल किया गया था।

Shri Onkarlal Bohra : Keeping in view our basic policy today whether the Hon. Minister of Commerce do not think that such people should be included in the delegation who think about our trade policy basically ? How far it is justified to send the trade delegations only ?

Shri Dinesh Singh : I consider that very proper what the Hon. Member has said. The Parliament should make occasion and should send such persons. I have got no objection if there is any way. I was requesting that these people were sent abroad for some special purposes and this was done in consultation with the persons who were concerned with it.

Shri A. B. Vajpayee : Is it a fact that every year a trade delegation is sent to Nepal from India ? May I know when this trade delegation was sent last year ? In the answer the information has been given for three years. I want the information regarding last year.

Shri Dinesh Singh : So far as I remember the last trade delegation was sent in 1965, but on official level our negotiations with them are continued.

श्री रंगा : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने प्रथम बार इस सरकार के लिये एक प्रकार के सिद्धान्त का अनुबन्ध किया है। उन्होंने कहा है कि वे केवल उन्हीं संसद् सदस्यों तथा लोगों को विदेशों में अपने प्रतिनिधिमण्डलों के अंग के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भेजने के सम्बन्ध में विचार करेंगे जो सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों से सहमत होंगे। यद्यपि हम इससे सहमत नहीं हैं फिर भी उनके इस रुख का स्वागत है। इसके साथ ही, क्या हमें यह समझना चाहिये कि यहां तक कि व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलों के सम्बन्ध में भी वे उसी नीति का अनुसरण करना चाहते हैं, विशेषतया इस तथ्य की दृष्टि से कि संसद् में विरोधी दलों में ऐसे भी सदस्य हो सकते हैं जो हमारे व्यापार की वृद्धि में उतनी ही रुचि लेते हैं, और जो अन्य प्रतिनिधिमंडलों के साथ सहयोग करना चाहते होंगे, जो हमारे देश की ओर से हमारे व्यापारिक सम्पर्कों को तथा हमारे व्यापार और उद्योग को बढ़ाने के लिये सरकार को उन देशों तथा उनके उद्यमकर्त्ताओं के साथ निश्चित करारों के सम्बन्ध में समझौता-वार्त्ता कराने में सहयोग देने के लिये विदेशों में जाते होंगे।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य इस बात की तारीफ करेंगे कि हमने इस मामले में राजनीति को बीच में नहीं लिया है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हमने अपनी ओर के ही लोगों को व्यापार-प्रतिनिधिमण्डलों के लिये चुना है और विरोधी दलों के लोगों को नहीं चुना है, हमने व्यापारिक परिषदों से परामर्श लिया, शायद वे लोग जो व्यापार से सम्बन्धित हैं इस दृष्टिकोण का हमसे अधिक समर्थन करेंगे। यह विभेद करने का अथवा राजनीति के आधार पर लोगों को चुनने का प्रश्न नहीं है बल्कि तकनीकी आधार पर चुनने का है।

राज्य व्यापार निगम के दस्तावेजों का केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा पकड़ा जाना

*991. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग ने बम्बई में राज्य व्यापार निगम के

कार्यालय में जापान और इटली से नायलान के धागे के आयात के मामले से सम्बन्ध रखने वाले कुछ दस्तावेज पकड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच कब पूरी हो जायेगी ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम नायलान धागा आयात करने के लिये अमरीका, पश्चिम जर्मनी और जापान की गैर-सरकारी फर्मों के साथ बातचीत कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि ऐसी चीजें दोबारा न हों ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । परन्तु केन्द्रीय जांच विभाग ने यह प्रार्थना की थी कि विभिन्न देशों से नायलन तन्तु धागे तथा कोप्रामोनियम धागे की खरीद से सम्बन्धित कुछ मिसिलें उनको उपलब्ध कराई जायें क्योंकि वे उनके लिये दिये गये आयात मूल्यों की जांच करना चाहते थे ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट जांच नहीं की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : राज्य व्यापार निगम द्वारा व्यापार किये जाने से हमारी आरक्षित विदेशी मुद्रा की क्षति होती है । मैं जानना चाहता हूं क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने मिसिलें देने के लिये कहा और क्या जांच कार्यवाही की गई थी, यदि नहीं, तो यह जांच कब तक हो जानी चाहिये थी ? यदि जांच विभाग का इरादा जांच करने का न होता तो इन मिसिलों को मांगने का कोई मतलब नहीं था, यह अभिकथन है कि राज्य व्यापार निगम कीमत से 25 से 30 प्रतिशत तक अधिक भुगतान करती रही है । मैं जानना चाहता हूं क्या यह खरीद निजी वार्ता पर आधारित है अथवा यह विश्व के देशों से टेंडर मांग कर की जाती है; और यदि यह बातचीत द्वारा की जाती है तो विश्व के देशों से टेंडर मांग कर खरीद करने की पद्धति को क्यों छोड़ दिया गया ? क्या यह भी सच है कि जापान और इटली से नायलन मंगाने के इस मामले के अतिरिक्त और भी कई मामले हैं जिनके सम्बन्ध में जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच विभाग ने मिसिलें मांगी हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य राज्य व्यापार के सम्बन्ध में अपने विचार रख सकते हैं । सरकार का यह दृष्टिकोण है कि देश में व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिये राज्य व्यापार भी लाभदायक है, केन्द्रीय जांच विभाग किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कर रहा था, उन्होंने केवल प्रधान कार्यालय से मिसिलें मांगी थी और प्रधान कार्यालय ने कहा था कि मिसिलें बम्बई में हैं । उन्होंने वहां से मिसिलें प्राप्त कीं और बाद में उन्हें वापिस कर दिया था । राज्य व्यापार निगम के विरुद्ध ऐसा कोई मामला नहीं है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या कारण था जिससे उन्होंने ये मिसिलें मांगी ? केन्द्रीय जांच विभाग कोई ऐसी संस्था नहीं है जो मिसिलें देखती फिरे । उन मिसिलों को मांगने का कुछ कारण अवश्य होगा ।

श्री दिनेश सिंह : मैंने अपने उत्तर में यह बताने का प्रयत्न किया था कि वे कीमतों के ब्योरे की जांच करना चाहते थे, इसके विषय में किसी रूप में कोई शिकायत अवश्य हुई होगी और वे अपनी तसल्ली करना चाहते थे और हमें विश्वास है कि उन्होंने इन मिसिलों को देख लिया था और उनकी तसल्ली हो गयी थी, मिसिलें लौटा दी गयी हैं और हमें बताया गया है कि वे इस मामले में आगे नहीं बढ़ रहे हैं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं जानना चाहता हूं क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विशिष्ट मामले के लिये कोई सरकारी दल नियुक्त किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट 2 अक्टूबर, 1967 को प्रस्तुत की थी, और क्या उस रिपोर्ट के निष्कर्षों में यह कहा गया है कि राज्य व्यापार निगम उस समय जो अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें थीं उनसे 25 से 30 प्रतिशत तक अधिक भुगतान करता रहा ? इस सम्बन्ध में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या रिजर्व बैंक ने भी यह आरोप करते हुए राज्य व्यापार निगम को लिखा है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक मूल्य दिए जाने की सम्भावना है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे याद आ रहा है कि कुछ समय पूर्व इस विषय पर यहां प्रश्न हुआ था और मैंने सभा को कहा था कि हमने इस बात की जांच कर ली है और चुकायी गयी कीमतें हमारे अनुमान के अनुसार ऊंची नहीं थीं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न था कि क्या इस बात की जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सरकारी दल नियुक्त किया गया था और उस दल के निष्कर्ष क्या थे तथा क्या उन्होंने यह साबित कर दिया है कि कीमतें ऊंची थीं ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे याद नहीं आ रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय ने कोई ऐसा दल नियुक्त किया था ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : केन्द्रीय सरकार द्वारा ।

श्री रंगा : उन्होंने दो विशिष्ट मदों के बारे में जानकारी देने को कहा था, पहली यह कि उस दल की क्या-क्या सिफारिशें थीं और दूसरा था कि रिजर्व बैंक द्वारा की गयी सिफारिशें अथवा टिप्पणियां क्या-क्या थीं । यदि मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है तो बताएं, यदि इस समय नहीं तो बाद में जानकारी दे दें ।

श्री दिनेश सिंह : जो कुछ जानकारी हमने प्राप्त की थी उसे मैंने बताने का प्रयत्न किया, मैंने सभा को जानकारी दे दी थी, माननीय सदस्य ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार ने कोई दल नियुक्त किया था । मैंने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय इस बात से अवगत नहीं है ।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है मैं यूं ही बिना जानकारी के नहीं बता सकता कि अन्य मंत्रालयों ने इस विषय में क्या किया अथवा उन्होंने जांच करने की कोशिश की या नहीं, मैं इस बात का पता लगाने की कोशिश करूंगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : राज्य व्यापार निगम वाणिज्य मंत्रालय का अंग है और केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये एक समिति नियुक्त की थी, मंत्री महोदय कैसे कहते हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार ने जो कुछ किया होगा उसका पता मंत्री महोदय को नहीं है । हो सकता है इस सम्बन्ध में कोई जांच हो रही हो ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह समिति इसके लिये ही तो नियुक्त की गयी थी । वाणिज्य मंत्री कैसे कहते हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं है ? कृपया मुझे संरक्षण दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : किस बात का संरक्षण ? मंत्री महोदय बता रहे हैं कि वाणिज्य मंत्रालय ने ऐसा नहीं किया था ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह राज्य व्यापार निगम के बारे में था और यह निगम वाणिज्य मंत्रालय का अंग है ।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं । जैसा कि आपने एक दल नियुक्त करने के बारे में कहा, हो सकता है सरकार कुछ जांच कर रही हो । यह दूसरी बात है । माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि कोई जांच कार्य हुआ था और मैंने बताया कि जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का सम्बन्ध है हमने कोई जांच कार्य नहीं किया ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैंने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने यह कार्य किया है और राज्य व्यापार निगम वाणिज्य मंत्रालय का अंग है ।

श्री दिनेश सिंह : मैंने बताया कि मैं इस बात से अवगत नहीं हूं । लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मैं स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी बात कह दूं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता ?

Shri A. B. Vajpayee : Enquire into it and tell us the findings.

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी ऐसा ही कहा, यही ठीक है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : रिजर्व बैंक के विषय में क्या है ? क्या वे इस बात से अवगत हैं कि रिजर्व बैंक ने राज्य व्यापार निगम को इस विशिष्ट मामले के सम्बन्ध में कुछ लिखा था ।

श्री दिनेश सिंह : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी बात सुनें, माननीय सदस्य मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं यह बताऊंगा कि रिजर्व बैंक ने इस विषय के सम्बन्ध में राज्य व्यापार

निगम को कुछ लिखा है ? पत्र व्यवहार चल रहा था और इस विषय में रिजर्व बैंक से अवश्य परामर्श लिया होगा । (**व्यवधान**)

जहां तक रिजर्व बैंक द्वारा जांच किये जाने का प्रश्न है, मुझे इससे सम्बन्धित कोई जानकारी नहीं दी गयी है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी का सुझाव बिल्कुल ठीक है । मंत्री महोदय इसका पता लगाकर बतायेंगे ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : उन्हें इस बात का वचन देने दीजिये ।

Shri Madhu Limaye: Presently the demands of nylon yarn is met from three sources. Firstly by our own production. In this connection I mentioned that the J. K. Group has made the profit of Rs. 4 crores on the sale of Rs. 7 crores. Later on I read in the newspapers that they have somewhat reduced the price to dodge the public when the fact of their huge profit came to the light.

Secondly from imports from Italy, Japan etc. and thirdly by smuggling. Will the Government refer this matter to the Estimates Committee like wool keeping in view the fact that the yarn is purchased at a very high cost in foreign markets and sold at even higher cost in the inland markets ? As regards smuggling, I have requested the Hon'ble Minister to accompany me and I shall show him the smugglers in Daman. Will the Government refer this matter to the Estimates Committee as the mill owners are making undue profits ?

Shri Dinesh Singh: The Hon'ble Member has stated that the nylon fibre comes from three sources. So far we know only two sources; on indigenous production and imports. As regards smuggling the Hon'ble Member need not take me. He can get them arrested through any policemen.

Shri Madhu Limaye: The police is in league with them. I believe that you are not in league with them so I have mentioned your name lest I should reconsider it.

Shri Dinesh Singh: I wanted to inform the House that I on my own behalf have directed the Ministry to find out with the assistance with the Ministry of Industrial Development and Company Affairs the total production of the country, the materials used, their cost and the cost at what it is imported.

Shri Madhu Limaye: I have,not demanded Departmental enquiry. Is the Government prepared to refer this matter to the Estimates Committee like that of wool ?

Shri Dinesh Singh: The question does not arise. The House is aware that there was some mistake or bungling in that (wool) affair.

Shri Madhu Limaye: The same thing has happened now. The reply comes after asking fifty questions. We will have to create the feeling in the House that some bungling has been made.

Shri Dinesh Singh: There is no bungling in this. We have admitted that the prices are high.

Shri Madhu Limaye: The profiteering is going on. You are making a mistake by not referring this matter to the estimates committee.

श्री दी० चं० शर्मा : बम्बई में राज्य व्यापार निगम के दस्तावेजों को किसके कहने पर लिया गया था ? यह सूचना क्या किसी गैर-सरकारी फर्म ने या किसी जासूसी अभिकरण ने दी थी ? यदि यह किसी गैर-सरकारी फर्म की सूचना के आधार पर किया गया तो क्या यह उन व्यापारियों की हरकत नहीं है जो राज्य व्यापार निगम की व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों का विरोध करते हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह सूचना दो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है । एक 4 नवम्बर 1967 के ब्लिट्ज में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर जिसमें राज्य व्यापार निगम द्वारा नाईलोन के धागे के सम्बन्ध में कुछ धांधली का आरोप लगाया गया था और दूसरे केन्द्रीय जांच विभाग को मेसर्ज युनिवर्सल एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट एजेंसी से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य व्यापार निगम ने अधिक मात्रा में आयातित नायलोन का धागा मंगाया था ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस युनिवर्सल एक्सपोर्ट कम्पनी का मालिक कौन है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग सवाल है ।

Shri Ram Charan: It is said that there is inefficiency and corruption in the S. T. C. Have the Government tried to find out its main reasons? Nowhere in Government offices is the ratio of class I officer double or triple to that one of class II or III officers. But it is so in the S. T. C. Is it not one of the main reason of inefficiency and corruption? Will the Government reduce the number of these white elephants:

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रमानी : कल समाचार-पत्रों में एक समाचार आया था कि राज्य व्यापार निगम ने आयातित नायलोन के धागे को कम कीमत पर बेचने का निश्चय किया है, आज विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार आयातित नायलोन के धागे पर धन व्यय करने के बजाय क्या देश में उत्पादित नायलोन के धागे की कीमत को कम करेगी और उसे वास्तविक प्रयोक्ताओं को देगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सरकार का प्रयास यह है कि नायलोन के धागे की कीमत कम की जाए । पहले यह 125 रुपये प्रति 15 डेनियर के भाव से बिक रहा था । अब मिलों ने उसे कम करके 100 रुपया कर दिया है । राज्य व्यापार निगम की नीति यह है कि वह मिलों द्वारा जिस दर पर धागा लिया जा रहा है उसे एक रुपया कम पर आयातित धागा बेचेगा । इस प्रकार सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि नायलोन के धागे की कीमत को कम किया जाय ।

Shri Abdul Ghani Dhar: Orders for the import of nylon yarn worth Rs. 50 lakhs were given to two parties. One of Bombay and the other of Ludhiana in the name of the defence after the Chinese attack? Is it a fact that the nylon yarn of even one paise was not

used for defence purposes? Is it also a fact that they were given free hand to earn profit of more than Rs. one crore? Whether there had been some mistake in this deal or not and the action taken against the officers of the said two firms?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: So far as the question of wool is concerned, this matter is under the consideration of the Estimates Committee, it will be proper on my part to say something on this subject because under the wool export policy the exporters were entitled to import some nylon yarn as well.

Shri Hukam Chand Kachwai: There is ample demand for the nylon yarn in the country. What is our total requirement of the yarn, and the extent to which it is met by indigenous production and imports? Is it also a fact that the demand for the cotton thread has gone down and consequently some mills are facing closures?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Nylon yarn is entirely different from cotton yarn. Cotton yarn is prepared from cotton while nylon is prepared from chemical process. As there is the shortage of the nylon yarn, therefore, it is imported. Had there been sufficient production of this yarn there would be no question of its import?

Shri Hukam Chand Kachwai: How much quantity is produced in the country and how much is imported?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: S. T. C. has given the orders upto the tune of about Rs. 9 crores so far. Yarn worth Rs. 6 crores has since been received.

Shri Hukam Chand Kachwai: Can you not give the figures of our requirements and production?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I cannot furnish the accurate figures. In my view our requirements of about one million ton and we produce about 4 or 5 tons.

दक्षिण में सूती मिलों का बन्द होना

*992. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण में सूत कातने तथा कपड़े की मिलों के बन्द हो जाने की आशंका है ;

(ख) क्या मिल मालिकों का विचार अपने श्रमिकों के वेतन तथा महंगाई भत्ते में कटौती करने का है ; और

(ग) क्या बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए सरकार उन्हें ऐसा करने की अनुमति देगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दक्षिण भारत में सूत कातने की मिलों के बड़े पैमाने पर बन्द हो जाने की कोई आशंका नहीं है ।

(ख) तथा (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, I gave 21 days' notice and even then the Minister is saying that the information is being collected. What is this fun? In House of Commons questions are asked at two or three days' notice but here we do not get reply even after 21 days'

notice. Is the Government aware that a large number of mill owners, I am not referring to good mills; do financial bunglings, declare the mills bankrupt, retrench the employees, close the mills and then force the labourers to accept the cuts in pay and dearness allowance if they want to be saved from unemployment? Let me know the number of mills running in the country which are paying reduced pay and dearness allowance to the labourers. Whether the Government have received the information regarding the closures of 16 cotton mills in the South?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: So far South India is concerned, 6 mills have served the notice of closures. Out of these 6 mills, 4 mills are receiving the Government financial assistance. I want to tell the Hon'ble Member that one hand the stocks accumulated in the mills is not so huge as to make the position alarming. On the one hand mills say that their cloth is not being sold and on the other hand they say that the price of controlled variety of cloth should be increased. Then there is another question of giving real value of the cotton to the cotton grower. As such we keep in view the interest of the grower, trader and of the ultimate consumer. All these things are under consideration and I understand that the Minister of commerce is making a statement today on this subject.

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, is there any relevance in this answer to the question? I desired to know the number of mills where the workers have to work on reduced wages in those closed mills to whom the Government has given assistance because I wanted to draw your attention to the fact that the conspiracy is made to reduce the wages of the workers.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: So far as I know the Government gave the assistance to those mills only on this reason that no reduction is made in the wages and the factories continue functioning.

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, I have often said that in my time students who came unprepared to the school were made to stand outside the class, similarly I request you that Shri Dinesh Singh may be asked to stand outside for ten minutes so that he may come prepared next time.

Secondly is it a fact that the cause of the closures of the mill is that the mill owners do not want to give suitable price to the cotton growers; and they have threatened to close the mills willingly with a view to bring down the prices?

Shri Dinesh Singh: Yes, Mr. Speaker. There is some truth in what the Hon'ble Member says. But I will make this request that the Member may be sent out of the hall for ten minutes so that the proceedings may go on smoothly.

Shri Madhu Limaye: Have some decency.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि यह मिलें बन्द करने का चक्र चलाकर कुछ गैर-सरकारी व्यापारियों ने जनता का धन अपनी जेब में भरने का तरीका ढूंढा है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सरकार को सूती वस्त्र उद्योग में जो कुछ हो रहा है उसका पता है और सरकार उसके लिये आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

श्री कण्डप्पन : मूल प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि यह गम्भीर मामला नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि यहां मंत्रालय में इसको ठीक से समझा नहीं गया है क्योंकि कुछ बन्द मिलें राज्य सरकार द्वारा उधार मिलने की गारन्टी पर अब फिर खुल चुकी हैं। इतना होते हुए भी वे ठीक से नहीं चल पा रही हैं और उनके फिर बन्द होने का भय है, हमारी सूचना के आधार पर 15 से अधिक मिलें बन्द होने के कगार पर खड़ी हैं। उनका कहना है कि जो धागे का स्टाक जमा हुआ है वह ऊंचे काउंट का है अतः अन्तर्ग्रस्त धन की मात्रा अधिक है। उनका आरोप है कि सरकार का हिसाब लगाना सही नहीं है। तब वे कहते हैं कि वे मिलों का आधुनिकीकरण करने की स्थिति में नहीं हैं। क्या सरकार उद्योग का आधुनिकीकरण करने और मिलों के संचित स्टाक को उठाने में समर्थ है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे सहकर्मी ने अभी यह बताया है कि स्टाक बहुत ज्यादा नहीं है और मैं अब उसे नहीं दुहराउंगा। जहां तक आधुनिकीकरण की बात है, इस सदन को मालूम है कि हमारे देश में सूती वस्त्र उद्योग कितना बड़ा है और सरकार के लिये इसको तुरन्त हल करना सम्भव नहीं है। क्योंकि यह केवल सरकार का पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं है। आधुनिकीकरण धीरे-धीरे किया जायेगा। मैंने कई बार सदन को बताने का प्रयत्न किया कि उद्योग द्वारा आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया जा रहा है यह एक विकट समस्या है और हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनका आधुनिकीकरण करने तथा उन्हें सुचारु रूप से चलाने में हम उनकी भरसक सहायता करेंगे।

श्री कण्डप्पन : यह एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है। मैंने विभिन्न साधनों से जानकारी इकट्ठी की है और मुझे बताया गया है कि जमा हुआ सूत उच्च काउंट का है और उसका मूल्य अधिक है। यदि आप इस पर ध्यान दें, तो वास्तव में वे ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री दिनेश सिंह : उन्हें तो बेचना ही है। उसे जमा रखने से क्या फायदा है ? उन्हें यहां देश में अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना ही है।

श्री पीलु मोदी : मंत्री महोदय ने कहा कि जो कुछ हो रहा है, उसकी उन्हें जानकारी है और वे कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। वे दोषी कपड़ा मिलों पर निर्बाध बाजार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिकूल प्रभाव नहीं होने देंगे। साथ ही वे स्पष्ट रूप से नहीं बतायेंगे कि कपड़ा उद्योग में विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करने के लिये वे क्या कार्यवाही करेंगे। वे केवल इतना कहते हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम कार्यवाही कर रहे हैं, हमें इन सब बातों की जानकारी है। वे यह क्यों नहीं कहते कि इस प्रकार की विशिष्ट परिस्थितियों में हमारा विचार अमुक कार्यवाही करने का है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यदि उनके कोई सुझाव हैं, तो उनके साथ बैठकर इस समस्या का हल ढूंढने में मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री राणा : क्या सरकार को मालूम है कि मिलों को बन्द करना और इसके परिणाम-स्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न करना सरकार पर अप्रत्यक्ष दबाव है ताकि वे किसानों से सस्ती दरों पर कपास खरीद सकें ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ये प्रश्न पूछ चुके हैं। इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : सरकार ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वे सहमत हो गये हैं। उन्होंने कहा था कि मूल्यों को कम कराने के लिये ऐसा किया जा रहा है।

श्री सु० कु० तापड़िया : श्रीमान, आपको याद होगा कि लगभग एक महीने पहले मैंने इस सभा में आशंका व्यक्त की कि यदि मंत्रालय शीघ्र कार्यवाही नहीं करता, तो बहुत सी मिलें बन्द हो जायेंगी। ऐसा मालूम है कि इस मंत्रालय से किसी कार्य की आशा करना बेकार है क्योंकि मुझे बताया गया है कि वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के बीच 1,700 अनिर्णीत फाइलें हैं क्योंकि मंत्रियों के पास समय नहीं है। इस प्रश्न के बारे में मंत्री महोदय तथा उपमंत्री महोदय ने भिन्न-भिन्न वक्तव्य देकर सभा को भ्रम में डालने तथा गुमराह करने का प्रयत्न किया है। उपमंत्री ने कहा कि 6 मिलें बन्द हो रही थीं; 4 मिलों का बन्द होना रुक गया है क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ वित्तीय सहायता दे दी है। मंत्री महोदय कहते हैं कि अधिक ऋण देने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि स्टाक जमा होने से कोई लाभ नहीं, स्टाक को बेचना ही होगा, यदि आवश्यक हो तो निर्यात द्वारा भी क्या इस समस्या को हल करने के रचनात्मक प्रयास के स्वरूप वे इस सूत के निर्यात के लिये केवल नकद प्रोत्साहन ही नहीं अपितु कपड़ा उद्योग को कम मात्रा में उपलब्ध कच्चे माल जैसे नायलोन अथवा पालिस्टर फाइबर, का आयात करने की अनुमति देने के लिये तैयार हैं।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने बुनियादी नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछा है, जो यदि वे कुछ घण्टे बाद मांगों पर चर्चा आरम्भ होने के बाद पूछते, तो अच्छा होता ताकि मैं विस्तृत उत्तर दे सकता।

श्री सु० कु० तापड़िया : मांगों के दौरान हम ऐसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ? कल हमने आयात व्यापार नियंत्रण नीति का प्रश्न उठाया था। उन्होंने आयात व्यापार नियंत्रण नीति का प्रश्न अन्त में रखा और उन्होंने हमसे दो मिनट में इस पर चर्चा करने के लिये कहा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे डर है कि उन्हें मांगों के दौरान भी इस पर बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री सु० कु० तापड़िया : मेरा दल भी नहीं बोल सकता। आयात व्यापार नियंत्रण नीति के बारे में सभा में घोषणा मंत्रालय की मांगों के आरम्भ होने से कुछ मिनट पहले ही की गई

थी, आप यह कैसे आशा करते हैं कि सदस्य तुरन्त पढ़ेंगे तथा अपने विचार रखेंगे ? यह अनुचित है।

Shri Sheo Narain : Since the Government believe in socialistic pattern of society, will Government nationalise and runon on co-operative lines the mills instead of giving help to the people who are threatening to close down the mills to harass the workers, so that the textile crisis in the country may be over and the poor may get cloth ?

Shri Dinesh Singh : The remedy suggested by the Hon. Member is very good but it involves lot of trouble. We will try to regulate them in accordance of the Bill brought before the House and since passed.

Shri A. B. Vajpayee : Some of the mills are being closed down as the owners of the lands occupied by the mills want to make money by selling the land or through construction buildings. The case of Edward Mill of Bombay has already been brought to the notice of the Hon. Minister. The Mill has been closed since 7th July, 1967 and a delegation also met the Hon. Minister in this connection. May I know the action taken to reopen the mill ? Will the mill owners be allowed to earn profits by closing down the mills and constructing buildings thereon ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, Sir, they will not be allowed to do so.

Shri Tulsidas Jadhav : A mill in Sholapur involving property worth about Rs. 2½ crores is in doll drums and 6,000 workers have been thrown out of employment. May I know the action that Government can take in regard to this mill under the law referred to by the Hon. Minister ?

Shri Dinesh Singh : The action that can be taken by Government has been laid down in the law. The particular mill referred to by the Hon. Minister has been closed for the last four years. We will have to examine according to this Bill, each mill so that we may know as to which mills can be reopened and how much money would be needed therefor. These are all complicated questions, therefore, how can I say off hand that such and such mill will be run.

श्री नाथ पाई : क्या सरकार का विचार भारतीय कपड़ा मिल निगम बनाने की अपनी नीति अपनाने का है, जिसकी उसने बड़ी धूमधाम से घोषणा की थी, अथवा पुरानी परम्परा के अनुसार भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल की सलाह मानने का है, जिसने उत्पादन शुल्क तथा नियंत्रण समाप्त करने के लिये कहा है ? इस प्रसंग में मैं जानना चाहता हूं कि एडवर्ड मिल के श्रमिकों की सहायता करने में, जिन्होंने मिल को चलाने के लिये भविष्य निधि में जमा बहुमूल्य बचत के 45 लाख रुपये दिये हैं, सात महीने क्यों लगे जबकि उन्होंने देश और विशेष रूप से संसद् को यह आश्वासन देकर कि कोई भी मिल बन्द नहीं होगी अथवा एक भी कर्मचारी बेरोजगार नहीं होगा, अपने हाथ में यह शक्ति ली थी ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को अच्छी तरह मालूम है कि कपड़ा निगम के कृत्य फैडरेशन के कृत्यों से बिलकुल भिन्न हैं ?

श्री नाथ पाई : वे दोनों में किसका अनुसरण करना चाहते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हम स्थिति के बारे में सरकार के निर्णय का पालन करेंगे। कपड़ा निगम के कुछ विशेष कृत्य हैं। फैडरेशन उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है, जब भी आवश्यक होगा दोनों से परामर्श किया जायेगा। एडवर्ड मिल के बारे में माननीय सदस्य को मालूम है कि हमें राज्य सरकार के परामर्श से कार्यवाही करनी है। इस मिल को चलाने के हमारे प्रयासों की उन्हें जानकारी है। एक निश्चित तिथि बताना मेरे लिये कठिन है परन्तु हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। 50 वर्षों में इस उद्योग में जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हें 15 महीनों में हल नहीं किया जा सकता है।

श्री नाथ पाई : वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने कल ही एक संकल्प द्वारा नियंत्रण समाप्त किये जाने की मांग की है। उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : इस प्रश्न के बारे में सरकार का मत यह है कि कुछ प्रकार के कपड़े पर नियंत्रण रखा जाये, जो हमारे निर्णय के अनुसार सार्वजनिक उपभोग के लिये आवश्यक होगा ताकि उचित मूल्य रहें तथा कीमतें बढ़ने न पायें।

श्री फ० गो० सेन : क्या सरकार ने एक मिल की पूंजी दूसरी मिल में लगाने और इसके परिणामस्वरूप मिलों के बन्द होने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं एकदम से नहीं बता सकता।

श्री अंबाजागन : कपड़ा मिलों के वर्तमान संकट में तमिलनाड में संकटग्रस्त मिलों को बन्द होने से रोकने के लिये मद्रास सरकार ने उन मिलों को अपने हाथ में लेने तथा सरकार की ओर से उन्हें चलाने के लिये कहा है परन्तु ऐसे मामलों में इन मिलों को ठीक हालत में लाने के लिये काफी धन चाहिए। क्या केन्द्रीय सरकार मद्रास सरकार के किसी ऐसे प्रस्ताव के लिये कोई वित्तीय सहायता देगी ?

श्री दिनेश सिंह : केन्द्रीय सरकार की वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हम अवश्य मद्रास सरकार की सहायता करेंगे।

श्री मनुभाई पटेल : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यवाही करनी है। ऐसे मामलों में, जिनके बारे में मिलों को अपने हाथ में लेने की राज्य सरकारें सिफारिश कर चुकी हैं, अधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने में केन्द्रीय सरकार क्यों विलम्ब कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : यदि आप चाहें तो हम एक-एक मिल के बारे में विचार कर सकते हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार को गारन्टी के रूप में कुछ धन का भी वचन देना पड़ता है और उन्होंने यह तसल्ली भी करनी पड़ती है कि उनके द्वारा दी जा रही गारन्टी आर्थिक होगी अथवा क्या यह राशि वापस आयेगी या नहीं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा।

श्री रंगा : क्या सरकार ने केवल दक्षिण में सम्बन्धित सरकारों का—मद्रास में इन मिलों में एक लाख से भी अधिक श्रमिक काम करते हैं—अपितु स्टेट बैंक और बैंकों तथा रिजर्व बैंक का एक सम्मेलन बुलाने के लिये तैयार होगी ताकि उनके विभिन्न प्रकार के स्टाक तथा उत्पादन कार्यों के लिये पर्याप्त मात्रा में धन मिल सके जिससे वे इन लोगों को रोजगार में रखें और साथ ही वे अपना उत्पादन कार्य भी जारी रख सकें ।

श्री दिनेश सिंह : मैंने अनेक अवसरों पर मद्रास के मुख्य मंत्री से इस विषय पर बातचीत की है और उनके मांगने पर हमने उन्हें कुछ सहायता दी । हमारी भी कठिनाइयां और सीमायें थीं और हम उनकी पूरी आशाओं को पूरा नहीं कर सके, उपयुक्त समय पर हम एक बड़ी बैठक बुलायेंगे । हमारा प्रयास एक कार्यकारी योजना बनाने का है, जिस पर बाद में राज्य सरकारों, बैंकों तथा अन्य लोगों के साथ विचार किया जा सके ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, according to my information 16 mills in this area have closed down and 35,000 workers have been thrown out of employment. There is difference of opinion of millowners and the judgement of Government about the reasons for the closure. May I know from the Hon. Minister if he is going to appoint a permanent authority to look into the causes of closure of these mills and to force the mills to set right defaults, if any, noticed by them or give any assistance to run them on sound line so that the difficulties of the workers as well as that of consumers may be overcome ?

Shri Dinesh Singh : The Hon. Member is aware that such a machinery already exists and some mills are taken over by Government even now. But there are certain very old mills which, if taken over by Government, cannot be started immediately, there is nothing like this that Government is not willing to act. There are certain mills which cannot be run by any Government.

As regards the permanent machinery, there has been some delay in settings of textile corporation because of financial and some other difficulties. Since sanction has been obtained and I think it is being registered and we will try to do this job through it.

श्री अमृत नाहाटा : कुप्रबन्ध तथा अकारण व्यय के अतिरिक्त कपड़ा मिलों के बन्द होने का मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग पूर्णता अपव्ययपूर्ण है । जबकि जापान केवल 200 किस्मों का कपड़ा तैयार करता है, हम अपने देश में 20,000 किस्में तैयार करते हैं । क्या मंत्री महोदय न्यूनतम किस्में निर्धारित करने पर विचार करेंगे ताकि समस्त कपड़ा उद्योग का आर्थिक आधार सुदृढ़ किया जा सके ?

श्री दिनेश सिंह : इस पर विचार करने में मुझे प्रसन्नता होगी—वास्तव में मैं इस पर विचार तथा बातचीत भी करता रहा हूं—परन्तु हमारे देश में विभिन्नता है और लोग विभिन्न प्रकार का कपड़ा पसन्द करते हैं । यदि सभा की ऐसी इच्छा है, तो ऐसा करने में मुझे प्रसन्नता होगी लेकिन तब माननीय सदस्य कहेंगे कि उन्हें उनकी मनपसंद किस्म का कपड़ा नहीं मिल रहा है ।

Shri George Fernandes : About the Edward Mills the Hon. Minister said the millowners would not be allowed to sell the land or build a house on it. Is he aware that the

official liquidator has ordered that the mill should not be reopened after the workers offered to the States Government Rs. 45 lakhs from their provident fund ? Secondly, are Government aware that the owners have sold the land in Madras belonging to the mill at a lesser price than the actual one ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, a part of this question was put earlier also by the Hon. Member and I think I had replied to it but now I do not remember it exactly. I will inform the Hon. Member about it.

Shri O. P. Tyagi : Mr. Speaker, is it not a fact that large stock of cloth has accumulated with the millowners and they are prepared to clear it at prices lower than the prices fixed ? Will Government decontrol 40 or 50 per cent cloth so that they may sell it at prices according to their will ?

Shri Dinesh Singh : I do not know where the cloth has accumulated in a large quantity. It is welcome feature if the cloth is being sold at prices lower than the prices fixed. There is a total control of 40 per cent, if that too is abolished, what control will be there ?

Shri Shri Chand Goel : During the last year our cloth exports declined by 2.40 crore metres. Is it due to the mills not working to their full capacity or there are some other reasons ?

Shri Dinesh Singh : There are many reasons, which the House is well aware and the House is also aware of the incentives given for selling cloth.

श्री रमानी : 26 तारीख को इस सभा के विभिन्न दलों के लगभग 25 सदस्यों ने वाणिज्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें दक्षिण भारत मिल मालिक संघ द्वारा मिलों को बन्द करने की धमकी को क्रियान्वित किये जाने को रोकने के लिये सरकार से तुरन्त हस्तक्षेप करने के लिये कहा गया है । अब माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसा कोई खतरा नहीं है और बन्द की गई मिलों को पुनः चालू कर दिया गया है । यह तो काफी पहले की बात है । अब उन्होंने 20 मिलों को बन्द करने की धमकी दी है । क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी और जमा हुए स्टाक को खरीदने का प्रयत्न करेगी ? मिल मालिक कहते हैं कि 11 करोड़ रुपए के मूल्य का सूत जमा है । यहां मंत्री महोदय कहते हैं कि स्थिति चिन्ताजनक नहीं है । 5000 श्रमिक बेरोजगार हो चुके हैं । क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कुछ स्टाक खरीदेगी और मिलों के बन्द होने को रोकेगी तथा श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर करके उन सबको रोजगार देगी ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को मालूम है कि यह एक चक्र है जिसके जरिये मिलों पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखने वाले पूंजीपति श्रमिकों पर दबाव डालते हैं और हमारा प्रयास उन्हें यथासंभव सहायता देने का है । मैंने तो यह कहा था कि हमें 6 मिलों के बन्द होने की सूचना मिली है, जिसमें से 4 मिलों को राज्य सरकार सहायता दे रही है और केवल दो मिलें हैं, जिनके बारे में हम विचार कर रहे हैं । मैं सभा को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे सामने कपड़े का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसमें उद्योगपतियों द्वारा भारी दबाव डाला जायेगा

और इसका सामना करने का एक ही रास्ता है कि यह सदन अत्यधिक ध्यान दे और आधुनिकीकरण तथा श्रमिकों की सहायता करने के हमारे प्रयासों के समर्थन में निर्णय करे।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति संबंधी जांच समिति के अध्यक्ष द्वारा बैंक आफ इंडिया के निदेशक का पद स्वीकार करना

अ० सू० प्र० संख्या 15. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर-सरकारी एकाधिकार गृहों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्ति की गई समिति के अध्यक्ष (चेयरमैन) प्रोफेसर एम० एस० ठक्कर ने बैंक आफ इंडिया के निदेशक का पद स्वीकार कर लिया है और वह उसकी बैठकों में भाग ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). इस प्रश्न से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति सम्बन्धी जांच समिति के अध्यक्ष, प्रो० एम० एस० ठक्कर को बैंक आफ इण्डिया के निदेशक मण्डल की 28 मार्च, 1968 को हुई बैठक में इसलिए अनौपचारिक रूप से आमन्त्रित किया गया था कि वह बैंक के मण्डल के निदेशक पद की उन्हें की गई पेशकश के बारे में अपना निर्णय बताएं। यह कहने के पश्चात् कि उन्हें इस बारे में अपना निर्णय करने के लिए 3 या 4 सप्ताह का समय चाहिए, वह बैठक से उठकर चले आए। तत्पश्चात् सरकार को सूचित किया गया है कि उन्होंने यह पेशकश ठुकरा दी है। इन परिस्थितियों में इस सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या बैंक आफ इंडिया ने, जिसमें गैर-सरकारी एकाधिकार गृहों के वित्तीय हित हैं, जैसी टाटा, बिडला आदि, प्रोफेसर ठक्कर की इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के तुरन्त बाद 5000 रुपये प्रति-मास की बड़ी रकम भत्ते के रूप में देने की पेशकश की यदि वे उनके निदेशक मण्डल के निदेशक का पद स्वीकार करें, और क्या इस पेशकश के अनुसरण में प्रोफेसर ठक्कर सरकार को बिना बताए निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लेने के लिये गये थे अथवा उन्होंने मंत्री अथवा सचिव को सूचना दी थी कि वे बम्बई में बैंक आफ इन्डिया के निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लेने के लिये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : उत्तर में यह कहा गया है कि बैंक ने अपनी बैठक में उनसे यह बताने की प्रार्थना की थी कि क्या वे इस

प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं अथवा नहीं। वे वहां पर यह कहने के लिये गये कि उत्तर देने के लिए उन्हें तीन-चार सप्ताह का समय चाहिए और वे चले आये।

श्री चिन्तापणि पाणिग्रही : समिति का विचारार्थ विषय गैर-सरकारी एकाधिकार गृहों को दिये गये लाइसेंसों के बारे में जांच करना है। क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि इस समिति का अध्यक्ष नियुक्ति होने के बाद प्रोफेसर ठक्कर कार की लॉग बुक के अनुसार कितनी बार कुछ एकाधिकार गृहों को गये ? मेरी जानकारी के अनुसार वे 25 बार एक गैर-सरकारी एकाधिकार गृह, अर्थात् बिड़ला गृह, गये। वे एक ऐसी समिति के अध्यक्ष हैं जिसका काम क्षय रोग के समान रोग की जांच करना है, जिसका संक्षिप्त नाम टाटा और बिड़ला हैं। क्या इस पृष्ठ-भूमि में यह संभव है कि यह समिति सुचारु रूप से तथा निष्पक्षता से कार्य करेगी ? क्या मंत्रीमहोदय यह भी बतायेंगे कि अध्यक्ष महोदय भारत में हैं अथवा कहीं और हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक प्रोफेसर ठक्कर के एकाधिकार गृहों को जाने का सम्बन्ध है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, मैं इस बारे में पता करूंगा। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है प्रोफेसर ठक्कर अब न्यूयार्क में हैं। वे विकास के लिए चुनींदा टैक्नोलाजी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में समिति की बैठक में भाग लेने के लिए वहां गये हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या इस पृष्ठभूमि में सरकार विचार करेगी कि क्या प्रोफेसर ठक्कर की अध्यक्षता में समिति प्रभावी रूप में कार्य करेगी क्योंकि संसद् ने इस समिति को भारी दायित्व सौंपा है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : समिति में दो अन्य सदस्य भी हैं। मुझे विश्वास है कि अन्य दो सदस्यों के बारे में कोई आरोप नहीं लगाये गये हैं। चूंकि उन्होंने बैंक के निदेशक का पद स्वीकार नहीं किया है, प्रोफेसर ठक्कर को हटाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। मुझे विश्वास है कि अन्य दो सदस्य समिति के हितों का ध्यान रखेंगे।

श्री उमानाथ : यह पूरी तरह जानते हुए भी कि वे बड़े व्यापार गृहों की गतिविधियों की जांच से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर ठक्कर का एक ऐसे बैंक के निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लेना, जो देश में बहुमत शेयरों वाले पांच बड़े बैंकों में से है, बड़े व्यापार गृहों के साथ उनके सम्बन्ध पूर्णतः सिद्ध कर देता है। हमें उनके सम्बन्धों के बारे में पहले से पता था परन्तु इससे यह बात पूर्णतः सिद्ध हो गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में प्रोफेसर ठक्कर को इस समिति का अध्यक्ष बनाने का प्रयोजन क्या था, क्या इसका प्रयोजन हजारी समिति के प्रतिवेदन पर स्याही पोत देना और इसे निरर्थक करना था ? चूंकि ये बातें प्रकट हो गई हैं कि उन्होंने निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लिया—उन्होंने दोबारा सोचकर प्रस्ताव को अस्वीकार किया—क्या सरकार का विचार न केवल इस समिति से बल्कि योजना आयोग की सदस्यता से भी हटाने का है ?

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : जहां तक मुझे मालूम है, प्रोफेसर ठक्कर योजना आयोग में काम नहीं कर रहे हैं। वे केवल इस समिति के अध्यक्ष हैं। प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या एक बैंक के निदेशक का पद स्वीकार किये जाने के उनके कथित निर्णय को ध्यान में रखते हुए, सरकार कोई कार्यवाही करना चाहती है। मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री उमानाथ : इस समिति का अध्यक्ष होते हुए उन्होंने निदेशक मण्डल की बैठक में क्यों भाग लिया ?

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : मैं कह चुका हूं चूंकि मुझे बताया गया कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। जहां तक बैठक में उनके भाग लेने का सम्बन्ध है, इस बात की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है कि उनसे निदेशक मण्डल के सामने स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देने के लिये कहा गया था···

श्री उमानाथ : क्यों ? एक पत्र द्वारा भी यह किया जा सकता था।

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : इसलिए वे वहां गये और कहा कि वे तीन-चार सप्ताह का समय चाहते हैं और चले आये।

श्री वेदव्रत बरुआ : जहां तक उनके व्यवहार का सम्बन्ध है, यह सार्वजनिक नैतिकता का एक गम्भीर प्रश्न है। प्रोफेसर ठक्कर ने इस महत्वपूर्ण समिति, जो एक न्यायिक समिति है, का अध्यक्ष होते हुए औद्योगिक गृहों के साथ सौदेबाजी करने, उनकी विचार-गोष्ठियों, भोज आदि में भाग लेने के लिये अपने पद का उपयोग किया। माननीय सदस्य ने पहले पूछा कि उनका काम दावतें उड़ाने आदि के अलावा क्या रहा है। लाँग बुक से यह स्पष्ट हो जायेगा। अभी तक वे बम्बई में कुछ पाने में सफल हुए हैं इन सब चीजों में भाग लेने के लिए वे बम्बई गए थे। बम्बई सरकार ने एक सरकारी गाड़ी दी और उन्हें राज्य-मंत्री का दर्जा दिया गया था। एक व्यक्ति को जिसे न्यायिक पद पर नियुक्त किया गया है, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, चूंकि अब उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है, सरकार द्वारा न्यूनतम कार्यवाही नहीं हो सकती है कि उन्हें इस पद से हटा दिया जाये। इससे कम कार्यवाही से जनता को विश्वास नहीं होगा कि इस जांच का कोई लाभ होगा क्योंकि उनकी कार्य-प्रणाली ने एक दाग छोड़ दिया है।

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : मुझे क्षणमात्र के लिये भी विश्वास नहीं होता कि उनकी हैसियत तथा निष्ठा वाला व्यक्ति ऐसे प्रलोभनों का शिकार होगा और जब तक हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

श्री उमानाथ : उन्होंने बोर्ड की बैठक में भाग लिया और प्रस्ताव पर विचार करने के लिये समय मांगा। मंत्री महोदय और क्या चाहते हैं ?

श्री कंडप्पन : इस बात का सबूत है कि उन्होंने बोर्ड की बैठक में भाग लिया और प्रस्ताव पर विचार करने के लिये समय मांगा।

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि स्वतंत्र पार्टी के अतिरिक्त सभी पक्षों की इस सभा में सहमति है कि उन्हें इस समिति से हटाया जाये, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने मालूम है कि प्रोफेसर ठक्कर के, जब वे वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय में लाये गये तथा उससे पहले, हमेशा बड़े व्यापार गृहों के साथ सम्बन्ध थे ? उनका पूर्व इतिहास क्या है ? क्या उनके पूर्व इतिहास को देखते हुए क्या अब उन्हें इस समिति से हटाया जायेगा ? क्या उनसे सरकार से अनुमति लिये बिना ऐसी किसी बैठक में भाग नहीं लेने के लिये कहा जायेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन परिस्थितियों में सरकार का विचार कोई कार्यवाही नहीं करने का है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा निश्चित प्रश्न यह है कि क्या यह पता लगाया गया है कि भारत सरकार की सेवा में आने से पहले उनका गैर-सरकारी व्यापार गृहों के साथ सम्बन्ध था।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यदि उनका सम्बन्ध भी था, तब भी ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि ऐसा व्यक्ति इसका सदस्य नहीं हो सकता ।

Shri Chandrajit Yadav : Will the Hon. Minister kindly state whether it is a fact that Prof. Thacker has accepted the offer of directorship of Bank of India, whose shares are held by big capitalists—Tatas are the biggest shareholder—and whose directors are Goenka and others? Is it also a fact that he informed the other two members after accepting the offer, who wrote a personal letter to Prof. Thacker conveying their objection to the chairman of the committee accepting the offer ? A copy of this letter has also been endorsed to the Hon. Minister. Thereafter before proceeding to U. S. A. Prof. Thacker met the Hon. Minister, on 29th. Was it after his meeting with him that he said that he was not going to accept the offer ?

Shri F. A. Ahmed : Shri Thacker informed me of the offer and told me that he had discussed about it with his colleagues. They had objected to it that he would have to give up the Chairmanship in case he accepted this offer. I enquired his views. He told me that he had not decided to accept or refuse the offer. But before leaving the country he has told that he has declined the offer.

Shri Chandrajit Yadav : The two other members had endorsed to him the copy of their letter to Prof. Thacker conveying their objection to his accepting the offer. Coming to know of it whether the Hon. Minister enquired from him that since he was the chairman in what capacity he went to Bombay and attended the meeting. He has drawn the T. A. for it and used the car provided by the Maharashtra Government. Has he been asked to explain as to in what capacity he went there when the two other members had raised an objection ?

Shri F. A. Ahmed : As regards the endorsement of copies of the letter by the members is concerned, no copy was sent to me. I had discussions with Shri Thacker only and he had told me that it was going to be decided in the committee on 26th whether he should accept the offer or not. One member wrote to him that it was not good if he accepted the offer. He had gone to Bombay for some work of the committee and there was a meeting of the Board, he went there to say that he required two three weeks' time to decide as to accept the offer or not and came away.

श्री रंगा : हम इस लाइसेंस पद्धति के विरुद्ध हैं, और यदि उन्हें बढ़ाया जाना है और यह रहनी है, तो हम हमेशा इस मामले पर विचार करने तथा लाइसेंस देने के बारे में निर्णय करने के लिये एक निष्पक्ष, गैर-राजनीतिक, अर्ध-न्यायिक संस्था के पक्ष में रहे हैं। चूंकि यह जांच समिति यह जांच करने के लिये बनाई गई थी कि क्या ये लाइसेंस सही ढंग से उपयुक्त लोगों को उचित प्रकार से दिये गये हैं, यह और भी आवश्यक है कि इसके अध्यक्ष और सदस्य किसी भी प्रकार के सम्बन्धों से पूर्णतः मुक्त हों। मुझे बताया गया है कि यह डा० ठक्कर एक वैज्ञानिक हैं और इनका बैंगलौर इंस्टीट्यूट आफ साइन्स से सम्बन्ध था। इसलिये यह संभव है कि उन्होंने ऐसी गलती की हो क्योंकि उन्होंने इस सरकार की पेचीदगियां मालूम न हों। क्या इस पद को स्वीकार करने से पहले उन्होंने सरकार से कोई परामर्श किया था अथवा सलाह ली थी अथवा स्वीकार करने के बाद भी उन्होंने सरकार से परामर्श करने का कष्ट किया है कि जो कुछ उन्होंने किया है अथवा करने का विचार है, वह ठीक है और सरकार की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसाकि मैं कह चुका हूं, उन्होंने बैंक का निदेशक बनना स्वीकार नहीं किया है। न्यूयार्क रवाना होने से पहले वे मेरे पास आये थे और मुझे बताया था कि ऐसी स्थिति है और सरकार की प्रतिक्रिया पूछी थी। मैंने कहा था कि यदि वे बैंक के निदेशक बन जाते हैं, तो उनके लिये इस समिति का अध्यक्ष बने रहना असंभव होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रसन्नता की बात है कि इस मामले में सरकार अथवा विभिन्न दलों में कोई मतभेद नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सीमेंट कारखाने

*989. **श्री ईश्वर रेड्डी** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने सरकारी क्षेत्र में सीमेंट बनाने के चार नये कारखाने लगाने की योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन कारखानों पर कितनी लागत आने का अनुमान है और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(घ) इन कारखानों की स्थापना के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने सरकार को मंजूरी के लिये सात परियोजना प्रतिवेदन दिये हैं : 6 पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन के लिये जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 2,00,000 मी० टन होगी और इनमें प्रत्येक में लगभग 500 व्यक्तियों को काम पर लगाने की क्षमता होगी और उनके स्थापना स्थल मन्धार (मध्य प्रदेश), कुरकुन्ता (मैसूर), नीमच (मध्य प्रदेश), जगदलपुर (मध्य प्रदेश), तान्दुर (आन्ध्र प्रदेश) और बोकाजन (आसाम) होंगे; और दूसरा इमारती सीमेंट के 50000 मी० टन की क्षमता वाली परियोजना महरौली (दिल्ली) में स्थापित करने के लिये और इसमें लगभग 100 व्यक्तियों को काम मिल सकेगा। बोकाजन (आसाम) और महरौली को छोड़कर उनकी लागत भिन्न-भिन्न है और वह 440 लाख से 537 लाख के बीच है। बोकाजन (आसाम) की अनुमानित लागत 832 लाख रुपये है और महरौली (दिल्ली) की लागत 66 लाख रुपये की। ये सभी प्रतिवेदन भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) उपरोक्त स्थानों में से अब तक मन्धार (मध्य प्रदेश) और कुरकुन्ता (मैसूर) के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है।

कांगड़ा में चाय बागान

*993. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा जिले में चाय बागानों की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और वहां मजदूरों की हालत भी खराब है; और

(ख) यदि हां, तो इन बागानों की स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कांगड़ा जिले में चाय की प्रति हेक्टार उपज में हाल ही में गिरावट का रुख दिखाई दिया है। इस क्षेत्र में मजदूरों द्वारा अनुभव की जा रही किसी विशेष कठिनाइयों की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) पालमपुर में एक परीक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है ताकि चाय उत्पादकों को अपनी चाय उगाने की प्रणालियों को सुधारने में सहायता मिल सके। छोटी जोत वाले उत्पादकों की जो इस क्षेत्र में बहुसंख्या में हैं, रियायती दरों पर उर्वरक दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के उत्पादक उन सभी अन्य सुविधाओं के भी हकदार हैं जो कि उत्पादन के क्षेत्र में चाय उद्योग को पहले ही उपलब्ध हैं।

भारतीय रेलों के जनरल मैनेजरों की बैठक

*994. **श्री श्रीधरन** :
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 तथा 7 मार्च, 1968 को भारतीय रेलों के जनरल मैनेजरों की एक असाधारण बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कोई असाधारण बैठक नहीं हुई थी । रेलवे बोर्ड में प्रचलित परिपाटी के अनुसार समय-समय पर क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों और विभागीय अध्यक्षों के साथ बैठकें होती रहती हैं । तदनुसार, 6 और 7 मार्च, 1968 को भारतीय रेलों के मुख्य परिचालन अधीक्षकों और महाप्रबन्धकों के साथ एक बैठक हुई थी ।

(ख) कार्य-सूची में विशेष रूप से प्रत्याशित यातायात की तुलना में वास्तविक यातायात कम होने के संदर्भ में सामान्य परिचालन की समीक्षा करना, वर्तमान उपलब्ध क्षमता का उपयोग न होने तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों का अधिकतम किफायत के साथ पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये अर्थोपाय की समीक्षा करना और रेलों पर संरक्षा के उपाय शामिल थे ।

(ग) (i) वर्तमान परिसम्पत्तियों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से परिचालन कार्य का अधिक आलोचनात्मक और सांख्यिकीय विश्लेषण ।

(ii) यातायात में रुकावट पैदा करने वाले आमान परिवर्तन के यानान्तरणस्थलों के काम की, विशेष रूप से मजदूरों की बढ़ती हुई कठिनाइयों के संदर्भ में समीक्षा करना और जहां-कहीं आवश्यक हो, यांत्रिकीकरण की आवश्यकता, आदि ।

(iii) रेल यातायात बढ़ाने के लिये रेल प्रशासनों के विपणन और बिक्री स्कन्धों की गतिविधियों की समीक्षा करना ।

(iv) बिना टिकट यात्रा की रोक-थाम करके राजस्व में वृद्धि करना और उस पर विशेष निगरानी रखना; और

(v) खासतौर पर परिचालन और ईंधन के खर्च तथा कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में अधिक से अधिक किफायत करना ।

Provision of Additional III Class Coaches on Long Distance Trains

*995. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that at present most of the compartments on long distance trains are reserved and only one or two compartments remain for other passengers ;

(b) whether it is also a fact that Government's income from other III class passengers is more than that for the holders of reserved tickets ;

(c) if so, the reasons for extending more facilities by providing more seating accommodation to others than those who are a source of more income to the Railways ;

(d) whether Government propose to increase the number of III class compartments ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) The position varies from train to train. However, it is a fact that on certain important long distance trains the number of reserved compartments is more than that of unreserved compartments.

(b) and (c). Separate statistics of income from passengers travelling in reserved and unreserved accommodation are not maintained.

The facility of reserved accommodation has been provided mainly on Mail and Express trains running over long distances for the convenience of long distance passengers with a view to eliminating overcrowding in such trains and providing the long distance passengers assured accommodation not only at the starting stations but also enroute. The extent of accommodation set apart for reservation has been carefully determined in respect of each train taking into account the volume of long distance passengers requiring accommodation by such trains.

(d) Yes, subject to availability of room on trains and keeping in view the needs of passengers of other classes also.

(e) does not arise.

माल डिब्बों को गया स्टेशन के बजाय अन्य स्टेशनों को भेजने की धोखाधड़ी

*996. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बे अन्य स्टेशनों को भेजकर तथा जाली रेलवे रसीदों पर डिलीवरी लेकर बड़े पैमाने पर धोखा देने के मामले गया स्टेशन पर पकड़े गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों की कार्य-प्रणाली क्या थी;

(ग) इसमें अनुमानतः कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) इस धोखाधड़ी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). धोखा देकर माल डिब्बों को अन्यत्र भेजने और रेलवे की जाली रसीद पर माल की सुपुर्दगी के मामले बड़े पैमाने पर नहीं हुए हैं। फिर भी, पूर्व रेलवे पर गया के निकट मानपुर में एक ऐसा मामला हुआ था, जिसमें अलसी के परेषणों वाले माल डिब्बे जो सीतामढ़ी (पूर्वोत्तर रेलवे) से चितपुर (पूर्व रेलवे) के लिए बुक किये गये थे, गड़हरा में यानान्तरण के बाद धोखे से मानपुर भेज दिये गये और रेलवे की जाली रसीद पर छुड़ा लिये गये।

(ग) 50,000 रुपये।

(घ) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-705/68]**

सूरी ट्रान्समिशन सिस्टम का आविष्कर्ता

*997. **श्री रमानी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल मेकैनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का वर्तमान निदेशक सूरी

ट्रान्समिशन सिस्टम का आविष्कर्ता है;

(ख) क्या उसने यह आविष्कार रेलवे संस्थान में अनुसन्धान करते हुए किया था;

(ग) क्या रेलवे ने उनकी जर्मन यात्रा का प्रबन्ध किया या खर्च वहन किया था;

(घ) क्या उसने अपने आविष्कार का पेटेन्ट लिया था और यदि हां, तो कहां; और

(ङ) क्या उसने अपने आविष्कार को रेलवे को ही बेच दिया था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) आविष्कार और आविष्कारक के सरकारी काम के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था ।

(ग) जी हां ।

(घ) उनका आविष्कार भारत, इंग्लैंड, पश्चिम जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जैकोस्लोवाकिया, इटली, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील, जापान और आस्ट्रेलिया में पेटेंट हुआ है ।

(ङ) ऊपर जिन देशों के नाम दिये गये हैं वहां अपने आविष्कार का पेटेंट सरकारी खर्च पर कराने की अनुमति दी गई थी किन्तु शर्त यह थी कि पेटेंट राष्ट्रपति के नाम कर दिया जाये । श्री सूरी ने राष्ट्रपति के नाम पेटेंट कर दिया और उसके फलस्वरूप उक्त आविष्कार के सभी अधिकार, शक्तियां और लाभ भारत सरकार के हैं और केवल उसी की सम्पत्ति हैं ।

कपास के मूल्यों का कम होना

*998. **श्री द० रा० परमार** :

श्री रा० की० अमीन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'गुजरात 67' नामक कपास के मूल्य में कमी होने के बारे में सरकार के पास कोई अभ्यावेदन आया है;

(ख) क्या इस कपास के मूल्य कपास के भारी मात्रा में विदेशों से आयात करने के बारे में बहुत पहले घोषित की गई सरकार की नीति के कारण कम हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). चालू मौसम में स्वदेशी कपास के मूल्यों में, जो बढ़ रहे थे, जनवरी, 1968 के तीसरे सप्ताह से गिरावट का रुख आ गया जिसका प्रमुख कारण मौसमी परिस्थितियां तथा

भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ की सदस्य मिलों द्वारा आत्म-नियंत्रण है। 'गुजरात 67' कपास के मूल्य, जिनमें इसी प्रकार का रुख प्रकट हुआ था, पुनः बढ़ गये हैं। भारतीय कपास की मूल्य स्थिति पर सरकार निरन्तर विचार करती रहती है और यथावश्यक उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

Public Sector Factories

*999. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the extent of loss suffered in 1966-67 on account of unutilized capacity in the public sector factories ; and

(b) the steps being taken by Government to utilize their capacity fully ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) By and large, the capacity in the public sector undertakings under the Ministry of Industrial Development and Company Affairs is still in the process of being installed and it would not be correct to attempt at this stage an expression in exact terms of the extent to which the capacity has remained unutilised. In this context it may not be possible to determine the extent of loss on this account. However there is a gap in the utilisation of capacity already installed in some of the public sector undertakings. This would be true of a number of units in the Private sector as well.

(b) Government is giving increasing attention at the highest level in identifying the gaps in utilisation of capacity, and instructions have been given to Heads of the Public Undertakings to come up with schemes for achieving a fuller utilisation of capacity. Among the measures indicated to them are :—

(i) diversifying production for fabrication of items which have a market including the production of spares having a repetitive demand ;

(ii) securing of more orders wherever practicable in the context of the review of Governmental development programmes which have a direct bearing on the demand for industrial products ;

(iii) strengthening of the sales organisation for aggressive salesmanship, with a view to stepping up exports as well as increasing domestic sales ; and

(iv) forming of consortia for taking up contracts on a turn-key basis in the field of power projects, steel structurals and heavy engineering industries.

रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

*1000. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरीय रेलवे मजदूर संघ ने रेलवे कर्मचारियों के लिये एक पृथक मजूरी बोर्ड बनाये जाने की मांग की है;

(ख) क्या उस संघ ने यह भी मांग की है कि स्वचालित मशीनें न लगाई जायें ताकि कर्मचारियों की छंटनी न करनी पड़े; और

(ग) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). यद्यपि विभिन्न स्रोतों से ऐसी मांगें प्राप्त हुई हैं लेकिन यूनियन से इस बारे में कोई पत्र नहीं मिला है ।

(ग) रेल कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के मुलाजिम हैं, इसलिए उनकी मजूरी उसी आधार पर निश्चित की जाती है, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अपनाया जाता है । अतः केवल रेल कर्मचारियों के लिये एक अलग मजूरी बोर्ड बनाना उचित नहीं होगा ।

जहां तक स्वचालित मशीनों की व्यवस्था का सम्बन्ध है, नीति यह है कि इन्हें वहां लगाया जाय जहां ऐसा करना जनहित में हो और उससे बेहतर परिणाम निकलने की आशा हो । फिर भी, स्वचालित मशीनों की व्यवस्था शुरू करने के साथ कुछ निश्चित गारंटी दी जाती है, जिसमें कर्मचारियों की छंटनी न किया जाना शामिल है । ऐसा वर्तमान कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा को देखते हुए किया गया है ।

Cost of Production of Cloth

*1001. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cost of production of cloth is going up and its production is declining constantly ;

(b) whether the Indian Cotton Textile Mills Federation has urged for reduction in the Excise Duty on yarn and cloth with a view to bring down the cost of production to some extent ;

(c) if so, the reaction of Government thereto ; and

(d) the measures proposed to be taken to increase the production of cloth and to bring down its cost of production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) With the fall in indigenous cotton prices in recent months, the cost of production of cloth should be coming down. The production of mill-made cotton cloth has been showing a rising trend since September, 1967.

(b) Yes, Sir.

(c) The Budget Proposals provide relief in Excise Duties on some categories of cotton yarn.

(d) Some of the more important measures are :

(1) Continued efforts to increase production by increasing the yield of cotton ;

(2) Afford better terms for modernisation and rehabilitation, for research and for introduction of new techniques of production.

दक्षिण पूर्व रेलवे पर क्लेम्स ट्रेसरों के पद

*1002. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री द० रा० परमार :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री श्रीकान्तन नायर :
श्री नम्बियार :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रामचन्द्र जे० अमीन :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री किकर सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक क्लर्कों तथा कार्यालय क्लर्कों में से वर्ष 1956 में दक्षिण पूर्व 'रेलवे में क्लेम्स ट्रेसरों' के पदों के लिए एक नामिका बनाई गई थी और उस नामिका के आधार पर कार्यालय क्लर्कों की तो पदोन्नति कर दी गई किन्तु वाणिज्यिक क्लर्कों की पदोन्नति नहीं की गई; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

बरारीघाट में निजी नाव सेवा

*1003. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर बरारीघाट (भागलपुर) में निजी नाव सेवा चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां निजी नाव सेवा बन्द करने का विचार है;

(ग) क्या इससे रेलवे नाव सेवा के लाभप्रद होने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

Conference of Class IV Railway Employees and Gangmen Union of Northern Railway

*1004. **Shri Ram Charan :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Lakhan Lal Kapoor :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the Conference of the Class IV Employees and Gangmen Union of Northern Railway held on the 3rd March, 1968 thirteen demands were presented to Government ;

(b) if so, the decision taken on those demands and when the said demands are likely to be met ; and

(c) the number out of the said demands which Government do not propose to meet and the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). "The demands are under examination on their merits. It may, however, be stated that the proper channel for representation in such matters is through the recognised Unions on the Northern Railway, who enjoy negotiating facilities with the administration and who periodically take up the cases of all categories of railway staff including gangmen and Class IV staff."

Underground Railway in Delhi

*1005. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any scheme for the construction of underground Railway in Delhi is under consideration of Government ;

(b) whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation and certain other individuals have requested Government to construct an under-ground Railway in Delhi ; and

(c) if so, the expenditure involved thereon and the benefits likely to be accrued therefrom ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No, Sir.

(b) No formal request for construction of an underground railway system in Delhi has so far been received from Delhi Municipal Corporation or any other individual.

(c) Does not arise.

Assistant Inspectors of Works

*1006. **Shri Shri Chand Goel :**
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Assistant Inspectors of Works (Diploma holders in Civil Engineering) in the grade of Rs. 205-280, who have already worked on such posts in the Railways for some years, are being utilised as Office Clerks on the Western Railway ;

(b) whether it is also a fact that they are being paid the pay of Office Clerks ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether it is also a fact that a letter bearing No. 1086/30/10/Vol.3 dated the 15th October, 1966 had been issued by C. M./C. C. G. intimating that the pay of such persons would be fixed on the criterion of service rendered by them previously ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). Although the Western Railway had initially issued a local order as mentioned, the pay of the staff in question has been fixed provisionally at the minimum of the clerks scale (Rs. 110-180) pending a decision on the general question of fixation of pay of surplus railway staff absorbed in lower categories.

कोका-कोला पेय का उत्पादन

*1007. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कोका-कोला पेय एक विदेशी कम्पनी तैयार करती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस विदेशी कम्पनी का नाम क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस भारतीय कम्पनी का नाम क्या है और क्या इसके उत्पादन के लिये उसे पेटेन्ट अधिकार प्राप्त हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) भारत में कोका-कोला का प्रतिवर्ष उत्पादन कितना होता है और उसकी मांग कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). मेसर्स कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, जो मेसर्स कोका-कोला आफ यू० एस० ए० नामक विदेशी फर्म की शत-प्रतिशत अधीनस्थ कम्पनी है, भारत में कोका-कोला कन्सेन्ट्रेट का उत्पादन करती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) 1967 में कोका-कोला कन्सेन्ट्रेट का कुल उत्पादन 1.6 करोड़ रुपये हुआ था जिसमें से 1.2 करोड़ रुपये मूल्य के कोका-कोला कन्सेन्ट्रेट की देश में ही खपत हो गयी थी ।

वातानुकूलित प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के डिब्बों से होने वाली आय

*1008. **श्री समर गुह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वातानुकूलित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के डिब्बों के निर्माण, रखरखाव, चालन तथा उनमें सुविधाओं की व्यवस्था करने पर जो धन व्यय होता है वह इन

श्रेणियों के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की टिकटों की बिक्री से होने वाली आय से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इन श्रेणियों के डिब्बों पर कितनी अधिक रकम व्यय की गई ;

(ग) क्या इसी प्रयोजन के लिये तीसरी श्रेणी के डिब्बों पर खर्च की जाने वाली राशि, तीसरी श्रेणी के यात्रियों को टिकटों की बिक्री से होने वाली कुल आय की तुलना में कम है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रत्येक सवारी के डिब्बे के निर्माण, अनुरक्षण और संचालन पर जितनी रकम खर्च की जाती है उसकी तुलना प्रत्येक श्रेणी में यात्रा करने वालों से होने वाली आमदनी से करने के लिए आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

ढोलों का निर्माण

*1009. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 5 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2848 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढोल निर्माताओं की निर्माण क्षमता विभिन्न प्रकार से निर्धारित करने से पहले कच्चे माल की कमी थी ;

(ख) कच्चे माल का नियतन करके विद्यमान स्थापित क्षमता का दो अथवा तीन पारियों के आधार पर पूरा उपयोग करने के सम्बन्ध में योजना आयोग के सुझावों को, जिन पर 19 जून, 1964 को हुई अन्तर्मंत्रालय बैठक में बल दिया गया था, स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या 'क्षमता तथा नियतन' को दिखाने वाले विवरण से यह पता लगता है कि पुनर्निर्धारण तथा नई क्षमता को मान्यता दिये जाने से, उन कुछ निर्माताओं को क्षति पहुंची है, जिनकी क्षमता अभी भी बेकार पड़ी है ; और

(घ) 1965 में किये गये निर्धारण के क्या परिणाम निकले हैं और उनको लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । इनकी कुछ कमी थी । लोहा तथा इस्पात नियंत्रण से इस्पात की अधिक चादरों का संभरण करने के बारे में कार्यवाही की गई थी ।

(ख) और (ग). योजना आयोग के सुझावों को स्वीकार करने का किसी भी अवस्था में प्रश्न ही नहीं उठता । अन्तर्मंत्रालय बैठक में, जिसका उल्लेख किया गया है, एककों की क्षमता

का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता इसलिये महसूस की गयी थी जिससे कच्चे माल का अधिक समान नियतन किया जा सके। इस बैठक में सभी एककों की पुनर्निर्धारित क्षमता पर विचार किया गया था और कुछ कारखानों की क्षमता को दूसरे निर्माणरत ऐसे कारखानों का अहित करके जिनमें क्षमता बेकार पड़ी थी, मान्यता देने पर विचार नहीं किया गया था।

(घ) कुछ निर्माताओं के अभ्यावेदनों के फलस्वरूप 1965 में दुबारा निर्धारण किया गया था। निरीक्षण करने पर स्थापित क्षमता अधिक पाई गई थी। यह भी विचार किया गया था कि फिलहाल विशेषकर इस्पात की कमी को देखते हुए जो कि बराबर चलती रहने वाली समस्या है, इन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

कारों का निर्माण

*1010. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 19 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 713 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह निर्णय निर्माताओं को बता दिया गया है कि भारत में कार निर्माताओं को एक वर्ष की अथवा बिना किसी खराबी के 16000 किलोमीटर चलने की गारंटी देनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 16 के अन्तर्गत कार उत्पादकों को यह निर्णय लागू करने के सांविधिक निदेश जारी किए जा रहे हैं।

(ख) इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।

Accidents on Central and Western Railways

*1011. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of accidents on the Central and Western Railways respectively during the period from the 1st January, 1967 to 1st January, 1968 ;

(b) whether it is a fact that most of these accidents had taken place for want of proper supervision ; and

(c) if so, the action taken by Government to prevent the accidents ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) During the period 1-1-67 to 31-12-67, there were 106 and 123 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Central and the Western Railways respectively.

(b) In none of the cases supervisory lapse was held to be the cause of the accident.

(c) Continuous efforts are being made to prevent accidents in addition to the use of modern types of signalling etc.

रेलों का घाटा

*1012. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966-67 में रेलवे को 27 करोड़ रु० की हानि हुई ;

(ख) क्या माल के वहन के लिये मांग से कहीं अधिक क्षमता की योजना बनाई गयी थी ; और

(ग) किस हद तक यह हानि सड़क परिवहन संचालकों से प्रतिस्पर्धा के कारण है और किस हद तक सामान्य औद्योगिक मंदी के कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1966-67 में रेलों को 18.27 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई ।

(ख) क्षमता की योजना प्रत्याशित आर्थिक विकास के अनुसार रेल परिवहन की अनुमानित आवश्यकताओं के लिये बनायी गयी थी । लेकिन, दो वर्षों से लगातार सूखे और देश की अर्थ-व्यवस्था पर उसके बुरे प्रभाव के कारण प्रत्याशित यातायात पूरी मात्रा में नहीं हुआ । कुछ क्षेत्रों, मुख्य रूप से लोहा और इस्पात और कोयला क्षेत्रों में, कुछ अतिरिक्त परिवहन क्षमता अवश्य थी ।

(ग) सड़क प्रतिस्पर्धा या औद्योगिक क्षेत्र में मंदी के कारण रेलवे की आमदनी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

India's Participation in Tripoli Fair

*1013. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether India participated in the Tripoli Fair which commenced on the 28th February ; and

(b) if so, the result achieved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir. Participation in the 7th Tripoli International Fair held from 28th February to 20th March this year was organised and co-ordinated by the Indian Council of Trade Fairs and Exhibitions, Bombay.

(b) As a result of the participation, on-the-spot orders worth about Rs. 10 lakhs were booked. A number of trade inquiries started in respect of our exportable products are being pursued by the parties concerned to negotiate and conclude further business. It is yet early to assess the total results that would flow from our participation.

कपड़े के दाम

*1014. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों द्वारा तैयार कपड़े का केवल 25% कपड़े पर ही नियंत्रण है और मिलों द्वारा तैयार किये गये सूत पर कोई भी नियंत्रण नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नियंत्रित किस्म के कपड़े के दाम कपास के लिये निर्धारित निम्नतम समर्थन मूल्यों पर नहीं अपितु कपड़ा मिलों द्वारा उसके लिये दिये गये अधिकतम मूल्यों पर आधारित होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या आगामी सीजन के लिये सरकार का विचार कच्चे कपास के लिये खरीद कीमत एवं लाभ-मूलक मूल्य निधारित करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मिल के बने सूती कपड़े की कुछ किस्मों के उत्पादन तथा मूल्यों पर नियंत्रण है जो इस समय उत्पादन का लगभग 40% है । सूती धागे पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है ।

(ख) नियंत्रित कपड़े के वर्तमान मूल्य, पिछले संशोधन के समय कपास के अधिकतम मूल्यों के आधार पर निर्धारित किये गये थे ।

(ग) आगामी मौसम के लिये कपास की मूल्य-नीति निश्चित करते समय अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादक के हित का अर्थात् उसको कपास के उचित मूल्य दिलाने का समुचित ध्यान रखा जायेगा ।

Exploitation of Metals

*1015. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in case the deposits of copper, zinc, nickel, lead, cobalt and antimony, found as a result of exploratory work, are exploited, it would meet not only the needs of the country, but the said metals would also be exported ;

(b) if so, the difficulties being faced in the exploitation of these metals ; and

(c) the reasons for complacency in the implementation of the said scheme ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. M. Channa Reddy) : (a) to (c). A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-906/68]**

Dog Squads on Railways

*1016. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the Zonal Railways are having dog squads to detect theft of goods ;

(b) if so, the total number of such dogs with all the Railways at present ;

(c) the expenditure being incurred by Government on these dogs annually ; and

(d) the number of theft cases detected by these dogs during the last seven years ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes Sir, except on South Central Railway where it is proposed to have a Railway Protection Force Dog Squad shortly.

(b) 27

(c) Rs. 1.23 lakhs approximately is being incurred annually on the maintenance of Railway Protection Force Dog Squads and their handlers.

(d) 274

Manufacture of Sewing Machines

*1017. **Shri Hardayal Devgun:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering a proposal for the manufacture of sewing machines bearing the trade mark 'Singer' in India for making them available in the Indian markets; and

(b) if so, the probable impact thereof on the sewing machine industry in India?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). No, Sir.

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी

5990. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी ने वर्ष 1967-68 में कुल कितने मूल्य के माल का निर्यात किया और उसमें से कितना साइन फिल्म पाजिटिव कलर था ;

(ख) इसके उत्पादन के लिये प्रयोग में आये कच्चे माल की लागत कितनी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि कुल उत्पादन में से लगभग 3/5 माल बिन बिका पड़ा है ; और

(घ) क्या उत्पादन का विविधीकरण करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा वर्ष 1967-68 (फरवरी, 1968 तक) किये गये कुल उत्पादन का मूल्य 123.27 लाख रुपये है जिसमें कनवर्टेड एक्स-रे फिल्में भी सम्मिलित हैं। सिनेमा की धुली हुई रंगीन फिल्मों का बिलकुल उत्पादन नहीं हुआ।

(ख) 82.40 लाख रु०।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चौथी योजना की अवधि में उत्पादन में विविधता लाने का विचार है जिसमें रोल फिल्म, लीसा फिल्म तथा पोर्ट्रेट फिल्म के अलावा टेक्नीकलर ब्लैकों तथा मल्टीलेयर रंगीन फिल्में भी शामिल हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा राजा आयल मिल्स की निकासी एजेंट के रूप में नियुक्ति

5991. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम, बम्बई ने मैसर्स राजा आयल मिल्स को, जो लाइसेंस-प्राप्त निकासी एजेंट नहीं हैं, हजारों मीट्रिक टन सोयाबीन तेल की निकासी तथा परिवहन का काम दिया है ;

(ख) राजा आयल मिल्स को उक्त ठेके किस शुल्क तथा कमीशन की शर्तों पर दिया गया है और उसे यह ठेका दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस फर्म को प्रति वर्ष कितनी राशि दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) राज्य व्यापार निगम ने 18,300 मे० टन सोयाबीन तेल के चढ़ाने-उतारने की व्यवस्था के लिये तीन प्रमुख फर्मों से मूल्य-तालिकाएं मांगी थीं । उनमें से एक ने इस कार्य के लिये मूल्य-तालिका नहीं भेजी और अन्य दो मूल्य-तालिकाओं में से मैसर्स राजा आयल मिल्स से प्राप्त मूल्य-तालिका के भाव कम थे। चूंकि मैसर्स राजा आयल मिल्स को सीमा-शुल्क निकासी के लिये लाइसेंस प्राप्त नहीं हैं इस-लिये ऐसा समझा जाता है कि इसने इस कार्य के लिये निकासी एजेंटों की सेवाएं प्राप्त की हैं ।

(ख) और (ग). ऐसी जानकारी देना राज्य व्यापार निगम के व्यावसायिक हित में नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा एजेंटों को दिया गया कमीशन

5992. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और विदेशों में कमीशन अथवा विक्रय एजेन्टों के नाम और पते क्या हैं तथा 1966-67 में आयात और निर्यात के सौदों के विवरण सहित राज्य व्यापार निगम ने इनको भारतीय और विदेशी मुद्रा में कितने प्रतिशत तथा कितना पारिश्रमिक और/अथवा कमीशन दिया ; और

(ख) 10 प्रतिशत विक्रय एजेन्टों के, उनको किये गये भुगतान के अनुसार, भागीदारों और मालिकों के नाम क्या हैं और उनके पते क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). ऐसा विचार है कि ऐसी जानकारी देना निगम के व्यावसायिक हितों के अनुकूल नहीं होगा ।

प्रशीतकों और वातानुकूलकों का निर्माण

5993. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रशीतकों और वातानुकूलकों का निर्माण करने वाले विदेशी और भारतीय

मालिकों के कारखानों की संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों में हैं, प्रत्येक कारखाने में कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है, उनके निदेशकों के क्या-क्या नाम हैं, यदि उनमें कोई विदेशी सहयोग है, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) उनके उत्पादों के नाम तथा विशिष्ट विवरण क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक कारखाने द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितने-कितने मूल्य का माल तैयार किया गया ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक कारखाने द्वारा प्रति वर्ष कितने-कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया तथा किन-किन देशों को ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक कारखाने को प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की कितनी-कितनी राशि की अनुमति दी गई तथा आयात की गई वस्तुओं का विवरण क्या है और किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उनका आयात किया गया ;

(ङ) विदेशी मालिकों की कम्पनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में लाभ की कितनी-कितनी राशि प्रति वर्ष विदेशों को भेजी गई ;

(च) कम्पनीवार कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी तथा उनका वार्षिक मजूरी बिल कितना है ;

(छ) कम्पनीवार विदेशी कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन क्या-क्या हैं तथा प्रति वर्ष कितनी राशि विदेशों को भेजी जाती है ; और

(ज) पिछले तीन वर्षों में कम्पनीवार निर्माताओं द्वारा प्रतिवर्ष कितना लाभ अर्जित किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ज). बड़े पैमाने के 26 एकक औद्योगिक वातानुकूलन यंत्रों के उपकरणों, रेफ्रिजेरेटरों और कमरे के वातानुकूलन यंत्रों की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं जिनमें से कुछ विदेशी तकनीकी/आर्थिक सहयोग प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त लघु क्षेत्र में भी कुछ एकक ये वस्तुएं बना रहे हैं। गत तीन वर्षों में इस श्रेणी में आने वाली विभिन्न वस्तुओं का कुल निर्यात निम्न प्रकार था :

1965-66	6,33,000 रुपये
1966-67	12,53,000 रुपये
1967-68 (दिसम्बर, 1967 तक)	2,90,000 रुपये

पूछा गया अन्य ब्योरा इकट्ठा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उसमें आवश्यकता से अधिक समय तथा परिश्रम लगेगा।

कोयले का निर्यात

5994. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से किन-किन देशों को कोयले का निर्यात किया जाता है ;

(ख) क्या कोयले का निर्यात उत्पादकों द्वारा सीधा किया जाता है अथवा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से ; और

(ग) उत्पादकों के माध्यम से निर्यात पर और खरीद पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम कितना मुनाफा लेता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कोयला मुख्यतः बर्मा, श्रीलंका तथा हांगकांग को तथा थोड़े परिमाण में नेपाल, भूटान तथा जापान को निर्यात किया जाता है ।

(ख) बर्मा, श्रीलंका तथा हांगकांग को खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से और नेपाल, भूटान तथा जापान को गैर-सरकारी निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया गया ।

(ग) उत्पादकों से की गयी खरीदारियों पर खनिज एवं धातु व्यापार निगम नफा नहीं ले रहा है ।

ोयले का निर्यात

5995. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका में पड़ोसी देशों में और लातीनी अमरीका के देशों में कोयले के निर्यात को विशेषकर कोयले की किस्मों, उत्पादन लागत, निर्यात शुल्क, नौवहन और बीमा आदि के संदर्भ में, बढ़ाने में क्या-क्या कठिनाइयां पेश आती हैं ; और

(ख) कोयले का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारत से विदेशों को कोयले के निर्यात के मार्ग में जो प्रमुख कठिनाइयां आती हैं वे हैं : भारतीय कोयले की घटिया किस्म और अन्य बातों के साथ-साथ अधिक समुद्री भाड़े के कारण अपेक्षाकृत ऊंचे भाव । अधिकांश देश कोयले की बढ़िया किस्म में रुचि रखते हैं जिसे भारत आंतरिक उपभोक्ताओं की कोयले की इन्हीं किस्मों की बढ़ती हुई मांग के कारण सीमित मात्रा में उपलब्ध कर सकता है ।

फिर भी, अफ्रीका देशों को कोयले के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

लातीनी अमरीकी देशों को भारत कभी भी कोयले का निर्यातक नहीं रहा । दोनों उप-महाद्वीपों के मध्य लम्बी दूरी और उसके परिणामस्वरूप अधिक समुद्री भाड़ा पड़ने के कारण भारत से इन देशों को निर्यात लाभप्रद कार्य नहीं है ।

(ख) विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजकर और इन देशों में अपने मिशनों से सतत सम्पर्क रखकर कोयले के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाया जाता है। रुचि रखने वाले विदेशी खरीदारों को पहले ही भारतीय कोयले के नमूने भेजे गये हैं। खरीदारों द्वारा जब भी निविदाएं अथवा पूछताछ आमंत्रित की जाती हैं तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम भी यथासम्भव अपने भाव भेजता है।

सनी "सन हैम्प" का उपयोग

5996. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सभी "सन हैम्प" का कितनी मात्रा में निर्यात करता है ;

(ख) किन-किन देशों को इसका निर्यात किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि सनी "सन हैम्प" मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में पैदा होती है ; तथा पटसन की स्थानापन्न वस्तु के रूप में इसको प्रयोग में लाया जा सकता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस उत्पाद का जो बहुतायत में उपलब्ध होता है, सर्वोत्तम उपयोग करने का विचार कर रही है ; और

(ङ) क्या सभी "सन हैम्प" का निर्यात करने में राज्य व्यापार निगम भी भाग लेता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1966-67 की अवधि में 7217 मे० टन।

(ख) ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, कनाड़ा, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, यूगोस्लाविया, यूनान, हंगरी, जापान, चेकोस्लोवाकिया, नीदरलैंड तथा तंजानिया को।

(ग) और (घ). "सन हैम्प" पैदा करने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश एक है। पहले किये गये परीक्षणों से पता चला कि "सन हैम्प" पटसन के लिए उपयुक्त स्थानापन्न वस्तु नहीं है। फिर भी, पता लगा है कि कुछ पटसन मिलों ने पटसन की कमी के समय "सन हैम्प" को पटसन के साथ मिलाकर उसका लघु मात्रा में प्रयोग किया है। एक "सन हैम्प" गवेषणा केन्द्र, प्रतापगढ़ (उ० प्र०) में पहले ही चल रहा है।

(ङ) जी, नहीं, क्योंकि राज्य व्यापार निगम को इस व्यापार में कोई विशेष काम नहीं करना है।

उड़ीसा में नमक उद्योग

5997. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में उड़ीसा में नमक का कुल उत्पादन कितना था ;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में सामान्य नमक उद्योगों को कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 43,200 मीट्रिक टन ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली से शकूरबस्ती तक रेलवे लाइन को दोहरी लाइन बनाना

5998. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से शकूरबस्ती तक रेलवे लाइन को दोहरी लाइन बनाने का काम पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो दिन के समय अप और डाउन रेलगाड़ियों में पांच से छः घण्टे के अन्तर को कम करने के लिये दिल्ली-जींद लाइन पर कितनी नई रेलगाड़ियां चलाई जाने की आशा है ;

(ग) क्या जनता के प्रतिनिधियों को दोहरी लाइन का काम पूरा हो जाने के तुरन्त बाद नई रेलगाड़ी चलाये जाने का आश्वासन दिया गया था और यदि हां, तो अब तक इस काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(घ) दिन में चलने वाली रेलगाड़ी चलाने में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) नं० 1/2 और 3/4 डी० एन० के० दिल्ली सफदरजंग-किशनगंज शटल पहले से ही शकूरबस्ती तक आती जाती है । दिल्ली और जीन्द के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

(ङ) यातायात के औचित्य के प्रश्न के अलावा अपेक्षित चल-स्टाक की कमी के कारण भी दिल्ली और जीन्द के बीच फिलहाल एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

आई० डी० एस० बी० डाउन खाली रैक

5999. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी० एस० बी० डाउन खाली रैक को बहादुरगढ़ से नई दिल्ली तक नियमित सवारी रेलगाड़ी में परिवर्तित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसको नियमित रेलगाड़ी में परिवर्तित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह प्रस्ताव मान लिया गया है और 1-4-1968 से इसे लागू कर दिया गया है ।

केरल में अल्मोनियम की नौकाओं का निर्माण

6000. **श्री रा० रा० सिंह देव** :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी की सहायता से केरल में अल्मोनियम की नौकायें बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

पंजाब में औद्योगिक परियोजनायें

6001. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूल से चार औद्योगिक परियोजनाओं का नियतन पंजाब राज्य के लिये किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनायें कौन-कौन सी हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पंजाब सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की कई परियोजनाओं को पंजाब में स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है।

(ख) विचार के लिये सुझाई गई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

(1) पावर बायलरों का नया एकक।

(2) दूसरा केबल कारखाना।

(3) मशीनी औजारों की अतिरिक्त क्षमता।

(4) इलेक्ट्रानिक्स।

(5) कृषि के ट्रैक्टर।

(6) उर्वरक परियोजनाएं।

(7) कागज तथा लुग्दी योजनाएं।

(8) दवाइयों तथा कीटनाशक औषधियों का विस्तार।

(9) निर्यातोन्मुख कताई मिलें।

(10) उत्तर-पश्चिमी तेल शोधक कारखाना।

(11) टेलीफोन का अतिरिक्त कारखाना।

चूंकि अप्रैल, 1969 से प्रारम्भ होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना का काम अभी आरम्भ ही हुआ है, इसलिये इस अवस्था में चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली परियोजनाओं अथवा उनके स्थानों के बारे में राय प्रकट करना अभी सम्भव नहीं है।

फैरो मैंगनीज मिश्रित धातु कारखाने

6002. **श्री नरसिम्हा राव** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में फैरो-मैंगनीज मिश्रित धातु के कौन-कौन से और कितने कारखाने हैं और इनमें प्रतिदिन कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या किसी नये फैरो-मैंगनीज कारखाने की स्थापना किये जाने की संम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) फैरो-मैंगनीज के उत्पादन के लिये जिन कारखानों को लाइसेंस दिये गये हैं उनके नाम, उनकी अनुज्ञप्त क्षमता, अधिष्ठापित क्षमता और 1966-67 में उनके वास्तविक उत्पादन के बारे में एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-707/68**]

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

निषिद्ध वस्तुओं का आयात

6003. **श्री च० चु० देसाई :** **श्री दे० अमात :**
श्री अजमल खां : **श्री शिवप्पा :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि निम्नलिखित निषिद्ध वस्तुओं का हकदारी लाइसेंस अथवा निर्यात संवर्धन की आड़ में अब भी आयात किया जा रहा है :

(1) कफूर, (2) पोलियुरेथीन फोम,

(3) बालबेयरिंग, (4) मशीनी औजार ;

(ख) यदि हां, इन वस्तुओं के आयातकों के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कफूर तथा पोलियुरेथीन फोम के आयात की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती परन्तु वास्तविक प्रयोक्ताओं के विशेष मामलों में, उद्योग विकास से सम्बद्ध तकनीकी प्राधिकारियों की सिफारिशों पर आयात की अनुमति दी गई है । भूतपूर्व निर्यात संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत कतिपय मदों के निर्यात के बदले में भी इन वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है। एक फर्म द्वारा कफूर के अधिक आयात के बारे में सूचना मिली थी और जांच करने पर पता चला कि फर्म को पेचदार बर्मों की टोंटियों के निर्माण के लिये तकनीकी प्राधिकारियों की सिफारिशों पर अन्य मदों के साथ-साथ कफूर के आयात के लिये लाइसेंस दिया गया था परन्तु फर्म ने स्पष्टतः अपनी आवश्यकता से फालतू मात्रा का आयात किया । इसलिये फर्म को केवल वास्तव में अपेक्षित मात्रा को रखने की अनुमति देने की कार्यवाही की गई और शेष मात्रा अन्य वास्तविक प्रयोक्ताओं में वितरित करने के लिये राज्य व्यापार निगम को हस्तांतरित की गई। पोलियुरेथीन फोम के आयात की अनुमति चमड़े के जूते, चप्पल, आदि तथा चमड़े के यात्री सामान के निर्यात के बदले समापित चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों की भूतपूर्व विशेष निर्यात संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत दी गई । वास्तविक प्रयोक्ताओं को कुछ किस्मों के बालबेयरिंग और मशीनी औजारों का आयात करने की अनुमति दी जाती है ।

(ख) और (ग). जी, नहीं । जहां तक उपरोक्त मदों का सम्बन्ध है आयात-व्यापार नियंत्रण विनियमों के उल्लंघन का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

इंटेगरल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर

6004. **श्री किरुतिनन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेराम्बूर स्थित इंटेगरल कोच फैक्टरी में 1960 में हुये निर्माण की तुलना में

निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) 1960-61 में सवारी डिब्बा कारखाना ने रेलों को 266 सवारी डिब्बों के खोल (जिनमें रेलों द्वारा साज-सामान लगाया जायेगा) और बड़ी लाइन के पूरे साज-सामान युक्त 194 सवारी डिब्बे दिये । लेकिन, 1967-68 में फरवरी, '68 तक, अर्थात् 11 महीनों की अवधि में, रेलों को पूरे साज-सामान युक्त 629 सवारी डिब्बे दिये गये, जिसमें 402 बड़ी लाइन के और 27 मीटर लाइन के सवारी डिब्बे थे ।

लघु उद्योग सेवा एकक

6005. **श्री किरुतिनन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा एकक ने तामिलनाड में पूर्वी रामानाथपुरम जिले में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । सर्वेक्षण का प्रतिवेदन राज्य उद्योग निदेशक को 1960 में दिया गया था ।

(ख) प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव इनके बारे में थे :

(1) जिले में विद्यमान उद्योगों में सुधार जैसे, हल्के इंजीनियरी उद्योग, टीन के उत्पादन, फाउन्टेन पेनों की निबें, चमड़े तथा केनवा उत्पाद, फोटोग्राफी का सुग्राही कागज, चेक फिशिंग तथा इस्पात संग्रह, नाव निर्माण, चटाइयां बुनना तथा ताड़ पत्तों का बना सामान ।

(2) इन उद्योगों में सुधार करने के लिये कदम उठाना, तथा

(3) जिले में इसके साधनों तथा लोगों की मांग के अनुरूप निम्नलिखित नये उद्योगों की स्थापना करना उदाहरण के लिये :

(1) पायरो टेक्निक एल्युमीनियम पाउडर

(2) ओटने की मिल के हिस्से

(3) लकड़ी का फर्नीचर

(4) क्राउन कार्क

(5) पकी मिट्टी की वस्तुएं

(6) एल्युमीनियम के खोखले बर्तन

(ग) यह सर्वेक्षण उद्यमियों तथा राज्य के उद्योग निदेशक के मार्गदर्शन के लिये किया गया था। इस प्रतिवेदन के आधार पर कितनी प्रगति हुई है और इन सुझावों को कहां तक लागू किया गया है इसका पता अभी भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया गया है।

करायकुडी में लौह अयस्क के निक्षेप

6006. **श्री किरुतिनन** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाद के रामनाथपुरम जिले के करायकुडी क्षेत्र में लौह-अयस्क के निक्षेप हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). करायकुडी के चारों ओर के भूवैज्ञानिक और खनिज सर्वेक्षण से ऊपरी गोंडवाणा काल के लेटराइट और बलुआ पत्थर के संकेत मिले हैं। वाडाकुडिपत्ति (जो नेम्मातनपत्ति के निकट और करायकुडी नगर से लगभग दस से बारह किलोमीटर उत्तर में है) के समीप पाये जाने वाले लौह-अयस्क की जांच भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1962 में की गई थी। वहां, वाडाकुडिपत्ति से लगभग 800 से 960 मीटर पूर्व, भूमि के एक छोटे उठान पर निम्न श्रेणी के लेटराइट युक्त लौह-अयस्क मिलते हैं। उस लौह-युक्त लेटराइट से लोहे की प्राप्ति, वर्तमान स्थितियों में, आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

ट्रांसफार्मर निर्माण उद्योग

6007. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रांसफार्मर निर्माण उद्योग आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्षमता तथा वर्तमान मन्दी के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में अधिक गिरावट की प्रवृति के कारण अलाभप्रद हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बात के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, कि यह उद्योग वर्तमान संकट से उबर सके ; और

(ग) इंडियन इलैक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा निरोध किये जाने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर निर्माण क्षमता के लिये आवश्यकता से अधिक लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). ट्रांसफार्मरों का निर्माण करने के लिये अधिक क्षमता उत्पन्न नहीं की गई है, 33 किलो-वाट से कम वितरण में काम आने वाले ट्रांसफार्मरों का निर्माण करने के लिये 1 अप्रैल, 1966 से लाइसेंस देना बन्द कर दिया गया है। औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन पावर ट्रांसफार्मरों का निर्माण केवल सरकारी क्षेत्र के कारखानों के लिये रक्षित है यद्यपि गैर-सरकारी क्षेत्र के वर्तमान कारखानों का विस्तार करने की अनुमति प्राप्त है किन्तु इस सम्बन्ध में हाल ही में कोई नई क्षमता उत्पन्न नहीं की गई है।

ट्रांसफार्मर उद्योग अलाभप्रद उद्योग नहीं है किन्तु मांग कम होने के कारण प्रतिस्पर्द्धा हो सकती है और उनके मूल्य भी गिर सकते हैं। बताया जाता है कि वे अब स्थिर हो रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। इण्डियन इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसियेशन से प्राप्त अभ्यावेदन पर पूरी तरह विचार किया गया था और पता चला था कि इस उद्योग के लिये आवश्यकता से अधिक लाइसेंस नहीं दिये गये हैं।

आंध्र प्रदेश में खनिजों का सर्वेक्षण

6008. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में खनिजों का सर्वेक्षण किया गया ;

(ख) क्या खनिजों को निकालने का कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ग) क्या विमान द्वारा हाल में कुछ भागों के किये गये सर्वेक्षण के परिणाम पूरे हो गये हैं और यदि हां, तो क्या इन परिणामों को प्रकाशित किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और आन्ध्र प्रदेश सरकार के भूवैज्ञानिक एवं खनन विभाग द्वारा खनिजों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। खनिजों के निकालने के कार्यक्रम के विषय में अभी बताना संभव नहीं।

(ग) आंध्र प्रदेश के चुने हुए क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और प्राप्त की गई आधार सामग्री का काफी सीमा तक विधायन और आंशिक रूप से मूल्यांकन भी किया जा चुका है। अन्तिम परिणाम भूमि-अनुपरीक्षणों के सब तरह से पूरे होने पर ही प्राप्त होंगे। भूमि-अनुपरीक्षण कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

कोयले का उत्पादन

6009. **श्री चं० चु० देसाई :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और जुलाई, 1967 के बीच कोयले का कितना उत्पादन हुआ और जनवरी-जुलाई, 1966 में कितना उत्पादन हुआ था ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोयले के उत्पादन का प्रारम्भिक लक्ष्य क्या था और चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि 1963 की प्रथम तिमाही में 730 लाख मीटरिक टन के साधारण उत्पादन से मांग नहीं बढ़ी है जिसके कारण कुछ मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं ; और

(घ) कोयला खानों के पास इस समय कितना कोयला पड़ा है और इसके कारण औद्योगिक प्रगति कितनी तेज या धीमी हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कोयले का उत्पादन जनवरी से जुलाई, 1967 तक की अवधि में 409.05 लाख मैट्रिक टन और जनवरी से जुलाई, 1966 के दौरान 394.49 लाख मैट्रिक टन हुआ ।

(ख) तीसरी योजना के दौरान कोयले का उत्पादन लक्ष्य 985 लाख मैट्रिक टन था और चौथी योजना के प्रारूप में 1060 लाख मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करने का विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) कोयला खानों के पास 57.7 लाख मैट्रिक टन कोयले का स्टाक पड़ा हुआ है । यह स्टाक न तो असामान्य रूप से अधिक और न ही कम समझा जाता है । अतः इसका उद्योग के विकास के साथ कोई सह-संबंध नहीं है ।

कोयला खनन उद्योग

6010. **श्री चं० चु० देसाई :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात कारखानों का विस्तार न किये जाने, पाकिस्तान को कोयले के निर्यात पर पूर्णतया रोक लगाये जाने तथा रेलवे में डीजल इंजन चलाये जाने के फल-स्वरूप कोयला खनन उद्योग ठप हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कोयला खनन उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार की क्या नीति है और क्या सरकार स्थिति के प्रति सचेत है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारिक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कोयले की कुल मांग कितनी है और कोयला विकास परिषद् समिति ने मांग के निर्धारण के बारे में क्या सिफारिशें की थीं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यद्यपि कोयला उद्योग पर कुछ मात्रा में दुष्प्रभाव पड़ा है, यह कहना ठीक नहीं होगा कि यह उद्योग ठप्प हो गया है।

(ख) सरकार स्थिति के सम्बन्ध में पूर्णतया जागरूक है। एक अध्ययन दल राज-सहायता के प्रश्न पर विचार कर रहा है और जब कभी भी आवश्यकता पड़ी तथा उचित समझा गया और विषय की परिस्थितियों में सम्भव हुआ, दूसरी उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

(ग) जब चौथी आयोजना का प्रारूप अगस्त, 1966 में बनाया गया था तो उस समय 1970-71 तक कोयले की मांग का अनुमान 1060 लाख मैट्रिक टन लगाया गया था।

कोयला विकास परिषद् की मांग निर्धारण समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं :

(1) नई खान के विकास कार्यक्रम को हाथ में लिये जाने से पूर्व, वर्तमान स्थापित क्षमता के अनुकूलतम स्तर पर उपयोग को विचार में रखा जाय।

(2) देश में प्राप्त कोयले के अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिये और, जहां तक संभव हो सके, वर्तमान क्षेत्रीय प्रतिरूप को बनाए रखने के उद्देश्य से चौथी योजना में कोयले की खपत के प्रतिरूप की पुनरीक्षा करने के लिये रेलवे संस्था को अपने डीजल से इंजन चलाने के कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने के लिये प्रार्थना की जाये।

(3) लोहा और इस्पात विभाग से इस बात पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की जाये कि क्या पश्चिमी घाट में निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले कच्चा लोहा संयंत्र आयातित कोल/कोक के बजाय देशी कोयला प्रयोग कर सकते हैं।

(4) वर्तमान क्षमताओं को पूर्ण रूप से उपयोग करने के तथा रेलों की कोयला ढोने की क्षमता के संदर्भ में सिंगरौली कोयला क्षेत्र के और आगे विकास का तथा पूंजी नियोजन का पुनरीक्षण किया जाये।

कोयले पर से नियंत्रण हटाना

6011. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों को मजूरी में तेजी से वृद्धि तथा रेलवे और इस्पात कारखानों से अधिक लागत देने के बारे में पर्याप्त प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के कारण दो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों तथा अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हैं ; और

(ख) कोयले पर से नियंत्रण हटाने का क्या उद्देश्य है और क्या विनियंत्रण की नीति को क्रियान्वित करते समय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि अथवा यंत्रीकरण तथा मजूरी बिल में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखा गया था और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कोयले पर से नियंत्रण हटाये जाने के पश्चात्, कोयला उद्योग ने रेलवे तथा इस्पात-संयंत्रों के साथ मूल्यों के सम्बन्ध में समझौते की बातचीत की और यह दोनों उपभोक्ता कोयला उद्योग को बातचीत से तय हुए मूल्य दे रहे हैं। यह मूल्य, नियन्त्रण हटाये जाने से पूर्व के मूल्यों से, अधिक है। अतः इन परिस्थितियों में उद्योग द्वारा वेतन-मंडल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की असमर्थता का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) नियंत्रण हटाये जाने का उद्देश्य यह था कि उपलब्धि तथा मांग सम्बन्धी बाजार की परिस्थितियां ही मूल्य निर्धारण करें। नियन्त्रण हटाये जाने का निर्णय, इस विषय से सम्बन्धित हर दृष्टिकोण से सोच-विचार करने के पश्चात् ही लिया गया था।

खादी ग्रामोद्योग भवनों द्वारा मिलावटी मधु की बिक्री

6012. **श्री झा० सुन्दर लाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2621 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में इस बीच कोई विभागीय जांच की गई है ; और

(ख) क्या मधु खरीदने के लिये मान्यता प्राप्त अभिकरणों की सूची तैयार करने का सरकार का विचार है जिससे शुद्धता का मानक और उचित मूल्य सुनिश्चित किये जा सकें और बिचौलियों को अनुचित लाभ न होने पाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अभी तक नहीं, परन्तु मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) खरीदारियां करने के लिये मान्यताप्राप्त अभिकरणों की सूची तैयार करने का सरकार का विचार नहीं है। फिर भी, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने अपने नियंत्रण के अधीन विभिन्न खादी ग्रामोद्योग भवनों को, जैसा कि दिनांक 1-12-1967 को पूछे गए प्रश्न संख्या 2621 के उत्तर में बताया गया है, केवल एग्मार्क मधु खरीदने और बेचने की हिदायतें दी हैं। जहां तक अन्य ग्राम उद्योगों के माल की खरीद का सम्बन्ध है, आयोग ने यह नियम बना दिया है कि खरीदारियां सीधे शिल्पियों से अथवा राज्य बोर्डों अथवा आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सहकारी समितियों अथवा पंजीयित संस्थाओं से की जानी चाहिए। चूंकि इन निकायों से खरीदारियां की जाती हैं अतः शुद्धता के मानक और मूल्यों के औचित्य को ध्यान में रखा जाता है।

बिचौलियों से किसी प्रकार की खरीदारी करने की अनुमति नहीं दी गई है।

कुम्बकोनम-सिरकाली रोड स्थित रेलवे फाटक पर उपरि पुल

6013. **श्री सुब्रावेलू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयावरम जंकशन के निकट कुम्बकोनम-सिरकाली रोड के एम० 20/7 पर स्थित वर्तमान रेलवे फाटक की बजाय वहां पर एक उपरि पुल बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा): (क) और (ख). वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क-पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा यह बताते हुए प्रायोजित होने चाहिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है और निर्माण पर लागत में सड़क प्राधिकारी के हिस्से के रूप में धन की व्यवस्था, जैसा कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है, वे किस वर्ष करेंगी ।

मायूरम जंक्शन के निकट कि० मी० 285/1 पर वर्तमान समपार की जगह एक ऊपरी सड़क-पुल के निर्माण के लिए मद्रास सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

6014. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील द्वारा भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में 25 जून, 1967 को 'हिन्दुस्तान स्टील पर देश को कितनी हानि हो रही है' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित किये गये विज्ञापन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और क्या यह विज्ञापन हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में उसके कार्य तथा तथ्यों का सही चित्र उपस्थित करता है;

(ख) ऐसे असाधारण तथा गलत विज्ञापन देने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान 1 दिसम्बर, 1967 को इसी प्रकार के अतारांकित प्रश्न संख्या 2726 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन-2

6015. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विकासशील देशों के प्राकृतिक प्राथमिक उत्पादों के नये प्रयोग करने

के लिये संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन-2 में एक अनुसंधान निधि की स्थापना का प्रस्ताव किया था;

(ख) क्या पश्चिमी विकसित देशों ने इस प्रस्ताव का सर्वथा विरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो इन देशों को भारतीय दृष्टिकोण से सहमत कराने के लिये भारत के प्रतिनिधि-मंडल ने क्या प्रयत्न किये और इस मामले में अंतिम मतैक्य क्या रहा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी, हां। विकसित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों ने अपनी ओर से प्रति-प्रस्ताव किया कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के संश्लिष्टों तथा स्थानापन्नों संबंधी स्थायी दल को, प्राकृतिक उत्पादों के मामले में, जिनको संश्लिष्टों तथा स्थानापन्नों की प्रतियोगिता से खतरा पैदा हो गया है, वैज्ञानिक गवेषणा को बढ़ाने तथा बाजार की स्थिति में सुधार के लिये मार्गोपायों का अध्ययन करना चाहिए।

(ग) भारतीय प्रतिनिधि-मंडल द्वारा प्रस्ताव पर मतैक्य लाने के प्रयत्न किये गये परन्तु विकसित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों ने अपना मत नहीं बदला अतः कोई समझौता नहीं हो सका।

दरभंगा रेलवे लाइन

6016. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रयोजनों के निमित्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये बड़ी लाइन को समस्तीपुर से दरभंगा तक बढ़ाने की आवश्यकता पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

6017. **श्री नंजा गौडर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के एक होटल ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को बहुत सी सुविधायें नहीं दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) एक सूचना प्राप्त हुई है कि नई दिल्ली के एक होटल ने वांछित स्तर की सेवाएं प्रदान नहीं कीं जिसके परिणामस्वरूप वहां रहने वालों को, जिनमें कुछ अंकटाड के प्रतिनिधि भी शामिल थे, असुविधा हो सकती थी।

(ख) मामले की और भी विस्तार से जांच करके उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए पर्यटन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है।

हैदराबाद में शराब बनाने तथा अंगूरवाटिका संबंधी परियोजनायें

6018. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में बलगेरिया के सहयोग से शराब बनाने के कारखानों तथा अंगूरवाटिकाओं की एक परियोजना आरम्भ की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है; और

(ग) यह गैर-सरकारी क्षेत्र में होगी अथवा सरकारी क्षेत्र में तथा उस फर्म का नाम क्या है जो इस परियोजना में शामिल होगी और यह परियोजना किस स्थान पर होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने मेसर्स शा वैलेस ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड नामक एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को शराब बनाने के लिये हैदराबाद में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी है।

इस परियोजना के लिये केन्द्रीय सहायता बिल्कुल नहीं मांगी गई है।

डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना

6019. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में डीडवाना में सोडियम सल्फेट का एक नया कारखाना स्थापित किया जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि डीडवाना के वर्तमान सल्फेट कारखाने की क्षमता में वृद्धि की जायेगी;

(ग) नये कारखाने की क्षमता कितनी होगी और विद्यमान कारखाने की क्षमता में कितनी वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) नये कारखाने का काम कब आरम्भ हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां; राज्य सरकार द्वारा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नये संयंत्र की क्षमता 40 टन प्रतिदिन होगी। विद्यमान संयंत्र की क्षमता में वृद्धि कर सकना सम्भव नहीं है।

(घ) नये संयंत्र में काम शुरू हो चुका है।

Bokaro Steel Plant

6020. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some miscreants had made attempts to disrupt the electric and water supply system in Bokaro Steel Plant area as a result of which extensive damage was caused there;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Restriction on Indo-Nepal Trade

6021. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the commodities on which restrictions have been imposed in respect of their export and import between India and Nepal?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): Trade between India and Nepal is governed by the provisions of the Treaty of Trade and Transit concluded between the two Governments in 1960. According to the Treaty, goods originating in either country and intended for consumption in the territory of the other are exempt from customs duties and other equivalent charges as well as from quantitative restrictions. However, either country could introduce restrictions as were appropriate for the achievement of certain specified purposes. For POL products, non-ferrous metals, hardware and scrap iron, chemical fertilisers, T. M. B trucks, sugar and maida, quotas for export to Nepal are fixed in consultation with Government of Nepal. Certain restrictions have been imposed for exports of raw jute and mesta, tents and tent cloth and bristles from India to Nepal.

भारत और नेपाल के बीच व्यापार और पारगमन करार

6022. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल के बीच हुए व्यापार और पारगमन करार से हमारे भारत को प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ी मात्रा में नुक्सान हो रहा है;

(ख) क्या ऐसा कोई अनुमान लगाया गया है कि इस करार से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा का नुक्सान हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस करार में उचित परिवर्तन करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

नायलोन के धागे का निर्यात

6023. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नायलोन के धागे के निर्यात के वर्तमान प्रबंध में सरकार ने कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). अवमूल्यन के परिणामस्वरूप वापिस ली गई भूतपूर्व निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन नायलोन के वस्त्रों तथा अन्य मानव-निर्मित रेशे के वस्त्रों के निर्माता-निर्यातक अपने निर्यातों के जहाज तक निःशुल्क मूल्य की 70% तक राशि का प्रयोग कच्चे माल के आयात के लिये, जिसमें मानव-निर्मित रेशा/धागा शामिल था, कर सकते थे । निर्यात का संवर्द्धन करने के लिये मार्च, 1967 में एक नकद सहायता योजना, जिसमें सेलूलोस मानव-निर्मित रेशे के वस्त्रों का निर्यात शामिल है और दिसम्बर, 1967 में एक पुनर्भरण योजना, जिसमें नायलोन के वस्त्रों का निर्यात शामिल है, चालू की गई । पुनर्भरण योजना के अंतर्गत निर्यात किये गये वस्त्रों में प्रयुक्त नायलोन के धागे के प्रत्येक किग्रा पर राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित नायलोन के धागे का 1.2 किग्रा पुनर्भरण के रूप में दिया जाता है । यह सहायता राज्य व्यापार निगम तथा/अथवा उसकी व्यापार संस्थाओं द्वारा किये गये निर्यातों पर मिलती है ।

जनता कपड़ा योजना

6024. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिल मालिकों की फेडरेशन ने जनता कपड़ा बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस फेडरेशन ने कपड़े के नियंत्रित मूल्य में 13 प्रतिशत वृद्धि किये जाने की मांग इस आधार पर की है कि कपड़े के मूल्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है और बढ़े हुए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या उन्होंने यह भी मांग की है कि कपड़े से सभी नियंत्रण हटा लिये जायें; और

(घ) यदि हां, तो इन मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने नियन्त्रित कपड़े के मूल्यों में 13 प्रतिशत; कपास के मूल्यों में वृद्धि के कारण 10 प्रतिशत तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण 3 प्रतिशत वृद्धि करने का अनुरोध किया है ।

इसके विकल्प में उन्होंने नियंत्रित कपड़े के परिमाण में कमी करके उसे कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है जिसे वे बिना लाभ-हानि के आधार पर बेच सकें, जिसे सम्भवतः माननीय सदस्य ने जनता कपड़ा कहा है ।

मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Halt Station Near Simultala Station

6025. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any request has been received by Government to provide a halt at Telwa Bazar near Simultala, Eastern Railway for passenger trains ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) if not, whether Government propose to provide a halt at the said place on experimental basis after reconsidering their decision in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes.

(b) The proposal has been carefully examined. It was neither financially justified nor acceptable on operational grounds.

(c) No.

डाक व तार विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

6026. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग में प्रचलित एक प्रणाली की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसके अन्तर्गत उस विभाग के मेट्रिकुलेट पास या उसके समान शिक्षा वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के लगभग 20 प्रतिशत पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है;

(ख) क्या रेलवे में भी इसी प्रकार की प्रणाली को अपनाने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं; जिससे कि वे तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिये अपेक्षित योग्यता शिक्षा प्राप्त कर सकें ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). चौथे दर्जे के उन पात्र कर्मचारियों को पहले से ही इस बात की छूट है कि वे तीसरे दर्जे के पदों में भर्ती के लिए रेल सेवा आयोग को आवेदन कर सकते हैं । इस प्रयोजन के लिए उनकी आयु में उतनी छूट दी जाती है जितनी उन्होंने चौथे दर्जे में नौकरी की हो । लेकिन छूट की यह सीमा 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए बेहतर अवसरों की सिफारिश करने के लिए 1957 में रेलों पर एक समिति नियुक्त की गयी थी । अन्य सिफारिशों के साथ-साथ उनमें

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता में वृद्धि करना भी शामिल था। यह बात सरकार द्वारा मान ली गयी है और इस समय कार्यालय क्लर्कों, गाड़ी क्लर्कों आदि कोटियों में मूल भर्त्ती के ग्रेडों में 25 प्रतिशत पद चौथी श्रेणी के उन कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जिन्होंने लगातार पांच वर्ष सेवा कर ली हो। इसके लिए आयु या शिक्षा सम्बन्धी अर्हताओं की कोई पाबन्दी नहीं है।

कारीगरों की कोटियों के सम्बन्ध में 110-180 ग्रेड में कुशल कारीगरों के 50 प्रतिशत पद निचले दर्जों के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। कारखानों के बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों में, जहां अर्द्ध कुशल संवर्ग नहीं है, उपयुक्त सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि कर्मचारी ट्रेड टेस्ट पास कर सकें।

इस प्रकार रेलों पर चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर पहले से ही मौजूद हैं।

सर्कस दलों के लिये रेल सम्बन्धी रियायतें

6027. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्कस फेडरेशन की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सर्कस दलों के लिये फिर रेल सम्बन्धी रियायतें दी जाने लगी हैं ;

(ख) इन रियायतों के पहले हटाये जाने के क्या कारण थे और किसने ऐसा करने के लिए मंत्रालय को सलाह दी थी ; और

(ग) क्या वे कारण, जिनकी वजह से ये रियायतें बन्द करने का निर्णय किया गया था, अब विद्यमान नहीं हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इण्डियन सर्कस फेडरेशन के अभ्यावेदन पर सर्कस दलों के सामान और उपस्कर, जिनमें जानवर शामिल हैं, के "परिवहन" के लिए एक रियायती दर फिर से चालू की गयी। अतीत में लागू दर की तुलना में इस दर में रियायत के तत्व में थोड़ी कमी है। सर्कस पार्टियों के लिए रियायत की जिन कुछ मदों को फिर से चालू किया गया है वह संसद् में की गयी मांग के अनुसार ही है।

(ख) इस मंत्रालय ने अपने प्रस्ताव पर और कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए रियायत को समाप्त करने का विनिश्चय किया। यह महसूस किया गया था कि चूंकि ऐसी रियायतें अन्य व्यवसायों वाले स्त्री-पुरुषों को नहीं दी जातीं, इसलिए मनोरंजन करने वाली व्यावसायिक कम्पनियों के लिए ये रियायतें जारी रखने का कोई कारण नहीं है।

(ग) कारण अभी मौजूद हैं, परन्तु विनिश्चय में परिवर्तन का निर्णय कुछ तो संसद् की इच्छाओं को देखते हुए और कुछ इण्डियन सर्कस फेडरेशन द्वारा बतायी गयी कठिनाइयों को देखते हुए किया गया है।

प्रेस इनफारमेशन ब्यूरो के अधिकारी की अल्जीरिया की यात्रा

6028. **श्री श्रीधरन :**
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय की आपत्ति के बावजूद प्रेस इनफारमेशन ब्यूरो के एक जूनियर अफसर को अल्जीरिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) उसको क्या कर्तव्य सौंपे गये थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो के एक अधिकारी को अल्जीयर्स सम्मेलन के लिये भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के एक सदस्य के रूप में सक्षम मन्जूरी के अन्तर्गत भेजा गया था ।

(ग) उसे प्रेस अभिकरणों से सम्पर्क बनाये रखने को कहा गया था ताकि भारत के दृष्टिकोण को और सम्मेलन की कार्यवाही में भारत की भूमिका को प्रचारित किया जा सके ।

Introduction of Daily Janta Train Between Hardwar and Varanasi

6029. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a large number of pilgrims travel between Hardwar and Varanasi and they experience great inconvenience generally as the accommodation is not sufficient for them in the trains running at present ;

(b) if so, whether Government propose to introduce a daily Janta train between Hardwar and Varanasi in view of the pilgrims difficulties ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) It is not a fact that the passengers between Hardwar and Varanasi experience inconvenience on account of inadequacy of accommodation in the existing train services.

(b) Does not arise.

(c) The existing train services on this route are considered adequate for the present volume and pattern of traffic.

रूरकेला इस्पात कारखाना

6030. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रम में मजदूरों तथा अन्य संचालक कर्मचारीगणों की संख्या में वृद्धि करना अपेक्षित है ; और

(ख) यदि हां, तो मजदूरों तथा संचालक कर्मचारीगण की संख्या कितनी बढ़ाई जाएगी और उनकी मजूरी पर प्रतिमास कितना व्यय होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). राउरकेला इस्पात कारखाने की 1.00 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की वर्तमान क्षमता का 1.8 मिलियन टन इस्पात पिण्ड तक विस्तार करने में अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्तमान अनुमानों के अनुसार लगभग 6000 और कर्मचारी रखे जाएंगे और उनके वेतन पर प्रतिमास लगभग 20 लाख रुपये खर्च आयेगा।

ऊनी गलीचों का निर्माण

6031. **श्री दीवीकन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी उद्योग ने हमारे ऊनी गलीचों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से ऊनी गलीचे बनाने के लिए मशीनों का आयात करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) भारत में ऊनी उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) मशीन-निर्मित गलीचों के उत्पादन के लिए कुछ शर्तों के अधीन मशीनों का आयात करने तथा औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए 13 कारखानों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आशय-पत्र/लाइसेंस पहले ही दिये जा चुके हैं।

(ग) सरकार द्वारा निम्नोक्त कदम उठाये गये हैं :

(1) उद्योग के वर्स्टेड क्षेत्र द्वारा आवश्यक कच्ची ऊन के आयात के लिए विदेशी मुद्रा आवंटन को 1965-66 में 2 करोड़ रु० से बढ़ाकर 1966-67 में 12 करोड़ रु० कर दिया गया। आवंटन का यही स्तर अक्तूबर 1967 से मार्च 1968 तक के अर्द्ध-वर्ष के लिए रखा गया है।

(2) पंजीकृत निर्यातकों की नीति के अनुसार निर्माता-निर्यातकों को उनके द्वारा निर्यातित ऊनी वस्त्रों तथा होजरी के सम्बन्ध में आयात पुनर्भरण मिल सकता है।

(3) मशीनों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(4) ऊनी माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वदेशी ऊन के अधिक प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(5) ऊन की किस्म तथा उत्पादन सुधारने पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

ठगों के गिरोह द्वारा रेलवे को धोखादेही

6032. **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रवि राय :
श्री दुरायरासु :
श्री मयाबन :
श्री सुब्रावेलू :
श्री दीवीकन :
श्री कमलनाथन् :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ठगों का एक गिरोह, जिसके द्वारा भारतीय रेलों को 50 लाख रुपये से अधिक राशि का धोखा दिये जाने का आरोप है, गिरफ्तार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसमें कुछ रेलवे कर्मचारियों का भी हाथ है ; और

(घ) यह गिरोह किस प्रकार धोखा देने का काम करता था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जी नहीं। सही स्थिति यह है कि दो परेषण सीतामढ़ी से चितपुर के लिए बुक किये गये थे, लेकिन धोखाधड़ी से उनके मुहर कार्ड बदल कर उन्हें मानपुर भेज दिया गया और जाली रेलवे रसीद पेश किये जाने पर उनकी डिलीवरी दे दी गयी। इस सम्बन्ध में सरकारी रेलवे पुलिस, गया द्वारा दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। यह मामला 50,000 रु० का है न कि 50,00,000 रु० का।

(ग) इसमें रेल कर्मचारियों की सांठ-गांठ होने का संदेह है।

(घ) सरकारी रेलवे पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Export of Shoes by S. T. C.

6033. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Mayavan :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4493 on the 19th March, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that many shoe factories of Agra which were producing shoes for exports to U. S. S. R. have closed down ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir. S. T. C., Footwear Centre in Agra has released supply orders for procurement of shoes to the footwear factories there. It is, therefore, for the factories to start production.

(b) Does not arise.

इंजीनियरों में बेकारी

6034. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से विशेषज्ञों के आने के कारण इन्जीनियरों में बेकारी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन कार्यों के लिये भी, जो हमारे इन्जीनियर कर सकते हैं, विदेशी लोग बुलाये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अपनी नीति में परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार विदेशी तकनीशियनों को केवल उन्हीं मामलों में सेवा में रखने के लिए अनुमति देती है जिनमें अपेक्षित योग्यता और अनुभव प्राप्त तकनीशियन देश में उपलब्ध नहीं होते हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र इस्पात निगम

6035. **श्री जनार्दनन :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र इस्पात निगम, विशाखापत्तनम का नाम काली सूची में दर्ज किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका नाम कितनी बार काली सूची में दर्ज किया गया है और प्रत्येक मामले में ऐसा करने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या काली सूची में दर्ज करने के आदेश बाद में रद्द कर दिये गये थे ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ङ) क्या काली सूची में दर्ज रहने की अवधि में इस कम्पनी को निर्यात के लिये 10 लाख रुपये दिये गये थे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). मेसर्स आन्ध्र स्टील कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता को, जिसकी एक शाखा विशाखापत्तनम् में है, 22 जनवरी, 1965 से काली सूची में रखा गया था क्योंकि परमावश्यकता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन-पत्र के बारे में फर्म के विरुद्ध कुछ आरोप थे । आरोपों की जांच की गई परन्तु आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके, अतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करने के पश्चात् 1 मार्च, 1967 से काली सूची में रखने के आदेश रद्द कर दिए गए ।

वित्त-वर्ष 1965-66 में फर्म को निर्यात के लिए 0.48 लाख रुपये की राज सहायता दी गई और वित्त-वर्ष 1966-67 में 10.17 लाख रुपये राज सहायता के रूप में दिए गए ।

भारतीय चाय के निर्यात में कमी

6036. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष भारतीय चाय का निर्यात बहुत गिर गया था ;

(ख) गत चार वर्षों में प्रति वर्ष चाय का कितना निर्यात किया गया था ;

(ग) क्या भारत को व्यापार में श्रीलंका से सख्त प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य का चाय का बाजार भारत के हाथ से निकल कर श्रीलंका के हाथ में चला गया है ; और

(ङ) भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) गत चार वर्षों में प्रतिवर्ष निर्यात की गयी चाय की मात्रा निम्नलिखित है :

वर्ष	मात्रा करोड़ किग्रा में
1964	21.05
1965	19.94
1966	17.92
1967	21.37 (अनन्तिम)

(ग) केवल श्रीलंका से ही नहीं अपितु अन्य उत्पादक देशों से भी ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) चाय की मांग को परम्परागत बाजारों में बढ़ाने तथा संभाव्य बाजारों में पैदा करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। निर्यात शुल्क में कटौती के रूप में माली रियायतें तथा विदेशी बाजारों में संवर्द्धनात्मक उपायों पर करों में रियायतें दी जा रही हैं ।

Export of Wool

6037. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of wool has been declining rapidly and if so, the causes thereof ;

(b) whether wool is imported as well ;

(c) If so, the quantity of wool imported annually and the reasons for which wool is imported inspite of its being available in ample quantity in the country; and

(d) the measures being taken by Government to promote the export of wool?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes, Sir. The decline is largely due to the reduced offtake of carpet wool and also the availability of comparable wool from New Zealand, Argentina and other countries at cheaper prices.

(b) and (c). During 1966-67, 11.34 million kgs. of raw wool of Merino type was imported for the worsted sector of the woollen industry. Only a small percentage of indigenous wool is suitable for spinning worsted yarn required for fabrics and hosiery.

(d) The following measures have been taken to promote exports of raw wool:

(i) The export duty on raw wool was reduced from 20% **ad valorem** to 10% **ad valorem.**

(ii) Greater attention is paid to improving the quality and yield of wool.

(iii) Grading of wool for purposes of export.

(iv) The State Trading Corporation has been asked to explore the possibilities of exporting wool to free currency areas.

तारकोल के ढोलों का निर्माण

6038. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30/35 गैलन क्षमता वाले तारकोल के ढोल बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्त कारखानों के नाम क्या हैं और उनकी क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या सभी कारखानों को उनके लाइसेंस की क्षमता के अनुसार कच्चा माल दिया जा रहा है ;

(ग) क्या कोई लाइसेंस प्राप्त कारखाना बेकार पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस कारखाने का नाम क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क)

(1) मेसर्स ड्रम बैरेल कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	9,00,000 ड्रम प्रति वर्ष
(2) मेसर्स भारत बैरेल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई	7,84,000 ड्रम प्रति वर्ष
(3) मेसर्स हिन्द गल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लि०, कलकत्ता	200 मी० टन प्रति वर्ष

(ख) बिटुमन ड्रम चादरें तेल शोधक कारखानों तथा तेल कम्पनियों को संयंत्रों की निर्माण क्षमता के आधार पर न दी जाकर अपितु उनकी आवश्यकता और उनके द्वारा तैयार किये गये बिटुमन को बन्द करने के लिये उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) और (घ). लाइसेंस प्राप्त कोई भी एकक पूरी तरह से बेकार नहीं है।

स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी

6039. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 40/45 गैलन तेल के ढोल तथा 4/5 गैलन के ढोल बनाने के लिये स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई के कारखाने पहले सेवरी में थे ;

(ख) क्या जनवरी, 1959 में किसी समय उन्होंने स्टैन्डर्ड वैक्यूम रिफाइनरी कम्पनी के साथ तारकोल के ढोल बनाने के लिए उसकी तेल के ढोल बनाने की समस्त क्षमता का उपयोग करने के बारे में एक निःशर्त सौदा किया था ;

(ग) क्या यह सच है कि उस सौदे के अनुसार उन्होंने अपने तेल के ढोल बनाने के कारखाने को ट्राम्बे में स्थानान्तरित कर दिया और उनके लिए तारकोल के ढोलों का निर्माण आरम्भ कर दिया ; और

(घ) क्या यह सच है कि उन्होंने उस कारखाने में तेल के ढोलों का निर्माण नहीं किया जब वे तारकोल के ढोल बना रहे थे जिसके लिए कच्चा माल भी स्टैण्डर्ड वैक्यूम रिफाइनरी कम्पनी द्वारा सप्लाई किया जा रहा था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) मेसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने सेवरी स्थित कारखाने को ट्राम्बे में स्थानान्तरित करने के अपने आवेदन में बिटुमन ड्रम बनाने की अलग से क्षमता स्थापित करने की अनुमति भी मांगी थी ताकि वह मेसर्स स्टैन्डर्ड वेक्यूम रिफाइनरी कम्पनी लिमिटेड से हुए बिटुमन ड्रमों के सम्भरण के करार की शर्तों को पूरा कर सकें।

(ग) कम्पनी ने अपने तेल के ड्रम बनाने के संयंत्र को स्थानान्तरित कर दिया है और वह ट्राम्बे में बिटुमन ड्रमों का उत्पादन अतिरिक्त खरीदी मशीनों से कर रही है।

(घ) ट्राम्बे में फर्म ने बिटुमन के ड्रमों का उत्पादन मेसर्स स्टैंडर्ड वेक्यूम रिफाइनरी कम्पनी लिमिटेड द्वारा दिये गए कच्चे माल से किया है। बाडी शीटें तथा अन्तिम शीटों के लिए इस्पात के स्टाक में कथित असंतुलन के कारण उन्होंने कुछ समय के लिए तेल के बैरल बनाने का काम स्थगित कर दिया था।

"पी० एस० बनारस" स्टीमर जहाज की नीलामी

6040. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टीमर जहाज "पी० एस० बनारस" कुछ वर्ष पहले नीलामी द्वारा बेचा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी नीलामी किस वर्ष की गई थी तथा उसमें कितना लाभ हुआ ;

(ग) नीलामी में कितने व्यक्तियों ने बोली लगाई ;

(घ) क्या स्टीमर अब भी चल रहा है अथवा उसकी मरम्मत की जा रही है ;

(ङ) नीलामी से पहले स्टीमर से क्या काम लिया जाता था ;

(च) क्या यह लाभ में चल रहा था ; और

(छ) यदि हां, तो वरारी घाट पर इसने यात्रियों को लाने ले-जाने के साथ टग का भी काम किया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं । यह स्टीमर 1656 में खुले टेन्डर के आधार पर बेचा गया था ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

(घ) रेलों को इसकी जानकारी नहीं है ।

(ङ) स्टीमर का इस्तेमाल यात्रियों को ढोने के लिए किया जाता था ।

(च) इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अलग-अलग स्टीमरों के अलग-अलग लेखे नहीं रखे जाते ।

(छ) इस बारे में भी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Steel Plants

6041. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of quarters constructed by Government for the employees and their families of the Bhilai, Rourkela and Durgapur Steel Plants during the last three years and the number of employees who have not been allotted quarters so far ;

(b) the expenditure incurred on the medical facilities and educational institutions provided for them during the above period ; and

(c) whether it is a fact that the employees of the said three Plants have made a complaint that full medical facilities have not been provided to them during the last three years and if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Advertisement of Posts by Central Railway

6042. **Shri Ram Charan :**
Shri Lakhan Lal Kapur :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Railway had advertised some posts under Category No. 19 vide their Employment notice No. 2-64-65;

(b) if so, the number of persons selected under the said category; and

(c) the number out of them who have been appointed so far and the time by which the rest would be appointed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

भारतीय रेलों की एक विभागीय परीक्षा—परिशिष्ट-2-क

6043. **श्री राम चरण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों की विभागीय परीक्षा के परिशिष्ट-2-क को पास करने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को दस प्रतिशत अंकों की रियायत दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रियायत के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों को रेलवेवार लाभ पहुंचा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Small Scale Industries Service Institutes

6044. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of small-scale industries service institute, branch institutes and extension and production centres opened by the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi upto the 15th March, 1968 in Uttar Pradesh, Madras and West Bengal, separately ; and

(b) the amount spent on the above centres in the above States in 1966-67 separately ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-708/68]**

Assistant Directors of Exhibitions

6045. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of existing posts of Assistant Directors of Exhibitions ;

(b) the number of those posts out of them which are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(c) the number of reserved posts on which persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are actually working ;

(d) the number out of the above persons who have been confirmed ; and

(e) if the reply to part (d) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) 10.

(b) and (c). According to the Recruitment Rules for the posts of Assistant Director (Exhibitions) in the Ministry of Commerce, two-thirds of the posts are filled by direct recruitment and 1/3rd by promotion. As such, the reservation orders would apply only to the vacancies meant for direct recruits. For the purpose of maintaining the Communal Roster, the posts of Assistant Director (Exhibitions) have been grouped with other similar Class I posts in the Ministry. Therefore, there is no separate reservation in the grade of Assistant Director (Exhibitions), but the appointments in the group as a whole are made according to the prescribed roster.

At present there is one officer belonging to Scheduled Castes who is working as Assistant Director (Exhibitions) in the Ministry.

(d) and (e) . Out of 10 posts of Assistant Director (Exhibitions), 6 are permanent ; and 4 of these are held substantively. So far, no member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes has been confirmed. The question of making confirmations against the remaining two permanent posts of Assistant Director (Exhibitions) is under consideration.

Churk-Katni Railway Line

6046. **Shri Shashi Bhushan Bajpai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the railway line from Churk to Katni is being constructed by the Northern Railway ;

(b) whether the Eastern Railway was not in a position to construct it ;

(c) whether the said Railway line would be handed over to the Southern Railway after its completion ;

(d) whether the Central Railway had also assisted in the construction of this railway line ; and

(e) the total amount of expenditure likely to be incurred on its construction ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b) . No direct rail link between Churk and Katni is being constructed. However, the following two railway lines which will link the two places via Obra, are under construction :—

(i) a new BG line from Obra (a station on the newly constructed Robertsganj-Garhwa Road line) to Morwa (Singrauli) ;

(ii) a new BG line from Morwa (Singrauli) to Katni.

Item (i) is entirely being constructed by Northern Railway, whereas item (ii) partly by Northern and partly by Central Railway. The construction work was allotted to these railways on Administrative reasons.

(c) No.

(d) Yes.

(e) Rs. 35·10 crores

Singroli Coal Mines

6047. **Shri Shashi Bhushan Bajpai :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether any survey of the Singroli Coal mines was conducted by the National Coal Development Corporation ;

(b) whether it is proposed to hand over these coal mines to certain private companies ; and

(c) if so, the reasons therefor and the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) There is no proposal to hand over the coal mines of the Corporation in the Singrauli Coalfield to any private company.

(c) Does not arise.

Singroli Coal Mines

6048. **Shri Shashi Bhushan Bajpai :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the grade of coal being extracted from Singroli Coal mines ; and

(b) the details of first, second and final surveys ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) Grade III and inferior coal is being extracted from Singrauli II mine ;

(b) In the course of exploratory investigations and prospecting conducted by the Geological Survey of India in March, 1958, the Jhingurda Top Seam (Singrauli II) was discovered.

Secondly, as a result of drilling operations conducted by the Indian Bureau of Mines from March'61 to March 1964, in an area of about 11,647 acres in Singrauli I, reserves of about 1,737 million tonnes of coal were proved in Purewa and Turra seams.

Thirdly, as a result of detailed drilling operations conducted by the National Coal Development Corporation from May'64 to July'65 in Jhingurda area of 11,962 acres, reserves of 78 million tonnes of coal in Jhingurda Top Seam and 26·4 million tonnes in Jhingurda Bottom Seams were proved. Further investigations have been in progress on the dip side of the existing mine.

Industrial Development in Delhi

6049. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of factories established in Delhi with capital investment of more than Rs. 2 lakhs during the last three years :

(b) whether it is a fact that the industrial development in Delhi has been less than the target fixed for it ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) the steps being taken by Government to remove the difficulties in the way of setting up factories in Delhi ; and

(e) the details of the factories which are proposed to be set up in Delhi in the private and the public sectors during the next two years ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Kidnapping of Passenger Travelling by Moradabad-Chandausi Passenger Train

6050. **Shri Shri Chand Goel :**
Shri Sharda Nand :
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the first week of March, 1968, a passenger travelling by Moradabad-Chandausi passenger train was kidnapped between Macharya and Kundarklir stations ;

(b) whether the kidnapped person has since been traced; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Government Railway Police Moradabad has registered a case u/s 392/387 I.P.C. and one accused has been arrested who has confessed his complicity in this crime. Efforts are being made to apprehend other culprits.

युद्ध में काम आने वाले महत्वपूर्ण कच्चे माल का निर्यात

6051. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत युद्ध के काम आने वाले कच्चे माल का विदेशों को निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा वह किन-किन देशों को निर्यात करता है ; और

(ग) इससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). युद्ध में काम आने वाले माल की कोई पृथक सूची नहीं रखी जाती, कुछ निर्यातित वस्तुओं का असैनिक तथा सैनिक दोनों प्रकार से उपयोग हो सकता है। परन्तु यह कहा जा सकता है कि ऐसी किसी भी वस्तु का, जिसको प्रत्यक्षत: युद्ध के काम आने वाली वस्तु समझा जा सके निर्यात नहीं किया जा रहा है।

भागलपुर-मांडरहिल रेलवे लाइन

6052. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भागलपुर-मांडरहिल रेलवे लाइन को बंद करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस लाइन के बंद हो जाने के बाद यात्रियों की सुविधा के लिये यदि कोई व्यवस्था की गई है तो क्या ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है, लेकिन मामला विचाराधीन है।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि यह लाइन घाटे में चल रही है। इसके अलावा इस क्षेत्र में सड़क परिवहन की काफी व्यवस्था है।

(ग) कोई निर्णय करने से पहले इस पहलू पर अच्छी तरह विचार किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक समवाय

6053. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में पश्चिमी बंगाल में कितने नये उद्योग स्थापित किये गए हैं और उनमें कितनी पूंजी लगाई गई है और उनके प्रबन्ध निदेशक कौन-कौन हैं ;

(ख) इसी अवधि में किन-किन औद्योगिक समवायों ने दिवाला निकाला है और उनके दिवाला निकालने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल से किन्हीं उद्योगों को अन्य स्थानों पर ले जाया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या नये, हस्तांतरित अथवा दिवाला निकालने वाले उद्योगों ने सरकार से ऋण लिया था और यदि हां, तो कितना-कितना ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य

6054. **श्री सत्तर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होने के पश्चात् अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांकों में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रपति का शासन उद्घोषित होने के पश्चात् भारी मात्रा में नकली औषधियों और अपमिश्रित खाद्य पदार्थों को पकड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) पश्चिम बंगाल में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने और खाद्य-पदार्थों एवं औषधियों में मिलावट को रोकने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होने के पूर्व तथा पश्चात् अत्यावश्यक वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य दिये गये हैं (विवरण 1)। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-709/68]

(ख) और (ग). हाल ही में औषधि-नियंत्रक के निदेशालय के अधिकारियों द्वारा कुछ भवनों की तलाशी ली गई और कृत्रिम औषधि निर्माण के दो मामलों का पता लगा। ब्योरे संलग्न विवरण (अंग्रेजी में) दिये गये हैं (विवरण 2)। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-709/68]

(घ) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखने तथा अपमिश्रण आदि को रोकने के उपायों का उल्लेख है (विवरण 3)। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-709/68]

लक्कीसराय स्टेशन पर दुर्घटना

6055. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 फरवरी, 1968 को लक्कीसराय स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना में हताहत लोगों को कितनी राशि दी गई है ;

(ख) क्या दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जीवन और सम्पत्ति की हानि के लिये उन्हें कुछ मुआवजा देने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो मुआवजे का स्वरूप क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 7,900 रुपये ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

चाय पर निर्यात शुल्क

6056. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय पर निर्यात शुल्क में कमी किये जाने के फलस्वरूप सरकार को राजस्व में प्रतिवर्ष कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ख) इससे उद्योग को क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चाय पर निर्यात शुल्क में कमी किये जाने के फलस्वरूप पूरे वर्ष में वर्तमान निर्यात स्तर पर 1.31 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होने का अनुमान है। यह हानि केवल उसी स्थिति में होगी यदि निर्यात शुल्क में कमी किये जाने के बावजूद भारत की चाय के निर्यात में वृद्धि न हो पाये ।

(ख) चाय पर निर्यात शुल्क में हाल के संशोधन से बढ़िया किस्मों की चाय के निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलने की आशा है।

पूर्व रेलवे में अराजकता की स्थिति को रोकने का अभियान

6057. **श्री रवि राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 मार्च, 1968 को "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" कलकत्ता में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुलिस तथा रेलवे अधिकारियों ने पूर्व रेलवे में विधिविरुद्ध कार्यवाहियां, बिना टिकट यात्रा, तस्करी तथा रेलवे सम्मति की चोरी रोकने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या इसे रेलवे के नियमित कार्यक्रम का रूप दिया जा रहा है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) फरवरी/मार्च, 1968 में हावड़ा, सियालदह मण्डलों पर की गयी 108 जांचों के दौरान बिना टिकट यात्रा करते हुए 12,146 यात्री पकड़े गये और 44,320 रुपये की रकम वसूल की गयी । कई अपराधी भी गिरफ्तार किये गये और चुरायी गयी रेल सम्पत्ति बरामद की गयी । तस्करी के विरुद्ध चलाये गये अभियान के परिणामस्वरूप 49796½ किलोग्राम चावल पकड़ा गया और खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के लिये 144 व्यक्तियों के विरुद्ध 137 मुकदमे चलाये गये ।

(ग) बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध अधिक बार और कड़ी जांच की जा रही है और सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता से तथा रेलवे सुरक्षा दल का उपयोग करके जांच का काम जारी रखा जायेगा। अव्यवस्था के विरुद्ध उचित कार्रवाई करना राज्य सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी है। चूंकि इस मामले में रेलों का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए जब कभी राज्य पुलिस द्वारा ऐसे अभियान चलाये जाते हैं, रेलें उन्हें आवश्यक सहायता और सहगोग देती हैं।

रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी कुंजरू समिति

6058. **श्री रवि राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी कुंजरू समिति ने अस्थायी अधिकारियों के कार्य की काफी प्रशंसा की है और उनके बारे में कुछ सुझाव दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अस्थायी अधिकारियों के बारे में रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी कुंजरू समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ;

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). रेलवे दुर्घटना समिति ने अपनी रिपोर्ट के भाग II के पैरा 109 में यह विचार प्रकट किये थे कि :

"जहां अस्थायी रूप से भर्ती किये गये प्रथम श्रेणी के ऐसे अधिकारी उपलब्ध हों जिनकी सेवा की अवधि अधिक हो, उन्हें प्रवर वेतनमान में पदोन्नति के लिए प्रथम श्रेणी के अवर वेतनमान के उन स्थायी अधिकारियों की तुलना में तरजीह दी जानी चाहिए जिन्हें कार्यकारी पदों पर अपर्याप्त अनुभव हो।"

(ग) उपर्युक्त विचारों को नोट कर लिया गया है और वे सरकार के ध्यान में है।

मेसर्स ओवल इंडस्ट्रीज के साथ गंधक का सौदा

6059. **श्री रवि राय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 के प्रारम्भिक भाग में यह निर्णय किया गया था कि मेसर्स ओवल इंडस्ट्रीज गंधक के सौदे के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम को हरजाने के रूप में 75,000 रुपये और वास्तविक व्यय के रूप में 6,614. 56 रूपये दे ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम को कितनी धनराशि दीं जा चुकी है तथा उस कम्पनी से शेष धनराशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं। राज्य व्यापार निगम तथा ओवल इंडस्ट्रीज के बीच बातचीत द्वारा जो समझौता हुआ उसके अनुसार ओवल इंडस्ट्रीज द्वारा राज्य व्यापार निगम को उसके द्वारा किये गये व्यर्थ खर्च की पूरी राशि अथवा

75,000 रुपये, जो भी अधिक हो, दिये जाने थे। चूंकि व्यर्थ किया गया खर्च केवल 6,614.56 रुपये था अत: ओवल इंडस्ट्रीज को 75,000 रुपये देने थे।

(ख) राज्य व्यापार निगम को अब तक 75,000 रुपये की पूरी राशि भेजी जा चुकी है।

बंगलौर में हथकरघा उद्योग सम्मेलन

6060. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० गोपालन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में हाल में एक हथकरघा उद्योग सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को संकट से उबारने के लिये सम्मेलन में क्या प्रस्ताव किये गये थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : (क) और (ख). 17 फरवरी, 1968 को हुए सम्मेलन में, जिसमें उप-प्रधान मंत्री तथा दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों ने भाग लिया था, निम्नलिखित प्रमुख प्रस्तावों पर विचार किया गया :

(1) हथकरघा वस्त्र पर छूट योजना;

(2) धागे पर उत्पादन शुल्क;

(3) हथकरघा कपड़े पर बिक्री कर;

(4) ऋण सुविधाओं के लिये रिजर्व बैंक की कार्यपद्धतियों का सरलीकरण;

(5) उद्योग की सामान्य दशा तथा शक्तिचालित करघों का प्रभाव; तथा

(6) अधिक सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिये सहायता।

नामखाना (पूर्व रेलवे) में टिकटघर

6061. **श्री भगवान दास :** **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर मेले में जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये सागर द्वीप के निकट नामखाना (पूर्व रेलवे) में प्रति वर्ष एक उपस्थायी रेल टिकटघर खोला जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा टिकटघर इस वर्ष भी खोला गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सागर मेला में जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सन् 1965, 1966 और 1967 में नामखाना में एक अस्थायी टिकटघर खोला गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) टिकटघर का उपयोग कम किये जाने के कारण ।

उत्तर रेलवे में यातायात शिक्षिक्षु

6062. **श्री नम्बियार :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री वि० कु० मोडक :

क्या रेलवे मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 और 20 फरवरी, 1968 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 5470 और 1379 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच यातायात शिक्षिक्षुओं की मांगों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). उचित प्राधिकारियों द्वारा मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

Industries set up in Madhya Pradesh

6063. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of new factories set up in Madhya Pradesh during 1966-67 and the extent to which they have been successful ; and

(b) the amount provided by Government during the above period ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The number of new units set up during 1966-67 in Madhya Pradesh was 1,853. These units are stated to be working smoothly.

(b) Rs. 35.33 lakhs has been given by the Central Government as loan and Rs. 7,63.209 by the State Government during 1966-67.

Handloom Industry in Madhya Pradesh

6064. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of yarn consumed by the Handloom Industry in Madhya Pradesh during 1966-67 ; and

(b) the amount provided to each Weavers Co-operative society in the form of loan and grants during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 10.8 lakh Kilograms.

(b) The Central Government provides assistance in the form of loans and grants to the State Government and the latter likewise gives assistance to Weavers' Co-operative Societies. The Central Government have no information on the amount of loans and grants given to each Weavers' Co-operative Society.

Textile Mills in Madhya Pradesh

6065. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of textile mills in Madhya Pradesh and the places where they are situated ;

(b) the number of regular and casual workers employed therein ;

(c) the particulars of those mills which showed loss at the end of the year and the number of mills which are closed at present ; and

(d) the action taken by Government to help these mills ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). A statement showing the number of mills at various places in Madhya Pradesh together with the number of workers on roll as on 1-12-67 is attached. **[Placed in Library. See No. LT-710/68]**

(c) Only one mill is lying closed. Information is being collected in regard to the mill/(s) which showed loss at the end of the year and will be placed on the Table of the House.

(d) Such cotton textile mills as attract the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act are investigated under the Act. Depending upon the report of investigation, some mills which, with the injection of limited finances can be made viable within a reasonable time are placed under Authorised Controllers appointed under the above mentioned Act. Financial assistance is also given in suitable cases in consultation with the State Government concerned. When a mill happens to be so old that it would not be worthwhile rehabilitating it, action is taken to scrap it.

In Madhya Pradesh, at present 4 textile mills are being managed by Government under the above mentioned Act.

Cottage Industry in Madhya Pradesh

6066. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the prospects of further development of cottage industries in Madhya Pradesh have been explored ; and

(b) the amount of assistance given to Madhya Pradesh Government during the last five years for establishing cottage industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the amount of assistance given to Madhya Pradesh Government during the last five years for establishing cottage industries is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-710/68]**

निर्यात

6067. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में अब तक कुल कितना निर्यात हुआ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितना आयात हुआ; और

(ग) पाकिस्तान और चीन की प्रतिस्पर्धा के कारण हमारी निर्यात की किन-किन वस्तुओं पर प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). वर्ष 1966-67 और 1967-68 (जनवरी, 1968 तक) में भारत का कुल आयात तथा निर्यात (पुनः निर्यात सहित) नीचे दिया जाता है ।

मूल्य करोड़ रुपये में

	1966-67	1967-68 (जनवरी, 1968 तक)
आयात	1902	1622
निर्यात (पुनः निर्यात सहित)	1095	1008

(ग) दो प्रमुख मदों, अर्थात् पटसन के माल तथा सूती कपड़े के थानों के निर्यात पर क्रमशः पाकिस्तान तथा चीन से प्रतिस्पर्द्धा के कारण प्रभाव पड़ा है ।

ब्रिटेन के व्यापार-प्रबन्धकों की भारत यात्रा

6068. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के 14 युवा व्यापार-प्रबन्धकों का एक दल इस समय भारत में सद्भावना यात्रा पर आया हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनके विभिन्न वाणिज्य मंडलों में जाने का ब्योरा क्या है और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के लिये क्या सुझाव दिये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). रायल कामनवेल्थ सोसायटी, लन्दन द्वारा प्रायोजित 14 व्यक्तियों के एक दल ने मार्च, 1968 में भारत की यात्रा की । यह एक मिश्रित दल था जिसमें जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे बैंकिंग, व्यवसाय, चिकित्सा, शिक्षण आदि से सम्बन्धित व्यक्ति थे । उनकी यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रमण्डल को ठीक से समझने का वातावरण पैदा करना था । प्रतिनिधि-मण्डल की यात्रा किसी व्यावसायिक अथवा

वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये नहीं थी । भारत में प्रतिनिधि-मंडल का आतिथ्य एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स और पंजाब-हरियाना-दिल्ली के वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों ने किया था । जहां तक हमें ज्ञात है प्रतिनिधिमण्डल ने ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के लिये सुझाव दिये गये हों ।

Supply of De-Luxe Coaches to Burma

6069. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an order for Indian de-luxe coaches was received from Burma in March, 1966 ;

(b) if so, the number of coaches exported during the last two years ; and

(c) the amount of foreign exchange earned thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) . The export order is for 33 coaches valued at Rs. 59·33 lakhs (pre-de-valuation) of which 4 coaches have been shipped in February, 1968. It is expected that the order will be executed fully in course of 1968-69.

Renaming of Mughalsarai Station as "Deendayal Nagar"

6070. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation that the Mughalsarai station be named as "Deendayal Nagar" ; and

(b) if so, the steps being taken in this direction ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) In accordance with the procedure laid down by the Government of India, Ministry of Home Affairs, any proposal for a change in the name of a railway station has to be referred by the State Government concerned, with all the necessary information to the Ministry of Home Affairs, Government of India and their concurrence obtained before any change is made. The representationists have been informed to take up the matter with the State Government concerned.

Bailadila Iron Ore Plant

6071. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the stage of the construction of crushing, screening and loading sections of the plant in Bailadila town in Madhya Pradesh ;

(b) the quantity of products of the said iron ore plant exported during the current year and whether it is in accordance with the export target and if not, the reasons therefor ; and

(c) the impact of the devaluation of rupee on the export price of the products of this factory ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) Crushing, Screening and Wagon Loading sections of the plant are almost complete and sectional trial runs are under way. Power from Madhya Pradesh Electricity Board having been switched on 18th March, 1968, the integrated trial runs would be undertaken shortly.

(b) Against the contracted quantity of 8 lakh tonnes of float ore from Bailadila to Japan by 31.3.1968, 3.73 lakh tonnes of float ore has been shipped to Japan upto 22.3.1968. The Minerals & Metals Trading Corporation Ltd., have, however, concluded another contract with the Japan Steel, Mills for the supply of balance quantity of float ore by 31st August, 1968. The reasons for the shortfall were as below :—

(i) Late supply of power by the Madhya Pradesh State Electricity Board.

(ii) Late arrival of some machinery.

(iii) Inability of the Railways to gear up the railway transportation system due to land-slides etc. in the initial stages.

(c) The Minerals and Metals Trading Corporation's contract with Japan Steel Mills for supply of float ore was entered into after devaluation.

बम्बई-दिल्ली तथा बम्बई-हावड़ा मार्गों पर रेल गाड़ियों का चलाया जाना

6072. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बम्बई-दिल्ली तथा बम्बई-हावड़ा मार्गों पर नागपुर में से होते हुए अतिरिक्त रेलगाड़ियाँ चालू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पश्चिम रेलवे के मार्ग से दिल्ली-बम्बई खण्ड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। जबकि मध्य रेलवे के मार्ग से बम्बई और दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने की जरूरत समझी जाती है लेकिन इस मार्ग पर स्थित कुछ खण्डों पर लाइन क्षमता की कमी, दिल्ली/नयी दिल्ली और बम्बई वी० टी० में अपेक्षित टर्मिनल सुविधाओं के उपलब्ध न होने और सवारी डिब्बों की कमी के कारण एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना संभव नहीं हो सका है। फिर भी इस मार्ग पर चलने वाली डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में 1.2.68 से चार अतिरिक्त बोगियां लगा दी गयी हैं। फिलहाल नागपुर के रास्ते बम्बई और हावड़ा के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) दिल्ली और बम्बई के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने के बारे में अभी से कोई निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

Exemption of Sugar-Cane From Increase in Railway Freight

6073. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Indian Sugar Mills Association have made a demand for the exemption of sugar-cane from the proposed increase in the Railway freight ;

(b) if so, whether Government propose to exempt sugar-cane from the said increase keeping in view the higher target of sugar production and wider interests of the sugar-cane growers ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) No.

(c) The normal tariff rate for sugar-cane is itself very low.

Further a large number of special reduced rates have been quoted for sugar-cane booked to sugar mills.

कलकत्ता मेल और हावड़ा एक्सप्रेस में डीजल इन्जनों का लगाया जाना

6074. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता और बम्बई के बीच बरास्ता नागपुर चलने वाली कलकत्ता मेल और हावड़ा एक्सप्रेस में डीजल इंजन लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कथित गाडियों में डीजल इंजन कब लगाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Exports of Leather Goods

6075. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government had formulated a policy to export leather goods in place of raw leather and tanned leather in order to increase employment opportunities in the country as also to fetch more foreign exchange ;

(b) the extent to which the exports of leather goods has increased and the exports of leather have diminished as a result thereof ; and

(c) whether it is a fact that 20 percent of the leather in the world is produced in India which is exported to most of the countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Government has been pursuing the policy of exporting more processed and finished leathers besides leather footwear and other leather goods.

(b) Value of exports of leather goods including leather footwear during 1965-66, 1966-67 and April-December, 1967, stood at Rs. 3·88 crores, Rs. 5.81 crores and Rs. 4·47 crores respectively. The exports of leathers are bound to go up rather than diminish because with the gradual restriction on the export of raw goat-skins, availability of tanned goatskins for purpose of export would go up.

(c) India produces about 15% of the world's production of leather. She exports less than half of what she produces.

Ticketless Travel on Western Railway

6076. **Shri Ranjit Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons caught each month for travelling without tickets or on wrong tickets on the Western Railway since December, 1967 to date ;

(b) the amount recovered from them as fine ; and

(c) the action Government propose to take to check ticketless travel ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The number of passengers detected travelling without tickets or on improper tickets on Western Railway was as follows :

December	1967	..	1,05,778
January	1968	..	1,19,112
February	1968	..	1,09,519

Figures for March 1968 are not yet available.

(b) Amounts realized as fine from ticketless passengers who were prosecuted were as follows :—

December	1967	..	Rs. 6,828
January	1968	..	Rs. 7,581
February	1968	..	Rs. 8,058

In addition, the following amounts of Excess fare and Excess charges were recovered from passengers detected travelling without tickets or with improper tickets :

	Excess fare	**Excess charge**	**Total**
	Rs.	Rs.	Rs.
December'67	2,13,053	88,422	3,01,475
January'68	2,11,102	87,060	2,98,162
February'68	2,08,904	86,374	2,95,278

Figures for March 1968 are not yet available.

(c) Intensive and more frequent checks including incognito checks and surprise checks by Flying Squads and Railway Magistrates are being arranged. Supervision on ticket checking arrangements has been intensified.

Arrest of Railway Employees For Stealing Telephone Wires in Moradabad

6077. **Shri Ranjit Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the first fortnight of March, 1968, a Railway employee was arrested in Moradabad for stealing telephone wires ;

(b) if so, the quantity of wire recovered from the culprit ; and

(c) the action taken against the arrested person ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, but he was arrested on 25.3.68.

(b) 10 kilograms.

(c) Government Railway Police, Moradabad registered a case on crime No. 93 u/s 5/7 Telegraph Act and investigation is in progress. The accused has been sent to Jail.

Posts of Ward Keepers in Engineering Department of Western Railway

6078. **Shri Shri Chand Goel :**
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of posts of Ward Keepers still vacant in the Engineering Department of the Western Railway ;

(b) the total number of posts of Ward Keepers in the said Department ; and

(c) the steps being taken by Government to fill the said posts ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Nil.

(b) 12.

(c) Does not arise.

Alarm Chains in Trains on Delhi-Rewari Section

6079. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that alarm chains in some of the trains on Delhi-Rewari Section in Northern Railway has been blanked off;

(b) if so, the number of trains in this section in which the alarm chains have been blanked off; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Six trains.

(c) The incidence of alarm chain pulling on these trains on this section was high and was seriously affecting the punctuality of trains.

Railway Lines owned by Private Companies

6080. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Railway lines in the country are still owned by private companies ;

(b) if so, the names thereof and the names of the private companies which own them; and

(c) the length of the Railway lines owned by these private companies?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes.

(b) and (c). A statement giving the information is attached. **[Placed in Library. See No. LT-711/68]**

Auctioning of Railway Engines at Bhusawal Railway Station

6081. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some old engines, which were not useful for the Railways, were auctioned at Bhusawal Railway Station in 1967;

(b) if so, the total number of engines auctioned there during that year; and

(c) the amount obtained by Government from the auction?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Derailment on Varanasi-Partapgarh Section on Northern Railway

6082. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 20 wagons of a goods train got drailed between Gaura and Dandapur Railway Stations on Varanasi-Partapgarh section of the Northern Railway during the second week of January, 1968;

(b) if so, the loss suffered by the Railways as a result thereof;

(c) whether the causes of derailment have been ascertained; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) The accident occurred on 11-1-1968.

(b) The cost of damage to railway property was estimated approximately at Rs. 95,643/-.

(c) and (d). According to the finding of the enquiry committee, the derailment was due to shifting of iron sheet rolls loaded in the wagon marshalled 41st from the train engine on the run on account of pilferage of packing material enroute.

बड़ौदा के डिवीजन कार्यालय का स्थानान्तरण

6083. **श्री मनुभाई पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा का डिवीजनल कार्यालय कब खोला गया था;

(ख) बड़ौदा डिवीजन के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आता है;

(ग) क्या डिवीजन कार्यालय, बड़ौदा को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) बड़ौदा के मण्डल कार्यालय ने 1 अगस्त, 1956 से कार्य शुरू किया था ।

(ख) सूरत (छोड़कर) से वीरमगाम (मिलाकर), बड़ौदा से गोधरा (मिलाकर) और सम्बन्धित बड़ी और छोटी शाखा लाइनें ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

मेरठ शटल गाड़ी का बरास्ता शाहदरा चलना

6084. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दैनिक यात्री संघ, गाजियाबाद ने सरकार के पास एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें मेरठ शटल गाड़ी को शाहदरा से होकर चलाने की मांग की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ समय पहले लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि इस जंकशन में कुछ काम हो रहा है और उसके पूर्ण हो जाने पर इस शटल गाड़ी को बरास्ता शाहदरा चलाया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये इस शटल गाड़ी को बरास्ता शाहदरा कब से चलाने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) सीजन टिकट पर यात्रा करने वाले विभिन्न वर्गों के यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान व्यवस्था सर्वाधिक सन्तोषजनक है ।

कम्पनी सचिव

6085. **श्री सेझियान** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनी सचिव के व्यवसाय और इसके लिये परीक्षा की योग्यताओं का मानकीकरण करने के लिये एक समिति अथवा सलाहकार बोर्ड का गठन किया है;

(ख) इसके लिए परीक्षाएं आरम्भ किये जाने से अब तक कितने व्यक्ति उत्तीर्ण हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि योग्यता प्राप्त कम्पनी सचिवों की कमी होते हुए भी योग्य उम्मीदवारों को उचित रोजगार पाने में बहुत कठिनाई होती है; और

(घ) योग्य कम्पनी सचिवों को उचित रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् । सरकार ने, कम्पनी सचिवों के लिये, असांविधिक आधार पर कम्पनी सचिवों के व्यवसाय की योग्यताओं के मानकीकरण करने, एवं परीक्षायें लेने में, सरकार की सहायता करने के लिये, एक परामर्शी मंडल स्थापित कर दिया है ।

(ख) परीक्षायें, 1961 से प्रारंभ की गई थीं, व 245 उम्मीदवारों ने कम्पनी सचिवत्व में परीक्षायें पास की हैं, परन्तु डिप्लोमा केवल 127 उम्मीदवारों को दिये गये हैं । शेष लोगों ने अभी तक क्रियात्मक परीक्षण पूर्ण नहीं किया है, अतः वह डिप्लोमा के योग्य नहीं ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) कम्पनी अधिनियम में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है, जिसके अन्तगत सरकार अथवा कम्पनी विधि बोर्ड, एक कम्पनी को, योग्यता प्राप्त कम्पनी सचिव को नौकरी देने के लिये बाध्य कर सके । फिर कम्पनी सचिवत्व में सरकारी डिप्लोमा ही, केवल एक ऐसी परीक्षा नहीं है, जो कम्पनियों में सचिवों के पदों के लिये उम्मीदवार तैयार करती हो । कानून स्नातक अथवा जिन व्यक्तियों ने चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान, लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान एवं चालू व्यापार प्रबन्ध पाठ्यक्रम संस्थान द्वारा ली गई परीक्षायें पास कर ली हैं, को भी ऐसे पदों की नियुक्ति के लिये, उपयुक्त समझा गया है । फिर भी कम्पनी विधि बोर्ड, कम्पनी सचिवत्व में डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों को, विशेषतः सरकारी क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार सुनिश्चित करने के लिये, प्रयास कर रहा है । इस प्रकार डिप्लोमा प्राप्त लोगों के ब्योरे, सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों को व वहां से उनके अन्तर्गत उपक्रमों को उनके सचिवीय विभागों में इन लोगों को रोजगार देने के लिये भेजे जाते हैं । मंत्रालयों/विभागों द्वारा, उनके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के लिये सचिवीय पदों की भर्ती के मामलों में योग्यता प्राप्त कम्पनी सचिवों को अधिमान देने के लिये, अलग से अनुदेश प्रेषित किये गये हैं । सरकार ने हाल ही में उच्चतर पदों की भर्ती के उद्देश्य के लिये, जहां कम्पनी सचिवत्व के कार्यों से संबंधित विशेष ज्ञान अपेक्षित है, कम्पनी सचिवत्व में सरकारी डिप्लोमा को पर्याप्त योग्यता की मान्यता दे दी है ।

कम्पनी सचिव

6086. **श्री सेझियान** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई सरकारी उपक्रम कम्पनी सचिवों अथवा सहायक कम्पनी

सचिवों के रूप में उन व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करते जिनके पास कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा प्रदत्त 'कम्पनी सेक्रेटरीशिप' में सरकारी डिप्लोमा होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिनांक 14 नवम्बर, 1960 के संकल्प संख्या 11/9159/इन्स्ट/I के अनुसार सरकारी उपक्रमों में कम्पनी सचिवों के रूप में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कुछ सरकारी डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि कुछ सरकारी उपक्रम, सरकारी डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों से भिन्न लोगों को ही नौकरी देते हैं।

(ख) एक योग्यता प्राप्त कम्पनी सचिव की नियुक्ति के लिये सांविधिक अपेक्षा नहीं है फिर कम्पनी सचिवत्व में सरकारी डिप्लोमा ही केवल एक ऐसी परीक्षा नहीं है, जो कम्पनियों में सचिवों के पदों के लिये उम्मीदवार तैयार करती हो। कुछ अन्य संस्थान भी हैं, जैसे, चार्टर प्राप्त लेखाकार, लागत लेखाकार एवं व्यापार प्रबन्ध, जो ऐसे पदों के लिये उम्मीदवार तैयार करते हैं।

(ग) दिनांक 14-4-1960 (14-11-1960 नहीं) के संकल्प के अनुसरण में, सरकार ने, कम्पनी सचिवों के लिये, असांविधिक आधार पर, कम्पनी सचिवों के व्यवसाय की योग्यताओं के मानकीकरण करने, एवं विशेषक परीक्षायें लेने में, सरकार की सहायता करने के लिये, एक परामर्शी मंडल पहले ही स्थापित कर दिया है। सम्पूर्ण डिप्लोमा प्राप्त लोगों के ब्योरे लोक उपक्रमों के कार्यालयों को परिचालित किये गये हैं, जो उन्हें बारी से अपने अन्तर्गत उपक्रमों के सचिवीय विभागों में रोजगार देने के लिये भेजते हैं। मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के लिये सचिवीय पदों की भर्ती के मामले में, योग्यता प्राप्त कम्पनी सचिवों को अधिमान देने के लिये अलग से अनुदेश प्रेषित किये गये हैं। सरकार ने, हाल ही में, उच्चतर पदों की भर्ती के उद्देश्य के लिये, जहां कम्पनी सचिवत्व के कार्यों से संबन्धित विशेष ज्ञान अपेक्षित है, कम्पनी सचिवत्व में सरकारी डिप्लोमा को, प्राप्त योग्यता की मान्यता दे दी है।

कालका-शिमला लाइन का बन्द किया जाना

6087. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका-शिमला लाइन को बन्द किये जाने के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यह लाइन प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से तथा शिमला की पर्यटक यातायात बढ़ाने के लिये उपयोगी है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कालका-शिमला लाइन को बन्द करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) यातायात के लिये वैकल्पिक साधन उपलब्ध होने के कारण, पर्यटक यातायात और प्रतिरक्षा की दृष्टि से इस लाइन की उपयोगिता, इसी प्रकार की स्थिति वाली किसी दूसरी लाइन से अधिक नहीं है ।

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

चंडीगढ़ में उद्योग

6088. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में उद्योग के विकास के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) वहां उद्योगपतियों के लिए यदि किन्हीं सुविधाओं की व्यवस्था की गई है तो उनका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

निकोबार द्वीप समूह में नारियल के तेल मिल

6089. **श्री उमानाथ :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री एस्थोस :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य भूमि से लाया गया नारियल का तेल निकोबार द्वीप समूह में 4 रुपये प्रति मिलोग्राम तथा पोर्ट ब्लेयर में 8 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार निकोबार द्वीप में नारियल का तेल बनाने के लिए मिल स्थापित करने की काफी गुंजाइश है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार निकोबार में नारियल का तेल बनाने के लिये मिल स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

6090. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में काम कर रहे आकस्मिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे बहुत से तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है जो दस वर्ष से अधिक समय से आकस्मिक आधार पर काम करते आ रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में आकस्मिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनों पर नियुक्त किया जाता है ।

(ख) इसके अन्तर्गत ऐसे 30 कर्मचारी ही आते हैं ।

(ग) वे भर्ती नियमों की शर्तें पूरी नहीं करते ।

भारतीय खान ब्यूरो

6091. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री रमानी : **श्री अब्राहम :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो के एक्सप्लोरेटरी डिवीजन के भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के साथ विलय के समय भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में कुल कितने कर्मचारी स्थानान्तरित किये गये ;

(ख) क्या यह सच है कि विलय के समय एक्सप्लोरेटरी डिवीजन के कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि पदोन्नति के समय उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखा जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से नये भर्ती किये गये व्यक्तियों की तरक्की कर दी जाती है जबकि एक्सप्लोरेटरी डिवीजन के वरिष्ठ कर्मचारियों की तरक्की नहीं की जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी पदोन्नतियों की कुल संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1,908

(ख) अन्तरण के समय दिए गए आदेशों में अन्य बातों के साथ साथ यह भी उल्लिखित था कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में स्थानान्तरित किए गए कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जैसे कि पद स्थिति, उपलब्धियां, प्रवरता आदि अगले आदेशों तक वर्तमान भर्ती नियमों से शासित होंगी ।

(ग) विलयन के पश्चात किसी नए भर्ती किए गए कर्मचारी की अभी तक पदोन्नति नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

6092. **श्री अनिरुद्धन :**
श्री नायनार :
श्री एस्थोस :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्रीय शिविरों में काम करने वाले कर्मचारियों पर खान अधिनियम लागू है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अधिनियम, आकस्मिक कर्मचारियों पर भी लागू है ;

(ग) क्या इन आकस्मिक कर्मचारियों को खान अधिनियम के अन्तर्गत सभी सुविधाएं, जैसे सुरक्षा उपकरण दी जाती हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). यह अधिनियम समन्वेषी खनन कार्य में लगे कर्मचारियों पर लागू होता है।

(ग) और (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लीपजिग मेला

6093. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य में लीपजिग मेले में भारत ने एक करोड़ बीस लाख रुपए के मूल्य की वस्तुएं बेची थीं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न वस्तुओं की बिक्री का ब्योरा क्या है ;

(ग) इस प्रकार अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(घ) भारत सरकार किन-किन देशों में ऐसे मेलों में भाग लेने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं। फिर भी मार्च, 1968 में लीपजिग बसन्त मेले में भारत द्वारा भाग लेने के फलस्वरूप 1 करोड़ 13 लाख रुपए के क्रयादेश प्राप्त किए गए।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें क्रयादेशों के ब्योरे दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-712/68]

(घ) इटली, हंगरी, टर्की, अफगानिस्तान, कुवैत, बेल्जियम, यूगोस्लाविया, फिन्लैंड, जर्मन संघीय गणराज्य, इराक अथवा अल्जीरिया, जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य तथा ब्रिटेन में।

भारतीय खान ब्यूरो

6094. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री पी० गोपालन :**
श्री एस्थोस : **श्री वि० कु० मोडक :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 से भारतीय खान ब्यूरो का एक्सप्लोरेटरी डिवीजन भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के साथ मिला दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस पर कुल कितना धन व्यय हुआ है और इसके कुल कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) क्या सरकार इन्हें फिर से पृथक करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय खान ब्यूरो का समन्वेषी प्रभाग 1 जनवरी, 1966 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को अन्तरित किया गया था (न की जनवरी, 1968 से)।

(ख) यह पृष्ठाधार ज्ञान, विशेषज्ञता और परिचालन नियन्त्रण की निरन्तरता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से और दो विभिन्न संगठनों के मध्य क्रियाओं में संभाव्य परस्पर व्याप्तता और द्विरावृत्ति के परिहार के लिए किया गया है।

(ग) इस अन्तरण को कार्यरूप देने में लगभग 3.40 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इससे प्रभावित कर्मचारियों की संख्या 1908 है।

(घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो को पुनः संगठित करने और इनके कार्य को दोषरहित बनाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

6095. **श्री नायनार :**
श्री एस्थोस :
श्री भगवान दास :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग खनन तथा भूमिगत कार्य करता है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल कितने कर्मचारी भूमिगत कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या भूमिगत कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो खान अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित, कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिए बिना भूमिगत कार्य करने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पूर्वेक्षण उद्देश्यों से समन्वेषी खनन कार्य और उससे सम्बन्धित भूमिगत कार्य करता है ।

(ख) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अम्बाला डिवीजन

6096. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में वर्तमान दिल्ली डिवीजन में से एक पृथक अम्बाला डिवीजन बनाने का प्रस्ताव था और इस उद्देश्य हेतु विभिन्न ग्रेडों में बड़ी संख्या में अधिकारियों के पद बनाने की मंजूरी दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित अम्बाला डिवीजन वास्तव में बना दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ये पद समाप्त कर दिए गए हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इन पदों पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख). उत्तर रेलवे के वर्तमान दिल्ली मंडल को दो भागों में बांटने का विचार था । नए मंडल मुख्य कार्यालय की स्थापना के लिए जिन स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा था उनमें अम्बाला भी एक था । लेकिन दिल्ली और अम्बाला में चार अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति करके दिल्ली मण्डल को संगठन की दृष्टि से सुदृढ़ करने के निश्चय के फलस्वरूप उक्त विचार स्थगित कर दिया गया ।

(ग) यह पद वर्तमान मंडलीय संगठन को सुदृढ़ करने की दृष्टि में सृजित किये गये थे और आगे भी जारी रहेंगे ।

(घ) मंडलीय संगठन को सुदृढ़ करने के लिये सृजित राजपत्रित पदों के वेतन और भत्ते के मद में 31-3-68 तक 1,06,726.00 रु० खर्च हुए । यह खर्च प्रति वर्ष लगभग 53,000 रु० पड़ेगा ।

उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय में सहायक स्टेशन मास्टर

6097. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट के कार्यालय

में कुछ सहायक स्टेशन मास्टरों (जिनका वेतनक्रम रुपये 150-240 है) से क्लर्कों के पद का काम लिया जा रहा है, जबकि इन पदों की स्वीकृति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

टायरों का निर्माण

6099. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टायर निर्माताओं को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है कि उनकी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिये अनुमति केवल उनके कार्य संचालन के आधार पर ही दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर लाइसेंस देने का विचार है;

(ग) क्या टायर निर्माता कारखानों के विस्तार अथवा नये कारखाने स्थापित करने के लिये आवेदन-पत्र देने हेतु कोई तारीख नियत की गई है और यदि हां, तो वह तारीख क्या है ; और

(घ) इस उद्योग की कितनी अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिये अनुमति देने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). मोटरगाड़ी के टायरों तथा ट्यूबों के निर्माण की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के संबंध में मोटरगाड़ी टायर उद्योग को सूचित कर दिया गया है कि उन विद्यमान एककों के विस्तार पर विचार किया जा सकता है, जिन्होंने मोटरगाड़ी निर्माताओं, सुरक्षा विभाग आदि को संन्तोषजनक संभरण किया है और जिनकी निर्यात सफलता सराहनीय रही है और जिन्होंने उन योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू किया है जिसके लिए उन्हें लाइसेंस दिए गये थे और जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं ।

(ग) और (घ). मोटरगाड़ी टायरों और ट्यूबों में से प्रत्येक के लिये 9,93,200 संख्या की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना करने के लिये स्वीकृति दिए जाने का विचार है । इस प्रयोजन के लिए लाइसेंस दिए जाने हेतु आवेदन-पत्र देने की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है ।

रूस को कपड़े का निर्यात

6100. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 करोड़ रुपये के मूल्य के कपड़े सप्लाई करने के लिये रूस के साथ कोई करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस करार के अन्तर्गत उस देश को निर्यात किये जाने वाले कपड़े का विशिष्ट विवरण और किस्म क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). कपड़े की सोवियत केन्द्रीय क्रय संस्था के प्रतिनिधियों ने 1968 में 5.82 करोड़ रु० मूल्य की धुली चादरों तथा पापलीन, छपी हुई पापलीन, छपी हुई साटिन, सजाने एवं परदों आदि के छपे हुए कपड़े, छपी हुई फलालीन जैसे कपड़े, टेरी टावल, हनीकोम्ब तौलिये तथा रुमालों की खरीद के लिये भारत के विभिन्न भागों में स्थित मिलों के साथ सौदे किये हैं। निर्यात के लिये तय किये गये विभिन्न किस्मों के माल का संक्षेप संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-713/68**]

पाकिस्तान को पंचाट द्वारा दिये गये कच्छ क्षेत्र में खनिज निक्षेप

6101. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ न्यायाधिकरण द्वारा अब पाकिस्तान को दिये गये क्षेत्र में बाक्साइट तथा खनिज तेल के खनिज निक्षेप हैं; और

(ख) यदि हां, तो निक्षेपों की अनुमानित मात्रा कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दार्जिलिंग के निकट चांगलांग चाय-बगीचे में आग

6102. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग के निकट चांगलांग चाय बगीचों में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी हानि होने का अनुमान है।

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और जांच-रिपोर्ट के किस तारीख तक मिलने की आशा है ; और

(घ) क्या इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) 12 लाख रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है।

(ग) जी, हां । कम्पनी के एक निदेशक द्वारा की गई जांच से पता चला है कि आग सर्वथा आकस्मिक थी जो कि विद्युत् व्यवस्था में शार्ट सर्किट के कारण लगी थी ।

(घ) जहां तक सरकार को ज्ञात है, कोई नहीं ।

जम्बिया में रेलवे परियोजनायें

6103. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

श्री लाखन लाल गुप्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने जम्बिया में दस करोड़ स्टर्लिंग की रेलवे परियोजना के लिये टेंडर नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). रेलवे परियोजनाओं के लिये जम्बिया सरकार ने कोई ऐसा बड़ा टेंडर जारी नहीं किया है । अतः भारतीय पार्टियों द्वारा टेंडर न दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्टर्लिंग के अवमूल्यन का भारत के चाय निर्यात पर प्रभाव

6104. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टर्लिंग के अवमूल्यन का भारत के चाय के बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इतनी जल्दी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि क्या भारत के चाय बाजार पर स्टर्लिंग के अवमूल्यन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि पड़ा है तो कितना ।

(ख) सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और उसने भारतीय चाय की स्थिति विदेशी बाजारों में मजबूत बनाने के लिए निर्यात शुल्कों में समंजन तथा संवर्धनात्मक उपायों को और अधिक गहन करने जैसी कुछ कार्यवाहियां आरंभ भी कर दी हैं ।

धातुओं का निर्यात

6105. **श्री रामजी राम :**

श्री बे० ना० कुरील :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1957 से 31 दिसम्बर, 1967 तक स्टेनलैस स्टील, निकिल, तांबा,

जस्ता, सीसा, टीन और जर्मन सिल्वर के टुकड़े आदि की कितनी-कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों को प्रत्येक धातु की कितनी-कितनी मात्रा दी गई थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-715/68**]

(ख) राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते अत: उपरोक्त अवधि के लिये प्रत्येक राज्य को किये गये आवंटन से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Manufacture of Small Car

6106. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Mysore had sent a proposal for the manufacture of small cars to the Central Government ;

(b) if so, whether Government have approved the same ;

(c) if not, whether Government's attention has been drawn to the statement made by the Chief Minister of Mysore that the Mysore Government propose to implement the small car project , and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Yes.

(b) Not yet.

(c) Government have seen a report in the Press that the Chief Minister said that the State Government were "going ahead with the small car proposal".

(d) The proposal sponsored by the Government of Mysore is under consideration of Government along with other similar proposals.

Trade with Arab Countries

6107. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the course of talks outside the meeting of United Nations Conference on Trade and Development in New Delhi, the delegates of the Arab countries advised Government not to have trade relations with Israel ;

(b) whether it is also a fact that in the coming years, Israel is expected to offer tough competition to India in the markets where India is at present selling her goods ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir.

(b) and (c) . Competition for markets is a fact of economic life and the Government of India are prepared to face it from Israel or any other country.

Agreement for Import of Newsprint

6108. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the countries with which Government have concluded agreements this year for the import of newsprint ;

(b) the quantity in tonnes of the newsprint proposed to be imported by Government during the current year ;

(c) the cost per tonne of the newsprint to be imported from each country, separately ;

(d) whether U. S. S. R. has provided some special facilities in this regard ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The State Trading Corporation has concluded contracts for the supply of newsprint from Canada under Free Foreign Exchange and from U. S. S. R.

(b) The quantity proposed to be imported during 1968-69 is 1,20,000 metric tonnes.

(c) The price of U. S. S. R. newsprint is Rs. 1,082/- per metric tonne C. I. F. (Stevedoring to Buyer's account) plus Rs. 52·50 paise as surcharge, for shipment **via** Cape of Good-Hope and of Canadian newsprint C. $ 158 C. I. F.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Increase in Price of Coking Coal in Delhi

6109. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a substantial increase in the price of coking coal in Delhi during the last two years ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the increase in the price of coal that took place in each month during the years 1967 and 1968 so far and the steps taken by Government to stabilize the price of coal ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) There has been some increase during the last two years in the prices of hard and soft coke in Delhi.

(b) Increase in coke prices is on account of increase in Railway freight and in ex-colliery prices. After decontrol with effect from 24.7.1967, increase in ex-colliery prices is largely due to the implementation of the Wage Board recommendations by the Coal Industry.

(c) A statement showing monthly average retail prices of soft coke and hard coke in Delhi during the years 1967 and 1968 (upto 22nd March) is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-716/68]**

तांबे तथा जस्ते की कमी

6110. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तांबे तथा जस्ते की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इनका उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान वर्ष में इन धातुओं का आयात करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) देश में तांबे और जस्ते के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

1—**तांबा**

सरकारी क्षेत्र में, तांबे के भंडारों का विकास करने के लिये हिन्दुस्तान कापर लि० को निम्नलिखित परियोजनाएं/योजनाएं सौंपी हैं :

(1) **खेतरी ताम्र परियोजना (राजस्थान)**

31,000 टन वार्षिक तांबा धातु उत्पादन करने के लिये (21,000 टन खेती खानों से और 10,000 टन निकटवर्ती कोलिहान की खान से) । आशा है कि खेतरी परियोजना 1970-71 से उत्पादन आरम्भ कर देगी और 1972-73 तक पूरा उत्पादन करने लग जायगी ।

(2) **अग्निगुंडला ताम्र परियोजना (आंध्र प्रदेश) :**

विदेशी सहयोग और अमरीका की मैसर्स आशलैण्ड आयल एण्ड रिफाइनरी कम्पनी या किसी अन्य विदेशी पार्टी की वित्तीय सहायता से इन भंडारों के विकास और पूर्वेक्षण के लिये सरकार ने सिद्धान्त रूप से अनुमोदन कर दिया है । बातचीत चल रही है ।

(3) **दरीबा ताम्र परियोजना (राजस्थान) :**

1400 टन वार्षिक तांबा उत्पादन करने के लिये इन तांबे के भंडारों का विकास करने के अभिप्राय से एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और विचाराधीन है ।

(4) **राखा ताम्र परियोजना (बिहार) :**

3500 टन तांबा वार्षिक प्राप्त करने के अभिप्राय से तांबे के संकेन्द्रकों का उत्पादन करने के हेतु राखा ताम्र भंडारों का पूर्वेक्षण करने के लिये एक योजना तैयार की गई है और सरकार के विचाराधीन है ।

2—निजी क्षेत्र में, इंडियन कापर कार्पोरेशन तांबा उत्पादन करने में लगी हुई है । इनका उत्पादन 1966 और 1967 में क्रमशः 9,333 और 8,904 टन था । इनको 16,500 टन विस्फोट ताम्र धातु के उत्पादन क्षमता वाला एक प्रस्फुरण प्रद्रावक स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेन्स दिया गया है । इसके 1969 तक चालू हो जाने की आशा है ।

2—**जस्ता :**

3—सरकारी क्षेत्र में, हिन्दुस्तान जिंक लि० ने 18,000 टन वार्षिक जस्ता धातु की उत्पादन-क्षमता वाले उदयपुर के समीप स्थित अपने जस्ता प्रद्रावक में जनवरी, 1968 में उत्पादन आरंभ किया था । प्रद्रावक ने अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर ली है । इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने पर्याप्त मात्रा में जस्ता धातु का उत्पादन बढ़ाने के अभिप्राय से राजस्थान में जावर और दरीबा-राजपुरा क्षेत्रों के सीसा-जस्ता के भंडारों में अतिरिक्त अयस्क आरक्षणों को सिद्ध करने के लिये कदम उठाये हैं ।

4—आयातित संकेन्द्रकों के आधार पर सरकार 30,000 टन वार्षिक क्षमता वाला एक जस्ता प्रद्रावक विशाखापत्तनम् में स्थापित करने का विचार कर रही है। इस दिशा में पहला कदम रखते हुए, इस परियोजना के लिये विदेशी परामर्शदाताओं को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के काम को पूरा करने के लिये कहा गया है ।

5—निजी क्षेत्र में, मैसर्ज कोमिनको बिनानी जिंक लि० को अलवेयी (केरल) में आयातित संकेन्द्रकों पर आधारित 20,000 टन जस्ता धातु वार्षिक क्षमता वाला एक जस्ता प्रद्रावक स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेन्स दिया गया था। प्रद्रावक ने 1967 में उत्पादन आरम्भ कर दिया था और आशा है कि 1968 में अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर लेगा ।

3—**अलौह धातुओं के नये भण्डारों का ढूंढना :**

6—ऊपर बताये गये कदमों के अतिरिक्त, ताम्र और जस्ते के नये भंडारों को ढूंढने की दिशा में प्रयत्न तेज करने के लिये भी कार्यवाही की जा चुकी है । ताम्र और जस्ते सहित अलौह धातुओं के क्षेत्र में, देश के संभाव्य खनिज संसाधनों को ढूंढने और विकसित करने के लिये विमानस्थ सर्वेक्षण और अनुसरणात्मक कार्य का एक संकलित कार्यक्रम तैयार किया गया है । इस कार्यक्रम के अनुसार, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के पूर्वी कुदापा बेसिन में और बिहार की उच्चस्थली में जिसका कुल क्षेत्रफल 1,20,000 वर्ग किलोमीटर है, विमानस्थ सर्वेक्षण किये जायेंगे । विमानस्थ सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, भारतीय-भूविज्ञान सर्वेक्षण लगभग 234 पूर्वेक्षणों का भू-सर्वेक्षण करने की आशा करता है ।

(ग) और (घ). विदेशी विनिमय की उपलब्धता के आधार पर चालू वर्ष में इन धातुओं का उस मात्रा में आयात किया जाना प्रस्तावित है जिस मात्रा में स्वदेशी उत्पादन उद्योग की आवश्यकताओं से कम होगा। चालू नीति के अनुसार अग्रिमता प्राप्त उद्योगों के लिए तांबे और जस्ते सहित अलौह धातुओं के आयात लाइसेन्स सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं को दिये जा रहे हैं। ऐसे उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए, जिन्हें अग्रमता प्राप्त नहीं है, आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के द्वारा किया जा रहा है।

किराये पर चलने वाले मोटर ट्रकों का उत्पादन

6111. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कमी को पूरा करने के लिये किराये पर चलने वाले हल्के मोटर ट्रकों के अधिक उत्पादन के लिये फर्मों को अधिक लाइसेंस जारी करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटसन का उत्पादन

6112. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पटसन के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो पटसन के आयात पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1967-68 में पटसन/मेस्टा का उत्पादन परिमाण के हिसाब से देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) चालू मौसम में अब तक पटसन के आयात की कोई अनुमति नहीं दी गयी है।

रूरकेला में उर्वरक कारखाना

6113. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला उर्वरक कारखाने में उत्पादन बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). आशा है कि वर्ष 1967-68 में राउरकेला के उर्वरक कारखाने का कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन उतना ही होगा जितना कि वर्ष 1966-67 में हुआ था। 1967-68 में श्रमिक अशांति, विशेषत: अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर 1967 में हुए मजदूरों के झगड़ों के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

छोटी कार का निर्माण

6114. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान छोटी कार बनाने के लिये भारत में कितनी फर्मों ने योजनाएं प्रस्तुत की थीं ;

(ख) उन्हें अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रस्ताव पर पुनः विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 27.

(ख) से (घ). छोटी कार बनाने के प्रश्न पर सरकार कुछ समय से ध्यान देती आ रही है। हाल ही में इस परियोजना के लिये उपलब्ध साधनों का निश्चित रूप से पता लगाने के बारे में योजना आयोग से परामर्श किया गया था। उसके विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है। परियोजना के लिए साधनों की उपलब्धि का पता चल जाने पर सरकार के पास छोटी कार बनाने के लिए प्राप्त विभिन्न अनिर्णीत प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय कर सकना सम्भव हो सकेगा।

धनबाद और पटना के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी

6115. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद और झरिया को जो बिहार के मुख्य कोयला खान केन्द्र हैं, कलकत्ता के साथ सीधी दैनिक एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से जोड़ दिया गया है, परन्तु इस क्षेत्र और पटना के बीच, जो कि इस प्रदेश की राजधानी है, रेल की ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है यद्यपि इसकी बड़ी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो धनबाद और पटना के बीच जनता की सुविधा के लिये एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि ऐसी कोई गाड़ी चलाने का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इसकी जांच हो रही है ।

पटना से कलकत्ता तक एक्सप्रेस गाड़ी

6116. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा पटना का कलकत्ते से सम्पर्क बनाये जाने की मांग की गई है ;

(ख) क्या उक्त मांग पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यातायात की दृष्टि से पटना और हावड़ा/सियालदह के बीच एक अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं है । यातायात की वर्तमान यात्रा के लिये मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त हैं ।

दुर्गापुर में उद्योग

6117. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1968 के 'अमृत बाजार पत्रिका' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जिन 81 औद्योगिक संस्थानों ने दुर्गापुर में फर्म अथवा उद्योग शुरू करने के लिये भूमि दिये जाने के बारे में आवेदन-पत्र दिये थे उन्होंने दिये गये प्लाटों को वापिस करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य प्राधिकारों से एक रिपोर्ट मांगी गई है । यह रिपोर्ट मिल जाने पर जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे सेवा (आचार) नियम

6118. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री वीकन :
श्री कमलनाथन :
श्री सुब्रावेलू :
श्री मयावन :
श्री चित्तिबाबू :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा (आचार) नियम, 1966 में संशोधन किया गया है जिसके द्वारा

रेल कर्मचारियों द्वारा पुस्तकें प्रकाशित करना, रेडियो प्रसारण में भाग लेना या समाचारपत्रों या पत्रिकाओं को पत्र लिखना निषिद्ध कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस संशोधन से संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए भाषण तथा अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता ; और

(ग) यदि हां, तो इसे वापिस लेने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं, आचरण नियमों में व्यवस्था है कि रेल कर्मचारी को इन नियमों में उल्लिखित विशेष परिस्थितियों के सिवाय पुस्तकें प्रकाशित करने, रेडियो प्रसारणों में भाग लेने या समाचार-पत्रों या पत्रिकाओं को पत्र लिखने से पूर्व सरकार या सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति ले लेनी चाहिए। ये नियम किसी रेल कर्मचारी को ऐसा करने से मना नहीं करते।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

Merging of N. E. Railway with N.F., Eastern and Northern Railways

6119. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Board has taken a decision to merge the North Eastern Railway with the Northeast Frontier, Eastern and the Northern Railways ;

(b) if so, the reasons therefor and the benefit likely to accrue to the Railways as a result thereof ;

(c) whether the North Eastern Railway Anti-merger Committee which includes Members of Parliament and many Members of Bihar Legislative Assembly has been constituted to register a protest against the said decision of the Government ;

(b) if so, the names of those members ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) to (e). The Railway Ministry have no knowledge of any such committee.

Export on Mica Scrap

6120. **Shri Ramavtar Shastri**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that mica scrap worth more than one and a half crores of rupees is exported to foreign countries from Hazaribagh District of Bihar every year ?

(b) whether any complaints of irregularities resulting in heavy financial loss in such exports have come to the notice of Government ; and

(c) if so, whether Government propose to conduct an enquiry into this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):
(a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Railway Equipment

6121. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of coaches, goods wagons, signals and rails manufactured in the Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan; Diesel Locomotive Works, Varanasi; Heavy Electric Workshop, Bhopal; Integral Coach Factory, Perambur and at Bangalore and Calcutta, separately from January, 1950 to December, 1967;

(b) the railway equipment which is imported as well as that manufactured indigenously and the time likely to be taken to produce the entire equipment indigenously; and

(c) the number of employees, category-wise in the said factories and the number of them belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other classes; separately?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Coaches, goods wagons, signals and rails are not manufactured in the Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan; Diesel Locomotive Works, Varanasi and Heavy Electric Workshop, Bhopal.

The Integral Coach Factory situated at Perambur (Madras) undertakes manufacture of railway coaches, and its total production since commencement upto December, 1967 was 1987 unfurnished coach shells and 3929 fully furnished coaches.

(b) By and large the major items of railway rolling stock like passenger coaches, steam, diesel and electric locomotives, freight wagons and equipment for signalling, track, train and loco lighting are being manufactured indigenously though in some cases with some imported components. Only spares and components of sophisticated machinery, virgin and special alloy metals whose indigenous availability has not yet reached upto requirements, are still being imported. It is expected that within the next five years a very high level of self-sufficiency in respect of railway rolling stock and equipment would have been achieved and imports would be restricted to specialised and proprietory items, the indigenous manufacture of which would not be an economic proposition.

(c) The number of employees category-wise in the Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan; Diesel Locomotive Works, Varanasi and Integral Coache Factory, Perambur is as follows:—

Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan

Category	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Classes	Total
Class I	1	—	66	67
„ II	1	—	56	57
„ III	481	109	6814	7404
„ IV	1314	472	3284	5070

Diesel Locomotive Works, Varanasi

Category	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Classes	Total
Class I	—	—	37	37
„ II	—	—	22	22
„ III	194	—	3062	3256
„ IV	63	—	1195	1258
Integral Coach Factory, Perambur				
Class I	1	—	35	36
„ II	2	—	32	34
„ III	1006	11	6380	7397
„ IV	954	3	2321	3278

The information regarding the number of employees category-wise for Heavy Electric Workshop, Bhopal which is a separate Public Sector Undertaking, is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Integral Coach Factory, Perambur

6122. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) the number of chasis of modern deluxe coaches, goods, trains, brake vans, Second Class and III Class, First Class compartments and air conditioned Coaches, separately, built-in the Integral Coach Factory, Perambur from October, 1955 to December, 1967 ;

(b) the number of broad guage electric train coaches of various classes built during the above period ;

(c) the progress made in regard to the production of diesel rail cars and the steps taken to produce the electric signal equipment indigenously ; and

(d) the number of persons, category-wise, working in the said factory and the number of those among them belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other classes, separately?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). Details of all the types of Broad Guage and Metre Guage coaches including Electric Multiple Unit coaches and Diesel Rail Cars manufactured by the Integral Coach Factory, Perambur, from October, 1955 to December, 1967 are given in the statement attached. **[Placed in Library. See No. LT-716/68].** Integral Coach Factory normally do not manufacture Goods Stock. However, they had built 1 or 2 prototypes of certain special wagons.

(c) 2 Metre Guage Diesel Rail Cars were turned out during 1964-65 and 10 more Rail Cars are expected to be produced during the year 1968-69.

Regarding signal, a special cell is already functioning in Railway Board's office to pursue development of Eletcrical Signalling Equipment in the country. Colourlight signals, primary cells, D. C. relays, Signal machines, point machines, single line token instrument,

Double line block instrument etc. which were previously imported have been developed in the country. Import is being resorted to for only a few items of sophisticated nature such as Tokenless Block Instruments, A. C. Relays, Electronic track circuiting equipment, Trailable Point machines etc. Efforts are, however, continuing to develop these items also indigenously.

(d) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-716/68]**

Theft of Dynamos in Diesel Locomotive Workshop, Varanasi

6123. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that theft of dynamos took place recently in the Diesel Locomotive Workshop, Varanasi ;

(b) if so, the value of the dynamos stolen ; and

(c) the action taken against the Officers involved in the theft ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). No. The correct position is that 13 pieces of diamond composite honing stones (containing industrial diamond dust) were found short in a box of imported consignment and the cost of missing stones has been estimated at Rs. 9,991/-

(c) A Senior Scale Officers' Enquiry has been ordered and the proceedings are awaited.

Pipeline Beneath Hanumangarh-Ganganagar Canal Loop Railway Line

6124. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) since when Government are considering a proposal in regard to laying a pipeline crossing beneath the railway line near the 13th Kilometre on Hanumangarh-Ganganagar canal loop railway line for supplying drinking water to the residents of Khunja village ; and

(b) the time likely to be taken in according sanction and in completing the said work ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) In December, 1966, a request for laying a pipeline across railway line at Km. 201/0-1 and not 13th Kilometre on Hanumangarh-Ganganagar Canal Loop to supply drinking water to Khunja village was received by the Railway from Bhakra Mandi Vikas Samiti.

(b) The work would be a 'deposit' one—the cost involved fully chargeable to the authority requiring the facility. The plan and estimate for the work were finalised in May, 1967, but the State Executive Engineer, Public Health, Churu had only in December, 1967, agreed to bear the cost of the work. The Railway has undertaken the preliminary arrangements and as soon as the necessary pipeline materials, etc., are supplied by the State Government, the Railway will carry out the work.

पश्चिम बंगाल में नये उद्योग

6125. **श्री जुगल मंडल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल में स्थापित नए उद्योगों की संख्या कितनी है,

उनका स्वरूप क्या है तथा वे किस-किस स्थान पर स्थापित किए गए हैं ;

(ख) क्या यह औद्योगिक विकास निर्धारित समय सूची के अनुसार है ; और

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन से नए उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयम्बटूर में कपड़ा मिलों का बन्द होना

6126. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया**
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री त्रोबी प्रभु :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण भारत में घाटे वाले 15 कपड़ा मिलों को जब तक उनकी हालत में सुधार न हो, प्रबन्धकों द्वारा बन्द किए जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) दक्षिण भारत (आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरल तथा पाण्डिचेरी) की सूती कपड़ा मिलें प्रति मास 1,85,000 गांठ सूत का उत्पादन करती हैं । चालू वर्ष में 30-9-67 को (उस समय जब अनिवार्य अतिरिक्त छुट्टी के वापस लेने पर कपड़ा मिलों का पूर्ण कार्यचालन फिर आरम्भ हो गया) 68,300 गांठों के स्टाक की तुलना में स्टाक में कुछ वृद्धि हुई है जो जनवरी के अन्त में, मध्य फरवरी, फरवरी के अन्त में तथा मध्य मार्च, 1968 में क्रमशः 70,000, 75,000, 73,800 तथा 82,300 गांठ था । यद्यपि इस प्रकार स्टाक का वर्तमान स्तर कुछ अधिक है तथापि वह अभूतपूर्व नहीं है । इन्हीं मिलों के पास 1965 में स्टाक वर्तमान स्तर की अपेक्षा बहुत अधिक था । इसके अतिरिक्त सूत की कम निकासी का वातावरण, विशेषतः बजट से पूर्व की अवधि में, कोई असाधारण बात नहीं है ।

पता चला है कि हाल ही में मद्रास राज्य की 6 मिलों ने जिनके पास 1.35 लाख गांठों का स्टाक है, मिल बन्द करने के नोटिस लगा दिए हैं जिससे लगभग 4450 श्रमिक प्रभावित होंगे । ऐसी सूचना मिली है कि शक्तिचालित करघों एवं हथकरघों द्वारा सूत की कम खरीद के परिणामस्वरूप माल जमा हो जाने के कारण उन्होंने यह कार्यवाही की है ।

सूती धागे की कुछ किस्मों पर उत्पादन शुल्क की दरें कुछ कम की गई हैं। सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् ने विशेष उपाय किए हैं और विदेशी बाजारों में सूती धागे की निकासी के लिये प्रयत्नशील है ताकि इससे दक्षिण भारत की मिलों को संकट से राहत मिले। आशा है कि इन उपायों से सूत का स्टाक कम हो जायेगा।

मंगलौर से नई दिल्ली तक तीसरी श्रेणी के "स्लीपर कोच"

6127. **श्री नायनार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर से नई दिल्ली तक तीसरी श्रेणी के 'स्लीपर कोचिज' चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या मंगलौर से नई दिल्ली तक तीसरी श्रेणी के "सिटिंग कोच" के साथ तीसरी श्रेणी के अतिरिक्त 'स्लीपर कोच' चलाने का भी प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Quota of Iron and Steel to Rajasthan

6128. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quality and quantities of iron and steel quota allotted to Rajasthan State in 1967-68 and the quantity actually despatched ;

(b) whether it is a fact that the aforesaid materials were not supplied to the Small Scale Industries Corporation of Rajasthan even after priority has been accorded to it by the Steel Priority Committee of I. P. C. and all other formalities had been completed ;

(c) whether it adversely affected the industries based on these materials ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministay of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d) . The material is being collected and will be placed on the Table of the House.

Quota of Iron and Steel to Small Scale Industries in Rajasthan

6129. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the allotment of quota of iron and steel to small scale industries in Rajasthan is not made according to the capacity of the industries ; and

(b) if so, whether Government propose to allot more quota to this State so that the industries there could produce according to their capacity ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) Yes, Sir.

(b) With effect from 1-5-1967, all categories of iron and steel have been decontrolled and the Joint Plant Committee is now responsible for their distribution. It has evolved a procedure for distribution of scarce categories and, according to this, the allocations for different consuming sectors is based on the average of the allocations made by the Iron and Steel Controller and the actual planning there—against made by the Joint Plant Committee during the year 1966-67. As the availability of the scarce categories is limited at present, it would not be possible to meet the full demands of all units as per capacity. This is the position not only about Rajasthan but other States also.

रूस को सप्लाई किये गये जूतों की कीमतें

6130. **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री पीलु मोडी :
श्री लोबो प्रभु :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री गिरिराज शरण सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन तथा अन्य देशों के जूते सस्ते होने के कारण रूस में हमारे जूतों की कीमत 6 रुपये कम हो गई है ;

(ख) क्या यह कमी निर्यातकों द्वारा उल्लिखित कीमतों में से की जा रही है अथवा राज्य व्यापार निगम के मुनाफे में से ; और

(ग) जूतों के क्रय और विक्रय मूल्य में क्या अन्तर है और इसका कितना भाग प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिये आवश्यक है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). 1968 में सोवियत रूस को निर्यात किये जाने के लिए जूतों के मूल्य इन मदों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बातचीत द्वारा तय किये गये हैं। चालू वर्ष में बातचीत द्वारा तय किये गये मूल्य 1967 में प्राप्त किए गए मूल्यों से कम हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने संभरकों को दिये गये मूल्य, उसके विदेशी खरीदारों के साथ निश्चित किये गये मूल्यों के आधार पर निश्चित किये जाते हैं।

(ग) इसे विस्तारपूर्वक प्रकट करना निगम के व्यापारिक हित में नहीं होगा।

औद्योगिक लाइसेन्स सम्बन्धी डा० हजारी का प्रतिवेदन

6131. **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री लोबो प्रभु :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री गिरिराज शरण सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा० हजारी द्वारा औद्योगिक लाइसेन्स सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में बताये गये आंकड़ों की शुद्धता की जांच की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

"औद्योगिक प्रायोजन तथा लाइसेन्स नीति" सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में डा० हजारी ने स्वयं कहा है कि उनके द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों में कई कमियां हैं । उन्होंने आगे चलकर यह भी स्वीकार किया है कि ये आंकड़े पक्षपातपूर्ण अपूर्ण तथा कुछ मामलों में पूरी तरह विश्वासनीय नहीं हैं और उन्हें मोटे तौर पर साधारण अंकों के रूप में समझा जाये ठीक-ठीक राशि के रूप में नहीं । चूंकि अब औद्योगिक लाइसेन्स प्रणाली के कार्य संचालन की जांच प्रो० ठाकर की अध्यक्षता में स्थापित औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली जांच समिति द्वारा की जा रही है, इसलिए वह समिति निस्सन्देह इस बात की भी जांच करेगी कि क्या रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों में कोई विशेष असंगति है ।

रेलवे के कब्जे में खाली भूमि पर वन लगाना

6132. **श्री गाडिलिंगन गौड :** **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री पीलु मोडी :**
श्री लोबो प्रभु :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के कब्जे में खाली पड़ी भूमि की कुल लम्बाई क्या है ;

(ख) क्या रेलवे ने वनरोपण के बारे में वन विशेषज्ञों से परामर्श किया है और इस बारे में अपनी संतुष्टि कर ली है कि खाली जमीन पर वनरोपण करने से रेलगाड़ियों के चलने पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ग) क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें काश्त के लिये पट्टे पर दिया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार केवल उन्हें ही भूमि पट्टे पर देगी जो आधुनिक कृषि तरीकों से खेती कर सकेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) खेती के योग्य लगभग 90 हजार एकड़ जमीन ।

(ख) जी हां, बशर्ते वनरोपण करते समय रेल-पथ और सिगनल की दृश्यता, रेल-पथ से पौधों की कतार की दूरी और पौधों की जाति के चुनाव आदि के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी बरती जाये ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं। खेती योग्य फालतू जमीन का कुछ भाग राज्य सरकारों को खेतिहरों को लायसेन्स पर देने के लिये सौंप दिया गया है। बची हुई खेती योग्य जमीन यथासम्भव सीमा तक रेलों द्वारा सीधे ही लायसेन्स पर दी जा रही है। ऐसा करते समय साथ की जमीन के मालिकों को तरजीह दी जाती है।

मांट्रियल में एक्सपो प्रदर्शनी

6133. **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांट्रियल में एक्सपो प्रदर्शनी में भारतीय मण्डप में महात्मा गांधी की कुछ निजी वस्तुएं प्रदर्शित की गई थीं ;

(ख) क्या महात्मा गांधी की निजी वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं अब गुम बताई जाती हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को भेदभाव रहित वरीयता

6134. **श्री गाडिलिंगन गौड :** **श्री लोबो प्रभु :**
श्री पीलु मोडी : **श्री गिरिराज शरण सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात की हमारी वस्तुओं को इस समय किस प्रकार की वरीयता प्राप्त है और किन-किन देशों को ;

(ख) पिछले वर्ष इनका नकद मूल्य लगभग क्या था ; और

(ग) वस्तुओं की भेदभाव रहित वरीयता के कारण, जिसका सरकार समर्थन कर रही है, होने वाली हानि को सरकार का किस प्रकार पूरा करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) निम्नोक्त देशों द्वारा भारत से आयात पर सीमाशुल्कों में अधिमान दिया जाता है :

(1) ब्रिटेन
आयर गणराज्य
श्री लंका
न्यूजीलैंड
कनाडा
बाहमस
बारबदोस
बरमूडा
ग्याना
फिजी
ब्रिटिश हांड्रास
जम्बिया
हांगकांग
जमैका
लीवार्ड द्वीप
माल्टा
मारीशस
सिकेलीज
सियारा लियोन
ट्रिनिडाड तथा टोवागो
विनवार्ड द्वीप
साइप्रस

(2) आस्ट्रेलिया, भारत समेत सभी विकासशील देशों से आयात पर प्रत्येक मद के विषय में निर्धारित सीमा तक चुने हुए उत्पादों के हेतु सीमा शुल्कों में अधिमान देता है।

(ख) अन्तिम वर्ष, जिसके लिये व्यापार के पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं, 1966-67 है। उस वर्ष भारत के लगभग 150 करोड़ रुपये के उत्पादों का उन बाजारों को निर्यात किया गया जहां वे उत्पाद आयात शुल्कों में अधिमान पाने के लिये पात्र थे।

(ग) वस्तुओं के व्यापक विभेद रहित अधिमानों के अन्ततः लागू हो जाने पर यदि भारत के वैदेशिक व्यापार को अधिक लाभ न भी हुआ तो कम से कम वर्तमान अधिमानों के बराबर लाभ तो मिलने की आशा करना वाजिब ही है।

ढोल की चादरों का निर्माण

6135. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ढोल की चादरों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) यह आवश्यकता आयात से कितनी पूरी की जाती है और कितनी देशी निर्माण द्वारा ; और

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की उन पार्टियों के नाम क्या-क्या हैं जो ये चादरें बनाती हैं तथा उनका वार्षिक उत्पादन लक्ष्य कितना-कितना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) ढोल की चादरों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता 95,000 टन है।

(ख) इसमें से लगभग 55,000 टन देशीय उत्पादन से प्राप्त हो जाती है और शेष की आपूर्ति आयात से की जाती है। आयात विदेशी मुद्रा की उपलब्धि आदि पर निर्भर करता है।

(ग) इस समय निजी क्षेत्र में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और सरकारी क्षेत्र में राउरकेला इस्पात कारखाना (16-20 गेज) की चादरें बना रहे हैं। पहले का वार्षिक उत्पादन लगभग 24,000 टन है और दूसरे का 80,000 टन।

केबल और धारित्र (कपेसिटर्स) पर आयात शुल्क

6136. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केबल और धारित्र के आयात पर 27½% आयात शुल्क दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन वस्तुओं के निर्माण के लिये अपेक्षित कच्चे माल के आयात पर देश के भीतर निर्माण करने वालों को 127½% आयात शुल्क और प्रतिशुल्क देने पड़ते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या दोनों आयात शुल्कों की दरों को समान बनाने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय सीमा-शुल्क टैरिफ की मद 72 (डी) तथा 73 (2) के अंतर्गत आने वाले धारित्रों पर आयात शुल्क क्रमशः 27½% मूल्यानुसार तथा 50% मूल्यानुसार है। भारतीय सीमा-शुल्क टैरिफ की मद 72 (ई) तथा 73 (6) के अंतर्गत आने वाले केबलों पर क्रमशः 27½% मूल्यानुसार आयात शुल्क के अतिरिक्त 5% की दर से मूल्यानुसार प्रतिशुल्क तथा 50% मूल्यानुसार आयात शुल्क के अतिरिक्त 15% मूल्यानुसार प्रतिशुल्क लगता है।

(ख) कच्चे माल की विशिष्ट मदों का पता लगे बिना उनकी शुल्क दर बताना कठिन है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

केबलों और बिजली के तारों का आयात

6137. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से केबलों और बिजली की तारों का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में प्रत्येक ऐसे देश से कितनी-कितनी मात्रा में और कितने-कितने मूल्य की केबलों और बिजली की तारों का आयात किया गया ;

(ग) उपर्युक्त वर्षों में भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक मद पर कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में वर्षवार देश में कुल कितनी मात्रा में ये मदें बनाई गईं तथा उस अवधि में उसकी कुल मांग कितनी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं। केवल उसी प्रकार के केबलों तथा बिजली के तारों के आयात की अनुमति दी जाती है जिनका निर्माण आयात लाइसेंस जारी करने के समय नहीं होता।

(ख) से (घ). विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-617/68**]

लघु उद्योग

6138. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्त प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां, औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिये ऋण सुविधा सम्बन्धी स्थायी समिति ने लघु औद्योगिक एककों को अल्प-कालिक एवं दीर्घ-कालिक कार्यों के लिये वित्त प्राप्त करने की आवश्यकता और कठिनाइयों का पता लगाने के लिये एक उप-समिति बनाई है। इस उप-समिति से कहा गया है कि वह उपलब्ध वित्तीय सहायता कहां तक पर्याप्त है इसकी जांच करे और उसे बढ़ाने के लिये अर्थोपायों की सिफारिश करे।

(ख) उप-समिति द्वारा रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाने की आशा है। इसके पश्चात् सरकार सिफारिशों की जांच करेगी और लघु क्षेत्र के लिये धन में वृद्धि करने के बारे में उपयुक्त कदम उठायेगी।

पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी, खरड़

6139. **श्री जार्ज फरनेन्डोज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी, खरड़ विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उसके जमा करायी गई राशि को वापिस देने में असफल रही है ;

(ख) इस फर्म के पास कुल कितनी राशि जमा थी ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान ऋण की अदायगी को मुलतवी करने के सम्बन्ध में एक उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सम्बद्ध करके बनाई गई कम्पनी की योजना की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा धन स्वीकार किए जाने सम्बन्धी आदेशों और विनियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कम्पनी के 31-3-1967 के तुलन-पत्र के अनुसार, उसने जनता से 85,50,425 रु० के सावधि निक्षेप, प्राप्त किये ।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी ने जमाकर्ताओं के साथ, किश्तों द्वारा ब्याज सहित उनका जमा धन चुकाने के लिये, एक योजना पर उनका अनुमोदन प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक बैठकें कीं । जमा धन को चुकाने के सम्बन्ध में कम्पनी की जमाकर्ताओं के साथ व्यवस्था की एक योजना पंजाब एवं हरियाना उच्च न्यायालय को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है । कम्पनी विधि बोर्ड को याचिका का नोटिस प्राप्त हो चुका है, एवं यथासंभव, जमाकर्ताओं के हित की रक्षा की दृष्टि से, उच्च न्यायालय को समुचित सम्प्रेषण किया जायेगा ।

(घ) मामले पर विचार किया जा रहा है, एवं सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

अवमूल्यन के पूर्व तथा पश्चात् जारी किये गये लाइसेंस

6140. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2839 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवमूल्यन के पूर्व तथा पश्चात् जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो अपनी उत्पादन लागत अधिक न बढ़ने देने के लिए जिसके कारण पुराने उत्पादन की कीमत बढ़ रही है, उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सत्य है कि अवमूल्यन के फलस्वरूप आयातित संयंत्र तथा उपकरणों का मूल्य अधिक होगा यद्यपि आयात शुल्क में कटौती करके उसका समायोजन किये जाने पर भी यह अवमूल्यन स्तर तक नहीं होगा । नए एकक की उत्पादन लागत कई वस्तुओं पर निर्भर करती है, आयातित संयंत्रों तथा मशीनों पर विनियोजन उनमें से एक है । देश में निर्मित माल मजूरी की लागत

और मूल्यों संबंधी अन्य तत्व अवमूल्यन के कारण नहीं बढ़े हैं। नए एककों में उत्पादन लागत पर अवमूल्यन का प्रभाव वास्तव में अधिक नहीं पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त अवमूल्यन के प्रभाव पर विचार अलग से नहीं वरन् कई दूसरे परिवर्तनों को देखते हुए करना होगा जैसे कच्चे माल के आयात की उदार की गई नीति कृषि से प्राप्त होने वाले कच्चे माल की हाल में गिरती हुई कीमतें तथा अवमूल्यन के कारण आयातित वस्तुओं के महंगे हो जाने से देश में निर्मित वस्तुओं को तुलनात्मक लाभ। अतः सम्पूर्ण रूप से इस आशंका का कोई कारण नहीं है कि नए एककों की ऊंची लागत का असर पहले से स्थापित उत्पादन के मूल्यों पर भी पड़ेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे से स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को वापिस बुलाया जाना

6141. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के बहुत से स्टेशनों से स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को व्यवस्थित रूप से वापिस बुलाया जा रहा है;

(ख) क्या कूच बिहार रेलवे स्टेशन से सीनियर ग्रेड के एक स्टेशन मास्टर को वापिस बुला लिया गया है और उससे सामान्य कर्तव्यपालन और कामकाज में बाधा पड़ी है;

(ग) क्या कूच बिहार टाउन के निवासियों ने कूच बिहार स्टेशन का महत्व कम करने के विरुद्ध पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के जनरल मैनेजर को अभ्यावेदन भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 'केवल एक रेल इंजन' प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप शाखा लाइन के कुछ अमहत्वपूर्ण स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के कुछ पद हटा दिये गये हैं क्योंकि संचालन की इस प्रणाली में उनकी जरूरत नहीं रह गयी थी।

(ख) कूच बिहार स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पद का ग्रेड, अस्थायी तौर पर, घटा दिया गया है। इससे सामान्य कामकाज में कोई अड़चन नहीं पड़ी है।

(ग) जी हां।

(घ) अभ्यावेदन विचाराधीन है।

कम्पनियों द्वारा लाइसेंसों की वापसी

6142. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5415 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग की स्थापना की लागत में वृद्धि के कारण कम्पनियों द्वारा लाइसेंसों की

वापसी के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). चूंकि ये आंकड़े अनेक साधनों से इकट्ठे किये जाने को हैं इसलिये पूरी जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं हो सका है ।

उर्वरक कारखाने

6143. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए इंजीनियरी कम्पनियों द्वारा बनाये जाने वाले सार्थ संघ के सम्बन्ध में इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए नये प्रकार के संयंत्र के लिये नक्शे देने का काम किस अभिकरण को सौंपा गया है; और

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां, इन्जीनियरी उपकरणों के प्रमुख निर्माताओं की एक बैठक केन्द्रीय मशीनी इन्जीनियरी अनुसंधान परिषद्, दुर्गापुर में 17 मार्च, 1967 को हुई थी जिसमें उन्हें 'टर्न की' आधार पर यूरिया संयंत्रों का सम्भरण करने हेतु एक सार्थ संघ बनाने के लिए ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित किया गया था ।

(ख) और (ग). मैसर्स फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० मैसर्स फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावनकोर) लि० तथा मेसर्स इन्जीनियर्स (इण्डिया) लि० उर्वरक संयंत्रों के लिए नमूने तथा प्रलेख भेज सकते हैं ।

एडवर्ड मिल्स, मद्रास

6144. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास स्थित एडवर्ड मिल नं० 2, जिसकी मालिक बम्बई की एडवर्ड मिल है, की भूमि की बिक्री के बारे में क्या सरकार को कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो उस शिकायत का स्वरूप क्या है तथा यह सरकार को कब मिली थी;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने बम्बई की एडवर्ड मिल से सम्बन्धित किन्हीं मामलों अथवा मद्रास में उसके लेनदेन के बारे में कोई जांच की थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). कम्पनी विधि बोर्ड को, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, बम्बई से, वाणिज्य मंत्री के नाम भेजी गई दिनांक 24 मई, 1967 की शिकायत की एक प्रतिलिपि, जून, 1967 में प्राप्त हुई थी। संघ ने आरोप लगाया कि मैसर्स एडवर्ड टैक्सटाइल्स लिमिटेड, बम्बई, मद्रास नगर में स्थित अपनी स्थावर सम्पत्ति को 15 लाख रुपयों के मूल्य पर बेचने का प्रयास कर रहा था, जबकि जायदाद का बाजार भाव 44 लाख रुपये, अनुमानित था।

(ग) जांच-पड़ताल करने से पता चला कि कम्पनी ने, 15 अप्रैल, 1967 को अभीष्ट क्रयकर्ता अनेकर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड से 7.5 लाख रुपये अग्रिम प्राप्त कर लिये। कम्पनी ने, अपनी 8 जून, 1967 को की गई साधारण बैठक में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (ङ) के अन्तर्गत, जायदाद की बिक्री के लिये आवश्यक संकल्प पारित कर लिया। विक्रय जो 15 लाख रुपयों के मूल्य का था, को 20 जून, 1967 को अन्तिम रूप दे दिया गया। कम्पनी के कुछ ऋणदाताओं ने, इसके अनुगमन में कम्पनी के परिसमापन के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। अपने दिनांक 4 अगस्त, 1967 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने, सरकारी समापक को कम्पनी का समापक नियुक्त किया। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के कार्यों की जांच-पड़ताल करने का आदेश देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था, परन्तु न्यायालय द्वारा पारित परिसमापन आदेश की दृष्टि से इस प्रस्ताव का परित्याग कर दिया गया। कम्पनी विधि बोर्ड ने पुनः समापक को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 531/53/ए के उपबन्धों, जो परिसमापन में गई हुई कम्पनियों के, ऐसे परिसमापन के तुरन्त पहले के जायदाद के कपटपूर्ण परिवर्तन से सम्बन्धित है, के अन्तर्गत मामले पर कार्यवाही करने का विचार करने के लिये सुझाव दिया है।

(घ) नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई स्थित एडवर्ड मिल्स

6145. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि बम्बई स्थित एडवर्ड मिल्स को वह अपने हाथ में ले लें;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) एडवर्ड मिल्स की भूमि और मशीनों का अनुमानित मूल्य कितना है; और

(घ) ऋणदाताओं की कितनी राशि मिल के मालिकों की ओर बकाया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). 31 दिसम्बर, 1965 को एडवर्ड मिल्स, बम्बई, जो कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत परिसमापन में है, के संतुलन-पत्र के अनुसार कम्पनी की स्थायी परिसंपत्ति का ह्रसित मूल्य तथा उसकी देयता क्रमशः 3.39 लाख रुपये तथा 25 लाख रुपये थी।

पूर्वी रेलवे के बोगांव-रानाघाट सेक्शन पर विद्युतीकरण

6146. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में बोगांव से रानाघाट और रानाघाट से गेदे रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण न होने के क्या कारण हैं जिससे रेलगाड़ियां ए० सी० बिजली द्वारा चलाई जा सकें;

(ख) क्या यह सच है कि उन दो सेक्शनों के विद्युतीकरण से रानाघाट में स्टीम लोको शेड बनाये रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी;

(ग) रानाघाट में स्टीम लोको शेड के बनाये रखने पर कितना वार्षिक व्यय होता है; और

(घ) उस लाइन पर ए० सी० बिजली से गाड़ियां चलाने के लिये विद्युतीकरण पर प्रति कीलोमीटर कितना व्यय होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) विद्युतीकरण के लिए शुरू में बहुत अधिक निवेश करना होता है और आर्थिक दृष्टि से उन्हीं खण्डों पर विद्युतीकरण का औचित्य होता है जहां यातायात का घनत्व बहुत अधिक हो और जो अतिरिक्त लाइन क्षमता सम्बन्धी कामों के बिना भाप-कर्षण से सम्हाला न जा सके और जहां डीजल से गाड़ियां चलाने की बजाय बिजली से गाड़ियां चलाना सस्ता पड़ता हो। बनगांव-रानाघाट और रानाघाट-गेदे खण्डों पर इस समय जितना यातायात होता है और 1970-71 के अन्त तक और उसके बाद भी जितना यातायात होने की प्रत्याशा है, वह आसानी से भाप-कर्षण से सम्हाला जा सकता है। इसलिए इन खण्डों के विद्युतीकरण का औचित्य नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) लगभग 8,64,613 रुपये प्रति वर्ष।

(घ) प्रति रेल-पथ किलोमीटर लगभग 3.05 लाख रुपये। इसमें बिजली सप्लाई व्यवस्था और दूर-संचार केबुल लगाने का काम शामिल है। चल-स्टाक सहित कुल लागत लगभग 6 करोड़ रुपये होगी।

निरंजन अग्रवाल की अपील पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

6147. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 7 मार्च, 1968 के एक निर्णय में निरंजन अग्रवाल की एक

अपील खर्चे सहित स्वीकार कर ली है और रेलवे प्रशासन द्वारा उनके 14036.07 रुपये के दावे को न मानने की आलोचना की है;

(ख) क्या निर्णय में कहा गया है कि "यदि दावे को समय पर निपटा दिया जाता तो राजकोष को न केवल अभियोग के खर्चे का ही लाभ होता बल्कि अपीलकर्ता को भी भुगतान न करना पड़ता"; और

(ग) मामले को न निपटाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) परेषण रेलवे नियमों के अनुसार पैक नहीं किये गये थे और वे जोखिम नोट 'ए' के अन्तर्गत आते थे, जिसके अनुसार अपर्याप्त पैकिंग के कारण होने वाली क्षति या हानि के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं रहती । प्रशासन द्वारा निर्णय लेने से पूर्व दावेदार मामले को न्यायालय में ले गया । रेलवे ने कुछ वैधानिक तर्क प्रस्तुत किये । आठवें न्यायालय, अलीपुर के अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन तर्कों को स्वीकार किया लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें नामंजूर कर दिया । फैसला 7 मार्च, 68 को दिया गया ।

Deputation to Railway Protection Force

6148. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri E. K. Nayanar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that police officers under the Ministry of Home Affairs are taken on deputation to the Railway Protection Force with the result that departmental employees are denied promotions ;

(b) if so, the reasons for taking such persons from outside on deputation ; and

(c) the number of officers and employees who were taken from outside on deputation to the Railway Protection Force during the last five years ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) and (b). In accordance with the Railway Protection Force Superior Officers Recruitment Rules 1963, 50% posts in the Gazetted Cadre are to be filled by Police/Army Officers. As to maintain close co-ordination with State Police some of the Non-gazetted posts in Intelligence Wings of Railway Protection Force are also filled by Police Officers.

(c) Gazetted 114
Non-gazetted 168.

भेड़ की चर्बी का आयात

6150. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से भेड़ की चर्बी का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ख) गत पांच वर्षों में वर्षवार कितनी-कितनी भेड़ की चर्बी आयात की गई है;

(ग) उपरोक्त अवधि में आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि देश में भेड़ की चर्बी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो आयात के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). जी, हां। एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें 1963-64 से 1967-68 (नवम्बर 1967 तक) के दौरान विभिन्न देशों से आयात की गयी भेड़ की चर्बी की मात्रा तथा मूल्य दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-718/68]

(घ) और (ङ). भेड़ की चर्बी की प्राप्यता की ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु स्वदेशी पूर्ति देश की समस्त मात्रा को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः उद्योग की अत्यावश्यक मांग को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है।

कोयला उद्योग पर अध्ययन दल

6151. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग को मिलने वाली राज सहायता के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार रिपोर्ट के इस वर्ष के मध्य तक मिलने की आशा है।

आसनसोल डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी के पदों का समाप्त किया जाना

6152. **श्री देवेन सेन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल डिवीजन में पिछले वर्ष लगभग 1000 पद जिनमें से अधिकांश चतुर्थ श्रेणी के पद हैं समाप्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या उन्हें कोई वैकल्पिक नौकरियां दी गई हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आसनसोल रेलवे जंकशन के पूर्व सुरंग में रास्ता

6153. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल रेलवे जंकशन के पूर्व सुरंग में रास्ते में बरसात में ज्यादातर पानी भरा रहता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस रास्ते में रोशनी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस रास्ते को ऊंचा करके उसे मोटर मार्ग बनाने का है ताकि उससे होकर ट्रक आदि सरलतापूर्वक गुजर सकें ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं, भारी वर्षा के दौरान थोड़ी देर के लिये सुरंग मार्ग में पानी भर जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 10 फुट की स्पष्ट ऊंचाई वाले वर्तमान सुरंग-मार्ग से केवल सामान्य भार से लदे ट्रक गुजर सकते हैं । बिना किसी प्रतिबन्ध के सभी तरह के सड़क वाहनों को गुजरने देने के लिये इस पुल का पुनर्निर्माण करना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इससे एक व्यस्त रेलवे यार्ड के कार्य संचालन में बाधा पड़ेगी और साथ ही इस सुरंग-मार्ग से गुजरने वाली नगर-पालिका की नालियों में बहुत अधिक हेर-फेर करने होंगे ।

आसनसोल स्टेशन की पश्चिमी सुरंग

6154. **श्री देवेन सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल स्टेशन की पश्चिमी सुरंग का एक ही मार्ग है उसमें डाट लगे हुए हैं और रोशनी की बहुत कम व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो सुरंग के दो मार्ग बनाने और उसमें रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां, लेकिन सुरंग के अन्दर रोशनी का पर्याप्त प्रबन्ध है ।

(ख) आसनसोल स्टेशन के पश्चिमी सिरे पर स्थित पुल नं० 529 पर दुतरफे यातायात की व्यवस्था करने के लिये इसे दोबारा बनाना होगा। वर्तमान नियमों के अनुसार सड़क उपयोगकर्त्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पुल को दोबारा बनाने जैसे काम सम्बन्धित राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी द्वारा प्रयोजित किये जाने चाहिये जिन्हें उसकी लागत वहन करने की स्वीकृति भी साथ देनी होती है । उपर्युक्त सुविधा के लिये अभी तक राज्य सरकार/सम्बन्धित सड़क प्राधिकारी से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

सूती धागे का रक्षित भंडार

6155. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत कपड़ा मिल मालिक संस्था के अध्यक्ष ने सरकार से प्रार्थना की है कि सूती धागे की 50,000 गांठों का रक्षित भंडार बनाया जाय ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). मामला अभी विचाराधीन है ।

इस्पात का निर्यात

6156. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका में इस समय की जा रही माल जमा विरोधी जांच के फलस्वरूप उस देश को इस्पात के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ;

(ख) क्या वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने इस मामले में संयुक्त राज्य अमरीका में की जा रही जांच के प्रयत्नों का अग्रेतर ब्योरा सरकार को प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग). इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निर्यात के लिए हमने इस्पात के निम्नतम मूल्य रखे हुए हैं और हमने भूतकाल में अमरीका को बहुत माल निर्यात नहीं किया है, अमरीका की माल जमा विरोधी नीति से अमरीका को किये जाने वाले हमारे निर्यात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का भय नहीं है । अमरीका में हमारे दूतावास ने उपरोक्त स्थिति की पुष्टि की है और कहा है कि वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं ।

सजावटी सामान का निर्यात

6157. **श्री बै० ना० कुरील :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में उत्तर प्रदेश में ई० पी० एन० एस० पीतल तथा स्टेनलैस स्टील की सजावट तथा कला वाली कितनी तथा कितने मूल्य की वस्तुएं बनाई गईं और उनका निर्यात किया गया ; और

(ख) इस माल का निर्यात किन-किन देशों को किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वस्तुओं के निर्यात आंकड़े समूचे भारत के आधार पर रखे जाते हैं न कि राज्यवार।

1957 से 1967 तक की अवधि में इन उत्पादों का कुल निर्यात संलग्न विवरण (अंग्रेजी में) में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-719/68**]

(ख) सजावट की कलात्मक वस्तुएं, जिसमें उत्तर प्रदेश में बनाई गई वस्तुएं भी शामिल हैं, सामान्यतः संयुक्त राज्य अमरीका, बेल्जियम, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, हांगकांग, मलयेशिया, कनाडा, अदन, सऊदी अरब, आस्ट्रेलिया तथा नीदरलैंड को निर्यात की जाती हैं।

धातु उत्पादों का निर्यात

6158. **श्री बै० ना० कुरील** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जो तांबे, ई० पी० एन० एस० तथा स्टेनलैस स्टील का बना हुआ सामान निर्यात करती हैं तथा जिन्हें उत्तर प्रदेश में निर्यात-आयात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इन धातुओं के निर्यात के लिए दूसरी योजना के प्रारम्भ से अब तक लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) इस कार्य के लिये उत्तर प्रदेश में किन-किन फर्मों के पास अपने कारखाने अथवा वर्कशाप हैं ; और

(ग) उन फर्मों के क्या नाम हैं जो ऊपर बताई गई योजना के अन्तर्गत धातु आयात करती हैं परन्तु उनके अपने कारखाने अथवा वर्कशाप नहीं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) . यह जानकारी राज्यवार आंकड़ों के रूप में नहीं रखी जाती। कई वस्तु अध्ययनों के द्वारा जो समय, श्रम तथा व्यय इस जानकारी के एकत्र करने में लगेगा वह इससे होने वाले सार्वजनिक लाभ के अनुरूप न होगा।

केले तथा संतरे लाने वाले डिब्बों का देर से आना

6159. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन डिब्बों की संख्या कितनी है जिनमें केले तथा संतरे भरे हुए थे तथा जिन्हें मध्य भारत से नई दिल्ली स्टेशन तक के लिये बुक किया गया था तथा जो पहली जनवरी, 1968 से 15 मार्च, 1968 तक की अवधि में निश्चित तिथि से बाद पहुंचे तथा निर्धारण पर दिये गये ; और

(ख) रेलवे प्रशासन को कितना घाटा होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) नई दिल्ली स्टेशन पर 1-1-68 से 15-3-68 तक मध्य भारत से आये संतरे के 1083 और केले के 1771 माल डिब्बों में से 577 माल डिब्बे

गन्तव्य स्टेशन पर रास्ते में लगने वाले निर्धारित समय के बाद पहुंचे किन्तु उनमें से अधिकांश के पहुंचने में मामूली सी देर हुई थी । केवल संतरों के 57 और केलों के 27 मालडिब्बों की सुपुर्दगी नुक्सान का अनुमान लगा कर करनी पड़ी ।

(ख) मार्च, 1968 के तीसरे सप्ताह तक, रेल प्रशासन को, केले के चार मालडिब्बों के सम्बन्ध में 5,288 रुपये के दावे प्राप्त हुये थे ।

टाटा उद्योग समूह

6160. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा उद्योग समूह में कितने भूतपूर्व सरकारी अधिकारी सम्पर्क व्यक्तियों (कान्ट्रैक्ट मैन) तथा अन्य पदों पर काम कर रहे हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इस उद्योग समूह में शामिल होने के लिये उन्होंने सरकार की अनुमति मांगी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन अधिकारियों को अनुमति दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). केवल उन अधिकारियों को जो सेवा-निवृत्ति से पूर्व श्रेणी 1 अथवा अखिल भारत सेवा के किसी पद पर होते हैं यदि अपनी सेवा निवृत्ति के दो वर्ष से अन्दर किसी वाणिज्यिक कम्पनी में नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है । सेवा निवृत्ति के दो वर्ष पश्चात् इन अधिकारियों को इस प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

इस मंत्रालय के किसी भी श्रेणी 1 के अधिकारी ने अपनी सेवा निवृत्ति के दो वर्षों के अन्दर टाटा उद्योग वर्ग में वाणिज्यिक पद स्वीकार किये जाने के लिये अनुमति नहीं मांगी है ।

Introduction of Train From Agra Cantonment of Bah

6161. **Shri Shiv Charan Lal**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a railway train used to run from Agra Cantonment to Bah about 25 years before ;

(b) if so, the reasons for its discontinuance ;

(c) whether Government propose to re-introduce that train in view of the difficulties being experienced by the people there ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). Agra Cantt-Bah railway line, which was opened for traffic on 17-9-1928, was closed in January, 1939, in view of the unremunerativeness of its working.

(c) and (d). No difficulties appear to be faced by the public of this area in regard to transport. This area is well served by road services and the question of restoring the Agra Cantt-Bah line at present, therefore, does not arise.

रत्नगिरि अल्युमीनियम परियोजना

6162. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला बन्धुओं को विदेशी तकनीशनों तथा उपकरणों का प्रयोग करके एक अल्युमीनियम कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई है ; जबकि पश्चिमी जर्मनी की सहायता के साथ बन रहे रत्नगिरि अल्युमीनियम परियोजना को इस कारण रोक दिया गया है कि उसके लिये देश में तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा भेद-भाव किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) बिड़ला बन्धुओं को कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और उसे किस स्रोत से प्राप्त किया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग). नहीं, महोदय । न ही रत्नगिरि परियोजना को क्रियान्वित करने का काम स्थगित किया गया है और न ही बिड़ला ग्रुप की मैसर्ज हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कारपोरेशन की एल्युमीनियम संयंत्र सम्बन्धी विस्तार योजना के लिये सभी आवश्यक निर्बाधन किये गये हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि मैसर्ज हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन को उनके 20,000 टन वार्षिक वाली पहली अवस्था के लिये प्रारम्भत: एक लाइसेंस सितम्बर 1959 में दिया गया था और तदनन्तर उन्हें 1963 में उत्पादन की क्षमता बढ़ाकर 60,000 टन वार्षिक करने के लिये लाइसेंस दिया गया था । अमरीका के मैसर्ज कैसर्ज ग्रुप द्वारा वित्तीय भाग ग्रहण के साथ विदेशी सहयोग की तथा उपकरणों के आयात करने की अनुमति उसी प्रकार दे दी गई थी जैसे निजी क्षेत्र के दूसरे एककों को उस समय देश में प्राप्त तकनीकी जानकारी और उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए इन्हीं अवस्थाओं में दी गई थी ।

जहां तक 60,000 टन से 1,00,000 टन वार्षिक क्षमता बढ़ाने का सम्बन्ध है, तकनीकी सहायता और उपकरणों का आयात करने के अभिप्राय से ऐक्सिम बैंक से 250 लाख डालर का विदेशी मुद्रा का ऋण लेने के लिए कम्पनी के एक प्रारम्भिक आवेदन-पत्र की जांच की जा रही है ताकि रकम को कम किया जा सके और भारतीय इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं तथा देशी उपकरणों का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित हो सके ।

सरकारी क्षेत्र के रत्नगिरि एल्युमिनियम परियोजना के विषय में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जुलाई, 1966 में पश्चिम जर्मन परामर्शदाताओं द्वारा दी गई थी । रिपोर्ट तथा सम्बन्धित लागत अनुमानों की जांच के दौरान विदेशी मुद्रा भाग में पर्याप्त कमी हो सकने की सम्भावना देखी गई थी और परियोजना के लिए तकनीकी परामर्श प्रबन्धों का पुनरीक्षण किया गया है ।

भारतीय तकनीकी सेवाओं का अधिक से अधिक प्रयोग बढ़ाने की सम्भावनाओं पर इस समय विचार विनिमय हो रहा है। अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की आशा है। उपरोक्त से देखा जायेगा कि सभी एल्युमिनियम संयंत्रों में भारतीय उपकरणों और सेवाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा भाग को कम करने के लिये निरन्तर सम्मिलित प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात

6163. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 में राज्य व्यापार निगम द्वारा 1,32,000 टन अखबारी कागज का आयात किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो किस मूल्य पर ;

(ग) क्या समस्त आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा और फिर कोटा होल्डरों को बेचा जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कोटा होल्डरों को रजिस्टर्ड आयात एजेन्टों के माध्यम से अखबारी कागज मिलेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) .1968-69 में राज्य व्यापार निगम लगभग 1,20,000 मे० टन अखबारी कागज का आयात करेगा। अभी तक सोवियत रूस से 52,500 मे० टन 1082 रु० प्रति मे० टन, लागत बीमा भाड़ा सहित, की दर पर (लदान तथा उतराई का व्यय खरीदार को देना होगा) एवं जिसके साथ ही लदान आशा अन्तरीप के मार्ग से होने के कारण अधिभार के रूप में 52.50 रु० लगेगा, तथा कनाडा से लागत बीमा भाड़ा सहित 158 कनाडाई डालर प्रति मे० टन की दर पर 20,000 मे० टन अखबारी कागज आयात करने के लिये करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ग) और (घ). 1,20,000 म० टन के सम्भावित आयात में से लगभग 46,000 मे० टन का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा और वह कागज कोटा धारियों को नौवहन प्रलेखों के हस्तान्तरण द्वारा अथवा समीकरण भंडारों से बेचा जायेगा। शेष मात्रा समाचार-पत्रों द्वारा स्वयं सीधे आयात की जायेगी। वास्तविक उपभोक्ताओं अर्थात् अखबारी प्रतिष्ठानों के लिए अखबारी कागज के सुस्थापित आयातकों के माध्यम से ही अखबारी कागज लेना आवश्यक नहीं होता। फिर भी, यदि कुछ समाचार-पत्र स्वयं आयात न करना चाहें तो वे आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली से अखबारी कागज के किसी भी सुस्थापित आयातक के पक्ष में एक प्राधिकार-पत्र प्राप्त करके उस आयातक के माध्यम से माल का आयात करवा सकते हैं।

Quota of Vespa Scooters for Members of Parliament

6165. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Members of Parliament who booked for Vespa Scooters since March,

1967 to-date against the quota of Fiat cars and Vespa scooters fixed for the Members of Parliament ;

(b) the number of Members of Parliament who have got the allotment of scooters;

(c) whether it is a fact that some Members of Parliament got the allotment within a month and if so, the reasons therefor and the normal time for getting allotment on priority basis; and

(d) the reasons for which Vespa scooters have not been allotted to those Members of Parliament who booked for it six months ago ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) 151 Members of Parliament applied for allotment of Vespa Scooters from the Central Government quota during the period between 1-3-67 to 28-3-1968.

(b) 143 M. Ps. have been allotted Vespa scooters during the above period.

(c) According to the procedure followed in making allotment of scooters from the Central Government quota, a new scooter is not allotted to an applicant already owning a scooter before the expiry of a period of 4 years from the date of purchase of the earlier scooter. Subject to this condition, a Member of Parliament who applies for a scooter for his own use is allotted a scooter almost immediately after the receipt of his application.

(d) Vespa Scooters have not been allotted to 8 Members of Parliament who put in applications during the period mentioned in (a) above for one or other of the following reasons:—

(i) The applicant had purchased a scooter less than four years ago ;

(ii) The applicant wanted the scooter for the use of his family ;

(iii) The applicant had not furnished full particulars in his application.

यूरोप में सोने का संकट

6166. **श्री दामानी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरोप में वर्तमान सोने सम्बधी संकट की संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास संबंधी आयोग के प्रतिनिधियों पर होने वाली प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्बन्धी आयोग पर इसका क्या प्रभाव हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण संकट के प्रभाव अत्यन्त जटिल होने की सम्भावना है और उनके पूर्णतः प्रकट होने में कुछ समय लगेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के प्रतिनिधियों पर इसकी प्रतिक्रिया प्रत्येक देश के लिये भिन्न हो सकती है अतः उसको एक रूप में सूचित नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की कार्यवाही पर इसका प्रभाव, यद्यपि महत्वपूर्ण नहीं है, तथापि इसका भी विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जा सकता।

Training of Firemen in Diesel Engines on Northern Railway

6167. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that previously Northern Railway authorities had taken a decision that only Matriculate firemen would be sent for diesel training;

(b) whether it is also a fact that some persons have been interviewed in this connection and necessary action for their training has been completed;

(c) if so, the reasons for which Matriculate firemen have not been sent for diesel training so far and the time by which they would be sent;

(d) whether it is a further fact that some Matriculate firemen have been imparted the said training but they have not been put on diesel work so far; and

(e) if so, the time by which they would be put on diesel work?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) to (c). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

प्रसाधन सामग्री तैयार करने के कारखाने

6168. **श्री जुगल मंडल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशियों और भारतीयों के प्रसाधन सामग्री तैयार करने के कारखानों के नाम और पते क्या हैं तथा उनमें कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) प्रत्येक एकक के निदेशकों के नाम और पते क्या हैं और यदि विदेशी सहयोग से कारखाना स्थापित किया गया है तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) पिछले चार वर्षों में प्रतिवर्ष प्रत्येक कारखाने में कौन-कौन से पदार्थों का उत्पादन हुआ है, उनकी मात्रा कितनी है और वे कितने मूल्य के हैं ; और

(घ) प्रसाधन सामग्री तैयार करने वाली विदेशी कम्पनियों ने उपरोक्त कालावधि में प्रतिवर्ष लाभ की कितनी धन-राशि विदेशों को भेजी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रसाधन सामग्री बनाने के कारखाने

6169. **श्री जुगल मंडल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रसाधन सामग्री उत्पादन करने वाले कारखानों को कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई तथा इन कारखानों ने कौन-कौन से सामान आयात किये और वह किस-किस विशेष कार्यों में प्रयोग होते हैं ;

(ख) इन कारखानों द्वारा कितनी राशि का सामान उत्पादन करके निर्यात किया जाता है तथा ऊपर दी गई अवधि में किन-किन देशों को वह सामान भेजा गया;

(ग) कम्पनी-वार कर्मचारियों की संख्या और उनकी वार्षिक मजूरी क्या है तथा कार्य पर लगाये हुए विदेशियों की संख्या और उनका मासिक वेतन क्या है तथा वे कम्पनी-वार कितनी राशि विदेशों को भेजते हैं; और

(घ) कम्पनी-वार गत पांच वर्षों में प्रसाधन सामग्री उत्पादन करने वाले कारखानों ने कितना वार्षिक लाभ प्राप्त किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कैफीन का उत्पादन

6170. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला जोरहाट ने अपशिष्ट चाय से कैफीन निकालने का तरीका निकाला है जिसकी विदेशी मंडियों में बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की प्रगति के लिये सरकार ने क्या कार्यदाही की है जिससे उसका निर्यात करके बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जा सके; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कामला बीज से तेल का निकाला जाना

6171. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में एक ऐसे तरीके का पता लगाया गया है जिसके द्वारा कामला बीज से जो कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के वनों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है सुगन्धित सामग्री तथा अन्य उत्तम रसायन तैयार करने के लिये बहुत उपयुक्त अनुपात में काफी प्रतिशत तेल निकाला जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो कामला बीज से तेल निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा पेंशन के लिये विकल्प

6172. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों द्वारा पेंशन के लिये विकल्प देने की अन्तिम तिथि क्या है और प्रत्येक रेलवे क्षेत्र में पेंशन के लिये विकल्प देने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक रेलवे क्षेत्र में अन्तिम तिथि के बाद विकल्प देने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन विकल्पों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-720/68]**

(ख) और (ग). सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर रेलवे में दायर किये गये मुकदमें

6173. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत 1965, 1966 और 1967 के दौरान उत्तर रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में कितने मुकदमें दायर किये गये ;

(ख) उन वर्षों के दौरान कितने मामले निपटाये गये ;

(ग) रेलवे कितने मामलों में जीती और कितनों में हारी; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-721/68]**

(घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

उत्तर रेलवे के क्लर्कों के काम के घंटे

6174. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के वर्क्स मैनेजर के कार्यालय के क्लर्कों के और शाप्स क्लर्कों के काम के घंटों में क्या अन्तर है;

(ख) अधिक घंटों तक कार्य करने वाले क्लर्कों को क्या मुआवजा दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको मुआवजा दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) उत्तर रेलवे के निर्माण प्रबन्धक कार्यालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के काम के घंटे प्रति सप्ताह 37 घंटे 15 मिनट और 39 घंटे 30 मिनट के बीच हैं जबकि इस रेलवे के विभिन्न कारखानों के कारखाना लिपिकों के काम के घंटे सम्बन्धित कारखानों के काम के घंटों के अनुरूप अर्थात् प्रति सप्ताह 45 या 48 घंटे हैं।

(ख) और (ग). कारखाना लिपिकों को इसके लिये कोई प्रतिकर नहीं दिया जाता क्योंकि कारखानों की आवश्यकता के अनुरूप लिपिकों को अन्य नियोजित कर्मचारियों के लिए निर्धारित काम के घंटों के अनुसार ही काम करना पड़ता है।

मशीनी औजार उद्योग

6175. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में मशीनी औजार उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ख) 1967 में सरकारी क्षेत्र में तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने मूल्य के मशीनी औजारों का उत्पादन किया गया;

(ग) 1967 में गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने मूल्य के मशीनी औजारों का उत्पादन किया गया ;

(घ) क्या 1967 में मशीनी औजारों का कुछ आयात किया गया था और यदि हां, तो कितने मूल्य के औजारों का ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) 31 मार्च, 1967 को निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो मशीनी औजार बना रहे हैं, विनियोजन निम्न प्रकार था :

उपक्रम का नाम	अंश पूंजी में विनियोजन	दीर्घकालिक ऋण	योग
		(रु० लाख में)	
1. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बंगलौर।	1,200.00	1,206.06	2,406.06
2. प्रागा टूल्स लि०, सिकन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश)	210.54	156.36	366.90
3. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची का हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट			1,398.72 (वास्तविक व्यय)

(ख) 1088.01 लाख रु०।

(ग) 1469.97 लाख रु०।

(घ) 1967 में आयात के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, 1967 के पहले ग्यारह महीनों में आयात का मूल्य 3459.5 लाख रु० था।

नये सीमेंट कारखाने

6176. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यमान तथा निर्माणाधीन सीमेंट के कारखानों में जितना सीमेंट बनेगा, क्या वह देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यह विचार है कि सीमेंट के नये कारखाने बनाने के लिये लाइसेंस देना बन्द कर दिया जाये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं। 1970-71 में सीमेंट की अनुमानित मांग 190 से 200 लाख टन है तथा 1967-68 के लिये वर्तमान उत्पादन लगभग 115 लाख टन के हिसाब से हो रहा है।

(ख) सीमेंट उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस प्राप्त करने वाले उपबन्धों से 13 मई, 1966 से मुक्त कर दिया गया है, इसलिये अब किसी को भी सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सीमेंट की क्षमता स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करना बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्धाधुंध आयात

6177. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे पदार्थों के आयात पर विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग के मामलों के बारे में सरकार को सूचना मिली है जो देश के भीतर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) क्या यह सच है कि व्यापारिक बोर्ड की बैठक में अन्धाधुंध आयात की शिकायतें की गई थीं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों की छानबीन की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). समय-समय पर कुछ ऐसे दृष्टान्त सरकार के ध्यान में लाये गये हैं जहां कुछ मदों, जिनका देश में निर्माण हो रहा है अथवा निर्माण हो सकता है, के आयात की अनुमति दी गई। जब कभी ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उन पर तकनीकी प्राधिकारियों से सलाह लेकर विचार किया जाता है और स्वदेशी दृष्टि से यदि आवश्यक हुआ तो उस मद अथवा उन मदों के आयात पर रोक लगा दी जाती

है। व्यापार बोर्ड की हाल ही की बैठक में जब एक विशिष्ट मामला रखा गया तो उस पर पूरी जांच की गई तथा उस मद के आयात पर घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के विचार से रोक लगा दी गई है।

कोरबा-कोयला अल्मोनियम उद्योग-समूह

6178. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा-कोयला अल्मोनियम उद्योग समूह पूर्ण होने में तथा उसमें अल्मोनियम का उत्पादन आरम्भ होने तक कुल कितनी लागत आने का अनुमान है

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : कोरबा (मध्य प्रदेश) एल्युमिनियम प्रायोजना के पहले दौर अर्थात् एल्युमीना संयंत्र पर कुल लागत का अनुमान (नगर-निर्माण के लिये 2.05 करोड़ रुपये मिला कर) 33.35 करोड़ रुपये हैं। प्रायोजना के दूसरे दौर अर्थात् एल्युमिनियम धातु के उत्पादन के लिये प्रद्रावक की लागत का ठीक-ठीक अनुमान इस समय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस भाग संबंधी विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट अभी तैयार नहीं की गई है।

कोयना (महाराष्ट्र) एल्युमिनियम प्रायोजना के संबंध में, प्रायोजना के विदेशी मुद्रा के भाग को कम करने और देशी उपकरणों तथा सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की दृष्टि से, प्रायोजना के क्रियान्वित करने संबंधी तकनीकी परामर्श प्रबन्धों का पुनर्विलोकन किया जा रहा है। प्रायोजना की लागत के अनुमान तकनीकी परामर्श प्रबन्धों को अन्तिम रूप दे देने के पश्चात् ही लगाये जायेंगे।

चेयरमैन, भारत अल्युमीनियम कम्पनी

6179. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अल्युमीनियम कम्पनी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है ;

(ख) उनका पहला अनुभव क्या था और चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति से पहले उनका सम्बन्ध किस व्यापार सार्थ से था ;

(ग) चेयरमैन के लिए क्या पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है और उनकी नियुक्ति की अवधि क्या है ; और

(घ) उनकी वे कौन सी विशेष योग्यतायें हैं जिनके कारण सरकार ने उन्हें इस पद के लिये चुना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) श्री रामराव मछेलरा को भारत अल्युमीनियम कम्पनी के अंश-कालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ख) विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-722/68**]

(ग) उन्हें दिनांक 1 अगस्त, 1967 से दो वर्ष की अवधि के लिये अवैतनिक हैसियत में नियुक्त किया गया है ।

(घ) उन्हें औद्योगिक क्षेत्र के राजकीय और असार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विशद अनुभव के आधार पर चुना गया था ।

बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड

6180. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** कृपा **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड और इंडियन स्टेंडर्ड्स एण्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड को मिलने वाले कच्चे माल की कंट्रोल/राशन वाली मदों के कोटे का ब्योरा क्या है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में (वर्ष-वार) उसमें से कितना कोटा निकाला गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पश्चिम बंगाल के मेसर्स बर्न एण्ड कं० लि० तथा इण्डियन स्टेंडर्ड्स वैगन कम्पनी लिमिटेड के बारे में सिफारिश किये गये कच्चे माल की नियंत्रित किस्मों का ब्योरा निम्न प्रकार है :

ढांचा उद्योग	बर्न एण्ड कं०	आई० एस० डल्यू कम्पनी
(1965-66 से 1967-68)		
1. (क) इस्पात	797 टन	53 टन
(ख) सीमेंट	89 टन	67 टन
2. आयातित कच्चे माल के लिये विदेशी मुद्रा	8,35,610 रु० (फर्म ने 3,19,000 रु० का एक लाइसेंस वापस कर दिया था)	2,67,100 रु०
इस्पात की ढली और गढ़ी वस्तुएं (1965-66 से 1967-68 तक)		
जस्ता, ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोड, स्लोपर और संधारण आदि के लिये फालतू पुर्जों का आयात करने हेतु विदेशी मुद्रा	3,40,600 रु० (1967-68 के लिये कुछ भी विदेशी मुद्रा की सिफारिश नहीं की गई)	कुछ नहीं
सीमेंट (1965)	137 टन (चूंकि अब सीमेंट से कंट्रोल उठा लिया गया)	

बलदार बरमे (1965-66 से 1967-68)		
आयातित कच्चे माल के लिये विदेशी मुद्रा	30,000 रु०	कुछ नहीं
ताप-सह वस्तुएं, पत्थर के बर्तन, पाइप आदि		
सीमेंट (1965)	641 टन	कुछ नहीं
इस्पात (1965-66 से 1967-68)	71.665 टन	कुछ नहीं
माल डिब्बे बनाने वाले उद्योग (1965—67)		
प्लेटें	5788	13854
चादरें	2946	3441
कोयला (1965-67)		
जुलाई, 1967 से पहले मंजूरी/ अनुमति जारी की गई	115294 मी० टन	13950 मी० टन

(ख) इसमें कितना माल लिया गया है इसके बारे में सूचना फर्मों को लिखकर इकट्ठी की जायगी और यदि आवश्यक समझा गया तो यह जानकारी इकट्ठी करके दे दी जायगी ।

Handicraft Exports

6181. **Dr. Mahadev Prasad:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange earned as a result of export of handicraft products during the last three Five-Year Plans;

(b) the amount spent during the last three Five Year Plans, separately, for the promotion of export of the said products; and

(c) the steps taken by Government for the promotion of the export of the said goods and the assistance given to the persons engaged in the production of these goods?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The amount of foreign exchange earned as a result of the export of handicraft products is as under :—

	(Rs. in lakhs)	**(Dollars in lakhs)**
1st Five Year Plan	3,520.36	741.64
2nd Five Years Plan	4,833.20	1,017.39
3rd Five Year Plan	11,803.67	2,484.67

(b) As would be seen from answer to part (c) of the Question, a number of export promotion measures including assistance schemes had been introduced. Collection and compilation

of the amounts on these various measures (which will include both direct and indirect expenditure) for each of the 3 Five Year Plans will not be commensurate with the labour and time involved.

(c) A number of steps have been taken by the Government of India to boost up exports of handicrafts. The most important among them are enumerated below :—

1. A Handicrafts Export Plan Committee, appointed by the Government of India, has drawn up a well articulated plan for developing the export of handicrafts for the period ending March, 1971 and for using fully the potential of Indian handicrafts;

2. A number of new items have been introduced in the export markets. Besides further penetration in the existing U. S. A. and West European markets, new markets especially in Canada, Australia, Japan and the East European countries have been entered into;

3. A scheme for registration of handicrafts exporters has been put into operation;

4. A number of exhibitions for publicity and promotion of handicrafts have been organised in India and abroad;

5. The Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Ltd., a subsidiary of of the State Trading Corporation of India Ltd., is organised specially for developing of handicrafts and handlooms in new markets. The HHEC has, during the past few years, supplemented and supported the private export effort. It has opened Sample Offices-cum-showrooms in New York, Montreal, Nairobi and Paris. The Corporation has also successfully projected image of Indian crafts in New York World Fair and Expo '67 at Montreal. The Corporation has also opened a Carpet Warehousing Depot in Hamburg (West Germany).

6. A number of delegations sent abroad have explored the markets for Indian handicrafts;

7. The HHEC has been inviting prospective buyers from foreign countries to visit manufacturing centres in India;

8. A number of Market Surveys on handicrafts in foreign countries have been undertaken;

9. Design centres have been set up at a number of places in the country to develop new export oriented designs for handicrafts and to impart training to young craftsmen;

10. Indian Institute of Foreign Trade has held a seminar on the export of handicrafts to isolate and highlight the various problems of exporters; and

11. Export Assistance Schemes have been formulated for encouraging exports of various handicraft products. From the 1st of January, 1963 to 5th of June, 1966, an Export Promotion Scheme for Handicrafts was in operation under which import licences for import of certain raw materials were given to exporters against exports of handicrafts. After devaluation the Scheme has been changed into Replenishment Scheme under which imported raw materials are released to exporters against their exports.

Railway Embankment at Jhansi

6182. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway embankment at Jhansi was washed away due to floods in Pahuj river in August, 1967;

(b) if so, the extent of damage to the embankment due to floods :

(c) whether it is a fact that water is supplied to the entire Railway area from this source ; and

(d) the steps taken to reconstruct the embankment for providing the facility of drinking water to passengers and keeping in view the need of water for trains, railway workshop, etc. ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). Yes. Due to heavy rains the earthen embankment of the Guddia Dam on Pahuj river in a length of 220 feet on one side of the masonry Dam to a depth of 31 feet from the top was breached.

(c) Yes.

(d) Immediate steps were taken to repair the breached embankment and to make timely and alternative arrangements for water supply to passengers, trains, Railway Workshop, etc., by drawing increased supplies from Matatila Water Supply Scheme and pumping water from the wells and from the river down stream of the bund.

Tours by the officers of Khadi and Village Industries Commission

6183. **Shri J. Sunder Lal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount spent on the air journeys undertaken by the officials of Khadi and Village Industries Commission during the last two years ;

(b) whether such air journeys were necessary or whether they undertook such journeys only because these had been authorised by the Commission ; and

(c) the name of the Official of the Commission who spent maximum amount on these journeys during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) . The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन

6184. **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री शिवप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के बारे में 19 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4481 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरंगों के निर्माण के लिए इस बीच ही ठेका दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ठेकेदारों का ब्योरा क्या है और निर्माण-कार्य पर कितना धन खर्च होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 40 सुरंगों में से 9 के ठेके दिये जा चुके हैं । 15 सुरंगों के निर्माण के लिए टेण्डर मांगे गये हैं और ये टेण्डर 3 अप्रैल, 1968 को खुलने हैं । बाकी सुरंगों के निर्माण के लिए टेण्डर यथासमय मांगे जायेंगे ।

(ख) ठेकेदारों के नाम तथा उन्हें दिये गये ठेकों का अनुमानित मूल्य नीचे दिया गया है :

मैसर्स वी० एल० रोशे एण्ड ब्रदर्स इंडस्ट्री, बम्बई	33.25 लाख रुपये ।
श्री एम० पी० यूथादाथ शोरानूर	26.00 लाख रुपये ।
श्री इट्टन थामस, केरल	23.60 लाख रुपये ।
मैसर्स जगजीत सिंह एण्ड कम्पनी, वाल्टेयर	41.00 लाख रुपये ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम में सेवा के विनियम

6185. **श्री द० रा० परमार :**

श्री रा० की० अमीन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम में कार्य कर रहे कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार के सभी सेवा-नियम लागू होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पेंशन मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति उपदान तथा भविष्य निधि के बारे में जो नियम भी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं वह सभी खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम पर, जिसके अपने सेवा विनियम हैं, केन्द्रीय सरकार के सभी सेवा नियम लागू नहीं होते । निगम के सेवा विनियम अधिकांशत: सरकार के मूल तथा अनुपूरक नियमों पर आधारित हैं ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू पेंशन, मृत्यु एवं सेवा निवृत्त उपदान तथा केन्द्रीय भविष्य निधि सम्बन्धी नियम खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते । एक व्यापारिक संस्था होने के कारण इस निगम पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्ध लागू हैं और इसकी अपनी भविष्य निधि योजना है । इसके अतिरिक्त निगम ने 1.4.1967 से मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान योजना भी लागू कर दी है । यह योजना भारत सरकार की आदर्श योजना पर आधारित है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

एन्टवर्प को हीरों का निर्यात

6186. **श्री मधु लिमये :**

श्री म० ला० सोंधी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्डियन एक्सप्रेस" के 19 मार्च, 1968 के अंक में छपे इस आशय के समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि एन्टवर्प में भारतीय हीरों के आयात के विरुद्ध आन्दोलन हुआ था ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में वहां हीरों का आयात काफी कम हो गया है ;

(ग) क्या बेल्जियम सरकार हीरों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो एन्टवर्प के बाजार में हीरों का निर्यात करने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बेल्जियम सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सादुलपुर और हनुमानगढ़ के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी

6187. **श्री प० ला० बारुपाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हनुमानगढ़ से चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 236 तथा जयपुर से आने वाली गाड़ी संख्या 235 में सादुलपुर और हनुमानगढ़ स्टेशनों के बीच इतनी अधिक भीड़ होती है कि बहुतेरे यात्री टिकट लेने के बाद भी गाड़ी में नहीं चढ़ सकते ; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन पर एक दूसरी गाड़ी चालू न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केले तथा संतरे के माल-डिब्बों के पहुंचने में विलम्ब

6188. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित

इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मध्य भारत से केले तथा संतरे के मालडिब्बों के दिल्ली पहुंचने में विलम्ब के कारण प्रतिदिन लगभग एक लाख रुपये का नुकसान हो रहा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली के फल तथा सब्जी व्यापारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केले और सन्तरे के मालडिब्बों को मध्य भारत से दिल्ली शीघ्र भेजने का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

रेलवे दुर्घटनायें

6189. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में तथा मार्च, 1968 तक जोन-वार कितनी रेलवे दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी बार गाड़ियां पटरी से उतर गईं और कितनी बार गाड़ियों में टक्कर हो गई ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनायें न हों इसके लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). गाड़ी दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सूचना फरवरी, 1968 के महीने तक की ही उपलब्ध है, जिसका विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 723/68]

(ग) सभी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और वैसी ही दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं । रेल दुर्घटनाओं की जांच से स्पष्ट है कि दुर्घटना होने में रेल कर्मचारियों की गलती एक बहुत बड़ा कारण है । अतएव दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने के लिए शिक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक, दण्डात्मक एवं तकनीक सम्बन्धी चतुर्सूत्री अभियान चलाया गया है ।

उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में खानें

6190. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कोयले, लोहे, तांबे, अभ्रक तथा गंधक की खानों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें लाभप्रद और अलाभप्रद खानों की संख्या कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

होजरी के सामान के निर्यात के लिए आदेश

6191. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में होजरी के सामान के निर्यात के लिए आदेशों को निलम्बित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने होजरी निर्माताओं को सहायता देने हेतु क्या कदम उठाये हैं ताकि वे इस कठिनाई पर काबू पा सकें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) होजरी के निर्यात के आदेशों के निलम्बित किये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात-आयात लाइसेंसों के विनियमनों का उल्लंघन

6192. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में आयात-निर्यात लाइसेंसों के विनियमनों के उल्लंघन के लिए जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि में कितने मुकदमे चलाये गये ; और

(ग) आयात-निर्यात लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन करने के लिये उक्त अवधि में उन मामलों के ब्योरे क्या हैं जिनमें दण्ड दिलाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1967-68 में आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियमनों के उल्लंघन के 138 मामलों पर कार्यवाही की गई जैसाकि संलग्न विवरण (अंग्रेजी) में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-724/68]**

(ख) 59 मुकदमे (फरवरी, 1968 तक) ।

(ग) 10 मुकदमों में दण्ड दिया गया जिनका ब्योरा संलग्न विवरण (अंग्रेजी) में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-724/68]**

Trade Agreements by S. T. C.

6193. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of countries with whom trade agreements have been concluded by the State Trading Corporation during 1967-68 ;

(b) the names of goods to be imported and exported under these agreements and the extent of import and export ; and

(c) the details in regard to the terms of the said agreements?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) None, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

नीलगिरि और तूतीकोरिन एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ सेलम से स्लीपर कोच लगाया जाना

6194. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलगिरि एक्सप्रेस और तूतीकोरिन एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ सेलम से स्लीपर कोच जोड़ने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). विचार है कि जब और अधिक शयनयान बनकर उपलब्ध हों तो सेलम और मद्रास के बीच तीसरे दर्जे का जो खण्डीय सवारी डिब्बा इस समय नीलगिरि एक्सप्रेस में चल रहा है उसकी जगह एक तीसरे दर्जे का शयनयान चलाया जाये ।

सेलम से तूतीकोरिन एक्सप्रेस में शयनयान चलाने का कोई विचार नहीं है । इस समय सेलम और मदरास एगुम्बूर के बीच 813 डाउन सेलम-वृद्धाचलम् सवारी गाड़ी/104 अप तूतीकोरिन-मदरास एक्सप्रेस और 103 डाउन मदरास-तूतीकोरिन एक्सप्रेस/814 अप वृद्धाचलम्-सेलम सवारी गाड़ी में पहले और तीसरे दर्जे का एक मिलाजुला सीधा सवारी डिब्बा चल रहा है । इस किस्म के डिब्बे में तीसरे दर्जे वाले भाग में केवल बैठने की जगह होती है । इस मिलेजुले डिब्बे की जगह तीसरे दर्जे का शयनयान चलाना वांछनीय नहीं है, क्योंकि उस हालत में पहले दर्जे के यात्री उपेक्षित रह जायेंगे ।

इनमें से किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी में नियमित रूप से अतिरिक्त डिब्बा लगाने की गुंजाइश नहीं है ।

पूर्वोत्तर रेलवे के तीसरी श्रेणी के नक्शा बनाने वाले कर्मचारियों का स्थायीकरण

6195. **श्री सूरज भान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में तीसरी श्रेणी के नक्शा बनाने वाले कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्हें अब तक स्थायी नहीं किया गया है हालांकि उनकी दस से पन्द्रह वर्ष की सेवा हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां ।

(ख) अधिकांश मामलों में ये पद अस्थायी कार्यों को सम्हालने के लिये सृजित किये गये हैं । अतएव इन्हें अस्थायी ही रहने दिया गया है ।

रेलों पर ड्राइंग कर्मचारियों के लिये छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था

6196. **श्री सूरज भान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नियमों के अनुसार, कर्मचारियों की स्थायी संख्या के दस प्रतिशत छुट्टी रिजर्व पद रेलवे की सब श्रेणियों में रखे जाने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर तथा अन्य रेलों पर ड्राइंग कर्मचारियों के वर्गों में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं और इसको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं । कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिये छुट्टी एवजी की व्यवस्था भिन्न-भिन्न प्रतिशतों के आधार पर की जाती है ।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे के दो कार्यालयों को छोड़कर शेष सभी जगह ड्राइंग कर्मचारियों के वर्ग के लिये छुट्टी एवजी की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) इसका कारण यह है कि संवर्ग का नियतन वास्तविक कार्य-विश्लेषण के आधार पर किया गया है । इस प्रक्रिया में कोई असंगति नहीं है ।

उत्तर रेलवे में ड्राफ्ट्समैनों का चयन

6197. **श्री सूरज भान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में 260-350-335-485 रुपये के वेतनमान में ड्राफ्ट्समैनों के पदों के लिये अप्रैल, 1961 में चयन किया गया था और 48 उम्मीदवारों को बुलाया गया था ;

(ख) क्या 9 उत्तीर्ण उम्मीदवारों की एक तालिका की घोषणा की गयी थी और बाद में एक और जोड़ा गया था ;

(ग) क्या नवम्बर, 1962 में उसी वेतनमान में चार व्यक्तियों के नाम तालिका में रखने के लिये चयन किया गया था और 16 योग्य उम्मीदवारों को बुलाया गया था ;

(घ) क्या 3 कनिष्ठ व्यक्तियों को, जिन्हें दूसरे चयन के लिये नहीं बुलाया गया था, दूसरे चयन के साक्षातकारों के 17 महीने बाद पहले चयन की तालिका में जोड़ दिया गया था ;

(ङ) क्या पांच वर्षों के बाद पहली तालिका में एक और नाम जोड़ दिया गया था और अब तालिका में कुल नामों की संख्या 14 है जो कि नियमों के विरुद्ध है; और

(च) उक्त अनियमितताओं के विरुद्ध कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जब तक प्रवरण में अनुपस्थित उम्मीदवारों पर विचार नहीं कर लिया जाता तब तक के लिये जुलाई, 1961 में 9 नामों का एक अनन्तिम पैनल घोषित किया गया था। अनुपस्थित उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद नवम्बर, 1962 में 12 नामों का एक अन्तिम पैनल घोषित किया गया। कर्मचारियों में से एक अपनी वरिष्ठता का मामला न्यायालय में ले गया था। जब वरिष्ठता के प्रश्न का अन्तिम निर्णय उसके अनुकूल हो गया तब उसकी वरिष्ठता और क्योंकि उसने प्रवरण में अर्हता प्राप्त की थी इसलिये उसका नाम पैनल में डालना पड़ा। इस प्रकार असामान्य परिस्थितियों के कारण पैनल में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 13 हो गयी।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) कृपया भाग (ख) देखें।

(च) कोई अनियमितता नहीं हुई थी और अभ्यावेदकों को तदनुसार उत्तर दे दिया गया था।

Facilities to Railway Employees

6198. **Shri Chandra Sekhar Singh** : Will the minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway employees are treated at par with Central Government employees ;

(b) whether they are also provided the facilities of accommodation, medical treatment as are available to the Central Government employees ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to remove this dispartiy ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d). As a result of implementation of the recommendations of the Pay Commissions the Pay Structure and other conditions of service are generally the same as that for other Central Government employees.

Railway servants are also eligible for medical facilities and accommodation ; these are somewhat different and have been framed having regard to the conditions of Railway working.

मशीनी औजारों का निर्माण

6200. **श्री दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मशीनी औजार उद्योग के सामने निर्यात समस्या है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश में निर्मित मशीनी औजारों की गणना करने का विचार है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है कि देश में मशीनी औजारों की वास्तविक आवश्यकता कितनी है ; और

(घ) देश में निर्मित औजारों के आयात पर रोक लगाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक मन्दी के कारण हाल ही में मशीनी औजारों की मांग काफी गिर गई है । इसके फलस्वरूप देश के मशीनी औजार निर्माताओं के पास काफी स्टाफ जमा हो गया है ।

(ख) और (ग). विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने के लिये प्रत्येक योजना की अवधि में मशीनी औजारों की सम्भावित मांग का पता लगाया गया था । इस बात पर विचार किया गया था कि ये अनुमान यथार्थ नहीं हैं । अधिक सही सर्वेक्षण करने की दृष्टि से पहले कदम के रूप में देश में लगे समस्त मशीनी औजारों देशी और आयातित की गणना करने का विचार है ।

(घ) वर्तमान नीति के अनुसार उन सभी किस्मों के मशीनी औजारों के आयात पर रोक लगा दी गई है जिनका निर्माण देश में होता है । कुछ विशिष्ट प्रकार के मशीनी औजारों के आयात पर रोक इसलिये लगाई गई है जिससे देश के एककों में निर्माण संबंधी उन्नति होती रहे ।

सीमेंट का निर्यात

6201. **श्री दामानी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट के निर्यात का काम अब के बाद राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या जहाज तक लाने की किराया भाड़ा समेत लागत और वास्तविक कीमत वसूली के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये राज-सहायता देने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय सीमेंट का प्राप्ति मूल्य जहाज तक निःशुल्क मूल्य वसूली से अधिक है । 1966 तथा 1967 में सीमेंट का वस्तुतः कोई निर्यात नहीं हुआ । चूंकि राज्य व्यापार निगम ने विगत में सीमेंट के निर्यात के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था इसलिये इसे सीमेंट के निर्यात करने का कार्य सौंपा गया है ।

(ग) यदि कोई अन्तर हो तो उसे सरकार द्वारा जहाज तक निःशुल्क निर्यात मूल्य के 25 प्रतिशत तक पूरा करने का प्रस्ताव है ।

मिर्चों का निर्यात

6202. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 300 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में व्यापार प्रतिनिधियों से सरकार को इस आशय के प्रतिवेदन मिले हैं कि मिर्चों का निर्यात बढ़ाया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में मिर्चों की मांग और मूल्य में गिरावट आने के कारण मिर्चों के उत्पादकों, विशेष कर आंध्र प्रदेश के उत्पादकों में भारी निराशा छाई हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) गत मौसम के अन्त में मिर्चों के भण्डार जमा हो जाने और चालू वर्ष में बड़ी मात्रा में सम्भावित उत्पादन के फलस्वरूप आंध्र प्रदेश के उत्पादकों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को सूचना मिली है ।

(ग) सरकार अनेक उपायों पर विचार कर रही है :

(1) आंध्र-प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह खाद्य निगम के अपने स्थानीय बोर्ड को काफी मात्रा में मिर्च खरीदने के लिये प्राधिकृत करे ।

(2) मिर्चों के निर्यात के लिये बफर स्टाक बनाने की सम्भावना पर विचार हो रहा है ।

(3) मिर्च के उत्पादकों की ऋण, विपणन तथा परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये एक अलग समिति बनाने की सिफारिश विचाराधीन है ।

(4) अपरम्परागत बाजारों में मिर्च के निर्यात को बढाने की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है

रेलवे आरक्षण अधिकारी, कनाट प्लेस, नई दिल्ली

6203. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे आरक्षण अधिकारी, कनाट प्लेस, नई दिल्ली का टेलीफोन, ट्रंककाल बिल का भुगतान न किए जाने के कारण काट दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां । मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक का टेलीफोन नं० 48063 डाक और तार विभाग के प्राधिकारियों द्वारा काट दिया गया था ।

(ख) टेलीफोन कटने से पहले उत्तर रेलवे को कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ था जबकि डाक और तार विभाग का कहना है कि बिल भेज दिया गया था । यद्यपि डाक तार विभाग का यह भी कहना है कि टेलीफोन नं० 48063 पर किसी व्यक्ति को सूचना दी गयी थी लेकिन मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को या उत्तर रेलवे के बिल अदायगी अधिकारी को टेलीफोन पर कोई सूचना नहीं मिली । टेलीफोन कटने के शीघ्र बाद ही उत्तर रेलवे द्वारा मामले की जांच की गयी और बिल के भुगतान की व्यवस्था की गयी । टेलीफोन पुनः चालू हो चुका है ।

विद्यापति नगर तथा मुहीउद्दीन नगर स्टेशनों के बीच दुर्घटना

6204. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 मार्च, 1968 को बिहार के छपरा जिले में विद्यापति नगर तथा मुहीउद्दीन नगर के बीच रेलगाड़ी की दुर्घटना के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या जख्मी व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता स्थित रेल संरक्षक के अपर आयुक्त के अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना कुछ ऐसे अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर की गयी तोड़-फोड़ की कार्रवाई के कारण हुई, जिन्होंने रेल-पथ से छेड़-छाड़ की थी ।

(ग) जी नहीं ।

प्रश्न संख्या 2814 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to Unstarred Question No. 2815

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : दक्षिण मध्य रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के सम्बन्ध में 5-3-68 को श्री कांबले द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2815 के भाग

(क) के उत्तर में निम्नलिखित सूचना दी गयी थी :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
पहली श्रेणी	1	1
दूसरी श्रेणी	–	–
तीसरी श्रेणी	205	32

सही स्थिति नीचे दी गई है :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
पहली श्रेणी	1	–
दूसरी श्रेणी	–	–
तीसरी श्रेणी	205	32

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पंजाब के राज्यपाल द्वारा पंजाब विनियोग विधेयक पर अनुमति

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"पंजाब विनियोग विधेयक की एक प्रति पर, जो पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के जरिये विधिवत प्रस्तुत नहीं की गयी थी, पंजाब के राज्यपाल द्वारा अपनी अनुमति दिये जाने की असंवैधानिक कार्यवाही ।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : पंजाब के राज्यपाल से प्राप्त सूचना के अनुसार दो विधेयकों अर्थात्, पंजाब विनियोग विधेयक, 1968 तथा पंजाब विनियोग (सं० 2) विधेयक, 1968 पर, विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त अपनी सम्मति दे दी थी तथा इस बारे में उनका प्रमाणन भी हुआ था, तथा संविधान के अनुच्छेद 199 (4) के अन्तर्गत उपाध्यक्ष द्वारा भी प्रमाणन हुआ । परन्तु एक विधेयक की दो अतिरिक्त प्रतिलिपियां, जिन पर उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं हुए थे, भूल से राज्यपाल के हस्ताक्षर हेतु उनको भेजी गई तथा तदनुसार उन्होंने उन पर हस्ताक्षर कर दिये । बाद में वे हस्ताक्षर राज्यपाल के सचिव ने काट दिये तथा काटे गये स्थान पर अपने छोटे हस्ताक्षर कर दिये । ऐसी एक प्रतिलिपि पंजाब के लीगल रिमैम्बरैन्सर के पास है तथा दूसरी लापता है । राज्य सरकार लापता प्रतिलिपि के सम्बन्ध में जांच कर रही है ।

श्री हेम बरुआ : क्या पंजाब के राज्यपाल ने विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में, जो कि धन विधेयक है, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके संविधान का उल्लंघन नहीं किया है जबकि उस दस्तावेज पर न तो अध्यक्ष के हस्ताक्षर थे और न ही उपाध्यक्ष के। क्या उन्होंने इस प्रकार पक्षपात-पूर्ण तथा मनमाना काम नहीं किया है ? जहां तक गुम हुई प्रतिलिपि का सम्बन्ध है, उसकी एक फोटोस्टैट प्रतिलिपि हमारे पास है और उसमें भी उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं हैं। क्या राज्यपाल की, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, इस असंवैधानिक कार्यवाही को देखते हुए, उसे बर्खास्त किया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पहली बात तो यह है कि राज्यपाल को बर्खास्त करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह सच नहीं है कि वह असंवैधानिक ढंग में काम कर रहे हैं, दूसरी बात यह कि संवैधानिक विवादों पर हम निर्णय नहीं दे सकते फिर भी मैं इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करता हूं जिन्हें मानना, न मानना उनके लिये है। मैं केवल राज्यपाल द्वारा बताये गये तथ्यों को ही पेश कर रहा हूं। राज्यपाल ने उपाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे किन्तु इसके साथ-साथ उन्होंने गलती से (असावधानी में) दो प्रतियों पर हस्ताक्षर कर दिये, अब इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य जैसा चाहें अनुमान लगा सकते हैं। उपरोक्त दो प्रतियों में से एक लीगल रिमैम्बरेन्सर के पास है और दूसरी गुम है। माननीय सदस्य संभवतः उस प्रति की फोटो-स्टैट प्रति प्राप्त करने में सफल हुए हैं।

श्री हेम बरुआ : गृह-कार्य मंत्री को ऐसे मामले का बचाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिसका बचाब ही नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि वह केवल उन्हीं तथ्यों को पेश कर रहे हैं जो राज्यपाल द्वारा उन्हें बताये गये हैं। वे बचाव नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती निर्लेप कौर (संगरूर) : गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि दूसरी प्रति गुम है और राज्यपाल ने दो प्रतियों पर हस्ताक्षर किये थे। पहली बात तो यह है कि उपाध्यक्ष के हस्ताक्षरों सहित उनके समक्ष केवल तीन ही प्रतियां रखना आवश्यक था। किन्तु उपाध्यक्ष ने चार प्रतियों पर हस्ताक्षर किये। प्रश्न यह है कि चौथी प्रति पर हस्ताक्षर क्यों और किस लिये किये गये ? राज्यपाल के पास चार प्रतियां भेजी गईं और उन्होंने उनके अलावा दो अतिरिक्त प्रतियों पर भी हस्ताक्षर किये और इन छः प्रतियों में से एक प्रति लापता है। मैं गृह-कार्य मंत्री को यह बताना चाहती हूं कि वह छठी प्रति विरोधी दल के कब्जे में है जिसकी फोटोस्टैट प्रति हर प्रतिपक्षी सदस्य के पास है और ऐसा अधिकारियों की अकुशलता अथवा लापरवाही के कारण हुआ है।

गृह-कार्य मंत्री, एक ओर तो राज्यपाल का जिन्होंने ऐसा गलत काम किया, बचाव कर रहे हैं, दूसरी ओर लापरवाही के लिये उन अधिकारियों के विरुद्ध मुख्य मंत्री कार्यवाही कर रहे हैं और उन्हें तंग किया जा रहा है।

हमारा सीमावर्ती राज्य है। हमें ऐसे राज्यपाल की आवश्यकता है जो ज्यादा जिम्मेदार हो और अपना काम अच्छी तरह जानता हो तथा समझता हो।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्या इस बारे में मुझसे ज्यादा जानती हैं ऐसा लगता है। इस सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा है, वह राज्यपाल द्वारा दिये गये तथ्य हैं। 'इनएड-वर्टेन्टली' (असावधानी में) शब्द मेरा नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहता।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी व्याख्या के अनुसार, इस प्रश्न पर हम यहां विचार-विमर्श नहीं कर सकते, आप इस तर्क को, जो संवैधानिक उपबन्ध के आधार पर है, मानें या न मानें, वह बात दूसरी है।

अनुच्छेद 108 में कहा गया है :

"For every state there shall be a Legislature which shall consist of the Governor...."

इसलिये विधान मंडल द्वारा वित्तीय विधेयक पारित किया जाना तथा उस पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किया जाना एक वैधानिक कृत्य है क्योंकि राज्यपाल विधान मंडल का एक अंग है।

फिर अनुच्छेद 212 (1) में कहा गया है :

"The validity of any proceedings in the Legislature of a state shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure."

जिसका आशय विधान मंडल की कार्यवाही-वृत्तान्तों को बाहरी हस्तक्षेप से युक्त रखना है, चाहे वह न्यायालय का हो या और किसी का, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न को छूता है। मैं समझता हूं हमें इस प्रश्न पर आत्म-संयम से काम लेना चाहिए और अनुच्छेद 212 में निहित संविधान की भावना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने एक सम्बन्धित संवैधानिक प्रश्न उठाया है। लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधान मंडल के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया है, राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिये सक्षम हैं। उन्हें हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। इस बारे में विवाद नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि खाली (ब्लैंक) प्रतियों पर हस्ताक्षर करना वैधानिक कृत्य नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, on a point of order. The Home Minister has stated in his reply that 2 Bills were assented to by the Governor on 22nd March, 1968 after they had been passed by both Houses of Legislature and had been certified as Money Bill and also under article 194 of the constitution by the Deputy Speaker.

In this connection I would like to invite your attention to article 199 (4) which says :

"There shall be endorsed on every Money Bill when it is transmitted to the Legislative Council under article 198, and when it is presented to the Governor for assent under article 200, the certificate of the Speaker of the Legislative Assembly signed by him that it is a money Bill."

And further they have said :

"And also under article 194 of the constitution by the Deputy Speaker."

It can be done by the Deputy Speaker only when the office of Speaker is vacant and on this point article 180 (1) says :

"While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or if the office of the Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose."

I want to know whether the office of the Speaker in Panjab Legislative Assembly was vacant. The point involved is whether the Deputy Speaker could sign when the Speaker was still there, and if not, how the Deputy Speaker was allowed to exercise his powers conferred upon him by article 199 (4) of the constitution. This is a gross violation of the provisions of the constitution.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं तो माननीय सदस्य से केवल यह कह रहा हूं कि यह मेरी राय नहीं है । प्रमाणपत्र कैसे दिया गया, उसकी एक प्रति मुझे मिली है । उपाध्यक्ष ने स्वत: कहा है "मैं अमुक अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रमाणित करता हूं ।" मैं केवल तथ्यों को बता रहा हूं । मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे महत्वपूर्ण कानूनी विवाद पर, जिसके बारे में हो सकता है, निर्णय लेने के लिये लोग उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय तक पहुंचें, मैं बिना सोचे-समझे कोई राय व्यक्त नहीं कर सकता और मेरे लिए अभी तत्काल विनिर्णय देना भी उचित नहीं है । यह छोटा-मोटा नहीं अपितु एक बड़ा विवाद है । मैं इस मामले पर कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं । मैं श्री मधु लिमये से अब अपना प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा ।

Shri Madhu Limaye : Sir, we read in Newspapers that whenever such situations arise, the Governor gets in touch with the Centre, seeks their advice and then acts in consultation with them particularly the Home Ministry and the Ministry of Law, and according to the Home Minister, they know nothing about the matter and the Governor has done it at his own discretion. I want to know from the Home Minister whether the Governor had sought any advice from the union Law Ministry before the issue of an ordinance on the matter involving serious constitutional crisis and complexities.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : राज्यपाल ने इस मामले में कभी भी हमारी राय नहीं मांगी और इस बारे में हमने राज्यपाल को कभी कोई राय नहीं दी । लेकिन इस रुकावट के पश्चात् पंजाब सरकार के कानूनी अधिकारी—उन्हें यह देखना पड़ेगा कि क्या राज्यपाल का आफिस पूर्णत: संवैधानिक है और सरकारी विभागों के कृत्य भिन्न हैं—यहां आये थे और उन्होंने विधि मंत्रालय से परामर्श किया था और उसने सलाह दी कि सरकार के लिये राज्यपाल से अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करना पूर्णत: संवैधानिक है और अन्ततोगत्वा उन्होंने (राज्यपाल) ऐसा किया भी ।

Shri Madhu Limaye : Sir, He has said that the office of Governor is independent—I would like to invite your attention to article 355 which says :

"It shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of this constitution."

The constitution has devolved upon the Centre to carry out this responsibility and they cannot shirk it.

Article 256 says :

"The executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and the existing laws which apply in that state."

The centre has the power to issue direction also—Clause 257 (2) says :

"The executive power of the union shall also extend to.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे खुद अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ।

Shri Madhu Limaye: It is crystal clear and there is nothing to be confused He has stated that the office of Governor is quite independent and that they cannot interfere. What I want to stress is this is not the position.....

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता उनका अभिप्राय यह था कि हर किसी स्थिति में वह हस्तक्षेप कर सकते हैं । इस विशेष मामले पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल का स्वतः निजी कानून विभाग है और उन्होंने उससे सलाह ली थी । माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न से दूर जा रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye: Sir, I referred to relevant articles 355, 356 and 256. So I want a categorical reply from the Home Minister whether they gave advice that the Deputy Speaker could sign under article 199 and whether they gave any advice to the Governor about it, They cannot escape their constitutional responsibility.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्री मधु लिमये द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । संवैधानिक जटिलता की आड़ लेकर इस प्रश्न पर कोई विनिर्णय न देना उचित नहीं है । देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रपति का शासन किस प्रकार थोपा जा रहा है, इस सम्बन्ध में आपको अपना मत अवश्य व्यक्त करना चाहिए ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : वस्तुतः राज्यपाल केन्द्रीय सरकार की कठपुतली बने हुए हैं । इस मामले में पंजाब के राज्यपाल ने जो कुछ किया उसे देखते हुए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): Sir, this issue might arise in any state as well. It is, therefore, proper that the matter be referred to Supreme Court and their opinion may be sought for all times to come.

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सम्बन्ध राज्यपाल द्वारा अतिरिक्त प्रति पर हस्ताक्षर किये जाने से है । व्यवस्था के उठाये गये प्रश्नों के क्षेत्र बहुत व्यापक हैं—उनका सम्बन्ध समूचे संविधान, अध्यक्ष की शक्तियां, उपाध्यक्ष की शक्तियां, गृह-कार्य मंत्री की शक्तियां तथा राज्यपाल की शक्तियों से है । मैं नहीं समझता ये सभी बातें यहां पर सम्बन्धित हैं । अलबत्ता ये बहुत बड़े विवाद हैं । अब मैं एफ० ए० अहमद से सभा-पटल पर पत्र रखने के लिये कहता हूं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत हैवी प्लेट एन्ड वैसल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उसकी समीक्षा

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिये भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-702/68]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 816 की एक प्रति जो दिनांक 4 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-703/68]**

(2) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 346 जो दिनांक 24 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 2 दिसम्बर, 1967 का जी० एस० आर०, 1758 का शुद्धि पत्र दिया गया है ।

(दो) दिनांक 24 फरवरी, 1968 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 346 का शुद्धिपत्र जो दिनांक 16 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-704/68]

लोक पाल विधेयक पर राय
OPINION ON LOKPAL BILL

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं, कतिपय मामलों में प्रशासनिक कार्यवाहियों की जांच करने के हेतु लोकपाल नामक एक प्राधिकारी की नियुक्ति एवं उसके कृत्यों के लिये तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी, जो 1 दिसम्बर, 1967 को सभा के निदेश से राय जानने के लिए परिचालित किया गया था, पत्र संख्या II सभा-पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि कार्य-मंत्रणा समिति की कल हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कि रेलवे मंत्री द्वारा इलाहाबाद के निकट हुई दुर्घटना के बारे में दिये गये वक्तव्य पर आज साढ़े छः बजे के बदले ढाई बजे विचार-विमर्श किया जाए।

समिति ने आगे यह निर्णय किया कि आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि के कुछ जिलों में हरिजनों के प्रति किये गये व्यवहार के सम्बन्ध में विचार-विमर्श गुरुवार, 4 अप्रैल, 1968 को शाम के साढ़े छः बजे किया जाये बशर्ते गृह-कार्य मंत्री हरिजनों के बारे में उससे पूर्व और आगे वक्तव्य दें।

समिति ने यह भी निर्णय किया है कि बिहार के सम्बन्ध में 28 फरवरी, 1968 को श्री नाथ पाई द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिये समय गुरुवार, 11 अप्रैल, 1968 के सायं साढ़े छः बजे निर्धारित किया जाये।

सीमेंट आवंटन तथा समन्वय संगठन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 573 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 573 Re. CEMENT ALLOCATION AND CO-ORDINATION ORGANISATION

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : 12 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 573 पर श्री राममूर्ति द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन ने अपने उत्पादन का $\frac{1}{3}$ सरकारी आवश्यकता के लिए देना स्वीकार कर लिया है। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ है कि वह अपने उत्पादन का आधा सरकार को देने पर सहमत हो गया है।

श्री वासुदेवन नायर द्वारा पूछे गये एक अन्य प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि "जहां तक राजनीतिक दलों को दी गई राशि का सम्बन्ध है यह 34,15,355 रुपए है जिसमें से

14,64,00 रुपये स्वतन्त्र दल को, 10,06,000 कांग्रेस को, 5,12,000 जनसंघ को, 2,08,000 रुपए नेशनल कान्फ्रेंस को और 2,25,000 रुपए जन-कांग्रेस को मिले।" यह टाइप की गलती दिखाई देती है। यह इस प्रकार होना चाहिए। "जहां तक राजनीतिक दलों का सम्बन्ध है, उन्हें 34,15,355 रुपए की राशि मिली, जिसमें से स्वतन्त्र दल को 14,64,155 रुपए, कांग्रेस दल को 10,06,000 रुपए, जनसंघ को 5,12,200 रुपए, नेशनल कान्फ्रेंस को 2,08,000 रुपए और जन-कांग्रेस को 2,25,000 रुपए मिले।

श्री सूपकार द्वारा पूछे गए अन्य अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने यह बताया था सीमेंट निगम ने यह काम अपने हाथ में ले लिया है और हम आशा करते हैं कि निगम जो दूसरी बातों के सम्बन्ध में कार्य कर रहा है, राज्यकीय व्यापार निगम को देय राशियों का भुगतान करेगा। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि 39.91 लाख रुपए की राशि इस बीच सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन ने भारत सरकार और सीमेंट निर्माता एसोसिएशन के साथ संयुक्त खाते में जमा कर दिये हैं। भारत का सीमेंट निगम अन्य बातों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है।

सामान्य आयव्ययक, 1968-69—अनुदानों की मांगें—जारी

GENERAL BUDGET, 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

वाणिज्य मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर आगे विचार किया जायेगा। श्री घोष अपना वक्तव्य 5 मिनट में समाप्त करें।

श्री प्र० कु० घोष (रांची) : मैं कह रहा था कि राज्य व्यापार निगम और धातु तथा खनिज व्यापार निगम को विक्रेता एजेन्टों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें आयातित माल की विक्री स्वयं नीलाम द्वारा की जानी चाहिए। क्योंकि ये एजेन्ट निर्धारित मूल्यों पर सामान नहीं बेचते और चोर बाजारी करके मुनाफा कमाते हैं। परन्तु यदि सामान में किसी प्रकार से घाटे की नौबत आ जाती है तो घाटा उपरोक्त निगमों को उठाना पड़ता है। अत: एजेन्ट नियुक्त करने की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए।

सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात् निर्यात और आयात का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और उसे राज्य व्यापार निगम जैसी संस्था को सौंप देना चाहिए। राज्य व्यापार निगम को 'न लाभ न हानि' आधार पर कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि उसे व्यापारिक ढंग से कार्य करना चाहिए। इससे देश को 5000 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। राज्य व्यापार निगम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय बहुत अच्छा है। परन्तु उसमें कुछ सदस्य भी सम्मिलित किए जाने चाहियें।

अधिकतर उद्योगपति अपने उद्योगों के लिए 60 प्रतिशत मशीनरी आदि पूंजीगत सामान विदेशों से आयात करना चाहते हैं, जिनमें ऐसा सामान भी होता है जो भारत में बनता है।

यद्यपि केन्द्रीय पूंजीगत सामान समिति (सी० सी० जी० सी०) की यह देखने की जिम्मेदारी है कि जो सामान भारत में तैयार होता है, उसका आयात न होने पाये, फिर भी उद्योगपति उपरोक्त समिति को धोखा देकर ऐसे सामान का आयात करते हैं जो अपने देश में तैयार तो होता है।

यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्रीय सरकार के हाथ में होगा तो कम अथवा अधिक बीजक बनाने की समस्या समाप्त हो जायेगी। व्यापारियों का विदेशी बैंकों में जमा धन बाहर आयेगा जिससे तस्कर व्यापार बन्द होगा। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने 260 वस्तुओं का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया है और 197 अन्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया है। परन्तु इस प्रकार के मामूली परिवर्तन से कोई लाभ न होगा। सम्पूर्ण आयात-निर्यात का राष्ट्रीयकरण ही एक मात्र उपचार है।

अन्त में मेरा यह सुझाव है कि वाणिज्य मंत्रालय का नाम बदलकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय कर दिया जाए। कपड़ा, दस्तकारी, खादी तथा ग्राम उद्योग के विषय उद्योग मंत्रालय को दिये जायें। चाय बागान और तम्बाखू की खेती के विषय कृषि मंत्रालय को दे दिए जायं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy-Speaker in the Chair**]

Shrimati Laxmi Bai (Medak): Sir, I support the demands of the Ministry of Commerce. But I want to bring some facts into the notice of the Ministry. It is the first and foremost duty of the state to provide sufficient food and clothing to the people living in that State. There is a provision to this effect under article 43 of the constitution of India. Gandhiji also stressed the need of providing employment opportunities to the people living in the villages. Village industries include not only Khadi but many other industries. We take Khadi as a sacred thing. But the Khadi industry has not been paid as much attention as it requires for its development. It is a village industry and people of villages get employment in it. Government constituted the Khadi and Gramodyog Board to provide employment opportunities to the villagers. This Board is functioning well under its capable Chairman. Unfortunately the importance of Khadi is dwindling day by day. Its sale has decreased. The main reason for it is that now Government Departments have begun to purchase less Khadi. The development of any industry not only requires financial aid but requires marketing facilities also for its pro-

ducts. Government should take such steps as will help, to increase the demand and thereby the sale of Khadi.

These days a sum of 18 crores or 20 crores of rupees is being given to the Khadi and Gramodyog Board. But it is too less amount for this Board to work properly with its large organizational set up. About three lakhs weaver and spinner are engaged in it on permament basis. About 18 lakhs of people work in it on part time basis. About 15 lakhs women operate Charkhas to spin. They had to work on daily wages at the rate of Re. 1/—or Re. 1.50 per day, so I make an appeal that it should be given Rs. 50 crores in place of Rs. 20 crores. Thir Board should be given more powers to facilitate it to work in more effective manner. The Government should pay special attention to improve the service conditions and wages of the workers engaged in Khadi industry. They should be given benefits of Provident Fund and pension side by side cotton growers should also get reasonable price for their cotton. They should not be put to loss. With these words I support the demands with the condition that more money will be given for the development of Khadi.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने नई आयात-निर्यात नीति की बड़ी धूम-धाम से घोषणा की है, मंत्री महोदय ने दावा किया है कि नई नीति से बहुत अधिक लाभ होगा। इस सरकार की कोई भी नीति स्थिर नहीं है और इसी कारण नीति का वांछित लाभ उसे नहीं मिल पाता है। उदाहरणार्थ अवमूल्यन के मामले को लीजिए। निर्यात में वृद्धि होने के बजाय, उसमें स्थिरता आ गई है। सरकार तदर्थ आधार पर निर्णय लेती है या अस्थायी व्यवस्था करती है जिससे लाभ कम होता है। जब तक सरकार अपनी परम्परागत नीति में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं करेगी तब तक भारत के समक्ष विद्यमान विदेशी मुद्रा का संकट समाप्त नहीं होगा। विकसित देशों को कच्चा माल सप्लाई करने की स्थिति से अब भारत को ऊपर उठना चाहिये।

प्रत्येक सदस्य ने अपने भाषण के दौरान अंकटाड द्वितीय का उल्लेख किया है परन्तु अंकटाड से पूंजीवादी देशों की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति का आभास मिलता है। सरकार को अंकटाड सम्मेलन के अनुभवों से लाभ उठाना चाहिये। तनजानिया के व्यापार मंत्री ने अपने एक वक्तव्य में इस बात पर बल दिया था कि 77 ग्रुप के देशों में परस्पर सहयोग बढ़ाना चाहिये। जहां तक सम्भव हो हमें अलजियर्स चार्टर का पूर्णतः अनुसरण करना चाहिये। दूसरे व्यापार का जहां तक सम्बन्ध है, हमें समाजवादी देशों से सम्बन्ध बनाये रखने चाहिये। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि पूंजीवादी देशों पर हमें व्यापार के मामले में बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये। यह तभी सम्भव है जब हम आत्म-निर्भर होने के लिये निष्ठा से प्रयास करें और आयात की जाने वाली वस्तुओं का स्थान लेने वाली वस्तुएं अपने देश में तैयार करें।

निर्यात संवर्धन के लिये आज तक जितनी योजनाएं बनाई गई हैं, उनसे केवल कुछ ही लोगों को लाभ हुआ है, मैं यह चाहता हूं कि ऐसी योजनाओं के सम्बन्ध में जांच कराई जाये और देखा जाये कि उनकी क्रियान्विति के माध्यम से किन लोगों को अधिक लाभ हुआ है और क्यों हुआ है। हम लगातार यह अनुरोध करते चले आ रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का

राष्ट्रीयकरण किया जाये। आयात-निर्यात व्यापार किसी एक सरकारी संस्था को सौंपा जाये। 1967 में विदेशों से हमारा व्यापार लगभग 3000 करोड़ रुपये के मूल्य का हुआ था। यदि इस पर 10 प्रतिशत लाभ भी सरकार को मिलता तो उसे 300 करोड़ रुपये की आय होती। इसके राष्ट्रीयकरण से एक और लाभ यह होगा कि अधिक और कम बीजक की समस्या समाप्त हो जायेगी और विदेशों को घटिया किस्म का माल भी नहीं भेजा जायेगा जैसा कि कुछ गैर-सरकारी निर्यातक करते हैं। अधिकांश विदेशी व्यापार के गैर-सरकारी फर्मों के, चाहे वे विदेशी हैं अथवा भारतीय, हाथ में होने के कारण देश में केवल कुछ ही लोगों को फायदा हो रहा है। यह व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये। साथ ही मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि भारत से पूंजी का विदेशों, विशेषकर अफ्रीकी देशों को निर्यात करने की किसी को अनुमति न दी जाये। बिरला समूह जैसी संस्थाएं नाइजिरिया तथा श्रीलंका आदि में करोड़ों रुपये की पूंजी लगा रहे हैं जबकि वे देश में पूंजी लगाते समय संसाधन स्थिति को विषय बताते हैं। देश की संकटमय आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस प्रकार से पूंजी विदेशों में नहीं लगाई जानी चाहिये।

सरकार यह दावा करती है कि जो वस्तु अपने देश में तैयार होती है उसके आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। रबड़ के मामले में भारत आत्म-निर्भर है परन्तु 1966 और 1967 में 40,000 टन कच्चे रबड़ का आयात किया गया जिसका मूल्य 13 करोड़ रुपये था। यह केवल इसलिये आयात किया गया कि रबड़ की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत भारतीय रबड़ की कीमत की अपेक्षा कम थी। मैं सरकार का ध्यान रबड़ के मूल्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो भारत में उत्पादकों के लिये निर्धारित की गई है। इस मूल्य से उत्पादकों को हानि होती है।

भारतीय जूट निर्माता संघ एक न्यूनतम निर्यात मूल्य की मांग कर रहा है। सरकार को दबाव में आकर न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं करना चाहिये।

काजू से हमें काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस उद्योग में केरल में लाखों लोग काम कर रहे हैं। हम कच्चा काजू अफ्रीका से आयात करते हैं। हमने कभी भी अपने देश में काजू का उत्पादन करने की कोशिश नहीं की। उनकी कुछ योजनायें थीं। इन योजनाओं का ब्योरा हमें दिया जाना चाहिये ताकि हम जान सकें कि इस मामले में हम कब तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

नारियल रेशा उद्योग में भी काफी संकट है। उप-मंत्री को हमें बताना चाहिये कि वे इस उद्योग को बचाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखते हैं?

मछली उद्योग से भी काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसके लिये सरकार को विदेशों से नौकाओं की व्यवस्था करनी चाहिये, ताकि हम मछलियों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमा सकें।

हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिये। जब तक ये नीतियां रहेंगी तब तक यह संकट भी बना रहेगा।

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुझंनू) : वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करने वाले कुछ संगठन केवल सलाह देने का कार्य करते हैं और उनकी कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है । उदाहरणार्थ, प्रशुल्क आयोग है । सरकार ने इस आयोग को समय की दृष्टि से अनुपयोगी घोषित कर दिया है किन्तु यह अभी भी काम कर रहा है और इस पर प्रति वर्ष 10 लाख रुपये खर्च होते हैं हालांकि यह एक निष्प्रभावी संगठन है । इसी प्रकार विकास परिषद् और निर्यात संवर्धन परिषद् है जो केवल सलाह देती है और उनका किसी भी मंत्रालय के कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है । हमें इन परिषदों को समाप्त कर इन पर होने वाले लाखों रुपये के खर्च से बचना चाहिये ।

कपड़ा आयुक्त का कार्यालय पोस्टमास्टर के कार्यालय जैसा है । इसके बहुत से मामले दिल्ली भेजे जाते हैं जहां बहुत देर लगती है । मंत्री महोदय को देखना चाहिये कि उनके मंत्रालय की फाइलें यथाशीघ्र निबटाई जायें क्योंकि अनावश्यक विलम्ब का देश में और विदेश में बड़ा खराब असर पड़ता है ।

हमारी सरकार विदेशी मुद्रा को ठीक ढंग से व्यय नहीं कर रही है और इसमें काफी बचत की जा सकती है । चालू वर्ष में नवम्बर, 1967 तक 80 लाख रुपये के धारित्रों (पावर केपिसिटर्स) का आयात किया गया जबकि हमारे निर्माता अपने देश में ही इन धारित्रों की सप्लाई कर सकते हैं । इनके आयात पर चालू वर्ष में 80 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च की गई । हमारे यहां विदेशी मुद्रा की कमी होने के बावजूद भी ये आयात क्यों किया गया ? जो धारित्र देश में बनाए जा सकते हैं उनका आयात तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए । इन धारित्रों के देश में तैयार करने के लिए आवश्यक कच्चे माल पर से शुल्क कम किया जाना चाहिए ।

राज्य व्यापार निगम का कार्य सन्तोषजनक नहीं है । इसने तन्तु नाइलोन को 75 पैसे प्रति पौंड की दर से आयात किया जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य 60 पैसे प्रति पौंड है और इसे 250 से 350 प्रतिशत के लाभ पर बेचा जा रहा है । क्या यह मुनाफाखोरी नहीं है ? इस निगम ने कोल्हापुरी चप्पलों का 1.07 डालर प्रति जोड़े की दर पर निर्यात किया जबकि गैर-सरकारी सस्थायें इन चप्पलों का निर्यात 1.25 डालर प्रति जोड़े के हिसाब से कर रही थीं । क्या हमें इस प्रकार विदेशी मुद्रा की हानि नहीं हो रही है ?

1965 में 2 करोड़ रुपये के मूल्य की ऊन के आयात के लिये आस्ट्रेलिया की सरकार के साथ भारत सरकार ने एक समझौता किया था । किन्तु एक वर्ष बाद केवल 97 लाख रुपये की ऊन का आयात किया गया जो कि निगम के गोदामों में पड़ी है और वह वहां खराब हो रही है । ऊन उद्योग अपनी 30 प्रतिशत प्रतिष्ठापित क्षमता तक काम कर रही है । इससे पता चलता है कि यह निगम आस्ट्रेलिया से ऊन के आयात को भी नहीं संभाल सका । इस सम्बन्ध में मुनाफाखोरी को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये ।

वे कांडला बन्दरगाह पर एक करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं । किन्तु इस बन्दरगाह पर प्रगति की गति बहुत धीमी है । हमें पता लगा है कि सरकार दिल्ली में भी अबाध व्यापार जोन

बनाने के लिये विचार कर रही है। जिस ढंग से कांडला में कार्य हो रहा है उससे स्पष्ट है कि वहां पर भी अबाध व्यापार जोन सफल नहीं हो सकेगा। हमें दिल्ली में और अधिक प्रयोग नहीं करने चाहिये।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : राज्य व्यापार निगम के कार्यों की आलोचना की गई है। हमें इस निगम के कार्यों को इसके परिणामों को देखकर आंकना चाहिये। मैंने एक प्रवृत्ति देखी है कि जब कभी भी यह निगम किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कुछ लोग कहते हैं कि यह एक बड़ी मुनाफा कमाने वाली संस्था है। 1963-64 में जब खनिज तथा धातु व्यापार निगम, राज्य व्यापार निगम से पृथक हुआ तो उस समय राज्य व्यापार निगम की कुल आमदनी 8.9 करोड़ रुपये थी। उस समय से अब तक राज्य व्यापार निगम की आय 160 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है। अत: स्पष्ट है कि इस निगम ने भारी पैमाने पर व्यापार किया है। यह निगम 105 वस्तुओं का व्यापार करता है। इसने हमारे उत्पादों और हमारे आयात के लिये नये साधन बना दिये हैं।

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुये**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

निगम का निर्यात कार्यक्रम पांच भागों में बटा हुआ है। पहला रेलवे उपकरण, दूसरा इंजीनियरी का सामान जिसमें मशीन औजार और छोटे उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुयें भी शामिल हैं ; तीसरे, रसायन, औषधियां आदि ; चौथे उपभोक्ता सामान, बनावटी बालों की छोटी तथा बड़ी टोपियां और मनुष्य के बालों से बनी अन्य वस्तुएं और ऊन से बुने और अन्य कपड़े और पांचवें ताजा फल जिनमें केला भी शामिल है और फलों के रस। इससे स्पष्ट है कि यह निगम परम्परागत वस्तुओं को छोड़कर गैर-परम्परागत वस्तुओं की ओर बढ़ रहा है। और यह हमारे लिए नए बाजार बना रहा है जहां हम गैर-परम्परागत वस्तुएं बेच सकते हैं। हमें राज्य व्यापार निगम के इस कार्य की सराहना करनी चाहिए।

राज्य व्यापार निगम ने हंगरी को 500 चार पहियों वाली वैगनें सप्लाई की हैं और वहां से 1500 वैगनों की सप्लाई का एक और आर्डर प्राप्त किया है। पोलैंड को रेल के डिब्बे सप्लाई करने की पेशकश की गई है और न्यूजीलैंड को 2000 वैगनों की सप्लाई करने के लिए एक बड़े टेंडर के बारे में बातचीत हो रही है। लंका, बर्मा और सेनेगाल भी भारतीय वैगन खरीदेंगे। जबरदस्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बावजूद भी इस निगम को कोरियन नेशनल रेलवे को 8 करोड़ रुपये के मूल्य की 1100 रेलवे वैगनों की सप्लाई करने का टेंडर मिला है। हाल ही में हमने रूस को 2000 वैगनों की सप्लाई करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं और यह सप्लाई 10,000 वैगन प्रति वर्ष तक बढ़ जायेगी।

इंजीनियरी उद्योग में भी बड़े सराहनीय कार्य हुए हैं। 1970-71 तक हम 100 करोड़ रुपये के इन्जीनियरी सामान का निर्यात कर सकेंगे। यह छोटे उद्योग के लोगों को बाजार के बारे में जानकारी दे सकेगा और उन्हें बता सकेगा कि विदेशी बाजार में किस वस्तु की मांग है।

यह निगम मरकरिक आक्साइड, गम रेसिन, क्रोम पिगमेंट, जिंक फास्फाइट, हैटरजेंट्स आदि रसायनों का निर्यात करता रहा है। अन्य रसायनों जैसे कच्चा पेट्रोलियम, कोयला, इथानोल, मेथानोल, औषधियां, आदि के निर्यात के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। निगम के इस व्यापार में प्रवेश करने के कारण सरकार हमारे निर्यात का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकती है और विदेशी मुद्रा की अपनी आमदनी बढ़ा सकती है।

राज्य व्यापार निगम ने जूतों का भी निर्यात शुरू कर दिया है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि निगम भारी लाभ कमाता है। ऐसी बात नहीं है। यह निगम तो छोटे देशी निर्माताओं से सामान लेता है और उनका निर्यात करता है। यदि निगम ऐसा न करे तो ये वस्तुएं बिकें ही नहीं। निगम के प्रयत्नों से ही जूतों का निर्यात काफी बढ़ गया है। इससे 22 करोड़ रुपये का मुनाफा घरेलू उद्योग धन्धों को हुआ है।

निगम बुने हुए कपड़ों का भी निर्यात करता है। इसने 1962-63 में 1.2 करोड़ रुपये का निर्यात किया और यह निर्यात 1966-67 में बढ़कर 3.5 करोड़ रुपये हो गया है। निगम के इस व्यापार ने हमारे गैर-सरकारी उद्योगों के लोगों के बीच होड़ को समाप्त कर दिया है क्योंकि ये लोग भारी मात्रा में निर्यात नहीं कर सकते थे और जितनी मात्रा भी वे निर्यात करते थे उसमें वे होड़ लगाते थे, एक दूसरे से कम भाव बताते थे जिससे हमें कम विदेशी मुद्रा मिलती थी। निगम ने इन लोगों को इकट्ठा किया और उनकी रक्षा की। उनका सारा सामान स्वयं खरीदकर उसे विदेशों के बाजारों में भेजा और देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाई।

पहले गैर-सरकारी लोग मनुष्य के बालों का निर्यात करते थे किन्तु उन्हें बहुत कम मूल्य मिलता था क्योंकि उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा होती थी। किन्तु निगम के प्रवेश द्वारा इसका निर्यात भी काफी बढ़ गया और इसके दाम भी अच्छे मिलने लगे।

यह निगम विभिन्न देशों को फल आदि भी भेजता है। 1967-68 में 14 लाख रुपये का फलों का रस पूर्वी यूरोप के देशों को भेजा गया। अतः आप देख सकते हैं कि इस निगम के प्रवेश करने से हमारा व्यापार कितना बढ़ा है।

निगम आयात भी करता है। श्री बिड़ला ने हमें अभी बताया कि आयातित नाइलोन सूत 200 प्रतिशत लाभ पर बिक रहा है। गैर-सरकारी लोग निगम द्वारा निर्धारित मूल्य से दो रुपये अधिक पर बेच रहे हैं और वे इस पर 300 प्रतिशत से भी अधिक लाभ कमा रहे हैं।

यदि इस समय हम नाइलोन यार्न के मूल्यों में कमी कर देते हैं तो देश के सब उद्योग बन्द हो जायेंगे।

राज्य व्यापार निगम ने आयात मंडी में शामिल होकर देश की बहुत बड़ी सेवा की है। देश अखबारी कागज का अब भी आयात कर रहा है। इससे पूर्व समाचार-पत्रों द्वारा किये गये मानक अखबारी कागज का मूल्य 200 डालर प्रति मैट्रिक टन था। राज्य व्यापार निगम के

आयात मंडी में शामिल होने के परिणामस्वरूप वह घटकर 145 डालर प्रति मैट्रिक टन रह गया है। ये ही बात फोटोग्राफी के सामान, वनस्पति तेल, गंधक, राक फास्फेट, पारा और अन्य वस्तुओं के मामले में भी हुई है।

हमारे देश में श्रमिकों को सबसे कम मजदूरी दी जाती है। नारियल की जटा के कारखाने में कार्य कर रहे 7 लाख मजदूरों को 9 घन्टे कार्य करने के औसतन 70 पैसे दिये जाते हैं।

1963 से रबड़ का उत्पादन और उपभोग बढ रहा है। लेकिन उपभोग और उत्पादन के बीच का अन्तर अभी दूर नहीं हुआ है। इसी कारण हमें 1963-64 में रबड़ का आयात करना पड़ा। ऊंचे मूल्यों के परिणामस्वरूप रबड़ उद्योग समाप्त हो जायेगा। रबड़ उद्योग के ही अवनत मूल्य उचित हैं। अतः केरल में रबड़ उद्योग को बढ़ाने के लिए रबड़ का उचित मूल्य निर्धारित करना होगा ताकि उत्पादक, निर्माता और अन्ततोगत्वा उपभोक्ता को भी लाभ हो सके।

जहां तक काजू का सम्बन्ध है, हम 60 प्रतिशत से अधिक कच्चे काजू का आयात कर रहे हैं। इसे अपने देश में उगाने के प्रयत्न किये जाने चाहिये। इसके लिये हमें उत्पादन बढ़ाना होगा और सभी क्षेत्रों से सहायता की आवश्यकता होगी।

सामुदायिक उद्योग को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

नारियल के रेशे के उद्योग का राज्य में विकास किया जाना आवश्यक है। केरल सरकार को एक सुरक्षित भंडार बनाना चाहिये और वहां रेशे को गलाने की सुविधाएं दी जानी चाहिये। हमारा उद्देश्य सूत के और नारियल के रेशों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है।

हथकरघा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिससे देश में हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार ने कार्यवाही की है। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि इस उद्योग को सरकार किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने देगी।

हथकरघा उद्योग से हमें 10 करोड़ रुपये की आय हो रही थी जो अब घटकर 7 या 8 करोड़ रुपये रह गयी है। जहां तक हथकरघा क्षेत्र को रेशा सप्लाई किये जाने का सम्बन्ध है, उस बारे में सरकार विचार कर रही है। माननीय सदस्य को हथकरघा क्षेत्र को रेशा सप्लाई करने के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक सप्ताह में जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अवमूल्यन के बाद यह आशा की जा रही थी कि हमारी निर्यात आय में वृद्धि होगी। लेकिन यह खेद की बात है कि 1965-66 में पटसन निर्यात से होने वाली आय से 497 लाख डालर की कमी हो गई है।

मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया है लेकिन इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।

पटसन निर्माताओं तथा पटसन उद्योगपतियों का कच्ची पटसन, और पटसन के उत्पादन तथा बिक्री आदि पर एकाधिकार है। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, इसलिए मंत्रालय को आरम्भ से ही एक विस्तृत योजना बनानी चाहिये।

जहां तक पटसन का सम्बन्ध है, उद्योगपति चाहते हैं कि हमारे देश में थाईलैंड से कच्ची पटसन का आयात किया जाये। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार इस आयात को रोकने का प्रयास कर रही है और उसने खुला सामान्य लाइसेंस रद्द कर दिया है। सरकार को अपनी इस नीति पर दृढ़ रहना चाहिये।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि किस तरह देश में चोर बाजारी और अन्य गलत बातें चल रही हैं।

क्या पटसन मिल उद्योग के सम्बन्ध में सरकार ने कोई पुनर्विलोकन किया है और यह पता लगाया है कि क्या इस उद्योग के सम्बन्ध में कोई वास्तविक संकट है। जैसा कि विदित ही है कि पटसन उद्योग कुछ स्थानों पर केन्द्रित है। वे श्रमिकों का शोषण करते हैं क्योंकि श्रमिक मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदनों को कभी भी क्रियान्वित नहीं किया जाता और इसके साथ-साथ उन्हें कच्चा पटसन खरीदने का एकाधिकार दिया गया है। वे कृषकों की कीमत पर खरीदते हैं। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि सरकार मूल्य के सम्बन्ध में सहायता कर रही है। पहले उसका मूल्य 35 रुपये था अब वह 40 रुपये दे रही है। लेकिन 40 रुपये का मूल्य कलकत्ते में नियत किया गया था। यह भी स्वीकार किया गया है कि यदि पटसन उत्पादक को कलकत्ते के अतिरिक्त और केन्द्रों पर बेचना होता है तो उसे बहुत कम कीमत मिलती है। इसमें से केवल कुछ अंश ही राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदा जाता है।

उन्हें यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि उनके पटसन का राज्य व्यापार निगम, चाहे व्यापारियों के द्वारा या दूसरी एजेंसी द्वारा कम से कम 40 रुपये की दर पर खरीदेगी। इसके परिणामस्वरूप कृषकों को यह आश्वासन हो जायेगा कि उनको न्यूनतम मूल्य उपलब्ध हो जायेंगे।

जहां तक मिलों का प्रश्न है, पटसन उद्योग कुछ ही स्थानों पर केन्द्रित है। और दूसरे स्थानों की उपेक्षा की जाती है।

उड़ीसा में पटसन मिल की स्थापना करने के लिये कई बार प्रयास किये गए। उड़ीसा के मुकाबले उत्तर प्रदेश में पटसन का उत्पादन आधा भी नहीं है। किस्म की दृष्टि से भी उड़ीसा की पटसन अधिक अच्छी है और उड़ीसा में पटसन की जितनी उपज होती है वह दो मिलों के लिये पर्याप्त है। उड़ीसा सरकार ने चौथी योजना में सहकारी पटसन मिल की स्थापना के लिये 1965 में एक प्रस्ताव रखा था लेकिन कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। पटसन मिल आरम्भ करने के लिये कम से कम अब तो लाइसेंस दिये जाने चाहिये। यदि पटसन मिल आरम्भ करने की अनुमति दे दी जाती है तो इससे औद्योगीकरण सरल हो जायेगा और साथ ही उत्पादक को भी

अच्छा मूल्य मिलेगा। जहां पटसन का उत्पादन नहीं होता वहां लाइसेंस दे दिये गये हैं लेकिन उड़ीसा राज्य को लाइसेंस नहीं दिये गये हैं जहां पटसन का उत्पादन होता है।

श्री प० गोपालन (त्रेल्लीचेरी) : वाणिज्य मंत्रालय ने अपने विदेशी व्यापार की हाल की प्रकृतियों को उज्जवल चित्र प्रस्तुत करने का यत्न किया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

मामले को छिपाने के लिऐ कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। आंकड़ों में यह दिखाया गया है कि 1967 में व्यापार में 1100 लाख अमरीकी डालर का घाटा हुआ लेकिन इन्हीं आंकड़ों में यह दिखाया गया है कि व्यापारिक घाटा जो 1966 में 667.26 करोड़ रुपये का था 1967 में बढ़कर 751.9 करोड़ रुपये का हो गया था। लेकिन रिजर्व बैंक के अनुसार केवल दिसम्बर में व्यापार संतुलन में 56.8 करोड़ रुपये का घाटा था जिससे स्पष्ट हो जाता है कि पिछले 12 महीनों में 808 करोड़ रुपये का अन्तर था। निर्यात व्यापार में नाममात्र वृद्धि हुई है, फिर भी हमें देखना चाहिये कि किस मूल्य पर यह नाम मात्र वृद्धि हुई है। हम निर्यात को प्रोत्साहन देने के नाम से रेलवे भाड़े में रियायत तथा अन्य बहुत सी रियायतें दे रहे हैं। राजकोष को इतने नुकसान के बावजूद निर्यात व्यापार में नाममात्र वृद्धि हुई है। जहां तक निर्यात प्रोत्साहन परिषदों का सम्बन्ध है, इसमें तस्कर और उपद्रवी लोगों का राज्य है।

इन प्रोत्साहन परिषदों द्वारा वे देश के हितों का प्रोत्साहन देने की बजाय अपने हितों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1961-62 में व्यापारिक घाटा 431 करोड़ रुपये था जो 1966 में बढ़कर 844 करोड़ रुपये हो गया था।

हमारा अधिकांश निर्यात व्यापार पश्चिम के पूंजीपति देशों के साथ होता है। जो वस्तुएं उन देशों में भेजी जाती हैं उनका मूल्य प्रतिवर्ष घट रहा है जबकि उन वस्तुओं का मूल्य जिनका हम आयात करते हैं धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप हमारे संतुलन की वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है।

केवल 1966 में ही विश्व के विकसित देशों को 70 करोड़ रुपये की हानि व्यापार असंतुलन के कारण हुई। दुनिया के 80 से अधिक प्रतिशत व्यापार पर तथाकथित विकसित देशों का नियंत्रण है। वे कोई रियायत नहीं देना चाहते और वे अपनी वर्तमान विशेषाधिकार की स्थिति भी नहीं छोड़ना चाहते। यही कारण है कि द्वितीय संयुक्त राष्ट व्यापार तथा विकास सम्मेलन अपने उद्देश्य पूरा करने में असफल रहा।

हमारे घरेलू व्यापार में कमी हुई है। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर जो 1963 में 9.4 प्रतिशत थी घटकर 1.4 प्रतिशत रह गई है। कपड़ा उद्योग संकट में है। केरल में हथकरघा उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य व्यापार निगम बहुत धीमी गति से कार्य कर रहा है। इसे गैर-सरकारी अभिकरणों से भी सख्त मुकाबला करना पड़ रहा है। इसको दूर करने का केवल एक उपाय है और वह यह कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं।

हमारी अर्थ व्यवस्था का विश्व की पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था से घनिष्ठ सम्बन्ध है। विश्व के सब पूंजीपति देशों ने डालर संकट पर चिन्ता व्यक्त की है। चीन ने स्वाधीनता के 19 वर्षों में एक शक्तिशाली अर्थ व्यवस्था का निर्माण किया है और इस देश के 75 करोड़ व्यक्तियों का भविष्य उज्जवल है।

भारत और पाकिस्तान के बीच दूर संचार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : TELECOMMUNICATION SERVICES BETWEEN INDIA AND PAKISTAN

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : भारत तथा पाकिस्तान के दूरसंचार प्रशासनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक नई दिल्ली में 30 मार्च से 2 अप्रैल, 1968 तक हुई।

भारतीय दल का नेतृत्व डाक-तार बोर्ड के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन ने किया। पाकिस्तानी दल के नेता वहां के तार तथा टेलीफोन के डायरेक्टर जनरल श्री मीर मोहम्मद हुसैन थे।

इन दोनों दलों ने 11 अक्तूबर, 1967 को करांची में हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए दूरसंचार सेवाओं के कार्यासंचालन की पुनरीक्षा की। ऐसा अनुभव किया गया कि दोनों देशों के बीच 1 नवम्बर, 1967 से, जब से कि दूरसंचार सेवाएं फिर से पूर्णतः चालू की गई, सेवाओं के स्तर में बराबर सुधार होता रहा है। इस बैठक में सेवाओं में और अधिक सुधार लाने की दृष्टि से अपनाये जाने वाले उपायों पर विचार किया गया। इस सम्बन्ध में बहुत से उपाय स्वीकार भी किये गये। दोनों ही प्रशासनों ने यह स्वीकार किया कि लाहौर-अमृतसर-नई दिल्ली, कलकत्ता-ढाका तथा करांची-जोधपुर-बम्बई नामक तीन महत्वपूर्ण मार्गों पर अपने-अपने देशों में बेहतर ढंग के उपस्कर स्थापित किये जाएं। आशा है कि सेवाओं में सुधार लाने का यह कार्य मई, 1968 के मध्य तक पूरा हो जायगा।

दोनों दलों ने दोनों देशों के बीच आने-जाने वाले परियात के स्वरूप की जांच की और ऐसा अनुभव किया गया कि दोनों देशों के मध्य परियात का मुक्त आदान-प्रदान सुनिश्चित करने की दृष्टि से लेखा पद्धतियों को सुविधापूर्वक सरल बनाया जा सकता है जो कि दोनों देशों के पारस्परिक हित में होगा। विचार विनिमय के बाद यह स्वीकार किया गया कि दोनों देशों के बीच विनिमय किये जाने वाले सीमान्त परियात से प्राप्त राजस्व में किसी प्रकार की साझेदारी नहीं होगी। यह समझौता 1 नवम्बर, 1967 से दोनों देशों के बीच आने जाने वाले पूरे परियात पर लागू होगा।

साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि एक देश से दूसरे देश को भेजे जाने वाले तार तथा टेलीफोन सम्बन्धी परियात की दरें दोषमुक्त कर दी जाएं और वे दोनों दिशाओं में एक सी हों। दोनों दलों ने यह स्वीकार किया कि यदि परियात में विकास हुआ तो किस्म तथा क्षमता की दृष्टि से परिपथों को और अधिक विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

ये विचार विनिमय पूर्णतः मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुआ और दोनों ही पक्षों की ओर से दोनों देशों के मध्य दूरसंचार परियात के विनिमय को प्रोत्साहित करने की हार्दिक इच्छा प्रकट की गई।

सामान्य आयव्ययक, 1968-69—अनुदानों की मागें—जारी

GENERAL BUDGET, 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—contd.

वाणिज्य मंत्रालय

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : It has been said that the private sector is earning 700 percent profit on nylon yarn. It shows the misappropriation going on in that department. No action has been taken in this regard. This huge profit in private sector is due to the fault of the Government.

The S. T. C. is making a huge profit. It is earning a profit of 60 percent on nylon yarn which it is importing. After all, how is it earning this profit? Government is not procuring it, it is the common men who are purchasing it. Since the S. T. C. is a public undertaking, it is not proper on its part to earn such a high margin of profit. It appears that the insufficient control by Ministers over the S.T.C. officers is mainly responsible for this huge profit being made by them.

Today large-scale smuggling is going on in nylon yarn, because there is a high margin of profit on this yarn. Unless and until the percentage of profit on nylon yarn in the private sector as also the margin of profit earned by the S. T. C. are reduced, it is not possible for us to check smuggling in nylon yarn. So it is necessary to take positive measures in this direction.

One may agree with the view indicated by our Commerce Minister, Shri Dinesh Singh at a meeting of the Consultative Committee attached to his ministry that the S.T.C. connot function on a no-profit no-loss basis. At the same time it can also not be justified that a concern like S. T. C. should indulge into such profiteering. It has earned a profit of 39 percent on its total investment. It is not proper that it should make such a huge profit.

It was indicated that the Government was considering the appointment of a committee to review the activities of the State Trading Corporation. In this regard, it may be suggested that the proposed committee should include such members of Parliament also as have the knowledge of its scandalous deals and who can expose them. Institution of inquiry against all the corrupt officials of the S.T.C. is very much desirable and necessary.

The Annual Report of the Ministry reveals that the Tea Board has been getting huge amounts in the form of yearly grants from the Government for the last several years. But it is not functioning properly ; its functioning is very unsatisfactory. The export of tea has declined considerably because it is dominated mainly by pro-British bureaucrats and some of

them subserve the interests of industrialists. Foreign planters are setting up new plantations in Africa and under influence the officers of the Tea Board make little efforts to popularise and promote exports of our tea in foreign countries.

Our Government is working under the influence of the capitalists. They are swayed over by the corrupt officials also. The Duraiswamy case is a glaring example. When serious charges of corruption were levelled against Shri Duraiswami, the former textile commissioner, on the floor of this House, he was simply transferred to the Ministry of Transport as Joint Secretary and no action was taken against him. Thus our Government encourages corruption.

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : राज्य व्यापार निगम के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। फिर भी हमें यह मानना पड़ेगा कि वह अपने कार्य में बहुत हद तक सफल रहा है और अच्छी प्रगति कर रहा है उसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप आज हमें पूर्व यूरोपीय देशों में नये बाजार मिल रहे हैं, यह सच है कि कहीं-कहीं पर यथा चप्पलों आदि के मामलों में उसकी आलोचना हुई है, फिर भी सभी बातों को देखते हुए इसमें सन्देह नहीं कि राज्य व्यापार निगम का काम सराहनीय है और देश को उसके माध्यम से लाभ हो रहा है।

अब मैं सीधे सूती कपड़ा उद्योग की समस्या पर आऊंगा। पिछले इस उद्योग ने कहा था कि रुई के मूल्य अधिकतम निर्धारित मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक हैं और इसलिये उस पर से नियंत्रण हटा लिया जाना चाहिए। इस वर्ष फसल काफी अच्छी हुई है और रुई के भाव गिर गये हैं। आज जब कि कृषक शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं, फिर भी यह कहा जाता है कि इस उद्योग में संकट बना हुआ है और इसी आधार पर हाल में निर्यात शुल्क समाप्त करने, रुई की खरीद को नियमित करने तथा नियंत्रण हटाने की मांग की गई है और लोक-हित के नाम पर उन्हें मानने के नारे लगाये जा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि इन मांगों को मांगना सार्वजनिक हित में है। यह उद्योग काफी पुराना तथा सुसंगठित है और इसे संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कल ही एफ० आई० सी० सी० आई० में एक प्रतिनिधि श्री केसरीवाल ने कहा है कि सूती कपड़ा उद्योग ने 20 वर्षों तक बहुत धन कमाया है जिसे अन्य प्रयोजनों पर खर्च किया गया। इस उद्योग की मांग हमेशा यही रही है कि सरकार उत्पादन शुल्क में छूट दे। और अब भी यह उद्योग वही मांग कर रहा है जिससे जनता पर अधिक बोझ पड़े। सरकार को कपड़ा उद्योग के इरादों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कपड़ा निगम प्रस्ताव शायद मंत्रिमंडल समिति के पास गया है और बेहतर यही है कि इस उद्योग को केवल निर्यात के मामले में ही नहीं अपितु देश में उत्पादन तथा देशी बाजार के सम्बन्ध में भी कपड़ा निगम के हवाले कर दिया जाये।

चाय उद्योग में अब भी यूरोपीय स्वार्थों का बोल-बोला है। चाय का 98 प्रतिशत व्यापार यूरोपीय लोगों के हाथ में है। दुर्भाग्यवश चाय बोर्ड पर भी यूरोपीयों का ही बोल-बाला बना हुआ है क्योंकि उसमें बहुत-से यूरोपीय लोग हैं। वास्तव में मैंने देखा कि इन लोगों ने चाय में सभी संचालन कार्यों की पूर्णतः उपेक्षा की और इससे चाय बागानों का विस्तार हुआ और

बागानों को फिर से लगाना पड़ा । उन्होंने वे सभी काम बन्द कर दिये जो चाय के पेड़ों को बनाये रखने के लिये अत्यावश्यक थे, वे केवल चाय पत्तियां तोड़ने का काम कर रहे हैं जिस पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता । इस दिशा में सरकार का कोई भी प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि इन यूरोपीय लोगों की, जो भारत से बाहर के बागानों के हित में इन बागानों का परित्याग करने की कोशिश कर रहे हैं, समस्या पर भी विचार नहीं किया जाता, इस समस्या पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है । जहां तक व्यापार चेनल का सम्बन्ध है, इसे सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना चाहिए । चाय को पैक करने का प्रश्न, जो महत्वपूर्ण है, इस सभा में कई बार उठाया जा चुका है, चाय को भारत में ही पैक किये जाने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और इस समस्या को हल करना जरूरी है । जहां तक पटसन उद्योग का सम्बन्ध है, भारत को उससे विदेश मुद्रा प्राप्त होती है । यह उद्योग संकट में है और उसे बाजार में मुकाबला करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इस उद्योग का किसी न किसी रूप में आधुनिकीकरण करना जरूरी है । अन्यथा वह प्रतियोगिता का मुकाबला नहीं कर सकता । अनुसंधान से भी इस उद्योग में कोई खास प्रगति नहीं हुई है । इस उद्योग के लिये जरूरी है कि वह सूती कपड़े का जैसा रेशा तैयार करे । वह इस दिशा में कुछ प्रगति तो कर रहा है किन्तु वह अपेक्षित सीमा तक नहीं है । इस उद्योग को पूर्णतः एक नया रूप देना जरूरी है ताकि वह बाजार में मुकाबला कर सके और लुढ़कने न पाये । सरकार से इस उद्योग की सहायता करने की मांग की गई है और इस समय सरकार को मदद देनी भी चाहिए । किन्तु इस उद्योग को स्वावलम्बी होना आवश्यक है । इस प्रयोजन के लिये पटसन उद्योग तथा सूती कपड़ा उद्योग दोनों से ही कहना पड़ेगा कि उन्हें अनिवार्यतः आधुनिकीकरण करना होगा और जब तक ये उद्योग आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को न अपनावें, तब तक उन्हें मुनाफा घोषित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : रुई के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है । रुई-67 को लीजिये—इस वर्ष के आरम्भ में उसकी कीमत की शुरुआत लगभग 2400 रुपये से हुई, बाद में गिर कर वह 1800 रुपये हो गई और फिर अब बढ़ कर 2150 रुपये है । हालांकि सरकार की यह घोषित नीति है कि कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्यों में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होने दिया जायेगा, फिर भी पिछले वर्ष रुई के मूल्यों में काफी मन्दी व तेजी आती रही जैसा कि मैंने उदाहरण दिया है । यदि समर्थन-मूल्यों के रूप में सरकारी सहायता अथवा कार्यवाही की जरूरत पड़ती है, तो फिर मूल्यों को जहां तक संभव हो, समान स्तर पर बनाये रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । सरकार रुई के बारे में अपनी घोषित नीति का भी अनुसरण नहीं करती, दूसरी ओर, जब कभी प्रतिबन्ध लगाती है, वे कृषकों के हितों के विरुद्ध होते हैं, गत वर्ष निर्धारित किये गये समर्थन मूल्य अन्य वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में बहुत कम थे ।

अप्रैल के अन्त तक सारी फसल बाजार में आ जाएगी । लगभग 8 महीनों तक किसी न किसी को, चाहे वह मिल हो, व्यापारी हो या कृषक हो, वह माल अपने पास तो रखना ही पड़ेगा । लेकिन सरकार ने मिलों पर प्रतिबन्ध लगाया है कि वे अपने पास दो या तीन महीने

के स्टाक से अधिक नहीं रख सकते। जहां तक व्यापारियों का सवाल है यदि वे स्टाक रखने के लिये तैयार भी हो जायें, तो रिजर्व बैंक के प्रतिबन्ध रोड़े अटकाते हैं। इसलिये अन्त में सारा बोझ किसान पर ही पड़ेगा जो उसे ढोने में असमर्थ है, अर्थात् वे इतने लम्बे समय तक स्टाक नहीं रख सकते और परिणाम यह होगा कि मूल्य गिर जायेंगे। मई-जून से फिर मूल्य बढ़ने लगेंगे क्योंकि तब तक पूरी मांग तथा पूर्ति का पूरा-पूरा अनुमान लग जायेगा, इन प्रतिबन्धों का परिणाम यह होगा कि सारा माल व्यापारियों के हाथ में आ जायेगा और मूल्य बढ़ने लगेंगे जिसका लाभ किसान को नहीं अपितु व्यापारी अथवा मिलों को पहुंचेगा। हम देखते हैं ऐसा इस वर्ष या गत वर्ष ही नहीं हुआ बल्कि पिछले 25 वर्षों से ऐसा होता चला आ रहा है।

द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में 4 या 5 संसद् सदस्य भेजे गये। लेकिन वे सभी सत्ताधारी दल के थे। जहां तक उपरोक्त सम्मेलन के उद्देश्यों तथा हमारी नीति के सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, उनमें कोई दलगत भेद नहीं है। इस मामले में हम सब एक हैं। इस सभा में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो उपरोक्त सम्मेलन के सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों से सहमत न हो और उनका समर्थन न करता हो। इस दृष्टिकोण से कौन सहमत नहीं होता कि विकसित देशों को विकासशील देशों से व्यापार को बढ़ावा देने के लिये कुछ प्रतिबन्ध हटाने चाहिए? इसलिये सरकार को वहां ऐसे व्यक्ति भेजने चाहिये थे जिन्हें इस विषय की जानकारी थी और जो हमारे देश के लिये उचित वातावरण तैयार कर सकते थे और जिससे देश को लाभ होता। इस बारे में दलगत विचारों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए था कि कौन सदस्य किस दल का है। आशा है भविष्य में सरकार ऐसे मामलों पर व्यापक दृष्टिकोण अपनायेगी।

श्री बाबू राव पटेल (शाजापुर) : गत वर्ष राज्य व्यापार निगम ने 156 करोड़ रुपये के सौदे किये जिस पर उसे 87 लाख रुपए मुनाफा हुआ जो 6 प्रतिशत बैठता है। एक ऐसे उपक्रम के लिए जिसकी प्रदत्त पूंजी 2 करोड़ रुपए है और जिसने 775 लाख रुपए स्टेट बैंक आफ इन्डिया से ऋण लिये हैं, यह बहुत ही लज्जाजनक कारोबार है। हमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इस निगम में ऐसे उच्च अधिकारियों की आवश्यकता है, जो कर्तव्य परायण तथा इमानदार हों। प्रश्न यह है कि क्या उसमें ऐसे प्रमुख अधिकारी हैं।

सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति ने गन्धक के सौदे के बारे में हाल ही में हमें एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें करोड़ों रुपये का घोटाला है। इस सौदे में मस्कट ब्रदर्स को, जो बूटों के दलाल थे, और जिन्हें गन्धक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी जीवन में पहली बार राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष द्वारा गन्धक की जानकारी कराई गई क्योंकि वे इस अध्यक्ष के मित्र थे और अध्यक्ष ने उनमें गन्धक व्यापार के प्रति दिलचस्पी पैदा की जिसके परिणामस्वरूप उनके साथ 15 करोड़ रुपए का ठेका किया गया। हालांकि तत्कालीन वित्त मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी ने उस पर इस बिनाह पर स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया कि इतना बड़ा सौदा बिना उचित छानबीन के नहीं किया जा सकता। यह 23 अगस्त की बात थी, लेकिन 7 सितम्बर को राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष ने उनसे उस आदेश पर हस्ताक्षर करवा लिये और उनकी अनुमति

प्राप्त कर ली गई। लेकिन इस बीच अमरीका में डन एण्ड ब्रेडस्ट्रीट लोगों से भी इन मस्कट ब्रदर्स के बारे में रिपोर्ट देने के लिये कहा गया था और 10 सितम्बर को डन एण्ड ब्रेडस्ट्रीट से रिपोर्ट पहुंची जिसमें यह कहा गया था कि मस्कट ब्रदर्स का किसी सम्मानीय बैंक में कोई खाता तक नहीं है।

इसके पश्चात—केवल एक ऐसा खण्ड (क्लौज) था जिसने हमें बचाया। मस्कट ब्रदर्स द्वारा एक निष्पादन बौंड निष्पादित किया जाना था जिसके अन्तर्गत 5 प्रतिशत राशि भारत सरकार के पास जमा की जानी थी। अमरीका में कोई भी बैंक मस्कट ब्रदर्स के साथ जोखिम उठाने को तैयार नहीं हुआ लेकिन राज्य व्यापार निगम ने मस्कट ब्रदर्स के नाम पर चेज मनहाटन बैंक में 15 करोड़ रुपये जमा करा दिए। यह समूची राशि एक दिन के अन्दर दी गई। इस राशि पर, जो स्टेट बैंक आफ इंडिया से ऋण ली गई थी, 9 लाख रुपये ब्याज के रूप में देने पड़े। इतना ही, राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष ने भारत में "अमर ज्योति" नामक एक और जाली कम्पनी खोजी जिसे श्रीमती सत्यादत्त द्वारा चालू किया गया था और जिसे बिना कुछ किये कमीशन के रूप में 11 लाख रुपए मिलने थे। सौभाग्यवश, चेज मनहाटन बैंक ने मस्कट ब्रदर्स का प्रत्यय पत्र स्वीकार नहीं किया और राज्य व्यापार निगम अध्यक्ष द्वारा आग्रह किये जाने के बावजूद अन्त तक निष्पादन बौंड की गारन्टी देने से इन्कार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप सारा सौदा खत्म हो गया। तत्पश्चात, राज्य व्यापार निगम का बर्ताव देखिए। मैंने क्लीयरिंग (निकासी) एजेंटों के बारे में, जो व्यापार फर्में होती हैं, पूरी जानकारी मालूम करने के लिए एक प्रश्न पूछा लेकिन उसने इस आधार पर जानकारी देने से इन्कार कर दिया कि ऐसा करना निगम के हित में नहीं है।

श्री एम० आर० दत्त, जो श्रीमती सत्यादत्त के पति हैं, मैसर्स एम० आर० दत्त एण्ड कं० के रूप में उस बूट के सौदे में पुनः प्रकट हुए जो हमने मस्कट ब्रदर्स डनबार बूट कम्पनी और ओवल इन्डस्ट्रीज के साथ किये थे। उसे अमरीका में हमारे जूते बेचने के लिये 13,000 रुपये का कमीशन दिया गया था। इससे सन्तुष्ट न होने पर उसे 30,000 रुपए का कमीशन पेशगी के रूप में दिया गया। राज्य व्यापार निगम द्वारा एक ही व्यक्ति पर और बार- बार क्यों कृपा की जा रही है ? वह इस निगम के किसी अधिकारी का जरूर रिश्तेदार होगा।

मैंने समाचार-पत्र में राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों द्वारा 3 वर्ष की अवधि में विदेशी दौरों पर खर्च की गई राशि के सम्बन्ध में, जो 9 लाख रुपए थी, एक लेख निकाला। उसके प्रकाशित होने पर राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष मेरे पास आये और उन्होंने मुझसे इस बारे में आगे मौन रहने का आग्रह किया। इसके बाद मुझ पर प्रभाव डालने के लिए वह ग्वालियर की राजमाता के पास ग्वालियर गये। मुझे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने उन्हें इस मामले में एक पत्र भी लिखा।

आज-कल नौकरशाही के लोग मंत्रियों से बड़े बन रहे हैं और वे देश के भविष्य को गलत मोड़ दे रहे हैं। नौकरशाही पर एक विशेष अवस्था में रोक लगाया जाना जरूरी है लेकिन

ऐसा केवल मंत्रिगण ही कर सकते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि मंत्रिगण ही उनके इशारों पर काम कम रहे हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : श्री बाबू राव पटेल द्वारा लिखे गये पत्र से यह स्पष्ट है कि राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष संसद सदस्यों के कार्य में बाधा डालते हैं। यह विशेषाधिकार का मामला है। इसलिए मैंने आपका ध्यान इस ओर दिलाया है। कल को मैं इसे लिखित रूप में दे दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है। यदि आप इस पर जोर देंगे और यदि यह नियमाधीन हुआ हो तो हम इस पर विचार करेंगे।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : वाणिज्य मंत्रालय के कार्य के बारे में सुझाव और सहयोग देने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। सीमित समय में माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी बातों का उत्तर दिया जा सकना मेरे लिए सम्भव नहीं है। फिर भी मैं अधिक से अधिक बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। किन्तु मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी बातों पर विस्तारपूर्वक विचार करके उचित कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्य इस बारे में पत्र व्यवहार द्वारा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते रह सकते हैं।

माननीय सदस्यों ने मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग की बात कही है। यह उद्योग भारत का सबसे अधिक प्राचीन उद्योग है। इस समय देश में लगभग 600 कपड़ा मिलें हैं और उनमें लगभग 10 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। कुछ समय से इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस उद्योग की मुख्य समस्या आधुनिकीकरण की है। इस समस्या की गम्भीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगले पांच वर्षों में इस उद्योग के आधुनिकीकरण को सामान्य कार्यक्रम के अनुसार इस पर 200 करोड़ व्यय होंगे। इस उद्योग में इतना अधिक असंतुलन होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस उद्योग से होने वाली आय को इसके विकास में नहीं लगाया जाता है। यह एक विचित्र सी बात है इस उद्योग से प्राप्त होने वाली आय को रासायनिक पदार्थ, वनस्पति, उर्वरक, चीनी, कास्टिक सोडा जैसे अन्य उद्योगों में लगाया जाता है जिससे इस उद्योग की उपेक्षा होती है और यह उद्योग उन्नति नहीं कर पाता है। यही स्थिति यदि रही तो यह असंतुलन बहुत अधिक बढ़ जायेगा। जब तक यह उद्योग अपनी आय का कुछ भाग व्यय करके आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर नहीं चलाता तब तक कोई भी सरकार इस उद्योग की समस्या को हल नहीं कर सकती।

इस उद्योग के मालिक श्रमिकों पर यह कह कर दबाव डालेंगे कि रुई के मूल्य अधिक होने अथवा अधिक मजूरी होने के कारण वे इस उद्योग को बन्द करने जा रहे हैं। इसलिए जब तक श्रमिक और रूई उत्पादक दृढ़ता से संगठित नहीं होते और इस उद्योग के मालिकों का साहस-पूर्वक सामना नहीं करते, तब तक उन्हें भविष्य में कठिनाई होती रहेगी। यदि इस उद्योग के

मालिक इस उद्योग का वैज्ञानिक और उचित ढंग से आधुनिकीकरण चाहें तो सरकार इस कार्य के लिए अपनी क्षमता के अनुसार उनकी पूरी तरह सहायता करेगी। सरकार ने इस उद्योग को मशीनें खरीदने के लिये पर्याप्त ऋण सुविधाएं दी हैं। रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्ति की है जो यह देखेंगी कि रिजर्व बैंक इस उद्योग को किस प्रकार पूंजी सम्बन्धी सहायता दे सकता है। सरकार ने इस उद्योग के निर्यात को प्रोत्साहन देकर उसकी सहायता करने का प्रयत्न किया है और इस उद्योग के माल की बिक्री के लिए विदेशों में हम मंडियों का भी पता लगाते हैं।

रुई के मूल्यों के बारे में सभा को चिन्ता है। हमें उन कपास उत्पादकों के साथ सहानुभूति है जिन्हें पिछले कुछ महीनों में कपास के मूल्य में भारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। हम उत्पादकों को बता चुके हैं कि कपास के मूल्य पर से नियंत्रण हटाने से कपास के मूल्य की समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता है। किन्तु वे फिर भी इस बारे में उत्सुक थे और हमने मूल्य पर से नियंत्रण हटाकर उन्हें यथासंभव सहयोग देने का निश्चय किया है। हमने कपास के लिए सहायता मूल्य की घोषणा की। यद्यपि मूल्यों में पर्याप्त उतार चढ़ाव रहा किन्तु जो दरें हमने निश्चित की थीं उससे दरें नीचे नहीं गिरीं। माननीय सदस्यों को अच्छी तरह पता है कि कपास के मूल्य अधिकतम निर्धारित मूल्य से नीचे नहीं गिरे। वास्तव में किसानों के सामने कई पहलू हैं। कभी एक वस्तु की मांग बढ़ जाती तो किसान उसी की अधिक पैदावार करने लगते हैं और जब उसकी मांग कम हो जाती तथा उसके मूल्य घट जाते हैं तो किसान अधिक मांग वाली वस्तु का उत्पादन करने लग जाते हैं। इससे उनके सामने एक अनिश्चितता सी बनी रहती और वे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यापारिक फसल की खेती युक्तियुक्त ढंग से उचित अनुपात में की जाए जिससे किसानों के लिए निश्चितता बनी रहे।

माननीय सदस्यों में यह भय निराधार है कि कुछ महीनों में कपास के मूल्य गिर जायेंगे। मूल्य गिर जाने पर हम समर्थन मूल्य देते हैं।

अब मैं देश में कपास के उत्पादन के बारे में कुछ कहूंगा। भारत में कपास का उत्पादन उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसके उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि उन्हें कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये यथासंभव प्रयास करने चाहिए। इस सम्बन्ध में सहायता देने के बारे में सरकार कुछ उपायों की घोषणा कर चुकी है। भविष्य में और अधिक सहायता दी जायेगी। पाकिस्तान के कपास के मूल्य की तुलना में भारतीय कपास के मूल्य अधिक हैं जब कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अतः हमें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की दृष्टि से भी कपास के मूल्यों पर ध्यान देना है।

कुछ माननीय सस्दयों ने अनेक सुझाव दिये हैं। यदि वे किसानों के हित में हैं तो मैं उन्हें मानने के लिए तैयार हूं। किसानों को तत्काल सहायता देने के लिये हम उन ऋण सुविधाओं

को, जो कपास की खरीद के लिये मिलों को दी जाती हैं, उदार बना देंगे। हम इस उद्योग से भी अनुरोध करेंगे कि उसने इस सम्बन्ध में अपनी इच्छा से जो प्रतिबन्ध लगा रखे हैं उनको वह हटा लें। आशा है इस मामले में वह हमसे सहयोग करेगा। हम कृषि मूल्य आयोग से कहेंगे कि वह न्यूनतम मूल्य कुछ अधिक निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करे।

अब अपने विदेश व्यापार के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। वर्ष 1966-67 में हमने लगभग 1,900 करोड़ रुपये मूल्य के सामान का आयात किया और लगभग 1,100 रुपये के मूल्य के सामान का निर्यात किया। इस प्रकार हमारे निर्यात और आयात में 800 करोड़ रुपये का अन्तर रहा। हम सदा यह प्रयत्न करते रहते हैं कि हमारा निर्यात अधिक से अधिक बढ़े। व्यापार सन्तुलन किसी देश के पक्ष में होना अच्छा होता है। किन्तु विकासशील देशों को अपने देश को विकसित बनाने के लिये कुछ समय तक विदेशों से अधिकमाल मंगाना ही पड़ता है। हम निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये यथासम्भव प्रयत्न करते हैं। हमने कुछ ऐसी चुनी हुई वस्तुओं के लिये नकदी के रूप में प्रोत्साहनों की घोषणा की है जिनका निर्यात किया जा सकता है। हम नई वस्तुओं के निर्यात को भी बढ़ावा देते हैं। इस वर्ष इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने का भी हमें सुअवसर मिला है। हमने इस संबंध में जो व्यवस्था कर रखी है, मैं समझता हूं कि वह पर्याप्त संतोषजनक है।

हमने निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात शुल्क कुछ कम कर दिया है। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि निर्यात शुल्क बिल्कुल समाप्त कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि निर्यात शुल्क बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय तो हमारे माल का इकाई मूल्य समाप्त हो जायेगा और इससे हमारी विदेशी मुद्रा की आय घट जायेगी।

मैंने कल आयात नीति की घोषणा की है। इसके अनुसार उस उद्योग को जिसके पास अपने उत्पाद के लिये 10 प्रतिशत का निर्यात करने की क्षमता होगी उसे अपने कच्चे माल के लिये साधन जुटाने के लिए तथा अपने विस्तार के लिये प्राथमिकता दी जायेगी। इसके साथ ही विदेशों से बाहर से आयात करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं। किसी ऐसी वस्तु के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसका निर्माण देश में हो सकता है या हो रहा है। इसलिये हमने अपनी ओर से वे सभी उपाय किये हैं जो हम निर्यात बढ़ाने तथा आयात कम करने के लिये सोच सकते थे। आशा है इस मामले में हमें इस सभा तथा व्यापारियों आदि सभी का सहयोग मिलेगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अप्रैल से दिसम्बर, 1967 की अवधि में हमने अपने निर्यात में 710 लाख डालर की वृद्धि की है, यद्यपि यह रकम बहुत कम है। अब हम निर्यात वित्त, बाजार अनुसन्धान प्रबन्ध प्रशिक्षण और विदेशों में निर्यात-प्रशिक्षण की सुविधाएं दे रहे हैं।

हमारी अर्थ-व्यवस्था की एक अच्छी बात यह है कि समाजवादी देशों के साथ व्यापार से हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। समाजवादी देशों के साथ हमारा व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में है। हम अर्थ-व्यवस्था में समाजवाद लाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 208 करोड़ रुपये का आयात किया था जब कि हमारा निर्यात 211 करोड़ रुपये का था।

पश्चिमी यूरोप के देशों तथा अमरीका के साथ हमारा व्यापार संतुलन हमारे प्रतिकूल रहा है। उन देशों से हमने 804 करोड़ रुपये का आयात किया था जब कि उन देशों को हमारा निर्यात 245 करोड़ रुपये का रहा। निर्बाध व्यापार के सभी पहलुओं पर हम अच्छी तरह विचार करेंगे।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली-दक्षिण) : निर्यात के मामले में अपनी असफलता के लिये आप दूसरे लोगों को दोषी क्यों ठहराते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : व्यापार मैं नहीं करता हूं। व्यापार निर्यात करता है।

यह पहला अवसर है जब कि इतने बड़े पैमाने पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्यालय से अन्य किसी स्थान पर आयोजित किया गया हो। इस सम्मेलन में हमें यह अवसर मिला कि हम कठोरतम वास्तविकता अर्थात् मुद्रा के क्षेत्र में अन्य देशों के कारोबार की परख करें और हमने उनकी प्रतिक्रिया देख ली है। हमने इसके निष्कर्षों पर अन्य विकासशील देशों के साथ ही निराशा प्रकट की है। किन्तु हमें फिर भी आशा है कि थोड़े समय के बाद ही उनमें से कुछ विचारों को कार्यरूप दिया जायेगा जिससे विकासशील देश अपनी स्थिति में सुधार कर सकेंगे।

माननीय सदस्य श्री बाबूराव पटेल ने राज्य व्यापार निगम का प्रश्न उठाया था। इस सम्बन्ध में मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम द्वारा सौदों का प्रश्न जांच के लिए इस सभा की एक समिति के सामने था जिसने अपने निष्कर्ष सरकार को भेज दिये थे और सरकार ने समिति को उनका उत्तर भी भेज दिया है। जब तक मामला पूरी तरह निपट नहीं जाता तब तक सभा में उसके बारे में किसी प्रकार का उल्लेख करना परम्परा के विरुद्ध होगा। फिर भी मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि कुछ समय बाद सभा को सभी तथ्यों के बारे में जानकारी मिल जायेगी। इस समय मैं केवल यह कह सकता हूं कि राज्य व्यापार निगम ने गंधक वितरण के एकाधिकार को समाप्त करने और देश को गंधक का आयात करने के बारे में निष्ठापूर्वक यथासम्भव प्रयत्न किये हैं। मैं यह मानता हूं कि हमने कुछ गलतियां की होंगी किन्तु उन गलतियों पर विचार करके ही हम कुछ सीख सकते है।

श्री बलराज मधोक : कुछ स्पष्ट आरोप लगाये गये हैं। क्या सरकार उन आरोपों को स्वीकार करती है अथवा उनका खण्डन करती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मामला समिति को सौंपा गया है। समिति के निर्णय के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री दिनेश सिंह : देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण के लिये मैं श्रीमती सुचेता कृपालानी का आभारी हूं। निर्यात बढ़ाने का हमारा सदैव प्रयत्न रहा है।

माननीय सदस्यों ने निर्यात नीति सम्बन्धी संकल्प का भी उल्लेख किया है। निर्यात

सम्बन्धी नीति बहुत विचार-विमर्श के बाद ही निर्धारित की जाती है। हम यथाशीघ्र इसे तैयार करके सभा के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री साल्वे ने रुपये के अवमूल्यन तथा मैंगनीज का उल्लेख किया है। जहां तक रुपये के अवमूल्यन से निर्यात बढ़ने का प्रश्न है, निर्यात में 710 लाख डालर की वृद्धि हुई है। मैंगनीज व्यापार के बारे में मैं माननीय सदस्य से किसी समय विचार-विमर्श करने के लिये तैयार हूं।

श्रीमती लक्ष्मी बाई ने खादी का उल्लेख किया है। खादी के बारे में अशोक मेहता समिति बनी थी। इस बारे में समिति द्वारा विस्तारपूर्वक विचार करने के बाद प्रतिवेदन हमें मिल गया है। प्रकाशित हो जाने पर यह प्रतिवेदन सभा के सामने रखा जायेगा। सरकार इस समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी।

जहां तक लौह अयस्क के व्यापार का सम्बन्ध है, जापान के साथ लौह अयस्क के अपने व्यापार के बारे में हम बहुत जागरूक हैं। हम अगले 15 वर्ष की अवधि में जापान को 60 लाख टन प्रतिवर्ष लौह अयस्क की सप्लाई करेंगे और वर्ष 1972 के बाद हम जापान को 2 करोड़ 50 लाख टन लौह अयस्क प्रति वर्ष सप्लाई करेंगे। किन्तु समस्या का अन्त लौह अयस्क बेचने से नहीं अपितु लोहा बेचने में है जिससे हमारे उद्योग को लाभ हो सके। हमने इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हमने इस वर्ष रूस को 200,000 टन इस्पात सप्लाई करने के बारे में एक करार किया है जो कि 10 लाख टन तक बढ़ सकता है।

माननीय सदस्य श्री द्विवेदी ने पटसन के प्रश्न का उल्लेख किया है यह व्यापार में अनेक जटिलताएं हैं। हमने उसके मूल्य निर्धारित करने के बारे में राज्य सरकार तथा सहकारी समितियों के माध्यम से प्रयत्न किया था। फिर भी हमें आशा है इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था हो जायेगी।

माननीय सदस्य श्री बिड़ला ने प्रशुल्क समाप्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह नहीं बताया कि इसके बिना कैसे काम चलेगा तथा इसके स्थान और दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है। यदि निर्बाध व्यापार कर दिया तो भी मूल्य निर्धारित करने और लागत ढांचा आदि के लिए कुछ एजेंसियों की आवश्यकता तो रहती ही है।

माननीय सदस्यों ने पूंजी के बाहर चले जाने का भी उल्लेख किया है। मैं इस सम्बन्ध में यह कह सकता हूं कि पूंजी बाहर नहीं जा रही है। हम विदेशों से मशीनें आदि मंगाते हैं। एक विकासशील देश की उन्नति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक होता है। हम मशीनों आदि का दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। ऐसा हमारे लिये अच्छा है। यह हमारे निर्यात में सहायता करता है। विकासोन्मुख देशों का विकास इन्हीं उपायों द्वारा होता है।

सिन्थेटिक और कृत्रिम रेशम पर उत्पादन शुल्क के बारे में माननीय सदस्य श्री कामेश्वर सिंह ने सुझाव दिया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि उनके सुझाव पर विचार किया जायेगा।

माननीय सदस्यों ने श्री दुराई स्वामी का मामला भी उठाया है। उनके मामले की जांच की जा चुकी है और यदि उनके विरुद्ध कोई दोष साबित होगा तो मामला न्यायालय को सौंप दिया जायेगा। इसलिए मैं उस मामले में इस समय कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकता हूं।

आशा है मैंने अधिकांश बातों का उत्तर दे दिया है।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Mr. Deputy Speaker, I come from a jute growing area. The jute mills are located where jute is not produced and where jute is grown there are no mills. Therefore, the prices of jute are crashing resulting decrease in jute production. Unless attention is paid to export of jute and the floor price of jute is fixed at Rs. 60 per maund, the future of jute production will be dark.

Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : We had fixed the prices a little higher than those suggested by the Agricultural Price Commission. Whatever price is suggested by the Price Commission, they will be accepted by Government.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the Cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वाणिज्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं

The following demands in respect of Ministry of Commerce were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	वाणिज्य मंत्रालय	38,92,000
2	विदेशी व्यापार	69,46,65,000
3	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	16,90,18,000
103	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	57,48,000

शिक्षा मंत्रालय

वर्ष 1968-69 के लिये शिक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपए
7	शिक्षा मंत्रालय	81,34,000
8	शिक्षा	47,58,43,000
9	पुरातत्व	1,14,48,000
10	भारतीय सर्वेक्षण	4,48,73,000
11	वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषण परिषद् को अनुदान	15,92,09,000
12	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,95,69,000
105	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	55,26,000

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : सरकार के सभी मंत्रालय में शिक्षा तथा कृषि मंत्रालय ऐसे हैं, जिनमें कुछ समानता है। यह बड़े खेद की बात है कि दोनों के कृत्यों की ठीक-ठीक परिभाषा नहीं दी गई है जिसके कारण वे अपनी सुविधा अनुसार अच्छे काम का सेहरा अपने सिर पर बांध लेते है और गलत काम का दोष राज्यों के सिर मढ़ देते हैं। खाद्यान्न और शिक्षा दोनों के मामले में हम विदेशों पर निर्भर करते हैं और हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में हम शीघ्र ही आत्म-निर्भर हो जायें।

शिक्षा के बारे में केवल यही महत्वपूर्ण बात नहीं है कि केन्द्रीय सरकार शिक्षा के लिये पर्याप्त धन का नियतन करे बल्कि यह भी देखना चाहिए कि ठीक प्रयोजनों के लिये और ठीक समय पर वास्तव में खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं तीन अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में कहना चाहता हूं। प्रथम, क्या सरकार ने संविधान में निहित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के दायित्व को पूरा किया है ? दूसरे, क्या सरकार ने उच्च शिक्षा के लिये, विशेष रूप से विश्व-विद्यालय शिक्षा के लिये, ठीक स्तर निर्धारित किया है ? तीसरे, क्या हमने देश में शिक्षा व्यवस्था का उपयुक्त ढांचा तैयार किया है ताकि देश में शिक्षा का विकास हो सके।

जब वर्तमान मंत्री ने, जो एक इंजीनियर, शिक्षा-शास्त्री और उप-कुलपति रहे हैं, तथा कोठारी आयोग से सम्बन्धित रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला, तो हमने सोचा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में चिर-प्रतीक्षित क्रियाशीलता आयेगी। परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिये उन्होंने संसद् सदस्यों की समिति की बैठक सुबह अथवा शाम जब भी बुलाई हम संसद् का काम छोड़कर पहुँचे। आठ महीने हो चुके हैं। इस अवधि में उन्होंने क्या किया है ? बहुत सी बातों पर तुरन्त अमल किया जा सकता था। उन्होंने क्रियाशीलता का परिचय नहीं दिया है। इसलिये उनके मंत्रालय की सभी मांगों को स्वीकार करने में संकोच होता है।

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठसीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा स्थापित करने के लिये हमारे देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की अपेक्षा की गई थी। लोकतंत्र के सफल होने के लिये एक विशेष स्तर तक शिक्षा एक बुनियादी शर्त है। इसी कारण से हमारे संविधान में एक निश्चित आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है और यह कहा गया कि 10 वर्ष की अवधि में ऐसा हो जाना चाहिए। क्या हमारे पास धन की कमी रही है अथवा शिक्षकों की कमी रही है ? इन दोनों के सम्बन्ध में हमारे देश में साधनों की कमी नहीं रही है। देश में बहुत से शिक्षित बेरोजगार हैं। वास्तव में देश में ऐसा कोई संगठन नहीं बनाया गया, जो इस काम को करता। न तो केन्द्रीय सरकार ने इस दायित्व को निभाने के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया है और न ही इसके लिये कोई व्यवस्था की है।

यदि हम स्वतंत्रता के 20 वर्षों के बाद विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की अर्हतायें, योग्यताओं, उनकी नियुक्ति के ढंग आदि पर विचार करें, तो हमारा सिर शरम से झुक जायेगा।

मध्यम श्रेणी की सरकार ने मध्यम श्रेणी के लोगों को चुना है और इन मध्यम श्रेणी के लोगों ने संस्थानों के अध्यक्ष बनने पर मध्यम श्रेणी के शिक्षक चुनना पसन्द किया। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम प्रसिद्ध है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से निकाल देती है। इसी प्रकार बुरे अध्यक्ष अच्छे शिक्षकों को निकाल देंगे। योग्यता पर ध्यान दिये बिना शिक्षक नियुक्त किये गये हैं। खराब शिक्षकों की नियुक्ति करके आप देश के नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और न ही मंत्रालय ने उपयुक्त शिक्षकों की नियुक्ति का कोई तरीका निकाला है। कभी-कभी पराजित हुए राजनीतिज्ञों को उप-कुलपति नियुक्त कर दिया जाता है ताकि शिक्षकों तथा विद्यार्थियों पर अपना अधिकार रखा जा सके। जब विद्यार्थी अपने शिक्षकों को राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौने बनते देखेंगे, तो शिक्षकों के प्रति उनका सम्मान क्या होगा ? कोई आश्चर्य नहीं कि अनुशासनहीनता फैले और शिक्षक भी काम न करें। लोकतंत्र में कैसे अध्यापक होने चाहिए, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। श्री जे० एम० केन्स एक बार श्री लायड जार्ज के साथ लन्दन से पेरिस जा रहे थे। श्री जार्ज ने फ्रांस की अर्थ-व्यवस्था के बारे में श्री केन्स के विचार जानने चाहे। श्री केन्स ने उत्तर दिया कि फ्रांस की अर्थ-व्यवस्था सबसे गन्दी है। वित्त मंत्री चुप रह गये। इसी प्रकार 1925 में श्री विंसटन चर्चिल ने श्री केन्स से गोल्ड स्टैन्डर्ड पुनः लागू करने के बारे में पूछा और उनके मना करने पर भी इसे लागू किया। फिर श्री केन्स ने अपनी पुस्तक "दी इकानामिक कानसीक्वेन्सेज आफ चर्चिल" में श्री चर्चिल की कटु आलोचना की। हमें ऐसे शिक्षक चाहिए जो निर्भय होकर देश के बड़े से बड़े अधिकार के सामने अपना निष्पक्ष मत व्यक्त कर सकें। जब आप विश्वविद्यालयों में ऐसे शिक्षकों को आकर्षित नहीं करते, आप देश में ठीक प्रकार का वातावरण नहीं बना सकेंगे।

अब मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में चन्द शब्द कहना चाहता हूं। पुस्तकालयों के लिये धन दिया जाता है। यदि आप विश्वविद्यालयों में जायें, तो पायेंगे कि पांच वर्ष पहले खरीदी गई पुस्तकों को किसी ने खोलकर भी नहीं देखा है। प्रयोगशालाओं में आयात की गई मशीनें मिलेंगी। उनके प्रयोग के लिये लोगों को विदेश भी भेजा जाता है परन्तु प्रयोगशालाओं में उनका कोई उपयोग ही नहीं होता है। वे तो केवल सजावट की वस्तु मात्र रह गई हैं। जब आप धन खर्च करते हैं, तो यह भी देखना चाहिए कि बाद में उससे कोई लाभ भी होता है या नहीं अथवा वह ठीक प्रयोजन के लिये खर्च किया जाता है या नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इतनी एक शक्तिहीन संस्था है कि यह कुछ नहीं कर सकती है। विश्वविद्यालयों में शिक्षा-शास्त्रियों की स्वायत्तता होने के स्थान पर वहां पर कुछ अन्य लोगों का प्रभुत्व है। किसी न किसी रूप में राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व है। फिर सरकार अपनी सुविधा के अनुसार उनके मामलों में हस्तक्षेप करती है। लेकिन जब स्थिति उसके अनुकूल नहीं होती, तो वह स्वायत्तता का सहारा ले लेती है। इस नीति से देश में उपयुक्त प्रकार की विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकेगी।

यदि उपयुक्त प्रकार के शिक्षक हों और वे विद्यार्थियों पर नियंत्रण रखना चाहें, तो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को समाप्त कर सकते हैं। अध्यापक आज सन्तुष्ट नहीं हैं और विद्यार्थियों पर नियंत्रण रखने के इच्छुक नहीं हैं, यदि हम खराबी को पता लगाकर दूर कर दें,

तो विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता की समस्या हल हो सकती है। लेकिन सरकार ने इस पर या तो सोचा नहीं है और यदि सोचा है तो वह कागजों में ही रहा है और उस पर अमल नहीं किया गया है। संसद् सदस्यों की समिति में भी इस पर विचार नहीं किया गया।

कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी कि शिक्षकों को पूर्ण नागरिक अधिकार होने चाहिए तथा उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। संसद् सदस्यों की समिति और अन्तर्विश्व-विद्यालय बोर्ड ने भी इसका अनुमोदन किया था। ऐसा होने पर ही 5-10 वर्षों में इस देश में ठीक प्रकार का लोकतंत्र स्थापति हो सकता है। लोकतंत्र के लिये स्वतंत्र परम्परा बनाने के लिये यह आवश्यक है।

स्कूल आफ इन्टर नेशनल स्टडीज इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि राजनीतिज्ञ किस प्रकार एक सर्वोत्तम संस्था को खराब कर देते हैं। जब यह दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था, तो यह ठीक प्रकार काम कर रहा था। बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्व-विद्यालय का स्तर प्रदान कर दिया। उसी समय से वस्तुनिष्ठता और अन्य अच्छी बातें समाप्त हो गईं तथा भाई भतीजावाद आरम्भ हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। परन्तु अब निदेशक के पद के लिये विद्वता की तुलना में प्रशासनिक योग्यता महत्वपूर्ण अर्हता है। जैसे ही आप एक प्रशासक को निदेशक बनाते हैं, वह अपने आप अन्य अध्यापकों से श्रेष्ठ समझने लगता है। उसके और उसके अन्य सहयोगियों के बीच घनिष्ठता समाप्त हो जायेगी। जब तक शिक्षा संस्थाओं में स्वतंत्रता और समानता की भावना नहीं लाई जाती, अच्छे लोग शिक्षा संस्थाओं में नहीं आयेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान धन देने के बाद यह नहीं देखता कि धन निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये खर्च किया गया अथवा नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसके लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि दिये गये धन का ठीक उपयोग हो और उससे लाभ हो।

श्री नायनार (पालघाट) : सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार की उपेक्षापूर्ण शिक्षा नीति के कारण शिक्षा से सम्बन्धित क्षेत्रों में असन्तोष उत्पन्न हो रहा है। विद्यार्थियों के माता-पिता शिक्षा के अत्यधिक व्यय के कारण असन्तुष्ट हैं। शिक्षकों का जीवन स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है और अब यह असह्य हो गया है। शिक्षा का स्तर गिर गया है जिसके कारण विद्यार्थियों ने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। सरकार की भाषा नीति ने विद्यार्थियों को क्रुद्ध कर दिया है और उन्हें समुचित रोजगार देने में सरकार की असफलता ने उन्हें अपने हितों की रक्षा करने के हेतु गलियों में आने पर बाध्य कर दिया है।

सरकार ने बजट में शिक्षा के लिये केवल 3 प्रतिशत राशि प्रदान की है और 88 करोड़ रुपए की इस राशि में से शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय केवल 57 करोड़ रुपए ही होगा जबकि पुलिस पर ही 47 करोड़ रुपए खर्च किये जाते हैं। इतने कम धन से शिक्षा की प्रगति कैसे हो सकती है। सरकार के पास इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, बम्बई में

टाटा के साथ कथित संयुक्त उद्यमों के लिये तो धन है परन्तु शिक्षकों को समुचित वेतन देने के लिये धन नहीं है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

शिक्षा मंत्रालय ने दिखावे के लिये अनेक बड़े संस्थान स्थापित किये हैं। लेकिन वास्तव में शिक्षा के विकास में उनका योगदान नगण्य है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को विज्ञान के विकास के नाम पर 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है लेकिन इस परिषद् ने केवल कुछ बड़े उच्च अधिकारियों का बैंक बैलेंस ही बढ़ाया है। प्राक्कलन समिति ने राष्ट्रीय भौतिकीय प्रयोगशाला के बारे में कहा है कि औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में उसका कार्य निराशाजनक रहा है। यही स्थिति अन्य प्रयोगशालाओं की है। इन अनुसंधान संस्थाओं में सुविधाओं के अभाव के कारण हमारे बहुत से वैज्ञानिकों को अच्छे भविष्य के लिये विदेश जाना पड़ा है। यहां हमारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अनुसंधान के स्थान पर नौकरशाही और भाई भतीजावाद अधिक है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् एक निरर्थक संस्था है और इसका कार्य अत्यन्त निराशाजनक रहा है। यह संस्था अपने देश की वास्तविकता की पूर्णतः उपेक्षा करके अमरीकी शिक्षा प्रणाली की नकल करने में लगी हुई है। यदि कोई भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद में अनुसंधान करना चाहता है, तो उसे केवल इस संस्था के कार्य-संचालन का अध्ययन करना चाहिए। नियुक्ति के मामले में उच्च अधिकारियों के सामने संघ लोक सेवा आयोग भी अशक्त है। इस संस्था के कार्यकरण की जांच करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने एक समिति नियुक्त की है परन्तु इस समिति के अधिकांश सदस्य इस संस्था में गड़बड़ी के लिये, किसी न किसी समय उत्तरदायी हैं।

पश्चिमी शिक्षा प्रणाली हमारे देश में संकट उत्पन्न कर रही है। एशिया फाउन्डेशन ने गत कुछ वर्षों में विभिन्न ऐसी शिक्षा संस्थाओं को धन दिया है, जो सेंट्रल इंटैलीजैन्स एजेन्सी की गतिविधियों का केन्द्र बन गई हैं। यह संस्था शिक्षा मंत्रालय के सहयोग के बिना अपना जाल नहीं फैला सकती थी। तथापि कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमारी शिक्षा पर पाश्चात्य साम्राज्यवाद का प्रभाव इस बात से साफ हो जाता है कि इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज में 49 विदेशी परीक्षकों में से 40 अमरीका और ब्रिटेन के हैं। क्या हमारे यहां प्रतिभा समाप्त हो गई है कि हमें इस प्रयोजन के लिये विदेशों का मुंह देखना पड़े अथवा इसका कारण यह है कि शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा के नाम पर बड़ी मात्रा में डालर मिल रहे हैं।

सरकार की भाषा नीति को लीजिये। इसने शिक्षा के क्षेत्र में वातावरण को दूषित बना दिया है। हिन्दी समर्थक नीति के कारण अहिन्दी भाषी वर्गों में भारी असन्तोष फैल गया है। सरकार हिन्दी के प्रचार और विकास पर $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए से भी अधिक धन खर्च कर रही है

जबकि आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास पर केवल 5 लाख रुपए खर्च किये जा रहे हैं। सरकार ने अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के हिन्दी अध्ययन के लिये 7 लाख रुपए की व्यवस्था की है परन्तु हिन्दी भाषी विद्यार्थियों द्वारा तमिल, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं के पढ़ने के लिये कोई धन नहीं नियत किया गया है। सरकार के इस पक्षपातपूर्ण रवैये की अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में गंभीर प्रतिक्रिया होगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के प्रश्न पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया है। सस्ती दरों पर पाठ्य पुस्तकों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण विद्यार्थियों की पटरियों पर बिकने वाली कुंजियों (गाइडों) का सहारा लेना पड़ता है। उच्च शिक्षा अब भी उच्च वर्ग का विशेषाधिकार समझा जाता है।

हमारे अध्यापकों की दशा, विशेष रूप से माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की, अत्यन्त खराब है। सभी राज्यों में उन्हें अपने वेतनमान बढ़वाने के लिये हड़ताल और आन्दोलनों का आश्रय लेना पड़ा। अब भी सरकार के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट को विचार किये बिना ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है।

भारत में पहली दफा 1958 में केरल में साम्यवादी सरकार ने शिक्षा विधेयक के द्वारा शिक्षकों को सम्मानित स्तर प्रदान करने का प्रयास किया था परन्तु कांग्रेस सरकार ने प्रतिक्रियावादी तत्वों तथा शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्धकों के हितों को बचाने के लिये इस प्रगतिवादी उपाय के विरुद्ध आन्दोलन किया तथा केरल में बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से साम्यवादी सरकार को अपदस्थ किया गया।

आजकल शिक्षित व्यक्तियों में बहुत निराशा फैली हुई है। इस समय 10 लाख से अधिक शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं। यहां तक कि हजारों इंजीनियरों के मन में भी अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। इसीलिये उनमें असन्तोष और निराशा की भावना पैदा हो गयी है। सरकार उनके प्रति सख्ती का रवैया अपनाकर स्थिति में सुधार करना चाहती है जो सम्भव नहीं है।

विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। वे मजदूर संघ भी नहीं बना सकते। उनकी सेवा की शर्तों के लिये कोई कानून नहीं बनाये गये हैं। इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

आज भी हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित है। स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिये विद्यार्थियों से धन लिया जाता है। स्कूलों के प्रबन्धकों ने शिक्षा संस्थाओं को व्यापार का साधन बना रखा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे अशिक्षित व्यक्तियो तथा पददलित लोगों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
7	40	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	ऐसी शिक्षा नीति अपनाने में असफलता जिससे कि देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो।	घटाकर 100 रुपये कर दी जाय
11	41	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	धर्म पर आधारित शिक्षा प्रणाली लागू करने में असफलता जिसके कारण कि नई पीढ़ी का चरित्र-निर्माण नहीं हो रहा है।	100 रुपये कम कर दिये जायं
8	48	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने में असफलता।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	49	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	देश में प्रौढ़ पीढ़ी में निरक्षरता दूर करने हेतु कोई सफल कार्यवाही न करना।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	50	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	माध्यमिक स्कूल स्तर से ऊपर प्रत्येक विद्यार्थी के लिये सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	51	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	गांवों में प्रत्येक मिडिल और हाई स्कूल तथा कालेज में कृषि को अनिवार्य विषय बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	52	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	ग्वालियर तथा उज्जैन विश्व-विद्यालयों की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होते हुए भी उनकी सहायता न करना।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
10	55	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	ग्वालियर डिवीजन में पुरा-तत्वीय सम्पत्ति की रक्षा करने की ओर ध्यान न देना ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	72	श्री मुहम्मद इस्माइल	सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर सामान्य रूप से प्राथमिक स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों का उपलब्ध न होना ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	73	श्री मुहम्मद इस्माइल	पाठ्य पुस्तकों की अधिक मूल्यों पर काले बाजार में बिक्री ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	74	श्री मुहम्मद इस्माइल	विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशतता में मद्रास में 96 प्रतिशत से लेकर पश्चिम बंगाल में 38 प्रतिशत तक असमता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	75	श्री मुहम्मद इस्माइल	विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में असमता जो कि समस्त देश में 6—11 वर्ष के आयु वर्ग से पश्चिमी बंगाल में केवल 6—10 वर्ष की आयु वर्ग तक है ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	76	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिमी बंगाल में भी पांचवीं कक्षा तक प्राथमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता जिस प्रकार की भारत के अन्य राज्यों में है ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	77	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिमी बंगाल में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
7	78	श्री मुहम्मद इस्माइल	अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संस्था, पश्चिमी बंगाल, के 800 अध्यापकों द्वारा भेजे गये ज्ञापन पर कार्यवाही करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	79	श्री मुहम्मद इस्माइल	राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण संघ के पश्चिमी बंगाल यूनिट द्वारा सैकड़ों याचिकाएं निपटाने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	80	श्री मुहम्मद इस्माइल	ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को अनियमित रूप में वेतन दिया जाना ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	81	श्री मुहम्मद इस्माइल	सहायता-प्राप्त स्कूलों में कार्य कर रहे अध्यापकों के लिए भविष्य निधि उपदान तथा प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	82	श्री मुहम्मद इस्माइल	मान्यता - प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त सलाहकार परिषदों द्वारा कार्य न किया जाना ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	83	श्री मुहम्मद इस्माइल	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए संयुक्त सलाहकार परिषदों को पुनरुज्जीवित करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	84	श्री मुहम्मद इस्माइल	श्रमिक वर्ग के विद्यार्थियों तथा गरीब विद्यार्थियों को अधिक वजीफे देने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	85	श्री मुहम्मद इस्माइल	बेरोजगार इंजीनियरों को शीघ्र राहत देने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	86	श्री मुहम्मद इस्माइल	बेरोजगार इंजीनियरों को ऋण सुविधाएं देने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	87	श्री मुहम्मद इस्माइल	देश भर के प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	88	श्री मुहम्मद इस्माइल	शिक्षा संस्थाओं में सी० आई० ए० के बढ़ रहे प्रभाव को रोकने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	89	श्री मुहम्मद इस्माइल	दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों को दिये गये आश्वासनों को कार्य रूप देने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	90	श्री मुहम्मद इस्माइल	कोठारी आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	91	श्री मुहम्मद इस्माइल	सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों तथा कालेजों के कार्य-चालन पर नियंत्रण हेतु व्यापक विधान बनाने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	92	श्री मुहम्मद इस्माइल	स्कूलों तथा कालेजों में शिक्षा-शुल्क में कमी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	93	श्री मुहम्मद इस्माइल	शिक्षा संस्थाओं तथा विश्व-विद्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों के कार्य तथा रहन-सहन की अवस्था का विनियमन करने के लिए विधान बनाने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	94	श्री मुहम्मद इस्माइल	श्रमिक वर्ग तथा कृषि-श्रमिकों के विद्यार्थी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	95	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिमी बंगाल में शरणार्थी बस्तियों में स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	96	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिमी बंगाल में महिला-शिक्षा का स्तर देश के शेष भागों के बराबर लाने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	97	श्री मुहम्मद इस्माइल	जिला स्कूल बोर्डों के प्राधिकारियों द्वारा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का बदले की भावना से स्थानांतरण ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	98	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिमी बंगाल के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को मकान किराया, चिकित्सा आदि सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	99	श्री मुहम्मद इस्माइल	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	100	श्री मुहम्मद इस्माइल	संविधान में की गई परिकल्पना के अनुसार निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी उपबन्ध को कार्यान्वित करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	101	श्री मुहम्मद इस्माइल	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के विरुद्ध पुलिस का बर्बरतापूर्ण व्यवहार रोकने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	102	श्री नायनार	देश में तरक्की के पर्याप्त अवसरों के अभाव में वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों द्वारा विदेशों में जाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	103	श्री नायनार	इंजीनियरी स्नातकों को नौकरियां दिलाने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	104	श्री नायनार	कोठारी आयोग की सिफारिशें लागू करने में असफलता	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	105	श्री नायनार	विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों को एशिया फाउंडेशन द्वारा दिये गये अनुदान ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
7	106	श्री नायनार	शिक्षा मंत्री द्वारा दिल्ली के अध्यापकों को दिये गये आश्वासनों को पूरा करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	107	श्री नायनार	अध्यापकों द्वारा हड़ताल वापस किये जाने के बाद शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा अति असंयत, उत्तेजक, अपमान भरा तथा बदले की भावना से जारी किया गया परिपत्र ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	108	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में नये पदों का बनाया जाना ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	109	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में विभागीय कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसरों का अभाव ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	110	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में निम्न वर्ग के कर्मचारियों को यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	111	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के विभागों द्वारा किये गये कार्य का पृथक् मूल्यांकन ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	112	श्री नायनार	अमरीकी विशेषज्ञ द्वारा दिये गये अव्यवहारिक परामर्श के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के केन्द्रीय परीक्षा यूनिट में पैदा हुई गड़बड़ी की स्थिति ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	113	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में अमरीकी ढांचे पर प्रश्न-पत्र बनाने के बारे में बेकार प्रयोग करना ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	114	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की विज्ञान प्रयोगशालाओं, केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप तथा श्रव्य-दृश्य शिक्षा विभाग में कीमती उपकरणों का प्रयोग में न लाया जाना।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	115	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में अनुसंधान तथा बुद्धिजीवी वातावरण का अभाव ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	116	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में पुस्तकालय-सम्बन्धी सुविधाओं का प्रयोग न किया जाना ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	117	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में भर्ती सम्बन्धी युक्तिसंगत नीति का अभाव ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	118	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में रिक्त स्थानों के भरने तथा पदोन्नति में पक्षपात ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	119	श्री बैरो	केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं की शिक्षा नीतियों का पुनर्मूल्यांकन ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	120	श्री बैरो	प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में अपव्यय ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	121	श्री बैरो	प्रशिक्षित अध्यापकों, भवनों तथा उपकरणों की घोर कमी ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	122	श्री बैरो	शिक्षा आयोग के प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपेक्षित धन का मूल्यांकन ।	100 रुपये कम कर दिए जाय
8	123	श्री बैरो	तकनीकी शिक्षा की जिम्मेवारी उद्योग मंत्रालय पर डालना ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	124	श्री बैरो	त्रिभाषा सूत्र की असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	125	श्री बैरो	विदेशों में खेलकूद की टीम भेजने के निर्णय के बारे में दृढ़ नीति की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
11	126	श्री नायनार	प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त अनुसंधान किये बिना किया गया अपव्यय ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
11	127	श्री नायनार	पिलानी स्थित केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक की कर्मचारी विरोधी नीति ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
11	128	श्री नायनार	पिलानी स्थित केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान कर्मचारी संघ को मान्यता देने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
11	129	श्री नायनार	पिलानी स्थित केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान कर्मचारी संघ के अधिकारियों के प्रति बदले की भावना ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
11	130	श्री नायनार	पिलानी स्थित केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने में विलम्ब ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
105	131	श्री नायनार	स्कूल भवनों के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	140	श्री चन्द्रशेखर सिंह	शिक्षा और रोजगार की क्षमता में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	141	श्री चन्द्रशेखर सिंह	शिक्षा का समान ढांचा बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	142	श्री चन्द्रशेखर सिंह	सभी राज्यों में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	143	श्री चन्द्रशेखर सिंह	स्कूलों तथा कालिजों में शिक्षा को सस्ता करने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	144	श्री चन्द्रशेखर सिंह	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लड़के-लड़कियों को पर्याप्त मात्रा में छात्रवृत्तियां तथा सुविधाएं देने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	145	श्री चन्द्रशेखर सिंह	पाठ्य-पुस्तकों की बिक्री में चोरबाजारी रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	146	श्री चन्द्रशेखर सिंह	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को उनका वेतन नियमित रूप से देने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	147	श्री चन्द्रशेखर सिंह	देश में बेरोजगार इंजीनियरों को पर्याप्त सहायता देने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	150	श्री नायनार	पी० एल० 480 की सहायता से शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा अमरीकी पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	151	श्री नायनार	पाठ्य-पुस्तकों की बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए मुद्रण मशीनों की सप्लाई के लिए पश्चिम जर्मनी के साथ हाल ही में किया गया समझौता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
8	152	श्री चन्द्रशेखर सिंह	गरीब विद्यार्थियों को अधिक वजीफे देने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	153	श्री चन्द्रशेखर सिंह	बेरोजगार इंजीनियरों को ऋण देने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	154	श्री चन्द्रशेखर सिंह	देश भर के प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	155	श्री चन्द्रशेखर सिंह	दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों को दिये गये आश्वासनों को कार्य-रूप देने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	156	श्री चन्द्रशेखर सिंह	देश में तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	157	श्री चन्द्रशेखर सिंह	कोठारी आयोग की सिफारिशें लागू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	158	श्री चन्द्रशेखर सिंह	स्कूलों तथा कालेजों में शिक्षा शुल्क में कमी करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	159	श्री चन्द्रशेखर सिंह	अध्यापकों के वेतन-क्रमों में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	160	श्री चन्द्रशेखर सिंह	हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	161	श्री चन्द्रशेखर सिंह	देश में से निरक्षरता दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	162	श्री चन्द्रशेखर सिंह	मिडिल स्कूल स्तर तथा इससे ऊपर प्रत्येक विद्यार्थी के लिये सैनिक शिक्षा अनिवार्य बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	163	श्री चन्द्रशेखर सिंह	देश भर में अध्यापकों को समान कार्य के लिये समान वेतन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
7	164	श्री जनार्दनन	शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने सम्बन्धी निर्णय को शीघ्र लागू करने में असफलता ।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय
7	165	श्री जनार्दनन	निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में संवैधानिक उपबन्ध को लागू करने में असफलता ।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय
7	166	श्री जनार्दनन	सभी भारतीय भाषाओं के बिना भेद-भाव के विकास के बारे में स्वस्थ नीति बनाने में असफलता ।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय
8	167	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के केन्द्रीय परीक्षा यूनिट द्वारा यूनिट-परीक्षणों पर अवांछनीय बल ।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	168	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा पहाड़ी स्थानों पर आयोजित अल्प-कालीन प्रशिक्षण पाठ्य क्रम पर अपव्यय ।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय
8	169	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा भारतीय लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें प्रकाशित करने के बजाय अमरीकी पाठ्य-पुस्तकों का ठीक उसी प्रकार पुनः प्रकाशित किया जाना ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	170	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में शिक्षा के सम्बन्ध में मूलरूप से अनुसन्धान करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	171	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में वैज्ञानिक प्रतिभा खोज (साइंस टेलेंट सर्च) पर अपव्यय ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	172	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप द्वारा तैयार किया गया निकम्मा सामान।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	173	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में तथाकथित अमरीकी विशेषज्ञों का प्रभाव ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	174	श्री नायनार	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा निकाली गई पुस्तकों की कम बिक्री ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	175	श्री नायनार	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के लिये तय की गई छात्र-वृत्तियों तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का कांग्रेस समर्थकों के हित में दुरुपयोग ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	176	श्री नायनार	"तिबेतन स्कूल्स सोसायटी" को दिये गये अनुदानों का राजनैतिक प्रयोजनों के लिये दुरुपयोग ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	177	श्री नायनार	ललित कला अकादमी तथा साहित्य अकादमी में भ्रष्टाचार ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	178	श्री नायनार	ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च-शिक्षा के लिये पर्याप्त राशि दिये जाने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	179	श्री नायनार	विदेशों में सांस्कृतिक शिष्ट-मण्डल भेजने में पक्षपात ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	180	श्री नायनार	इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज, शिमला में सी० आई० ए० की गतिविधियां ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	181	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के श्रव्य-दृश्य शिक्षा विभाग के 20 अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गये ज्ञापन-पत्र पर शीघ्र कार्यवाही करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	182	श्री नायनार	अधिकारियों के कुछ मित्रों का पक्षपात करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा दिया जाने वाला अधिक किराया ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	183	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारी संघ की मांगें स्वीकार करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	184	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में नियुक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत लाने में असफलता जिसके परिणाम-स्वरूप पक्षपात के गम्भीर मामले हो रहे हैं ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	185	श्री नायनार	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के श्रव्य-दृश्य शिक्षा विभाग में चित्रों का खो जाना ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	190	श्री जनार्दनन	अध्यापकों के अपर्याप्त वेतन-मान ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	191	श्री जनार्दनन	बिल्कुल बेकार तथा गुमराह करने वाली निर्धारित पाठ्य-पुस्तकें ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	192	श्री जनार्दनन	शिक्षित व्यक्तियों, विशेषकर इंजीनियरों, में बढ़ती हुई बेकारी ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
8	193	श्री जनार्दनन	केरल में दो केन्द्रीय विश्व-विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	194	श्री जनार्दनन	सेन्ट्रल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	195	श्री जनार्दनन	सेन्ट्रल स्कूलों में सम्बद्ध क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन आरम्भ करने की आव-श्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	196	श्री जनार्दनन	हाल की हड़ताल के बाद दिल्ली के अध्यापकों की शेष समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं
8	197	श्री जनार्दनन	पश्चिम बंगाल के अध्यापकों की समस्याओं को अविलम्ब हल करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिए जायं

श्री एन्थनी रेड्डी (अनन्तपुर) : स्वतन्त्र दल के सदस्य ने उप-कुलपति के बारे में जो कहा है वह ठीक नहीं कहा है । उन्होंने कहा है कि उप-कुलपति प्रायः दूसरी कोटि के व्यक्ति होते हैं क्योंकि इसके मामले में सरकार की ओर से बहुत हस्तक्षेप किया जाता है । मेरा यह विचार है कि उप-कुलपति विद्वान और एक अच्छा प्रशासक होना चाहिए । ऐसे गुणों वाले व्यक्ति आसानी से नहीं मिल पाते हैं । 65 उप-कुलपतियों में एक दो व्यक्ति पहली कोटि के नहीं भी हो सकते हैं । अतः इस प्रकार की बात कह देना ठीक बात नहीं है ।

आगे चलकर उसी सदस्य ने कहा था कि राजनीतिज्ञ विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए । मैं नहीं समझता कि ये दोनों बातें आपस में कैसे मेल खाती हैं । यदि अध्यापक राजनीति में भाग

लेंगे तो उनका सारा दृष्टिकोण ही बदल जायेगा, विश्वविद्यालयों में राजनीति घुस जायेगी तथा उनका स्तर और गिर जाएगा। इसलिए अध्यापकों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए।

एक साम्यवादी सदस्य कह रहे थे कि कोठारी शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। मैं नहीं जानता कि कल उन्होंने उस प्रतिवेदन को पढ़ा है। उस प्रतिवेदन में अनेक सिफारिशें की गई हैं जिन्हें एक अथवा दो वर्षों में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए उन्हें क्रियान्वित करने में कुछ समय लगेगा।

मैं यह मानता हूं कि सरकार संविधान में दिए गये इस निदेशक सिद्धान्त को, कि हमें स्वतन्त्रता के पश्चात दस वर्षों में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, क्रियान्वित नहीं कर सकी है। हम शिक्षा के क्षेत्र में गलत नीति पर चल रहे हैं। हम प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का स्तर तो सुधार नहीं रहे हैं और विश्वविद्यालय का स्तर सुधारने में लगे हुए हैं। हमारी शिक्षा नीति तो राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलवाड़ बन गई है तथा स्थानीय बोर्डों में राजनीतिज्ञों का ही बोलबाला है। अतः मैं महसूस करता हूं कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को राजनीतिज्ञों के प्रभाव से मुक्त किया जाना चाहिए।

पाठ्य पुस्तकों के मामले में भी बड़ा पक्षपात और भाई भतीजावाद चलता है। उनका चयन इसलिए नहीं किया जाता है कि वे सर्वोत्तम होती हैं बल्कि इसलिए कि वे पक्षपातपूर्ण लोगों द्वारा लिखी होती है। अतः अच्छी पुस्तकें अध्ययन के लिए नहीं चुनी जाती हैं जिससे शिक्षा का स्तर गिरता हैं।

अध्यापक प्रायः असंतुष्ट होते हैं क्योंकि उनका पेट उन्हें सताता है। भूखा अध्यापक कभी कार्यकुशल नहीं हो सकता। उसे अपने भविष्य पर विश्वास नहीं होता। उसे यह मालूम नहीं होता कि क्या महीने के अन्त में उसके पास खाने के लिए कुछ होगा या नहीं। वह अपने काम को निष्ठा से नहीं कर सकता। इन सभी बातों का परिणाम यह हुआ है कि हमारी शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। अध्यापकों में असंतोष होने के कारण विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की भावना बढ़ गई है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए मैं कुछ सुझाव दूंगा।

शिक्षा स्तर में सुधार करने के लिए हमें विश्वविद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। मैं जानता हूं कि विश्वविद्यालय स्वायतशासी होते हैं परन्तु कुछ राज्यों में विश्वविद्यालयों के मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। राजनीतिज्ञ यह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय उनके नियंत्रण में रहें।

विश्वविद्यालय शिक्षा तो बहुत हद तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन होती है किन्तु प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तो पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञों के हाथ में ही होती है। इसलिये जैसा कि कोठारी शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है, शिक्षा के स्तर, सेवा की शर्तों आदि पर विचार करने के उद्देश्य से सरकार को माध्यमिक शिक्षा आयोग और यदि आवश्यक हो तो

प्राथमिक शिक्षा जायोग भी नियुक्त करना चाहिए और इस प्रकार शिक्षा को राजनीतिज्ञों से मुक्त कर देना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो हमारा शिक्षा का स्तर काफी हद तक सुधर सकता है।

मैं एक यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि शिक्षकों के वेतनमान बढ़ा दिये जाने चाहिए और उनकी सेवा की शर्तों में भी सुधार किया जाना चाहिए। यदि इन चीजों की व्यवस्था की जाये तो मुझे विश्वास है कि शिक्षक और अच्छी तरह से काम करेंगे।

अब मैं गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। गैर-सरकारी शिक्षा संस्थायें बहुत अच्छी तरह चल रहीं हैं। वह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए बल्कि उनको प्रोत्साहन देना चाहिए।

शिक्षा संस्था निरीक्षणालय शिक्षा कार्य की अपेक्षा पुलिस कार्य अधिक कर रहा है। वहां के अधिकारी निरीक्षक अध्यापकों की गलतियों का पता लगाने के लिये ही स्कूलों में जाते हैं। वे पढ़ाने का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिये निरीक्षणालय में पूर्ण रूप से सुधार होना चाहिए। निरीक्षक को पहले अध्यापक होना चाहिए अर्थात् उसमें पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए और केवल तब उसे निरीक्षक बनाया जाना चाहिए। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि किसी भी व्यक्ति को स्कूलों में पांच साल तक पढ़ाने का काम करने के बाद ही निरीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। ताकि वह अध्ययन के तरीके से परिचित हो। फिर पांच वर्ष तक निरीक्षक रहने के बाद उसे एक वर्ष तक माध्यमिक स्कूल में और एक वर्ष तक प्राथमिक स्कूल में वापस भेजा जाना चाहिए ताकि वह पढ़ाने के आधुनिकतम तरीके को जान सके।

अब मैं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् पर आता हूं। मैं उस संस्था में गया था। मैंने वहां पर प्रकाशित होने वाली कुछ प्रस्तकें देखी हैं। वह संस्था निश्चय ही बहुत अच्छा काम कर रही है। परन्तु मैंने यह भी देखा है कि इस संस्था पर आवश्यकता से अधिक धन खर्च किया जा रहा है। मैंने वहां पर यह भी देखा है कि वहां के अधिकांश अनुसंधानकर्ताओं को अध्यापन के बारे में कुछ भी अनुभव नहीं है। परिणामस्वरूप उनका काम आशानुकूल लाभ-दायक नहीं हो सकता। इसलिये मंत्रालय को यह देखना चाहिए कि क्या ऐसी कोई योजना बनाई जा सकती है जिसके अधीन इन अनुसंधानकर्ताओं को शिक्षकों के रूप में भेजा जा सके।

अब मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूं कि क्या शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया जाना चाहिए। अधिकांश राज्य यह नहीं चाहेंगे कि शिक्षा समवर्ती विषय हो। परन्तु केन्द्र का जो विभिन्न राज्यों की शिक्षा योजनाओं के लिये धन देता है। राज्यों की शिक्षा नीति में हाथ होना चाहिए। दूसरे हम देखते हैं कि हमारा एक देश है। हमारे राज्यों में अलग-अलग पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। उनमें राज्यों के महत्व पर जोर दिया जाता है और राष्ट्रीय महत्व को बिल्कुल ओझल कर दिया जाता है। अतः मैं यह चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिये जिससे लोगों के मन में यह भावना बढ़े कि हम सब भारतीय हैं और एक हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय

प्रणाली बनाई जानी चाहिए उसका राष्ट्रीय ढांचा बनाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय एकीकरण किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : मैं समझती हूं कि प्राथमिक, माध्यमिक और कालेज स्तर पर शिक्षा प्रणाली में इस समय बहुत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। अंग्रेजों के जमाने में शिक्षा का उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक क्लर्क तैयार किए जायें। हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता के पश्चात् भी हमारे नेताओं ने हमारे जीवन, हमारी पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, वातावरण तथा हमारी आर्थिक स्थिति के अनुकूल नई शिक्षा प्रणाली निर्धारित करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है।

मेरी राय तो यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में तीन मुख्य त्रुटियां हैं। पहली बात तो यह है कि शिक्षा प्रणाली व्यापक नहीं है। दूसरी बात यह है कि श्रम की गरिमा के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। तीसरी बात यह है कि परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। परीक्षाओं को अधिक महत्व भी दिया जाता है।

पांचवी श्रेणी तक की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व केन्द्र को अपने पर लेना चाहिए। प्रत्येक जिले में अपना-अपना व्यावसायिक और कृषि स्कूल होना चाहिए। मैं तो यह समझती हूं कि वर्तमान शिक्षा गांवों के लड़कों को कृषि—आर्थिक जीवन से दूर ले जाती है। वे लड़के अपने पिता को कृषि में सहयोग देने में संकोच करने लग जाते हैं।

आंकड़े देखने से पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में फिजूल खर्ची हो रही है। अतः चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में फिजूलखर्ची को रोकने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए।

अब मैं विश्वविद्यालय शिक्षा पर आती हूं। यह खेद की बात है कि विश्वविद्यालयों का रवैया बहुत दकियानूसी है। उनमें गुटबन्दी का बोलबाला है और वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। विश्वविद्यालय अपनी समकक्ष संस्थाओं के विचारों को समझने का प्रयत्न नहीं करते तथा उनका दृष्टिकोण संकीर्ण हो गया है।

शिक्षित लोगों के बेरोजगार रहने के कारण हमारे देश की अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है। विद्यार्थियों में अशान्ति का यह भी एक कारण है। देश में असन्तोष की एक लहर चल पड़ी है।

मैं बेरोजगार इंजीनियरों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी। सरकार को बेरोजगार इंजीनियरों को कोई भत्ता नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से बेरोजगार इंजीनियरों और बेरोजगार स्नातकों के बीच भेदभाव हो जायेगा और इस बात का विद्यार्थियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र और सरकार के बीच समन्वय और सहयोग होना चाहिए तथा उद्योग, शिक्षा लोक निर्माण विभाग और समाज कल्याण जैसे विभागों में पूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए।

इलाहाबाद के निकट रेल दुर्घटना के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. RAILWAY ACCIDENT NEAR ALLAHABAD

Shri Hardayal Devgun (Delhi-East) : Sir, we have seen that within a period of ten days two accidents have taken place. One accident took place at Bharwari and the other accident took place at Yavilgi station. Both these accidents have taken the lives of about seventy-two persons. These accidents have shaken the faith of the people who travel in trains. They have begun to feel that it is not safe to travel in trains. The persons who travel in trains not only face prospect of death or injury but of attacks by dacoits, thieves and political assassins. Government should not take this matter very lightly. A serious thought should be given to this matter.

The statistics have revealed that since 1962 the number of rail accidents has been continuously increasing. But since the present Minister has taken over the charge of the Railway Ministry we find that the number of accidents has outnumbered the previous figures. In one year 230 deaths have taken place. It is a record for six years. It is a serious thing as the number of accidents is increasing day by day. The Minister of Railways should own responsibility for the administration of Railways.

We know that an Accident Committee was appointed in 1962. That Committee has given 377 suggestions regarding measures to check accidents. But the Railway Board has failed to implement those recommendations. The matter has been evaded by saying that it is not necessary to implement those recommendations. The present Board which was constituted two years ago was responsible not only for making rail journey hazardous but also for the deficit in the Railway Budget. The Railway Board should be dismissed and the Minister should also tender his resignation. The Railway should pay attention to the statement of the Commissioner for Railway safety which was published in the Press on 18th July, 1967. The Commissioner of Railway Safety wanted the responsibility for all the railway accidents to be extended to high levels and not merely confined to the lowest. He has also given many other suggestions.

At the end I would like to say that the Railway should study the problem of accidents very thoroughly. They should try to go to the root of the matter. I think that the number of accident is increasing because the recommendations made by Kunzru Committee have not been implemented. Under these circumstance the Hon. Minister should tender his resignation. This is the demand of the country.

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) ; There is no doubt that when accidents take place we all feel distressed. We feel sympathy for the Members of the families of those who are killed in accidents. But we should realise this thing also that accidents are not characteristics of the Railways only. There are accidents involving buses, aeroplanes, Cycles etc.

I don't know how it has been said that the number of accidents has increased. According to the figures available with me in 1948-49 the number of accidents was 24120; in 1949-50 it was 20623 and in 1966-67 it was 5889. Thus the number of accident was decreasing.

The opposition parties are demanding the resignation of the Railway Minister only for the sake of propaganda. Many bus accidents take place in Delhi but the Lt. Governor or the Chief Executive Councillor does not resign. Similarly accidents take place in Uttar Pradesh and Bihar but the Chief Ministers of these states do not tender their resignations from the Chief Ministership.

In the report of the Kunzru Committee, it has been stated that the staff who were responsible for accidents constitute only 0.13 per cent of the total number of staff.

The slackness in the Railway Administration should be removed as far as possible. Government should withdraw recognition from the Unions which defend the culprits of the accidents for the purpose of getting popularity, which fight for a wrong cause, which do not like discipline in the working of the Railways.

Hon'ble Members would agree that till today, no judicial enquiry was held in respect of any railway accident and for the first time the Hon'ble Minister has arranged to conduct a judicial enquiry in respect of the Railway accident that took place in Mysore. The Commission appointed to conduct this judicial enquiry would find out the names of the officials who were responsible for this railway accident. I hope such judicial enquiries in respect of the railway accidents would be conducted in future also.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्) : दोनों पक्षों के सदस्यों ने बहुत सी दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है। किन्तु तकनीकी दृष्टि से रेलवे में सुधार किया जाना चाहिए। त्याग-पत्र देने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। हमें इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

रेलवे मन्त्री की एक तकनीकी सचिवालय सहायता करता है। वे स्वतन्त्र रूप से कुछ नहीं जान सकते। मन्त्री महोदय को तकनीकी मामलों में स्वतन्त्र रूप से सलाह लेनी चाहिए और उनका एक स्वतन्त्र सचिवालय होना चाहिए। उन्हें एक ऐसा तकनीकी आयोग भी नियुक्त करना चाहिए जो केवल सिगनल व्यवस्था तथा बहुत सी दूसरी बातों पर ही नहीं बल्कि नए डिजाइन वाले मालगाड़ी के डिब्बों और अन्य डिब्बों के निर्माण पर भी विचार करे।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : दूसरी पंचवर्षीय योजना से पूर्व के काल का तथा दूसरी और तीसरी योजनाओं के गत दस वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करने से कुछ बातें प्रकाश में आयेंगी। गत दस वर्षों में रेलवे की ब्याज देय पूंजी में 200 प्रतिशत की वृद्धि हो गई, यात्री-किलोमीटर 66 प्रतिशत बढ़ गया, माल भाड़ा टन किलोमीटर 100 प्रतिशत बढ़ गया और कुल आमदनी 144 प्रतिशत बढ़ गई। किन्तु कुल मार्ग किलोमीटर में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कर्मचारियों की कुल संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि रेलवे का काम तो काफी बढ़ गया है किन्तु कर्मचारियों की संख्या में केवल 33 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। यही वास्तविक कमी है।

कुंजरू समिति ने अपने 1962 के प्रतिवेदन में कहा है कि कर्मचारियों की कमी है और नवीकरण पाठ्यक्रम अपर्याप्त है। तब से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

अनुरक्षण के बारे में भी समिति ने कहा है कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ड्राइवरों की शिकायत है कि मरम्मत आदि नहीं की जाती। उनकी विशेष शिकायत यह है कि यात्री गाड़ियों में ब्रेक की शक्ति अपर्याप्त होती है। इलाहाबाद के नजदीक जो दुर्घटना हुई वह सम्भवत: ब्रेक शक्ति की कमी के कारण ही है।

दक्षिण मध्य रेलवे ड्राइवर्स और फायरमेन्स परिषद् ने अभी थोड़े दिन पहले कहा है कि चलती गाड़ियों के कर्मचारियों को 30 से 50 घण्टे तक लगातार काम करना पड़ता है। जब 13 या 14 घण्टे काम करने के बाद कर्मचारी कुछ विश्राम मांगते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है कि इसके परिणाम भयंकर होंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मुअत्तिल कर दिया गया। कुंजरू समिति ने भी कहा है कि ऐसे बहुत से अवसर हैं जब ड्राइवरों को लगातार बीस घण्टों से भी अधिक समय तक कार्य करना पड़ा। ऐसी स्थिति में दुर्घटनायें कैसे रोकी जा सकती हैं ? रेलवे के प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को ही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वे ही पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं कर सके हैं।

इतना बड़ा रेलवे प्रशासन उन अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है जो किसी की भी बात को नहीं सुनते। आवश्यक मामलों में कुंजरू समिति के प्रतिवेदन की भी उपेक्षा कर दी गई है। रेलवे में सुधार करने के लिए आमूल्य परिवर्तन किया जाना चाहिए।

वर्तमान रेलवे प्रशासन का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। इसे बदला जाना चाहिए। मन्त्री महोदय को सलाह देने के लिए इन्जीनियरों और तकनीशियनों की विशेषज्ञ समिति बनायी जानी चाहिए। संसद सदस्यों की तथा अन्य लोगों की एक गैर-सरकारी स्थायी समिति भी इस प्रयोजनार्थ बनाई जा सकती है। जनरल मैनेजरों को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। संयुक्त परिषदों में कर्मचारियों और प्रशासन के बीच संयुक्त परामर्श होना चाहिए।

प्रस्तावित उच्च स्तरीय जांच समिति में रखे गए लोगों से हम सन्तुष्ट नहीं हैं। यह और अधिक व्यापक होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति की जड़ तक पहुंचने का सही प्रयास किया जाना चाहिए।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित (फूलपुर) : कहा गया है कि दूसरे देशों में रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है। हमें अपने देश में दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले लोगोंकी संख्या की तुलना दूसरे देशों में मरने वाले लोगों के साथ नहीं करनी चाहिये। हम अपनी दुर्घटनाओं को उनकी दुर्घटनाओं के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं और यदि उनके यहां दुर्घटनायें अधिक होती हैं तो हम भी अपनी दुर्घटनाओं को बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। हमारे देश में मनुष्य का जीवन पहले ही काफी सस्ता है। हमें इसे और अधिक सस्ता नहीं बनाना चाहिये।

भरवारी स्टेशन पर जो दुर्घटना हुई वह अत्यधिक दुःखद घटना है मैं स्वयं वहां पर गई। यात्री वहां अवश्य अत्यधिक दुःखदायी एवं कष्टकारी ढंग से मरे होंगे। वहां पर कर्मचारियों, अधिकारियों और स्वयंसेवकों ने अत्यधिक प्रशसंनीय एवं सराहनीय ढंग से सहायता-कार्य किया।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

इन दुर्घटनाओं को देखते हुए एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया गया है । आयोग का उद्देश्य ऐसी सिफारिशें करना है जिनसे ये दुर्घटनायें बन्द हो जायें। किन्तु यह हमेशा नहीं होता। हमारे कई आयोगों ने कुंजरू प्रतिवेदन जैसे काफी महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। किन्तु उनकी सिफारिशों को या तो पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया या उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया या किया गया तो उनमें कहीं न कहीं ढील बरती गई।

इस दुर्घटना के कारण मंत्री महोदय को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। त्याग-पत्र किसी के कहने पर नहीं, स्वतः ही दिया जाना चाहिये। यदि त्याग-पत्र दबाव में आकर दिया गया तो यह ठीक नहीं होगा और उस भावना के विपरीत होगा जिसके लिये त्याग-पत्र दिया जाता है। किन्तु मैं यह मानती हूं कि रेलवे बोर्ड में अवश्य ही कुछ गड़बड़ी है। आयोग के प्रतिवेदन पेश करते समय उन सभी अत्यावश्यक बातों पर बल दिया जाना चाहिये, अथवा दुर्घटनायें होती रहेंगी और हम उनके आदी हो जायेंगे।

एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक को रेलवे में सुरक्षा की मांग करने का अधिकार है। सरकार इन परिवर्तनों को लाने की दिशा में बहुत कुछ कर रही है किन्तु इनके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

निम्न श्रेणी के किसी व्यक्ति को दुर्घटनाओं के लिये दोषी ठहराना उचित नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। रेलवे में भी जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम सौंपा जाता है वह एकदम अनपढ़ होता है। उसी को नुकसान पहुंचाया जाता है और ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोग अपने पदों के कारण साफ बच निकलते हैं।

कुंजरू समिति के प्रतिवेदन का पुनः अध्ययन किया जाना चाहिये और देखना चाहिये कि क्या कुंजरू समिति की सिफारिशों पर अमल न करने के कारण ही ये दुर्घटनायें हुई हैं। रेलवे में लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवाश) : गत 45 दिनों में हुई दुर्घटनाओं के कारण लोगों के विश्वास को काफी धक्का पहुंचा है। लोगों को भय है कि रेलवे में यात्रा करना अब खतरे से खाली नहीं है।

इन बातों के लिये रेलवे प्रशासन जिम्मेदार है और वह अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। रेलवे बोर्ड रेलवे प्रशासन के वास्तविक नियंत्रण में है। अतः रेलवे बोर्ड को तुरन्त बर्खास्त कर देना चाहिए।

कुंजरू समिति ने रेलवे में सुरक्षा के लिये विभिन्न उपायों की सिफारिश की है। उन सभी को कार्यान्वित किया जाना चाहिये। सरकार को विभिन्न समितियों और अध्ययन दलों की सिफारिशों की ओर भी उचित ध्यान देना चाहिये।

रेलवे लाइनों में भी सुधार किया जाना चाहिए। भारी यातायात के कारण रेलवे लाइनें भी अच्छी अवस्था में नहीं हैं। रेलवे बोर्ड रेलवे प्रशासन पर पूरा नियंत्रण करता है और जनरल मैनेजर नौकरों की तरह काम करते हैं। जनरल मैनेजरों को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिये। नियंत्रण अन्तिम रूप से मंत्री महोदय के हाथों में होना चाहिए। रेलवे बोर्ड के सदस्यों या प्रधान के हाथों में नहीं होना चाहिए। रेलवे बोर्ड को बर्खास्त कर देना चाहिये।

श्री अजमल खां (पेरियाकुलम) : 25 फरवरी, 1968 को लोक-सभा में मंत्री महोदय ने यह दावा किया था कि पिछले दिनों रेलवे की दुर्घटनाओं में काफी कमी हो गई है। इसके बावजूद भी चालू वर्ष में काफी दुर्घटनायें हुई हैं। 15 फरवरी को लक्खीसराय स्टेशन के नजदीक डाकगाड़ी के नीचे बहुत से यात्री कुचल गये। फिर 20 मार्च को मैसूर के निकट एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई जिसके कारण कई लोग मारे गये। सरकार एक्सप्रेस एक बस से टकरा गई। और अब यह भरवारी दुर्घटना हो गई है। गत तीन महीनों में छः टक्करें हुईं और 17 बार गाड़ियां पटरियों से उतर गईं। 1966-67 में कुल 5,889 दुर्घटनाओं में से 3,225 दुर्घटनाएं मनुष्य की गलतियों के कारण हुईं। 1957-58 से 1962-63 तक की दुर्घटनाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि दुर्घटनाओं की संख्या 1,729 से बढ़कर 1,851 हो गई।

दुर्भाग्यवश रेलवे अपने पिछले अनुभवों से सबक नहीं लेती क्योंकि हम देखते हैं कि दुर्घटनाओं के कारण पहले जैसे ही होते हैं। जांच समितियां नियुक्त की जाती हैं किन्तु उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जाता।

लखीसराय में पिछले महीने जो दुर्घटना हुई थी वह बिलकुल वैसी ही दुर्घटना है जैसी कि वर्ष 1967 में हुई थी। वहां पर दुर्घटना का मुख्य कारण यह है कि वहां पर एक ऐसा मोड़ है जिसके कारण न तो इंजन ड्राइवर आगे आने जाने वाले लोगों को देख सकता है और न ही पटरी पार करने वाले लोग रेलगाड़ी को देख पाते हैं। वर्ष 1967 में दुर्घटना की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सिफारिशें की थीं। किन्तु उन्हें क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

हम आज गैर सरकारी क्षेत्र में एकाधिकार की बात करते हैं। किन्तु सरकारी क्षेत्र में रेलवे बोर्ड हमारे देश में सबसे बड़ा एकाधिकार है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसके पूंजी आस्तियों में 76 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इसके व्यय में तो लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस एकाधिकार को समाप्त किया जाये।

आज के टाइम्स आफ इन्डिया में प्रकाशित सम्पादकीय में कहा गया है कि इस जांच प्रक्रिया से किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यह एक अत्यन्त दुःखद दुर्घटना है। इस पर हमें अत्यन्त शोक हो रहा है । इस मामले पर हमें उचित दृष्टिकोण अपनाकर विचार करना चाहिए। यह सभी जानते हैं कि पूर्वी रेलवे में लगभग 60 लाख लोग यात्रा करते हैं और इस रेलवे में लगभग 7,000 रेलवे स्टेशन हैं। यद्यपि इस दुर्घटना की जांच तो जांच आयोग ही करेगा फिर भी हम इस पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

जहां तक भरवारी पर हुई दुर्घटना का सम्बन्ध है उसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि जब से इस रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण किया गया था तब से समस्त सिगनल व्यवस्था स्वचालित हो गई है और इस कारण यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि जब भरवारी स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है तो कोई भी व्यक्ति सिगनल दे सकता है कि वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं है क्योंकि स्वचालित सिगनल व्यवस्था में जब गाड़ी प्लेटफार्म पर नहीं होती है तो अपने आप ही यह सिगनल हो जाता है कि वहां पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं है। इस दुर्घटना का कारण यह लगता है कि बिजली से चलने वाली गाड़ी पूरी रफ्तार से आ रही थी। इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह दुर्घटना ड्राइवर की असावधानी के कारण हुई अथवा अन्य किसी कारण से, ड्राइवर ने गाड़ी को रोकने का प्रयत्न अवश्य किया था क्योंकि मृत ड्राइवर का हाथ ब्रेक पर था। किन्तु गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी कि उसे रोका ही नहीं जा सका, यह त्रुटि किसी मनुष्य से हो सकती है। यदि यह त्रुटि अनजाने में हुई होगी तो इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी को रुकना चाहिए था क्योंकि कोई सिगनल नहीं दिया गया था और जब तक कोई इंजीनियरी सम्बन्धी खराबी न हो तब तक यह सिगनल दिया भी नहीं जा सकता है । इंजीनियरी सम्बन्धी खराबी हो जाने पर कोई व्यक्ति कुछ कर भी नहीं सकता है। अतः हम इसके लिए रेलवे बोर्ड के किसी अधिकारी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। किसी व्यक्ति अथवा अधिकारी को दोषी ठहराने के बजाय हमें कोई ऐसा तरीका निकालने पर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की गलतियां कैसे रोकी जा सकती हैं। हमने यह देखा है कि स्वचालित सिगनल व्यवस्था के बावजूद यह दुर्घटना हुई।

यह ठीक है कि कुंजरू समिति ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सिफारिशें की थीं किन्तु सभी सिफारिशों के अनुसार सभी बातों की व्यवस्था करना सरल कार्य नहीं है।

माननीय सदस्य श्री नम्बियार ने कर्मचारी बढ़ाने पर जोर दिया है क्योंकि उनके अनुसार वर्तमान कर्मचारियों पर कार्यभार बहुत है। इस सम्बन्ध में केवल यह कहना चाहती हूं कि एक ओर तो माननीय सदस्य अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती की आलोचना करते हैं और दूसरी ओर कर्मचारी कम होने की शिकायत करते हैं।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि दुर्घटनाओं के लिए मंत्री महोदय को अथवा अन्य किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सिगनल तकनीकी कार्यों के लिए गैर-तकनीकी व्यक्तियों के स्थान पर तकनीकी योग्यता वाले व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिए।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : देश में काफी रेल दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं में जान और माल की काफी क्षति होती है। किन्तु सरकार दुर्घटनाओं के बारे में गलत आंकड़े प्रकाशित करती है। पिछले तीन महीनों में रेलगाड़ियों में टक्कर के कारण छः दुर्घटनाएं तथा फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं के अतिरिक्त रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण 17 दुर्घटनाएं हुई थीं। सरकार द्वारा आंकड़ों में हेर-फेर करने से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। वर्ष 1968 में तीन बड़ी रेल दुर्घटनाएं एक लखी सराय में, दूसरी हुबली में और तीसरी इलाहाबाद के निकट हुई। जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है तो जांच का आदेश तो दे दिया जाता है किन्तु जांच समिति अथवा आयोग के निष्कर्षों और सिफारिशों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है।

कुंजरू समिति ने रेल दुर्घटनाओं के बारे में वर्ष 1962 में अपना प्रतिवेदन दिया था जिसमें रेल दुर्घटनाओं के कारणों का उल्लेख किया गया था और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपायों का सुझाव दिया गया था। किन्तु दुर्भाग्य से उसकी अधिकांश सिफारिशों को क्रियान्वित ही नहीं किया गया। इंजनों की खराबी, पटरी की खराबी आदि छोटी मोटी बातों को तो सरलता से दूर किया ही जा सकता है।

कल मैंने मांग की थी कि रेलवे मंत्री त्यागपत्र दें। किन्तु आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि केवल मंत्री का त्यागपत्र देना ही पर्याप्त नहीं होगा अपितु रेलवे बोर्ड को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए जिससे इन दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी नौकरशाही की समाप्ति हो जाये।

Shri George Fernandes (Bombay South): The Railways have not implemented the recommendations of Shahnwaz Khan Committee and Kunzru Committee appointed for making recommendations for checking railways accidents. Therefore there is no necessity to appoint Wanchoo Committee for this purpose.

The officers of the Railway Board should be given appropriate punishment for causing deaths of so many people in these railway accidents. An announcement in this regard should be made in the House. The railways Minister should also tender his resignation.

I could not understand as to why the annual reports of the commissioner for Railway safety have not been placed on the Table of the House. The Minister should explain the reasons in this regard. The Commissioner has in his report stated that accidents occur because of mismanagement in the Railways and officers of the Railway Boards are responsible for that.

Track inspection was the responsibility of Railway inspectors. But in 1953 the Railway Board decided that these inspectors should be discontinued as the General Managers were responsible for ensuring safety of operation on their respective Railways and unfortunately they are not attending to this work. The Commissioner of Railway Safety has made very valuable suggestions. But it is regrettable due attention is not paid to the reports of the Commissioner. The suggestions given by the Commissioner should be implemented.

It is also regrettable that no money was given from the Prime Minister's Relief Fund for the families of those who were killed in recent railway accident in Mysore where as a sum of

Rs. 25,000 was announced for providing relief to those who were affected by the accident near Allahabad. The Hon. Minister should make it clear as to why two different attitudes were adopted in the case of these two accidents.

श्री रा० धो० भंडारे (बम्बई-मध्य) : रेल दुर्घटनाओं के दो पहलू हैं। पहला मानवीय असफलता और दूसरा यांत्रिक असफलता। जहां तक मानवीय असफलता का सम्बन्ध है, हमें इसके दो पहलुओं पर विचार करना होगा। यदि मानवीय असफलता का कारण असावधानी है तो हमें अवश्य उसकी आलोचना करनी चाहिये और दोषी व्यक्ति को दण्ड मिलना ही चाहिये। हमें ऐसे मामले में मंत्री महोदय से त्याग-पत्र की मांग भी करनी चाहिये। यदि असफलता का कारण उचित ध्यान की कमी है तो भी हमें उसकी आलोचना करनी चाहिये। किन्तु यदि असफलता का कारण मानव शक्ति से बाहर हो, तो किस पर आरोप लगाया जाना चाहिये, जिस प्रकार मानव से गलती हो सकती है उसी प्रकार मशीनें भी अचानक खराब हो जाती हैं; अतः हमें इस बात पर विचार करना है मानव की असफलता इन दुर्घटनाओं के लिये कहां तक उत्तरदायी है।

रेलवे बोर्ड के सुरक्षा निदेशक के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1966-67 में रेलगाड़ियों की 140 टक्कर हुई थीं जब कि यह संख्या वर्ष 1964-65 में 89 थी। माननीय सदस्यों ने कहा है कि कुंजरू समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई। कुंजरू समिति द्वारा की गई 377 सिफारिशों में से सरकार ने 355 सिफारिशें मान ली थीं और अब तक उनमें 303 सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं।

अब जो नयी समिति नियुक्ति की गई है उसे दो काम सौंपे गये हैं। उसका पहला कार्य कुंजरू समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति का अध्ययन करना है। उसका दूसरा कार्य सुरक्षा के उपायों की सफलता के बारे में सुझाव देना है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि रेलवे मंत्री या अन्य कोई व्यक्ति इन दुर्घटनाओं के लिये उत्तरदायी है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं उन माननीय सदस्यों का समर्थन करता हूं जिन्होंने मंत्री महोदय से त्यागपत्र देने की मांग की है। वर्ष 1968 में अब तक बड़ी संख्या में रेल दुर्घटनाएं हुई हैं और इन दुर्घटनाओं में जान और माल की बहुत अधिक क्षति हुई है। इस क्षति के लिये रेलवे बोर्ड उत्तरदायी है। रेलवे बोर्ड के सदस्यों को इस कृत्य के लिये त्यागपत्र देने के लिये कहा जाना चाहिये।

कुंजरू समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। हमने आज से 5-6 वर्ष पहले यह फैसला किया था कि कंकरीट के ठोस स्लीपरों की व्यवस्था की जानी चाहिये। किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बिना कंकरीट के स्लीपरों की व्यवस्था किये बिना तेज रफ्तार की गाड़ियां चलाना पटरी पर खतरे से खाली नहीं है।

दुर्घटना के दिन मुझे टेलीफोन से यह सूचना मिली थी कि कानपुर में यह अफवाह फैली है कि जिन लोगों के सम्बन्धी मर गये अथवा जिनके सम्बन्धियों की मर जाने की आशंका थी उन

लोगों ने रेलवे अधिकारियों से अनुरोध किया था कि उन्हें उस विशेष रेलगाड़ी से घटनास्थल तक जाने दिया जाये जिसमें रेलवे के जनरल मैनेजर जा रहे थे क्योंकि वे टिकट नहीं खरीद सकते थे। किन्तु रेलवे अधिकारियों ने उन्हें उस रेलगाड़ी से जाने की अनुमति नहीं दी। यह दुर्घटना रात को दस बजे हुई थी। किन्तु जनरल मैनेजर घटनास्थल पर तुरन्त नहीं गये। वह सैलून अथवा वातानुकूलित गाड़ी की प्रतीक्षा करते रहे। यह लज्जा की बात है कि एक ओर तो लोग दुर्घटना के शिकार हो गये थे और दूसरी ओर जनरल मैनेजर महोदय साधारण रेलगाड़ी से यात्रा ही नहीं कर सकते थे।

अब मैं समिति के गठन के बारे में कुछ कहूंगा। यह खेद की बात है कि इस समिति का गठन उचित आधार पर नहीं किया गया है। समिति में उन लोगों को लिया गया है जिन्हें इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है और श्री अल्वारेश जैसे लोगों को नहीं लिया गया है जिनका सम्बन्ध जीवन भर रेलवे से रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये और उसमें कम से कम दो-तीन सदस्य ऐसे लिये जाने चाहिये जिन्हें रेलवे के बारे में पूरी जानकारी हो।

यदि इन दुर्घटनाओं को नहीं रोका गया तो जनता के लिये इस देश में रेल से यात्रा करना ही कठिन हो जायेगा। मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये इस प्रकार के विचारों पर आपत्ति है कि दुर्घटनाएं तो दुर्घटनाएं हैं। दुर्घटना किसी भी यान में यात्रा करते समय हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कह सकता हूं कि बस से दुर्घटना हो जाने पर दुर्घटना के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को सजा हो जाती है किन्तु रेलगाड़ी से दुर्घटना होने पर रेलवे बोर्ड के सदस्यों और जनरल मैनेजर की पदोन्नति होती है।

अन्त में मैं रेलवे मंत्री महोदय से फिर निवेदन करता हूं कि वह सम्मान पूर्वक-त्याग-पत्र दे दें और रेलवे बोर्ड को समाप्त कर दें।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : खान अधिनियम की ही भांति रेलवे अधिनियम में भी संशोधन किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। वास्तव में कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार मैं इस पर वाद-विवाद बन्द करना चाहता हूं।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुखी मन से इस वाद-विवाद का उत्तर दे रहा हूं तथा इस पर चर्चा के लिये समय देने के लिये मैं अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं। माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनमें अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। बजट सम्बन्धी कागजों के साथ ही हमने रेलवे के कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी सम्बन्धी साहित्य भी वितरित कर दिया था।

माननीय सदस्यों का कहना है कि कुंजरू समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार ने इस समिति की 350 सिफारिशें

मान ली थीं उनमें से 30 सिफारिशें सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा चुकी हैं और लगभग 50 सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें समय लगना स्वाभाविक ही है क्योंकि इन सिफारिशों के अनुसार सभी रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्था की जानी है।

रेलवे मंत्री का पद संभालने के बाद मैंने यह अनुभव किया कि रेलवे बोर्ड के कार्य की जांच करना आवश्यक है। अब पंडित कुँजरू की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का एक अध्ययन दल रेलवे बोर्ड के कार्य की जांच कर रहा है। यह दल यह भी बताएगा कि कुँजरू समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं, इस अध्ययन दल का प्रतिवेदन मिलने वाला है। माननीय सदस्यों के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अतः माननीय सदस्यों को इस मामलों में परेशान नहीं होना चाहिए।

हम किसी बात को छिपाना नहीं चाहते हैं। मैंने सदा यही कहा है कि किसी भी दुर्घटना की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराई जा सकती है। मैसूर में हुई रेल दुर्घटना की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त हाल में हुई दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये तथा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई है। इस समिति के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति हैं। उनसे सलाह लेने के बाद ही मैं निर्देश पद का ब्योरा तैयार करना चाहता हूं। अध्यक्ष को इस बात का पूरा अधिकार होगा कि वह रेलवे बोर्ड से कोई फाइल मांग सकेंगे। तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्ति इस मामले में अध्यक्ष की सहायता करेंगे। रेलवे सुरक्षा आयुक्त तथा रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष इस समिति के सदस्य हैं। हमें इस विश्वास के साथ चलना चाहिये कि जब भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति जैसा वरिष्ट व्यक्ति इस समिति का अध्यक्ष है तो अवश्य ही सम्पूर्ण प्रश्न पर विषयपरक दृष्टि से विचार किया जायेगा।

यह बड़े दुख की बात है कि ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि रेलों के संचालन का कार्य लगभग दस लाख व्यक्ति कर रहे है। यह एक विस्तृत कार्य है। ये संचालन के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित हैं।

1962 में कुंजरू समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, हमने रेलवे कर्मचारियों को शिक्षा देने तथा पुनर्भ्यास पाठ्यक्रमों के द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न उपाय आरम्भ कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त हमने उन्हें आवश्यक इंजीनियरी प्रशिक्षण दिया है और उनके कार्य की देखभाल करते हैं। कुंजरू समिति ने सुरक्षा कार्य के उचित तरीके, इन्जीनियरी सहायता, पर्यवेक्षक और प्रवर्तन के सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों को शिक्षा देने की सिफारिश की थी। कुंजरू समिति की इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा चुका है।

स्टेशनों पर मार्ग परिपथ बनाने सम्बन्धी सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। देश के सभी 7,000 स्टेशनों पर मार्ग परिपथ बनाने पर एक अरब रुपये की आवश्यकता है। हमने अब तक बहुत से स्टेशनों पर मार्ग परिपथ बनाने का कार्य पूरा कर लिया है। यह

कार्य एकदम नहीं हो सकता है। इस कार्य को कई चरणों में पूरा करना होगा। सिगनल उपकरण के आधुनिकीकरण, नियंत्रण के आधुनिक तरीके आरम्भ करने, सिगनल और रेलवे कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए आवश्यक विभिन्न इन्जीनियरी सहायताओं पर 201 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

भरवारी स्टेशन पर सभी आधुनिक उपकरण, सिगनल व्यवस्था तथा मार्ग परिपथ की व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का वेकुअम ब्रेक खराब नहीं हुआ था क्योंकि इससे पहले यह गाड़ी पांच स्टेशनों से गुजरी थी जहां उसके ब्रेक ने बिलकुल ठीक कार्य किया था। अब हमने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का कार्य जांच समिति को सौंप दिया है। हमने सुरक्षा सम्बन्धी उपाय कर दिये हैं। छोटी-मोटी गलती कहीं पर हो सकती है। जो रोकी नहीं जा सकती है। सिगनल व्यवस्था के सभी आधुनिक उपकरण और मार्ग परिपथ की व्यवस्था के बावजूद भी भरवारी स्टेशन पर यह दुखद दुर्घटना हुई। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आधुनिक उपकरण होने के बावजूद भी दुर्घटनाएं पूरी तरह नहीं रोकी जा सकती हैं।

माननीय सदस्य श्री देवगुण ने मृतकों की संख्या का उल्लेख किया है। माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्वरूप की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। गंभीर दुर्घटनाओं में जानमाल की काफी क्षति हो सकती है जब कि दूसरे स्थान पर क्षति कम हो सकती है।

हमारे पास इंटेग्रेटेड किस्म के जितने डिब्बे हैं, वे सभी एन्टी टेलिस्कोपिक हैं। कुछ डिब्बे हमारे पास बहुत पुराने हैं क्योंकि उनके स्थान पर अभी नये डिब्बों की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। पुराने डिब्बों के स्थान पर नये डिब्बों की व्यवस्था करने का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक हम केवल नवीनतम इस्पात डिब्बों का प्रयोग नहीं करने लगे हैं। क्योंकि इन डिब्बों को बनाने की हमारी क्षमता सीमित है। हम प्रतिवर्ष केवल 1400—1500 डिब्बे बना सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा यह पूछा गया था कि रेलगाड़ी के ड्राइवरों से कितने घंटे कार्य लिया जाता है।

श्री चे० मु० पुनाचा : सप्ताह में लगभग 30 घंटे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Is it not a fact that the General Manager waited for the special saloon and the relatives of persons killed in the accident were not allowed to travel by the special train? If it is a fact, whether an enquiry will be instituted in this regard?

श्री चे० मु० पुनाचा : जनरल मैनेजर रात में 2 बजकर 10 मिनट पर चले थे। इसके अतिरिक्त इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री नम्बियार : ऐसा कहा गया है कि शायद ड्राइवर सो गया होगा। किन्तु स्वचालित

ब्रेक में ऐसी व्यवस्था है कि रेलगाड़ी स्वयं रुक जाती है। इसलिए ड्राइवर के सोने की स्थिति में भी यह दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की जायेगी ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं कार्य के घंटों के बारे में जानकारी चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण कर चुके हैं।

श्री चे० मु० पुनाचा : उच्चस्तरीय समिति दुर्घटनाओं के सम्पूर्ण प्रश्नों पर विचार करेगी। इस दुर्घटना की जांच रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त कर रहे हैं। वही यह बता सकेंगे कि क्या-क्या तकनीकी खराबियां थी।

यह एक विचित्र बात है कि एक विशेष अवधि में किसी न किसी कारण से एक के बाद एक कई दुर्घटनाएं हो गई। माननीय सदस्य इन दुर्घटनाओं के बारे में जानते ही हैं। ऐसा क्यों हुआ, यह बता सकना कठिन है। कुंजरू समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने से और गाड़ी नियंत्रण, गाड़ी रोकने और सिगनल व्यवस्था के आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप रेल दुर्घटनाओं की संख्या कम हो रही है।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : क्या आप रेलवे अधिनियम में संशोधन करने के लिये तैयार हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : रेलवे अधिनियम में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

यदि वास्तव में संशोधन में आवश्यक हुआ तो इस पर विचार करेंगे। रेलवे सुरक्षा के आयुक्त असैनिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होता है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 3 अप्रैल, 1968/14 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 3rd April, 1968/Chaitra 14, 1890 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 17-9-68—600.